राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 2

सोमवार,

14 फरवरी, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल, श्री सुरेश मीणा।

बकाया आबकारी राशि की वसूली

1. श्री सुरेश मीणा (करौली) व **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में शराब, डोडा पोस्त एवं भांग के किस-किस ठेकेदार पर कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है? इसे वसूल करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन ठेकेदारों या समूहों पर राशि बकाया है, सरकार द्वारा उन्हीं को पुन: ठेके दे दिये गये? यदि हां , तो क्यों व ऐसा कितने प्रकरणों में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें। इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड़, सीकर, झुंझुनू जिलों में विद्यालयों, अस्पतालों तथा मंदिरों के आस-पास भी शराब की दुकानें खुली हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि दुकान खोलने की इजाजत देने से पूर्व सार्वजनिक स्थानों से दूरी का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाती है ?

(श्री सुरेश मीणा)

(5) मदिरा की दुकान खोलने की अनुमति दिये जाने की सरकार की क्या नीति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि देशी एवं विदेशी मदिरा एक ही दुकान से बेची जा सकती है? यदि नहीं, तो इस नियम का प्रदेश में कितने स्थानों पर उल्लंघन हो रहा है ? नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों तथा अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) प्रदेश में देशी एवं विदेशी मदिरा की कुल कितनी दुकानें स्वीकृत की गई हैं तथा अवैध रुप से कितनी दुकानें चल रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्गो पर शराब की कितनी दुकानें है? क्या वे सभी निमयानुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनियमित दुकानों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं. तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण) : (1) दिनांक 1.1.2005 को मदिरा, डोडा पोस्त एवं भांग के ठेकेदारों पर सरकार की रुपये 212.91 करोड़ की बकाया है। राजस्व बकाया का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर है। बाकीदारों से बकाया वसूली हेतु जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जा रही है। विभाग के प्रयासों से वर्ष 2001-2002 में राशि रुपये 65.07 करोड़, 2002-03 में राशि रुपये 12.01 करोड़, 2003-04 में राशि रुपये 14.13 करोड़ तथा चालू वित्तीयय वर्ष के दौरान राशि रुपये 3.52 करोड़ वसूल की गई है।

(2) जी नहीं, जिन ठेकेदारों या समूहों पर सरकार की रकम बकाया है, उन्हें ठेके नहीं दिये गये है,

(3) मदिरा दुकानों की अवस्थिति राजस्थान आबकारी नियम, 1958 के नियम 75 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है। उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि कुछ श्रेणी विशेष के विद्यालयों एवं बड़े शहरों में जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी सूची में उल्लेखित मंदिरों के संबंध में ही यह प्रतिबन्धात्मक प्रावधान लागू होते है तथा आबकारी आयुक्त को इसमें शिथिलता प्रदान करने के अधिकार होते हैं।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

(4) मदिरा दुकानों की अवस्थिति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट पर अनुमोदित की जाती है, जिसमें आबकारी निरीक्षक द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर टिप्पणी अंकित की जाती है।

(5) मदिरा दुकानों की अनुमति एवं अवस्थिति के बारे में प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम. 1956 के नियम 75 में किये गये है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर है।

(6) जी हां। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में देशी मदिरा दुकानों के "कम्पोजिट" होने की स्थिति में उन पर देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा का एक साथ विक्रय किया जा सकता है।

(7) प्रदेश में स्वीकृत देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानों की आबकारी जिलेवार संख्या की सूची परिशिष्ट-स पर है। किसी भी स्थान से मदिरा को अवैध संग्रह अथवा बिक्री की जानकारी होने पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाति है।

(8) आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी सम्बन्धी प्रावधान नगरपालिका क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर जो बाजार के रूप में विकसित हों आदि के संदर्भ में लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा इन प्रतिबंधात्मक प्रावधानों में शिथिलता भी प्रदान की जा सकती है। किसी दुकान विशेष के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर इस बात की जांच करवाई जा सकती है कि अमुक दुकान इन प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार रूप से स्वीकृत है अथवा नहीं। इसके उपरांत ऐसी दुकान विशेष को हटाने अथवा यथावत रखने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

(विवरण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, दिनांक 1.1.05 में जो बकाया पैसा था, सन् 2001-02 में 65.07 करोड़ वसूला गया और 2002-03 में 12.1 वसूला गया, लेकिन अब की बार सिर्फ 3.52 करोड़ रुपया ही क्यों वसूला गया ?

श्री अध्यक्ष : जवाब तो देने दीजिए।

श्री सुरेश मीणा : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह थोड़ा सा उत्तर आ जाए उसके बाद सारे पूछ लें। हम नये-नये एम.एल.ए. बने हैं हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, बकाया राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बकाया राशि थी 212 करोड़ रुपया, जो मैंने बताया है, यह सन् 1962 से लेकर 2005 तक की है जो कुल मिलाकर 212 करोड़ रुपया होती है। वर्ष 1999-2000 और 2000-01 में एक सैटेलमेंट सरकार द्वारा किया गया था, उस समय का सबसे अधिक बकाया है जो 141 करोड़ बनता है तथा जो पूरे बकाया का 67 प्रतिशत है। पूर्व में मदिरा समूह के ठेकों के लिये नकद राशि के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं जमानत पत्र लिये जाते थे, इस नीति को वर्ष 2002-03 में समाप्त कर इसके स्थान पर 17 प्रतिशत नकद या 17 प्रतिशत नकद के बजाय 10 प्रतिशत नकद एवं 10 प्रतिशत बैंक गारंटी का प्रावधान किया गया है। इसकी वजह से जो बकाया राशि थी, इसमें कमी आई है अभी मैंने आपको बताया 212 करोड़ रुपया, जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे है, यह पैसा हमने इस वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ रुपया वसूल किया है। 212 करोड़ में से जो 4 करोड़ वसूल किया है, यह पूर्व में ही 1999-2000 और 2000-01 में दो साल का जो आपने सैटलमेंट किया था, उसका पैसा है। इसमें मेक्सिमम आपके द्वारा जो पालिसी....

श्री अध्यक्ष : आपने कहां किया ? यह तो थे ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सैटेलमेंट से क्या है? (व्यवधान) राजस्थान सरकार का बकाया है और आप वसूलना नहीं चाहते।

मोहम्मद माहिद आजाद (नगर) : (व्यवधान) एक्साइज मिनिटर, आपके द्वारा क्या होता है ?

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की जनता का 200 करोड़ रुपया बकाया है और वसूल नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री हारालाल : (व्यवधान) सन् 62 से चल रहा है। (व्यवधान) आपके ही पीरियड का है। सन् 1962 से चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय. मेरे सवाल का जवाब आ जाए, यह हल्ला-गुल्ला बंद हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, वसूली की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसे ठेकेदार के ठेका छूटता है उसमें अमानत राशि डिपोजिट करनी पड़ती है, अगर वह ठेकेदार नहीं ले पाता उसको दूसरे नम्बर वाले को देना चाहता है तो जो दूसरा नंबर वाला है उसको देकर अमाउंट. जैसे 10 करोड़ में कोई ठेका छूटा फिर दूसरे नंबर वाला 8 करोड़ का है तो जो 2 करोड़ रुपये का घाटा है वह भी फर्स्ट वाले ठेकेदार को ही दे दिया जाता था। उसकी वजह से यह सारा अमाउंट 212 करोड हुआ है।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो शराब के ठेकेदार है उन पर जो बकाया है, उन ठेकेदारों की सम्पत्ति आज तक कभी कुर्क नहीं की गई है क्या ? राजस्थान में यदि किसान किसी बैंक से 5 हजार रुपये ले लेता है तो हमारा प्रशासन उसके खेत में जाकर ढोल बजाता है और उसको कुर्क करा देता है, लेकिन आज तक बड़े लोगों की कोई भी सम्पत्ति कुर्क नहीं की गई। इस प्रकार का कोई मामला हो तो हमें बताएं।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वसूली के प्रयास सरकार कर रही है। इसमें जिन ठेकेदारों के बारे में आप बात कर रहें हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री वीरेन्द्र मीणा : ठेकेदार, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, इसमें पूर्व में प्रकिया ऐसी थी, कि एक हैसियत प्रमाण-पत्र और जमानत पत्र लिये जाते थे, इसको बाद में 2002-03 में बदल दिया गया और इसके स्थान पर 17 प्रतिशत नकद राशि कर दी गई। हैसियत प्रमाण-पत्र और जमानत पत्र थे यह (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : मैं केवल यह पूछ रहा हूं, आज तक कुर्क की गई सम्पत्ति (व्यवधान) उनकी सम्पत्ति आज तक कुर्क नहीं की गई।

श्री अमराराम (धोद) : 212 करोड़ की वसूली के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप लोग इस प्रकार एक साथ उठकर बोलेंगे तो जवाब कैसे आएगा ? एक साथ टूटते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार) : जवाब क्या दे रहे हैं ? अध्यक्ष महोदया, जवाब क्या दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : बात तो वसूली की है, प्रक्रिया समझा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके पूछिए आप।

श्री वीरेन्द्र मीणा : 212 करोड़ की आप बात कर रहे हैं इसके अन्दर से 77 करोड़ रुपये तो कोर्ट के लिटिगेशन द्वारा अटके हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय मंत्री महोदय, मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि बड़े लोगों की सम्पत्ति आज तक कुर्क हुई हैं क्या ? किसानों की ही कुर्क क्यों होती है, मैं यह सवाल पूछ रहा हूं आपसे ? ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : इधर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, यही बैठे होंगे ..(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : आबकारी विभाग को ये शक्तियां दी गई हैं लैण्ड एण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत, बड़ा ठेकेदार हो या कोई छोटा ठेकेदार हो, उनकी सबकी जमीन को कुर्क कर सकते हैं। उसके लिए भी विभाग कार्यवाही कर रहा है।

श्री सुरेश मीणा : आज तक कोई जमीन कुर्क हुई है या कोई मकान कुर्क हुआ है, यह बताइये हमें ? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : उसमें कार्यवाही जोरों पर जारी है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : उनको आप दे रहे हैं 200 करोड़ रुपये .. (व्यवधान) 2003, इसके अलावा कुछ आये, आप बता ही नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : ये जो शराब के ठेकेदार हैं, इनके द्वारा क्या कोई चैक दिये गये थे ? अगर चैक दिये गये थे तो क्या बाउन्स हुए, अगर बाउन्स हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा है, श्री अमराराम ।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 1967 से 212 करोड़ रुपये

(श्री अमराराम)

राजस्थान की जनता के बकाया हैं, मंत्री महोदय. एक तो यह बता दें कि इनमें से कितने बकायादार हैं जिनकी सम्पत्ति को कुर्क करके नीलाम कर दिया गया है ? दूसरा आप कह रहे हैं कि अवैध नहीं है, यह बता दें कि सरगोट और डोडसर में नेशनल हाइवे पर, अध्यक्ष महोदया, आप भी जाते हैं, यह कह रहे हैं कि नेशनल हाइवे पर या केवल नगर परिषद में बाजार विकसित हैं वहीं होते हैं, जबकि सरगोट और डोडसर में आप जहां से पधारते हैं, ऐसे सजा रखें हैं, जिस तरह से कोई शादी का मण्डप सजा रखा हो, शराब के ठेकेदारों ने, क्या आप उनको हटाने की घोषणा करते हैं? तीसरा, राजस्थान की जनता के 212 करोड़ कब तक वसूल कर लेंगे ?

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकानों के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्वीकृत दुकानें 512 हैं, जिनका मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि हमारे एक्साइज कमिश्नर ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैंने बताया उनका बता दें, ये नियमानुसार हैं या अवैध हैं ?

श्री वीरेन्द्र मीणा : एक्साइज कमिश्नर को धारा 75 के तहत पावर हैं शिथिलता प्रदान करने के। शिथिलता प्रदान करने के तहत इनको पावर दे रखे हैं, जिसमें राष्ट्रीय राज मार्ग पर 512 दुकानें..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : कमिश्नर के द्वारा अब तक कुल कितने केसेज में शिथिलता प्रदान की गई है, सूची बता दें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिए, बीच में क्या खड़े हो गये ?

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, कलक्टर को पावर के अलावा जिला स्तर पर एक कमेटी होती है जिला कलक्टर की अध्यक्षता में, जिसमें माननीय विधायक भी होते हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कोई कमेटी नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आज तक कोई कमेटी नहीं है। एक भी विधायक को नहीं बुलाया, रिलैक्शेसन (व्यवधान)

श्री अममराम (धोद) : कोई कमेटी नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : एक भी विधायक को नहीं बुलाया, आज तक नहीं बुलाया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो उत्तर बता दीजिए कि इन ठेकेदारों में कितने ठेकेदारों की प्रोपर्टी को सीज किया ? वो ही ठेकेदार हैं जो नाम बदल-बदलकर ठेका लेते हैं, कोई नया ठेकेदार नहीं बनता। आप तो यह बता दें कि इनकी कितनी कुर्क की है और कब तक आप वसूल कर लेंगे ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदया, जो ठेकेदार हैं वे ओरिजिनल ठेकेदार ही चल रहे हैं, केवल नाम बदल-बदलकर आते हैं। (व्यवधान) एक्साइज कमिश्नर जानते हैं, सैक्रेटरी जानते हैं, उसके बावजूद उन्हीं लोगों को ठेके दे देते हैं जिनके पैसे बकाया हैं, राष्ट्रीय राज मार्ग पर दुकान चलाते हैं। (व्यवधान) कहते हैं कि इनको रिलैक्सेशन दे दिया, जब नियम बने हुए हैं तो रिलैक्सेशन की क्या जरुरत है?

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्रीजी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैंने पहले भी निवेदन किया था...

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता ही सन्तुष्ट नहीं हुए, आप यों ही खड़े हो गये।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : इस पर आधे घण्टे की चर्चा रख दी जाए, मंत्रीजी बिना तैयारी के आए हैं।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

श्री सुरेश मीणा : राजस्थान में कितनी दुकाने वैध हैं और कितनी अवैध हैं, इसका जवाब दे दीजिए ? अधिकतर जो अवैध दुकाने चल रही हैं एस.सी. और एस.टी. की बस्तियों में, उनको बर्बाद करने के लिए वहां पर ठेकेदार दुकानें खोलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसका जवाब दें और पूरे राजस्थान से इन दुकानों को हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं एस.सी., एस.टी. बस्तियों में चल रही हैं, हरजिन बस्तियों के लिए अलग से प्रावधान है एक्साइज नियम के तहत, जिसमें 50 प्रतिशत जो बस्ती की पापुलेशन ज्यादा होती है एस.सी., एस.टी. से. उसमें खोलने के प्रावधान है। फिर भी यदि माननीय सदस्य हमको कोई बताएंगे...(व्यवधान) कोई दुकान इस प्रकार से अवैध चल रही है तो उसके खिलाफ निश्चित विभाग कार्यवाही करेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह गुर्जर।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अभी पूछ रहा था..(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे अलाउ कर दिया है, विराजिए।

श्री सुरेश मीणा : इन्हीं के जिले में, माननीय मंत्रीजी के जिले में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब आ गया।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : इनके जवाब से सदन का कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है, इसके लिए आप अलग से आधे घंटे की चर्चा करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बैठिए।

श्री अध्यक्ष : आसन अपना काम खुद करेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हरिजन शब्द कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे अलाउ कर दिया।

श्री महिपाल सिंह यादव (बानसूर) : ऐसा कोई गांव या ढ़ाणी नहीं बची जिसमें अवैध शराब का ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा, इन्होंने जवाब दिया है कि रिपीटीशन करके किसी को भी ठेका नहीं देंगे, 62 से 2005 तक के बकाया हैं, ये ठेकेदार नाम बदल-बदलकर फर्जी नाम से ठेके लेते जा रहे हैं सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद। इनको यह पता नहीं

(डा. एन.एस. गुर्जर)

है उनका एड्रेस इनको मिल नहीं रहा, कोई अता-पता नहीं लगा रहे हैं, इतने केसेज हैं जिनमें आपको एड्रेस नहीं मिले, फैक नाम से उन्होंने ठेका लिया है। क्या सरकार ने पता किया है ? टोटल उसका कितना बकाया है ?

नम्बर दो, क्या इन ठेकेदारों को जो रिपीटीशन करके, नाम बदल-बदलकर ठेके ले रहें हैं और फिर उसके बावजूद उनमें बकाया राशि है, इनके ऊपर पाबन्दी लगाने के लिए सरकार ने कोई बड़े क़दम, नियम, कानून कायदे कुछ बनाए हैं, मैं इतना जानना चाहूंगा ? यही फर्जी नाम से ठेके दुबारा नाम बदल-बदलकर लेते रहे। जिनको वसूली के लिए नोटिस देते हैं वो लोग कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं। कितने केसेज हैं जिनमें कोर्ट में मामले पैंडिंग हैं? आपका विभाग कोर्ट के अन्दर कानूनी कार्यवाही में ढील बरतता है, जिसके कारण यह पैसे सरकार के, आम जनता के अटके हुए हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने कोर्ट के अन्दर विभागीय तरफ से अच्छी तरह पैरवी नहीं की और उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, आप भाषण देने लगे। जवाब आने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बता रहे थे कि ऐसे कितने केसेज है, लिटिगेशन के अन्दर हमारे 77 करोड़ रुपये अटके हुए हैं। 212 करोड़ में से 77 करोड़ रुपये लिटिगेशन के अन्दर अटके हुए हैं। प्रत्येक केस में हमने अधिकारी लगा रखे हैं। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत एक्साइज विभाग को पावर दिया है उसमें भी कार्यवाही हो रही है। हमारी सरकार के आने के बाद तीव्र गति से कार्यवाही कराई। (व्यवधान) इसका भी मैं आपको विवरण देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ही +++ है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : एक भी सवाल का...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जहरीली शराब पिला-पिलाकर लोगों को मारने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान का एक भी गांव बता दें मंत्रीजी कि वहां शराब का ठेका नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा ।

श्री अमराराम (धोद) : एक भी गांव और मौहल्ला नहीं बचा जहां शराब का ठेका नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई) : यह कार्यवाही भी हमारी सरकार के आने के बाद हुई है। यह सारी बकाया कांग्रेस के राज की है और हमने वसूली की है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब से लोग मर रहे है और ये बकाया वसूली कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैने हरिमोहन शर्मा का नाम पुकार लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह है कि कमिश्नर को जो रिलैक्सेशन की पावर है, सारे राजस्थान में कुल कितने कैसेज हैं जिसमें कमिश्नर और जो भी आथोरिटी हैं, जिनको रिलैक्सेशन देने की पावर है उन्होंने नियमों से हटकर रिलैक्सेन दिया है? रिलैक्सेशन देने की रीजनिंग क्या है ? नम्बर-दो, जनवरी, 2004 से अभी तक कितने लोगों पर शराब की कितने करोड़ रुपयों की बकाया है ? नम्बर-3 पूर्व में नियम थे कि हैसियत प्रमाण-पत्र अधिकारी जारी करते थे, जिन्होंने हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किये उन ठेकेदारों के, और जब आप ढूंढने गये तो उनकी हैसियत में कुछ भी नहीं मिला, तो उन प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक बात क्लीयर करवा दें, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 50 प्रतिशत एस.सी., एस.टी. की बस्तियां हैं, एस.सी., एस.टी. के लोग जहां निवास करते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, जवाब आने दीजिए। जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आबकारी विभाग ने ऐसी नीति बना रखी है कि वहां दुकानें खोलने का अधिकार ...।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा क्या, जो बोल रहे हैं ? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बाबूलाल नागर। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : पूर्व की सरकारों ने एस.सी.,एस.टी. की बस्तियों के अन्दर शराब के ठेके खोले थे, उनकी बदौलत ही हमारे एस.सी., एस.टी. के लोग बर्बाद हो रहे हैं और ये घडियाली आंसू बहा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एस.सी., एस.टी. को बर्बाद करने वाले ये कांग्रेसी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर, स्थान ग्रहण करें। मिस्टर बाबूलाल नागर, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आपको क्या हो गया, क्या हुआ (व्यवधान) जवाब देने की जिम्मेदारी मंत्रीजी की है, आपको क्या हुआ है ? आप बीच में ही खड़े हो गये। (व्यवधान) मिस्टर बाबूलाल नागर, आप जिस तरीके से खड़े हुए हैं, आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। मिस्टर बंशीलाल, देखिये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसका जवाब आने दीजिए। आप बेवजह खड़े हो गये।

श्री सुरेश मीणा : मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है कि एस.सी., एस.टी. की कालोनियों में 50 प्रतिशत...(व्यवधान) मंत्रीजी बताएं इस बात को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, मिस्टर बाबूलाल नागर। बैठिये, स्थान ग्रहण करें। पहले आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) पहले आप स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा, स्थान ग्रहण कर लें आप। आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) हरिमोहन शर्मा का प्रश्न था, उसका जवाब दे दीजिए, मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा उच्च न्यायालय के अन्दर कितने कैसेज चल रहे हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कुल 17 प्रकरण हैं जिसके अन्दर हमको...

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने यह नहीं पूछा था। उन्होंने यह पूछा था कि कितने कैसेज के अन्दर रिलैक्सेशन दिया था। ...(व्यवधान) धोद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, हम तो केवल यह पूछना चाहते हैं कि एस.सी., एस.टी. के बारे में जो बात कही है मंत्रीजी ने...

श्री अध्यक्ष : जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है, वह कह सकते हैं, जा सकते हैं, बता सकते हैं, उन्हें ब्रीफ कर सकते हैं, आप बीच में न बोलें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हरिमोहनजी जब बोल रहे थे तब उनको सुनने नहीं दिया इन्होंने। उन्होंने सुनने नहीं दिया। कोर्ट केस का तो इन्होंने पूछा नहीं।

श्री सी. डी. देवल : मंत्रीजी तैयार ही नहीं है जवाब देने के लिये। आप इसको स्थगित करें और आधे घंटे की चर्चा कराएं। इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जब एक मंत्री जवाब नहीं दे पाए और निर्णय हुआ है कि 5-5 विधायक उनकी मदद करेंगे तो वह कर लें।

श्री अध्यक्ष : आप सब यूं ही खड़े हो रहे हैं। जवाब तो आने नहीं दे रहे हैं आप। आप जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्वीकृति देने में जिनमें शिथिलता प्रदान की गयी है, वे हैं 77 और कुल दुकानें जो नगरपालिका, नगर निगम क्षेत्रों में आती हैं, 77 को इनक्लूड करके वे 512 दुकानें हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : दो और हैं।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर माहिर आजाद, बस लास्ट इसके बाद।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरे दो प्रश्न हैं। नहीं, 2 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। दो प्रश्नों का जवाब कहां दिया। एक तो इस बात का नहीं दिया कि जनवरी, 2004 से अभी 2005 तक कितनी बकाया है और एक यह कि जो फर्जी हैसियत प्रमाण-पत्र...

श्री अध्यक्ष : 2005 तक की बकाया तो बता दी, पूरी टोटल बकाया बता दी इन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्मा : टोटल बतायी कितनी है?

श्री अध्यक्ष : बता दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो टोटल के साथ मिल रही है। कौन जोड़ेगा अभी इनको अलग से जोड़ कर बता दें। और रिलैक्सेशन देने के रीजन्स क्या हैं ? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : अभी बकाया वसूली के प्रकरण में सालवेन्सी प्रमाण-पत्र जारी करने के मुद्दे पर...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 25 मिनट हो गये, अभी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, इनके पास आबकारी विभाग है।

श्री बंशीलाल खटीक : सारे जवाब दिये जा रहे हैं, सुना क्यों नहीं ? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : कोई जवाब नहीं है प्रश्न का, एक जवाब नहीं है। (व्यवधान) कोई जवाब नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई) : जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो सुना क्यों नहीं ? आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : हमको मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सदस्य जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, सब जवाब दिये गये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब जवाब दिये जा रहे है तो जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप समय को बर्बाद करना चाहते हैं, उत्तर को सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये केवल हो-हल्ला करना चाहते हैं, इनका काम ही हो-हल्ला करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और जो आप बर्बाद कर हैं, उसका क्या होगा? (व्यवधान) आप भी तो बर्बाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष मेरा, मेरा मूल प्रश्न है। मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया।

श्री सुरेश मीणा : हम इतना पूछना चाहते हैं कि ये एस.सी., एस.टी. की कालोनियों में शराब की दुकानें क्यों खोली जाती हैं? इनको उठाया जाए इन बस्तियों में से (चार) यह है हमारी बात तो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं, आपने राष्ट्रीय राज मार्ग पर तो जो रिलैक्सेशन दिया, उसमें लिस्ट बता दी, लेकिन इसके अलावा धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, स्कूलों, बस स्टैण्डों इनके बीच में जो आपने प्रतिबन्धित क्षेत्र तय कर रखें हैं कि यहां लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, शराब की दुकाने नहीं खोली जाएंगी, ऐसे कितने स्थान हैं जहां आपने यह रिलैक्सेशन देकर शराब की दुकान खोलने का अनैतिक कार्य किया है?

दूसरा मेरा पश्न यह है कि जब शराब के ऊपर इतना हंगामा हो रहा है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और इतना अवैध कारोबार हो रहा है, आप इस शराब को बंद ही

(मोहम्मद माहिर आजाद)

क्यों नहीं कर देते राजस्थान में, जो न रहे बांस, न बजे बांसुरी, राजस्थान में शराब बंदी लागू करिये। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : यह पहले तो आपको करना चाहिए था। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों, दर्द हुआ? क्या पूरी सरकार +++ है क्या ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरी सरकार +++ की सरकार है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : फिर कांग्रेस की सरकार ने यह क्यों नहीं किया ? अब यह घडियाली आंसू क्यों बहा रहे हो ? (व्यवधान) ठेके चालू कर दिये थे। (व्यवधान) जनता पार्टी के राज में 1977 में शराबबन्दी की थी।

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस के टाइम में बहुत बढ़ावा दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा हो गया मूल प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : सदन की चिन्ता को देखकर मैं सोचती हूं कि यह तो पहले ही हो जाता तो बहुत अच्छा होता। (व्यवधान) पर आप उसकी चिन्ता न करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप शांति से सुनिये। सदन की नेता खड़ी है, शांति से सुनिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : सब की चिन्ता को देखकर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं सरकार की ओर से कि वह जो बकाया है, यह 36 साल पुराना है। 1999-2000, 2000-2001 के अन्दर जो सैटलमेन्ट हुआ था उसमें हुआ 141.65 करोड़, यह बकाया है, पिछली सरकार का...(व्यवधान)...वैसी ही उसी पीरियड का पड़ा हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस एक साल के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हम लोगों ने इसका पूरी तरह से जायजा किया है, हमने करीबन चार करोड़ रुपये इसके वापस लिये हैं। 77 करोड़ रुपये के कैसेज चल रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग स्पेशल इंट्रैस्ट लेकर उनको जल्दी से जल्दी निपटाकर उस राशि की वसूली करना चाहते हैं। उसके बावजूद जो 141 करोड़ रुपये के पुराने बकाया रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी सख्ती करके हम लोग सबकी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करेंगे।

माननीय सदस्य, अगर कोई भी हमको यह बता सकते हैं कि ये दुकानें नियम विरुद्ध अगर कहीं खुली हैं, अगर वे बता देते हैं तो उसके ऊपर तुरन्त एक्शन लिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि जो भी विधायक या जो भी इनके बारे में कम्प्लेन्ट करता है, उस कम्प्लेन्ट के आधार पर हम लोग तुरन्त उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे बारां के अन्दर पुरानी सरकार के चलाये हुए स्कूल के पास, भंवरगढ़ के अन्दर एक स्कूल के पास, एक और स्कूल के पास भंवरगढ़ के अन्दर, एक जगह हनुमान मन्दिर के पास होने की वजह से हम लोगों ने हटवाया है, जैसे ही हमारे पास उसकी रिपोर्ट आयी। इसी तरीके से बूंदी के अन्दर राष्ट्रीय राज मार्ग पर जो था उसको हमने वापस किया है। इसी तरीके से जोधपुर के अन्दर एक विद्यालय के पास होने के कारण, एक हास्पिटल के पास होने के कारण हमने इन सबको वापस किया है। आप लोगों की तरफ से यदि और कोई भी रिपोर्ट आती हैं, जहां पर पुरानी सरकार की वजह से खोले गये, कोई पुरानी दुकान हो, उसको हम वापस करने के लिए तुरन्त स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब रह गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, माननीय श्री बद्रीलाल जाट ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक सप्लीमेन्ट्री मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है, सारे जवाब आ गये, सारी बातें बता दीं आपको। आश्वासन दे दिया, अब आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : नैक्स्ट क्वेश्चन हो गया। कल्लाजी, नेता प्रतिपक्ष हैं आप। सदन की गरिमा का ध्यान रखिये, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया गया है, बैठ जाओ, कल्लाजी, बैठ जाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नैक्स्ट क्वेचनन पुकार लिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : ये सारे पाप आपकी तरफ से किये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। वैसे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपकी चिन्ता को देखते हुए...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सप्लीमेन्ट्री है हमारा।

श्री अध्यक्ष : मुझे अपनी बात समाप्त करने तो दीजिए। वैसे प्रश्न का जवाब दे दिया, सब बातें उसमें आ गयीं, उसके बाद भी आवश्यकता नहीं है खड़े होने की आपको, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं आपको पुन: इस बात का अवसर दूंगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) क्या मतलब है आपका ? लीडर आफ अपोजीशन से आपका क्या मतलब है? यह हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं चलेगा हाउस। हाउस नहीं चलेगा, यह कोई तरीका है क्या ? आप हर बार फैसला कर देते हैं। यह हाउस चलने की जिम्मेदारी हमारी भी है लेकिन ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर-आर्डर।

डा. सी.पी. जोशी : लीडर आफ अपोजीशन को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप, अध्यक्ष महोदय, आसन की गरिमा रखिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जैसा कर रहे हो उससे भी हाउस नहीं चलेगा। आप जैसा कर रहे हो उससे भी हाउस नहीं चलने वाला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आसन को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। (व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा संकेतानुसार अंकित नहीं करने के निर्देश)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, क्या आप आसन को चुनौती दे रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं ? आप चाहते क्या हैं ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष मैने आपका नाम पुकारा, आपके ही माननीय सदस्य आपको पूछने नहीं दे रहे हैं, आसन क्या करे इसमें ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा नहीं है। एक मिनट। ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप सुनिये इन्हें, क्या कहना चाहते हैं, यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब आपके मंत्री व्यवधान कर रहे हैं, यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : शांत होने दीजिए। एक बार बैठो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको बैठाओ आप।

श्री अध्यक्ष : मैं बैठाती हूं, आप विराजिये। मैं बैठाती हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी यह जो प्रकिया और नियम हैं, जो अपन ने बनाये हुए हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में प्रश्न होने दीजिए। काहे के नियम बता रहे हैं आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पांच मिनट एक सवाल के लिए और बारह प्रश्न आने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन का, यह सारे माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वे अपने प्रश्न को पूछें। एक प्रश्न से बाकी के माननीय सदस्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसको नियमित करने की कृपा करें। यह वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और जो नियम बने हुए हैं कि 12 सवाल होने चाहिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय, नियमों की जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था, 212 करोड़ रुपये की वसूली होनी थी, इतनी बकाया है, इसलिए इतना समय लगा। मैं खुद भी रखती हूं इस बात का ध्यान कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस का जवाब यहां पर दिलवा सकूं। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था और फिर एक के बाद एक उठाते चले गये, हंगामा होता रहा, बात सुनाई भी नहीं दी कि कौन क्या पूछ रहा है। उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया। इसलिये मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि यदि उनको अपनी कोई शंका का समाधान करवाना है तो वह अपना प्रश्न पूछ लें और उसके बाद में नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लूंगी। हालांकि समय बहुत हो गया है, नेता प्रतिपक्ष, आप जो चाहे पूंछ लें। (व्यवधान) आप प्लीज बैठिये। (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको कोई चेतावनी नहीं दे रही हूं लेकिन आपसे निवेदन कर रही हूं, कि आप यूं ही खड़े होकर कुछ न कुछ कहने लग जाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कल्लाजी को यह मानते ही नहीं है प्रतिपक्ष का नेता। (व्यवधान) तय कर लें, पहले आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या हो गया है ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बैठा दिया उनको। बैठ जाओ, कल्ला साहब, आप नेता हो प्रतिपक्ष के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा : यह तो चार साल बाद सत्ता पक्ष के नेता बनेंगे, चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने नेता प्रतिपक्ष का तो ख्याल रखिये कि वह खड़े हैं और आप खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेमा बदल लिया क्या ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उस दिन आप जागे, समझ में नहीं आया आपके ?

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं कि व्यवधान न डालें। बीच में न खड़े होवें। कार्यवाही को ठीक तरह से चलने दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब प्रश्न का उत्तर दिया तो एक सप्लीमेन्ट्री करनी थी, इससे पहले भी आपके सामने हाथ उठाया था और आपने मुझे मना किया, उसके कारण यह प्रतिरोध हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। हां, अब पूछिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने 212.91 करोड़ रुपये की बकाया बताई तो इसमें चालू वित्तीय वर्ष की कितनी बकाया है, नम्बर एक, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष पिछले तीन-चार वर्षों में सबसे कम बकाया वसूली हुई है। इससे पहले सन् 2000 में 65 करोड़ की बकाया वसूली हुई। फिर 13 करोड़ की वृद्धि हुई, 12 करोड़ की हुई, उसके बाद में 3 करोड़ की यानि सबसे कम बकाया वसूली इस साल हुई है। बकाया वसूली के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोलते हो, उनको पूछने दीजिए न ? बीच में बोल रहे हैं। कंट्रोल करो, इन्हें थोडा कंट्रोल करिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उधर कितने लोग बोल रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करो आप।

श्री अध्यक्ष : इनको कंट्रोल कर लो आप, इनको मैं कर लूंगी। आप तो उनको कंट्रोल में कर लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे वाले सब कंट्रोल में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप बीच में न बोलें। प्लीज बीच में नहीं बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि बकाया वसूली से पहले ठेकेदार अपनी सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण-पत्र देते हैं। आपने पिछले एक वर्ष में इन हैसियत प्रमाण-पत्र देने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? और अब आपकी क्या योजना है, यह बकाया वसूली आप किस प्रकार से करेंगी।

श्री अध्यक्ष : हां, बताया न मुख्य मंत्रीजी ने । बताया तो था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चालू वित्तीय वर्ष में कितनी, इस वर्ष में कितनी मैंने चार प्रश्न पूछे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप उनको जवाब देने दो न।

एक माननीय सदस्य : जवाब दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूं, रिपीट कर दूंगी कि यह जो 212 करोड़ का बकाया है वह 36 साल का बकाया है। इस साल में 6.10 करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें से 4 करोड़ रुपये की वसूली हम लोगों ने कर ली है। अब आप जो कह रहे हो कि 2001-02, आपने 65 किया फिर उसके बाद में आपने 12 किया। अब जो पूरा का पूरा बकाया है, आपकी तरफ ही है। उसकी ज्यादा से ज्यादा वसूली करने की रेस्पांसिबिलिटी आप पर है। मुझे खुशी है कि आपने किया। जहां तक मैंने आपको जवाब दिया है 77 करोड़ रुपये का, जो केस कोर्ट के अन्दर है, हम लोग और जोर से उसको फालो करने वाले हैं। बाकी जो 14 करोड़ रुपया आप लोगों का बचा है, उसके लिये भी हम चाहे वह पटवारी हैं, चाहे वह डी.ओज हैं, चाहे दूसरे आफिसर हैं जो इनके अन्दर इन्वाल्व हैं, पिछले 6 महीने के अन्दर हम लोगों ने इन कैसेज का पूरा जायजा किया है और हम इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : ...(व्यवधान) यह 141 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के समय का है, इस बात को बताना नहीं चाहते आप। जो बात है उसको कहना नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहते। यह आपकी मर्जी पर नहीं है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 141 करोड़ रुपये का सैटलमेन्ट 99 में हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के समय का है। इस बात को बताना ही नहीं चाहते आप। जो मेन मुद्दा बताना चाहिये, वह रह जाता है।

श्री टीकम चन्द कान्त : भारतीय जनता पार्टी के बाद तो कांग्रेस की सरकार आई थी, उसने क्या किया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप ईयरवाइज बता दें, ईयरवाइज क्या बकाया है?

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं आपको और क्लीयर कर रही हूं कि 6.10 करोड़ जो इस साल की बकाया है, जो आपने पूछा था, वह बैक आउट की वजह से है। वह पैसा हम लोगों का वसूल करने के लिये नहीं, बैक आउट के लिये जो पैसा होता है, वह 6.10 है। उसमें से 4 करोड़ रुपया हमने वापस कर लिया है और इसके ऊपर हम लोग यहां रुकने वाले नहीं है। जो पिछली शिथिलता दिखाई दी गयी थी, वह शिथिलता यहां नहीं दिखाई जाएगी, बहुत ही जल्दी हम लोग इनको ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैम, आई एम सॉरी, 141 करोड़ रुपये...(व्यवधान) आप सुनिये ...(व्यवधान) आप तो सुनना ही नहीं चाहते किसी चीज को।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेशचन, श्री बद्रीलाल जाट।

डा. सी.पी. जोशी : 141 करोड़ रुपये का मैजरमेन्ट भारतीय जनता पार्टी के समय का है, इसको आप बताना नहीं चाहते। उसकी रिकवरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। नई पालिसी बनाने जा रहे हैं, नई पालिसी में ये बातें नहीं हों, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी को बोलना चाहिये कि नई पालिसी के अन्दर यह गड़बड़ी नहीं होगी, रिकवरी पूरी होगी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, 141 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी के शासन का है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : यह कांग्रेस के राज में हुआ है।

श्री बंशीलाल खटीक : यह कांग्रेस के राज में हुआ है।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नई पालिसी के अन्दर कैसे रोकेंगे आप ? नई पालिसी के अन्दर आप इस मोनोपोली को कैसे रोकेंगे, यह बताइये आप ?

(डा. सी.पी. जोशी)

इसके लिये तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, इस नीति के सम्बन्ध में सरकार क्या करने वाली है, इस सम्बन्ध में बातें करनी चाहिये कि उसमें यह घपला नहीं हो। ...(व्यवधान)... इसको बताना नहीं चाहते आप।...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पालिसी बनने से पहले आप क्या कराना चाहते है ?

डा. सी.पी. जोशी : हाउस के अन्दर तो आपकी पालिसी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, सदन के नियमों का ध्यान दिला रही हूं, बिराजें, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बार-बार आसन के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया है, क्या जानकारी दी है ?

श्री सांवर लाल : आपने पांच साल में क्या किया ? यह बता दो न, कितनी वसूली की ?

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीलाल जाट।

श्री बद्रीलाल जाट : क्वेश्चन नम्बर 289, सार्व. निर्माण विभाग।

डा. सी.पी. जोशी : 65 करोड़ रुपये हमारे राज में वसूल हुए हैं, आपके राज में नहीं हुए।

श्री सांवर लाल : राज में थे तब तो कुछ जोर दिखाते, वसूल करते तो मानते आपको।...(व्यवधान)

डा. सी.पी.जोशी : क्यों जोर दिखा रहे हैं, 65 करोड़ रुपये हमारे राज में वसूल हुए हैं। ...(व्यवधान) आपने एक साल में चार करोड़ रुपये वसूल किये हैं। ...(व्यवधान) 65 करोड़ हमारे राज में वसूल हुए हैं।

श्री सी.डी. देवल : यह मामला उठा, फिर भी डिपार्टमेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : जोशीजी, जो आपने 99-2000 में सैलमेन्ट किया है, सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट है इसके अन्दर देखो। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है मेरे पास।

डा. सी.पी. जोशी : बी.जे.पी. का राज था, बी.जे.पी. के राज का।...(व्यवधान)

(डा. सी.पी. जोशी)

तब तो बी.जे.पी. का राज था...(व्यवधान) मालूम ही नहीं है आपको। यह सैटलमेन्ट है बी.जे.पी. के राज का वसूली का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आपको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है...(व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, श्री बद्रीलाल जाट। कृपया शोर-शराबा नहीं करें।

कपासन की मिसिंग लिंक सड़कें

2. **श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौडगढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-05 में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गयीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कें कब तक पूर्ण कर ली जाएंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार निम्न लिंक सड़कों का जोड़ने का विचार रखती है :-

(1) शनि महाराजा से भादसोड़ा

(2) छापरी से रेवलिया खुर्द

(3) सरापा से लांगच

(4) कपासन से बबराना

(5) सिंगपुर से हिंगोरियां

(श्री बद्रीलाल जाट)

(6) सुरपुर से मुरलिया

यदि हां , तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) विधानसभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (फेज चतुर्थ) के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये गये थे।

		लम्बाई	जनसंख्या	लागत
1.	सिंगपुर बनाकिया खुर्द	3.25 कि.मी	924	38.40 लाख
2.	कि.मी. 20 (ओडीआर 10) से बाल्दियों का खेड़ा	2.60 कि.मी.	886	39.27 लाख
3.	हथियाना खेटड़ी	3.00 कि.मी.	892	61.84 लाख
4.	पांडोली से जितिया	5.60 कि.मी.	963	67.73 लाख

(2) उक्त फेज चतुर्थ की क्र.सं. 1 से 3 की सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्ण करा लिया जाएगा एवं क्र.सं. 4 में स्वीकृत सड़क को वर्ष 2005-06 में पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) इन सड़कों को जोड़ने का वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री बद्रीलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन पूछने का यह तात्पर्य था कि पी.एम.जी.एस.वाई. में जो राशि राजस्थान सरकार को आवंटित होने वाली थी और 2004-2005 में जो पी.एम.एस.जी.वाई. की ओर से चार रोड़ स्वीकृत हुई हैं, इनमें जो शिथिलता आयी है, उसका क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार का केन्द्र सरकार द्वारा राशि पूर्ण रुप से आवंटन नहीं हुई या उसमें शिथिलता बरती गयी ? क्या राजस्थान सरकार यह मंशा रखती है कि जो डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ हैं, मैंने केवल चार-पांच रोड़ दी हैं, लम्बे समय से ये छोटे-छोटे गांव वंचित हैं, इनके नाम हैं शनि महाराज से भादसोड़ा, छापड़ी से रेवलिया, सरोपा से लांगच, कपासन से बबराना और सूरपुर से मुरलिया, इनको कब तक पूर्ण करने की राजस्थान सरकार मंशा रखती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर प्रधान मंत्री सड़क योजना में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है उसमें से पचास प्रतिशत राजस्थान में हुआ है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि राजस्थान सरकार के पास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो राशि भारत सरकार से मिलनी चाहिए वह मिली या नहीं मिली, राजस्थान सरकार को 258 करोड़ रुपये की राशि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के चतुर्थ फेज के अन्दर मिलनी चाहिए थी, वह बकाया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं दिल्ली पधार कर माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी से मिली थीं। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था और उसके बाद भी लगातार हमारा प्रयास है कि यह जो राशि आज भारत सरकार में लम्बित है, यह मिले।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके पश्चात् भी राजस्थान सरकार ने एक माह के अन्दर 1793 गांवों को सड़क से जोड़ा है, 5459 किलोमीटर सड़क बनायी है। जबकि माननीय कल्लाजी जब इधर विराजते थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्दर इन्होंने मात्र 1918 गांवों को सड़क से जोड़ा है और 3936 किलोमीटर सड़क बनायी है।

श्री अध्यक्ष : यह इन्होंने, उन्होंने कब तक करते रहोगे, आप? आप बात करो न पिछले पांच वर्ष की।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आपने केवल 50 प्रतिशत पैसा खर्च किया है। आधा पैसा खर्च किया है, आधा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब ग्रामीण विकास मंत्रीजी से मिलने गयीं, आप एक कोने में बैठे हुए थे।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब आने दीजिए, जवाब दे रहे हैं वे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में जितनी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें हैं, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी हैं उनका डामरीकरण कैसे होगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जितनी भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें हैं, जिनकी लम्बाई लगभग 2450 किलोमीटर है, हमने उन सारी सड़कों पर दो चरणों में डामरीकरण करने का कार्य हाथ में लिया है। इसके लिए 400 करोड़ की योजना बनी है, दिसम्बर में कार्य प्रारम्भ हो गया, और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी इसमें से जो एक सड़क डब्ल्यू.बी.एम. है कपासन से बबराना, उसको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पैसा ही नहीं है। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या हो गया ? आप जवाब तो आने दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, 400 करोड़ की स्कीम बनायी है, पी.डब्ल्यू.डी. का पैसा खाली मेन्टिनेन्स में जा रहा है। यह पी.एम.जी.एस.वाई. में आ रहा है। आप कह रहे हो, 400 करोड़ में सारी डब्ल्यू.बी.एम. करवा दें। कम से कम वो बात तो कहो सदन में जो पूरी कर सकें।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में खड़े हो गये।

डा. सी.पी. जोशी : डिमांड में बोल रहे हैं वैसे भाषण दे रहे हैं, 400 करोड़ की स्कीम बनायी डब्ल्यू.बी.एम. की । डब्ल्यू.बी.एम. की कोई भी स्कीम राजस्थान सरकार के पास नहीं है, पी.एम.जी.एस.वाई. से बन रहा है, आ रहा है। डब्ल्यू.बी.एम. की बात कर रहे हैं आप।

श्री सांवर लाल : आप से ज्यादा जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय की है.. (व्यवधान) आपको केवल बोलना है। मंत्रीजी ने जो कहा है उसकी जिम्मेदारी मंत्रीजी की है, आपकी नहीं है, सदन में जो आश्वासन दिया है वो पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप हर प्रश्न में इस तरह से खड़े होंगे।

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल, आप सही फर्मा रहे हैं, हमारी ड्यूटी है कि मंत्री सही बोले, हमारा काम है कि मंत्री सही बोले। मंत्री कम से कम यह तो सही बोले। 400 करोड़ की डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क बना रहे हो, कहां से बना रहे हो डब्ल्यू.बी.एम.? ...(व्यवधान)... एक पैसा डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ का आपके स्टेट बजट में नहीं है (व्यवधान) कितना पैसा है, बता दें। बता दो एक सिंगल। डब्ल्यू.बी.एम. को करने के लिए पैसा नहीं है। (व्यवधान) आप भाषण दे रहे हो।

श्री बद्रीलाल जाट : मैं मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : भगवान के लिए इस राजस्थान पर रहम करो। (व्यवधान) एक-एक पाइण्ट पर हजारों, लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भाषण दें तो अच्छा लगता है, सदन में भाषण वह दें...(व्यवधान).. जो मन में आया भाषण दे रहे हो। 400 करोड़ की डब्ल्यू.बी.एम. कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे से कोई सवाल करना चाहें।

डा. सी.पी. जोशी : सवाल मैं बता रहा हूं, आप बताइये। स्टेट बजट के अन्दर एक सिंगल पैसा डब्ल्यू.बी.एम. को करने के लिए नहीं है और आप भाषण दे रहे हो, 400 करोड़ कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, हर सवाल पर खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द : डब्ल्यू.बी.एम. की जो सड़कें बनी हुई पड़ी थीं उस पर डामर करना, यह हम चाहते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे बहुत खुशी होगी, मुख्य मंत्रीजी कहें, 400 करोड़ में राजस्थान में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को हम कराएंगे, हमें खुशी होगी, घोषणा कर दें अभी। (व्यवधान) एक पैसा डब्ल्यू.बी.एम. को करने का नहीं, खड़े होकर भाषण दे रहे हो। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह बहुत शर्म की बात है, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो माननीय सदस्यों के हैं, उनको आने नहीं देना चाहते। अपनी बुद्धिमता का परिचय दे रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : एक पैसा, एक पैसा राजस्थान की डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को मैटल सड़क में कन्वर्ट करने का हो तो खड़े होकर बता दें आप। मुझे खुशी होगी, आप खड़े होकर बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कार्यवाही करनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय। सारे माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं यह। प्रश्नों की एक सीमा है, अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे खुशी होगी, आप खड़े होकर बता दें, एक नया पैसा भी हो तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जो जवाब मैंने दिया बहुत जिम्मेदारी से दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं जो कार्य यह पांच साल में नहीं कर सके, इन्होंने सब्जबाग दिखाये और सड़क तंत्र का नाश करके छोड़ दिया।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : भाषण नहीं देना, भाषण। 2004-05 में एक पैसा नहीं है। (व्यवधान) बता दें। भाषण दे रहे हैं। 2004-2005 के बजट में एक पैसा डब्ल्यू.बी.एम. को मैटल करने में...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, पांच साल की छोड़ो, आपकी तो एक साल में हवा निकल गयी। 17 जगह ढक्कन लग गया आपके जिला परिषद में एक साल में ही। एक साल में आपकी यह हालत हो गयी है, इस्तीफा दो। इस्तीफा देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो आगे बढ़ हैं।

श्री ओम बिरला : आपकी हवा बिगड़ी, हम तो आगे बढ़े हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण कर लें। मंत्रीजी, आप भी स्थान ग्रहण करें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कितनी बार कहूंगी आपको सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, प्रश्न सड़कों का था, जवाब आ रहा है बीच में चुनाव कहां से आ गया ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल की जब यह बात कर रहे हैं तो इनके एक साल की बात भी करनी पड़ेगी। पिछले पांच साल का क्यों लेना-देना ? अगर यह इस तरह करेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा इनके एक साल में क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आसन पैरों पर हैं।

सिरोहीं से आने वाले माननीय सदस्य, आपको पूरा अवसर मिलेगा, चुनावों की चर्चा जब धन्यवाद का प्रस्ताव हो, बोले। तब खूब करियेगा कि कितने हारे, कितने जीते। लेकिन सड़कों के प्रश्न पर यह चुनाव कहां से बीच में आ गये ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को कहिये कि यह पिछले पांच साल की चर्चा कैसे कर रहे हैं, जब सड़कों की बात हो रही है तो।

श्री अध्यक्ष : सदन को थोड़ा गम्भीरता से लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : हमने अगर गलत किया होगा तो हम भुगंत रहे हैं। आप एक साल में ही भुगत रहे हो। बारां में जमना हार गयी। जमना दिलावर हार गयी बारां में, उसको सम्भालों पहले।

श्री अध्यक्ष : सदन की गरिमा बनाये रखें। माननीय सदस्य, आप पुराने और अनुभवी सदस्य हैं, सदन की गरिमा को बनाये रखिये। प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो, अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़क बनाने की बात मैने कहीं, 205 सड़कें जिनकी लम्बाई 675 किलोमीटर है उनकी स्वीकृति सरकार ने जारी कर दी है, टेण्डर भी उसके हो रहे हैं।

दूसरा, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, इसके अलावा दूसरे चरण मे हमने 624 सड़कों को आइडेन्टिफाई किया है, उनकी लम्बाई 2012 किलोमीटर है। इनकी सारी योजना बनाकर नाबार्ड से लोन स्वीकृत करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

डा. सी.पी. जोशी : यही तो बात कह रहा हूं मैं आपको, स्टेट का पैसा नहीं हैं। मैं यही बात कह रहा था जिस बात पर अभी आप खड़े होकर बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और तो और, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2500...

श्री रामप्रताप कासनिया : पैसा कहीं से लाये, चोर के लाये, पर राजस्थान का विकास तो हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : नहीं हो रहा, किसान को गोली मारी जा रही है।

श्री टीकम चन्द कान्त : उपलब्धि किसी भी प्रकार की सामने आती है, सुनना नहीं चाहते। आप तो उपलब्धियां बताओ।

एक माननीय सदस्य : आखिर साहूकार आदमी हैं, यह चोर कर लायेंगे क्या ? इस शब्द को बाहर निकलवाइये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने हमारी सड़कों का उदघाटन किया, एक साल में नयी कोई नहीं बनायी आपने। एक साल में हवा में नहीं बन गयीं सड़कें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो चरणों के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित वो डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें जिनको पिछले दस वर्षों से ज्यादा समय से बनाया गया है, जिनका आज उपयोग नहीं हो रहा है, उनको ब्लैक टॉप करने की योजना सरकार ने हाथ में ली है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी सड़क हो, हमने आइडेन्टिफाई कर ली है, उसके बाद भी आप कोई बताना चाहें तो बताएं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दूसरी बात. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, राजस्थान सरकार आज पूरे देश के अन्दर अव्वल स्थान पर है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी यह गति बनी रहे। निश्चित तौर पर थोड़े से समय में जितना काम हुआ है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, 1793 गांवों का एक वर्ष में जुड़ना, राजस्थान निर्माण के बाद सबसे ज्यादा गांव जुड़े हैं, 1793 गांव। उन गांवों में सड़क गयी है जिन गांवों में लोगों को कल्पना नहीं थी। वह राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें आप।

डा. सी.पी. जोशी : खड़े हों तो आप अलाउ नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं करूंगी। यदि आप हर प्रश्न पर खड़े होंगे तो नहीं करूंगी, अलाउ।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, ''यह उपलब्धियां'', सुनना नहीं चाहते।

श्री सी.डी. देवल : कुछ हो तो सुनें इनकी, अध्यक्ष महोदय, कुछ है ही नहीं। अब आप अगला प्रश्न पुकार लो। यह भी रह गयी और वह भी रह गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12:00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

श्री संयम लोढ़ा एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में व्याप्त सूखा और अभाव की स्थिति एवं पर्याप्त राहत कार्य न खोले जाने की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। अत: मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

आप पुराने सदस्य हैं। जब आसन द्वारा कोई व्यवस्था दी जाती है उस समय कृपया स्थान पर ही बैठे रहें तो नियमों के अनुकूल होगा।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दों पर व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा पर्ची के माध्यम से निम्न प्रस्ताव को उठाने की अनुमति चाही गयी है :-

बैराठ विधान सभा क्षेत्र में हैण्डं पम्पों के टेण्डर में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

श्री हरिमोहन शर्मा द्वारा राजस्थान में बाघों की निरन्तर घटती संख्या पर विचार हेतु।

श्री रामप्रताप कासनिया द्वारा हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के सम्बन्ध में पर्ची के माध्यम से सदन में उठाने बाबत।

इन तीनों को अपनी-अपनी पर्ची पर ...

श्री संयम लोढ़ा : चौथी भी है।

श्री अध्यक्ष : वह भी व्यवस्था दूंगी, आप निश्चिंत रहें।

श्री संयम लोढ़ा द्वारा राजस्थान में तेल रिफाइनरी की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा करने के बारे में पर्ची के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है। यह प्रश्न चूंकि भारत सरकार से सम्बन्धित है अत: इस सम्बन्ध में पर्ची के माध्यम से चर्चा करना उचित नहीं होगा। प्रस्ताव लाकर, बाकायदा प्रस्ताव के जरिये यदि यह सदन इस पर चर्चा करे और एक संकल्प पारित हो तो मैं समझती हूं, अधिक उपयुक्त होगा।

डा. नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैने इस सम्बन्ध में नियम 119 के तहत प्रस्ताव दिया है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उसको स्वीकार करें ताकि पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उसमें भाग ले सकें और अपने विचार प्रकट कर सकें। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से लाया जाए और इस सदन में पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए कि यह रिफाइनरी राजस्थान में लग सके। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप नियम 119 के तहत मेरे प्रस्ताव का स्वीकार करें और आज इस पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें, इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में जो व्यवस्था आपके द्वारा दी गयी है उसके अन्तर्गत पर्ची हमने लगाई है...

श्री अध्यक्ष : मुझे व्यवस्था तो देने दीजिए। इनकी भी व्यवस्था देने दीजिए। 119 के बारे में आपने जो चर्चा की है और अपना जो प्रस्ताव यहां पर दिया है, यद्यपि वह मेरे सामने अभी-अभी आया है लेकिन उस सम्बन्ध में मैं आपको समय निश्चित करके आज तो अवसर नहीं दे पाऊंगी लेकिन इसके ऊपर फैसला करके निश्चित तौर पर सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस पर अपनी चर्चा करने, सुझाव देने, संकल्प पारित करने का अवसर अवश्य प्रदान करूंगी।

मोहम्मद माहिद आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तीन ही पर्ची स्वीकार कीं, चौथी मुल्तवी कर दी। तो आज जो पैण्डिंग पर्चिया थीं उनमें से चौथी तो स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, ले लेनी चाहिए थी। सीधी बात है, इसमें क्या है, जब चार पर्ची का नियम है और ....

श्री अध्यक्ष : पर्ची केवल चार ही आती हैं माननीय सदस्य, पर्ची चार ही आती हैं। चार पर्चियां मैंने आपको बता दीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : चौथी तो इनक्लूड ही नहीं हुई न। तीन ही रहीं, आज चर्चा में, विचार में।

श्री अध्यक्ष : रहीं तो रहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए नैक्स्ट वाली, पांचवें नम्बर वाली ले लेनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं हो पाएगा। राव राजेन्द्र सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा : आज राजस्थान के 18 हजार गांव अकाल से पीडित हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता कुछ कहना चाह रही हैं। सदन की माननीय नेता कुछ कहना चाह रही हैं, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक इश्यू लिया हुआ है, राजस्थान के अन्दर तेल रिफाइनरी की स्थापना के सम्बन्ध में सदन में जो उठाया गया है। वह पहली दफा राजस्थान के अन्दर इतनी प्रचुर मात्रा में तेल निकला है, रिफाइनरी का मामला एक ऐसा मामला है जो मैं समझती हूं किसी पार्टी का मामला नहीं, पूरे राजस्थान का मामला है। इसलिए इसके ऊपर कोई पक्ष-प्रतिपक्ष की बात ही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नहीं है। मैं समझती हूं कि हम लोग सब लोगों को एक दफा बैठकर जिस तरीके से पानी के अन्दर हम लोगों ने तय किया था कि एक रास्ता हम सब लोग मिलकर अपनाएंगे, उसी तरीके से हम लोग उसको अपनाकर रिफाइनरी के मामले में अपनी एक आवाज राजस्थान के लिए उठाऐं। यह मेरा आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव है। मैं समझती हूं कि उसके ऊपर अपने को पक्ष-प्रतिपक्ष को बात में फंसने की कोई जरूरत नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : कोई दिक्कत नहीं। पहले जैसे बात की थी, बैठकर कर लेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 18 हजार गांव आज अकाल से पीडित हैं और लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, चारे की आवश्यकता है। आज जिन गांवों में छह-छह हजार की आबादी है, चालीस-चालीस मजदूर पांच-छह हजार की आबादी के गांव में लगाये गये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर में लगेगी कि झालावाड़ में, यह क्या विवाद है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : या तो कोई आप समय निश्चित करेंगे या कोई जवाब जाएगा। आप व्यवस्था दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी है। सरकार की ओर से जवाब मांगा जा रहा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 73 रुपये सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है लेकिन इसके बावजूद किसी भी जगह पर...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : सरकार तो कहे कब सरकार अपना जवाब देगी? सरकार तत्काल हाथ बढ़ाए।..(व्यवधान) अपना जवाब दे देगी और अपनी व्यवस्था करने जा रहे हैं...(व्यवधान) अकाल के नाम से नाम मात्र के काम खोले गये हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हजारों पशुओं की मृत्यु हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार को शीघ्रता से इस सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए आसन की ओर से निवेदन कर दिया है। माननीय नेता महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं कुछ निवेदन कर रही हूं आपसे...(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले सदस्य, मैं सदन की नेता को अकाल के बारे में निवेदन कर रही हूं

(श्री अध्यक्ष)

कि वह सरकार की तरफ से शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट यहां भेजें कि क्या स्थिति है, ताकि उस स्थिति की जानकारी के आधार पर, वैसे तो माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का, उस समय आप रख सकते हैं, सरकार के ध्यान में जो बात नहीं है उसे भी आप ला सकते हैं, उस सबको सुनकर सरकार अपनी तरफ से इस बारे में आसन को अवगत करा दे ताकि...

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के रिप्लाई में यह बात उठेगी, उसमें भी रिप्लाई कर सकते हैं या आप जैसा चाहें। अगर वक्तव्य दिलवाना चाहते हैं तो वह भी हम करने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, आपकी चर्चाओं से कुछ नई बातें भी सामने आएंगी। आपके सुझाव भी आएंगे कि क्या और किया जाना चाहिए। तो मैं समझती हूं, आज जवाब दिलाना उपयुक्त नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बारह से अधिक माननीय सदस्यों ने, आपने स्वयं कहा है कि एक स्थगन प्रस्ताव रखा है स्थगन प्रस्ताव इसलिए रखे जाते हैं कि सरकार तैयार रहे। आज 18 हजार से ऊपर गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, एक भी पशु शिविर नहीं खुला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास आपका स्थगन प्रस्ताव गया है तभी तो उनका जवाब आएगा। उससे पहले थोड़े ही आ जाएगा। रखा तो आपने आज ही है। आज ही तो रखा है आपने। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप कृपा करके मुझे एक मिनट सुन लें पहले। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बहुत चारा डिपो और सब खुले हुए हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके नेता खड़े हैं और पीछे से खड़े हो गये हैं। यह क्या तमाशा है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान के गांवों के अन्दर अकाल राहत काम भी चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी हो रही है, चारा डिपो भी खुल गये...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : तीस रुपये मिल रहे हैं। तीस रुपये एक दिन के मजदूर को। न्यूनतम मजदूरी 73 रुपये तय की हुई है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : चारा डिपो केवल कागजों में ही खुले हैं, मंत्री महोदय (व्यवधान) मौके पर चारा डिपो नहीं चल रहे हैं, केवल कागजों में ही चल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : जहां स्वीकृतियां बतायी हैं 20 हजार की वहां पर 4 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : 23-23 रुपये अकाल के नाम पर श्रमिकों को मिल रहे हैं, उसको 23 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस कुर्सी पर जो बैठेगा वह ऐसे ही बोलेगा।...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, हजारों की संख्या में पशु मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इस पर वक्तव्य देना चाहिए। अकाल पर यह स्थिति हो रहीहै.. (व्यवधान) पशु शिविर चलाये जा रहे हैं...(व्यवधान) काम चल नहीं रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है इसलिए सरकार को इस पर तुरन्त जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंह।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : 4-4 हजार की जनसंख्या वाले गांवों में महज 20-20 आदमियों को रोजगार पर लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लोग भूख से मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैने राव राजेन्द्र सिंह का नाम पुकार लिया है। आप सब सदस्य स्थान ग्रहण कर लीजिये। स्थान ग्रहण करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सुनें तो सही आप।

श्री अध्यक्ष : क्यो सुनें?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा है कि नेता और विपक्ष का नेता जब खड़ा होता है तो अध्यक्ष महोदय भी विराजमान हो जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। आप भी कृपा करके परम्पराओं का निर्वहन कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं तो पूरा करती हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप सुनने से पहले ही उठ जाती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको कोई प्रतिपक्ष का नेता मान ही नहीं रहा, दु:ख यह है।...(व्यवधान) आपके माननीय सदस्य मान ही नहीं रहे हैं।..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजें, सभी मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह सी.पी. जोशी जी...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजें। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : आज तो जोशीजी ने आपको बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके शुरू करते ही जोशीजी ने...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि यह सदन को एक घंटे के लिए स्थगित करवाना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हम तो नेता मानते हैं। मुख्य मंत्रीजी आपको कुछ नहीं मानती हैं तभी गंगानगर का समझौता आपसे नहीं करवाया। आपको बिठाकर रखा।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह एक घंटे के लिए हाउस को स्थगित कराना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस समय क्या बोलना है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : खाली नाममात्र के केबिनेट मंत्री हो, असली राज तो वह गुप्ता और सिंघवीजी कर रहे हैं। समझौता ही आपसे नहीं करवाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन ने यह व्यवस्था दी है और आसन जब भी व्यवस्था देगा, अकाल के बारे में सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता आसन के जिस क्षेत्र में बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह सरकारी मुख्य सचेतक क्या बला है आपके सामने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह अपनी टोन को ठीक करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : जब यह खड़े हो गये तो आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह टोन ठीक नहीं है।

डा.बुलाकीदास कल्ला : ठीक है टोन ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान में 18 हजार से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो आपको भी बैठ जाना चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो व्यवधान मंत्री हैं, इन्होंने व्यवधान के लिए ट्रेनिंग ले रखी हैं। यह बात कभी आपके लिए भी बुरी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या तकलीफ हो रही है, माननीय सदस्य ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि 18 हजार से ऊपर गांवों में आज अकाल पड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान में एक भी पशु सेवा शिविर नहीं खोला हुआ है। गायें हजारों की संख्या में मर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : गायें मर रही हैं ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गायें हजारों की संख्या में मर रही हैं। मैं खुद अभी कोलायत जाकर आया हूं, दासूड़ी, गजनेर, मड़, कोटड़ी इन गांवों में कहीं 50 और कहीं 100 गायें मर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : असत्य मत बोलें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे साथ चलकर देखें कि गायें भूख से मर रही हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत : असत्य, असत्य। पूरी व्यवस्था है।...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पशु सेवा शिविर एक भी राजस्थान में नहीं खोला है।

डा. जालम सिंह रावलोत : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं आप। बाड़मेर, जैसलमेर में जहां अकाल है वहां चारा डिपो की व्यवस्था ढंग से चलायी जा रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज्य में चारा डिपो भी बहुत कम संख्या में खोले गये हैं। केन्द्र सरकार ने 2 लाख टन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गेंहू और करीब 272 करोड़ रुपये प्राकृति आपदा कोष में दिये हुए हैं, इसके बावजूद राज्य में पर्याप्त मात्रा में राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। जो राहत कार्य खोले गये हैं वह राजनीतिक विद्वेष के आधार पर, मतदाता सूचियों के आधार पर खोले जा रहे हैं। यह राजस्थान के लिए शर्म की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर आपको कहना पड़ेगा कि जब प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं तो आपको नहीं खड़ा होना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, देखिये आप, आपके आदेशों की पालना किस तरह से हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मै प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि एक गाय और बछड़े के लिए कितनी तूड़ी की आवश्यकता होती है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : 6 से 7 किलो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : एक बछड़े के लिए कितनी तूड़ी की आवश्यकता होती है? एक गाय के लिए कितनी तूड़ी की आवश्यकता होती है ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : वह कल्ला साहब को नहीं पता। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सरकार को ही नहीं, विपक्ष को भी चिन्ता होनी चाहिए, यह खाली अखबारों में छपवाने के लिए...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : वह विपक्ष के नेता को नहीं पता...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : नारे लगाने हों तो लूणी में लगा लें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : जो प्रश्न उठाने वाला होता है उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो प्रश्न उठाना चाहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : प्रतिपक्ष के नेता को नहीं पता कि कितनी तूड़ी चाहिए। यह तो जानते ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

(सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री ओम बिरला : यह बाहर जाना चाहते हैं। इनका बाहर जाने का मूड है।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण। आप तो विराजें। नेता, प्रतिपक्ष, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है...(व्यवधान) या तो आप अपने माननीय सदस्यों को संयमित करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जब आपके कहने के बावजूद व्यवधान मंत्री, सरकारी सचेतक ने बाधा डाली, तब इस तरफ से बाधा हुई। इस तरह से बाधा करेंगे तो कोई नहीं बोल सकेगा सदन में। हम लोग सदन की नेता खड़ी होती हैं तो बैठे जाते हैं, तो इनको भी देखना चाहिऐ कि सदन में कोई व्यकित बोल रहा है तो इनको शांत रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कोई की बात ठीक नहीं, लेकिन हां, नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो उनको बैठ जाना चाहिए। यह बात सही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनके खुद के कंट्रोल में नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब तो देखें, मंत्री भी व्यवधान कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। आप मेरे को सुन लें उसके बाद बात कर लें। आप विराजें, एक मिनट। मेरी बात पूरी करने दें...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। स्टेटमेन्ट दे रहें हैं तो अध्यक्ष जी कहें कि स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो, माननीय खाद्य मंत्री जी, चुप तो रहिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मत पेटियों में कितने वोट मिले, इसके आधार पर कार्य खोले जाएंगे ? यह राजस्थान में आज तक कभी नहीं हुआ। आज इस विद्वेष के आधार पर राहत कार्य खोले गये हैं।

..ी कालूलाल गुर्जर : प्रतिपक्ष के नेता को यह लाइसेंस नहीं है कि मर्जी आए जो बोल लें।...(व्यवधान) कोई लेना-देना नहीं है। पर्याप्त अकाल राहत कार्य चल रहे हैं

(श्री कालूलाल गुर्जर)

और इसको राजनीतिक रुप देना, यह प्रतिपक्ष के नेता का काम नहीं है। अनर्गल आरापे लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ये सारे काम तो आपके कार्यकाल में हुए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कौनसे चुप रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं। आप तो खड़े-खड़े बोल रहे हैं। आप अपने स्थान पर चले जाएं मि. देवल, स्थान पर जाएं।

श्री रामप्रताप कासनिया : वैल में आएंगे, अभी प्रतिपक्ष वैल में आएगा। ऐसे खड़े-खड़े बोलना नियमों के प्रतिकूल है, स्थान से बोलिए। माननीय देवल साहब, इस तरह खड़े होकर बोलना नियमों के प्रतिकूल है, सदन की गरिमा के प्रतिकूल है।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियमों की पालना नहीं हो रही है, नियमों की पालना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पालना नहीं चाहते हैं, आप पालना नहीं चाहते हैं।

श्री सी.डी. देवल : जब सदन के नेता बोलते हैं हम सब बैठ जाते हैं। जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो ये सब खड़े हो जाते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अकाल जैसे मुद्दे पर मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है।

श्री सी.डी. देवल : नियम सबके लिए लागू हैं, मुख्य मंत्रीजी के लिए लागू हैं और सदन के नेता के लिए लागू हैं।

श्री संयम लोढ़ा : हम इसके विरोध में धरना देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब पता लगेगा कि प्रतिपक्ष के नेता कौन हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में न आएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के नेता तो उठे ही नहीं, उनको लिए बिना ही जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, वैल में नहीं आएंगे। आपको बहिर्गमन करना है तो बात और है, वैल में नहीं आएंगे आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव) : यह सदन नारे लगाने के लिए नहीं है, नारे ही लगाने थे तो लूणी में लगाते। यह सदन नारे लगाने के लिए नहीं है। (व्यवधान) आपकी सरकार केन्द्र में है, आपके पास मुद्दे ही नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह अखबारों में छप जाएगा, इस सदन का समय जाया मत करो। भगवान के लिए रहम करो। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : यह सदन नारे लगाने के लिए नहीं है, नारे लगाते, लूणी के अन्दर।

श्री रामप्रताप कासनिया : रहम करो, रहम करो, राजस्थान की जनता पर रहम करो। किसानों के रखवालों, इस राजस्थान की जनता पर रहम करो। प्रतिपक्ष के नेता को यह पता नहीं है कि एक पशु के लिए चारे की कितनी आवश्यकता होती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के साथ यह सरासर अन्याय है, इस पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, आपको जो कुछ कहना है अपने स्थान पर जाकर कहें।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। सरकार आप माननीय सदस्यगण की रोटी का इन्तजाम तो कर रही है। इस सरकार को बदलने में अभी चार साल लगेंगे, अभी शक्ति जाया मत करो। अभी शक्ति क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो ? खामखां गले और फेफड़ों को क्यो तकलीफ दे रहे हो? अभी सरकार नहीं बदली जाएगी। आप स्थान ग्रहण करो, अभी चुनाव में चार साल बाकी हैं। (व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा हाथ के संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्री भवानी सिंह राजावत : xxx

श्री कालू लाल गुर्जर : xxx

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन को यह अधिकार है कि वह आपको इसका समय बताए। आसन का काम यह है कि आपको याद दिलाए। आपको यह कहा है और मैं फिर दोहरा रही हूं, फिर दोहरा रही हूं, मैंने आपको यह कहा है कि चार साल का समय बाकी है, अभी कहां बदल रहे हो? अभी चार साल का समय बाकी है सरकार बदलने में। (व्यवधान) अब आप कोई व्यवस्था ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) आपकी रोटी-पानी का इन्तजाम तो कर दिया सरकार ने, यही गलती की है। सरकार यही तो गलती कर रही है कि आपकी रोटी-पानी का इन्तजाम कर रही है। औरों से मतलब थोड़े ही है आपको ? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.29 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.01 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अकाल जैसे संवेदनशील विषय पर आसन के द्वारा माननीय सदन के नेता को यह कहा गया कि इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए कि सरकार ने क्या तैयारी की है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं बिना किसी कारण के, बिना किसी मुद्दे के...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : टाइम तय कर दो आप तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय तैयार हैं, समय आप तय करें।

श्री नन्दलाल मीणा : आप तय कर दें. आप बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय आसन तय करे, हम कम मना कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने मुझे पूर्व में कहा था कि वे इस सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

वक्तव्य देंगे, यदि वे अभी तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, आप पूरी तैयारी रखिए, पूरी तैयारी के साथ आएं, कल आएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने श्रीमुख से जब कल का कह दिया तो कल सरकार पूरा वक्तव्य दे देगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से पूरी फसल खतम हो गई है, आपको मालूम है सब बात, जाकर भी आए हो, तो उसके मुआवजे के लिए कुछ करना चाहिए।

श्री रामप्रताप कसानिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची है ओलावृष्टि पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, सारे किसान परेशान हैं और ये तो लोगों को बिल बांट रहे हैं। किसानों को तंग किया जा रहा है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलोवृष्टि से सारी फसल खतम हो गई है।

श्री अध्यक्ष : पर्चियों पर मैं व्यवस्था दे चुकी हूं, आपको बोलने का दो मिनट का समय मिलेगा। दे दी है मैने व्यवस्था।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन कर रहे हैं, आपसे, किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें। आप मेरी बात सुनिए। जिला कलक्टर झुंझुनूं से मेरी बात हो चुकी है, वे सर्वे करा रहे हैं कि कहां-कहां कितना-कितना नुकसान हुआ है। उस बारे में रिपोर्ट आने के बाद में सरकार कुछ करेगी, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटवारी अपने घर में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कम से कम गिरदावर से भी करवाओ गिरदावरी। पटवारी से रिपोर्ट करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग चीज पर एक साथ खड़े होते हैं, बात तो सुनाई देती नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि पटवारी घर से बैठे-बैठे कर रहे हैं, गिरदावर और तहसीलदार के माध्यम से करवाओ।

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब अकाल पर वक्तव्य दें उसी समय ओलावृष्टि पर देंगे।

श्री श्रवण कुमार : ओलावृष्टि का महत्वूपर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : ओलावृष्टि से नुकसान अब हुआ है। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या कहना चाहते हैं बीच में,

श्री मंगलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डूंगरगढ़ में भी ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई पर्ची पर नहीं है, आपकी पर्ची नहीं है।

श्री मंगलाराम : मेरे यहां भी ओलावृष्टि हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप सब बोलने दें राव राजेन्द्र सिंहजी को।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह कोई झुंझुनूं का ही सवाल नहीं है, राजस्थान में सब जगह ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैने चूंकि वे खड़े हुए हैं उनका जवाब दिया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वह माननीय सदस्य कह रहे हैं बीकानेर के लिए कहो, आप कह रहे हैं झुंझुनूं के लिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि झुंझुनू का ही प्रश्न है, जो खड़े हुए थे उनका जवाब दिया है।

श्री मंगलाराम : मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने खाली झुंझुनूं का ही नाम लिया है, इसीलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि मेरे यहां भी ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंह। स्थान ग्रहण कर लें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय. मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर क्या, पर्ची शुरू कर दी आपने। बिजनस शुरू कर दिया है, जीरो आवर कहा है। बिजनस है तभी तो बोल रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : मैने राव राजेन्द्र सिंहजी का नाम पुकार लिया ।

डा. सी.पी. जोशी : तभी मैं बोल रहा हूं, पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा। बिजनस है तभी तो मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। आप अलाउ करें तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष : क्या बोलेंगे अब आप ? आप काफी बोल चुके हैं पहले।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, I am on a point of order. Point of order is my privilege. आप रिजेक्ट कर दें बाद में । हां, मैं बोल सकता हूं, अध्यक्ष महोदय I am raising a point of order.

श्री अध्यक्ष : देखिए, ऐसा है, पर्ची पर बोल लें उसके बाद में मैं पाइन्ट आफ आर्डर सुन लूंगी और उसकी व्यवस्था दे दूंगी।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब आप नई व्यवस्था कर रहे हैं, पाइन्ट आफ आर्डर के लिए भी आप व्यवस्था करेंगे। पाइंट आफ आर्डर को मतलत ही यही होता है कि कभी भी उठा सकते हैं। आप नई व्यवस्था कर रहे हैं..It is about the business.

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अब ये बोलने शुरू हो गये, अब इस पर कोई पाइन्ट आफ आर्डर के क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : Point of order is my privilege.

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी मर्जी है क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : मर्जी पर नहीं है, आप अध्यक्ष महोदय की रूलिंग कैसे दें?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन सी रूलिंग ?

डा. सी.पी. जोशी : Let the Hon'ble Speaker reply जो अध्यक्ष महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बताएं आप।

डा. सी.पी. जोशी : वह अलाउ करेंगे मुझे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हाउस की प्रापर्टी है।

डा. सी.पी. जोशी : आप डिक्टेट नहीं करा सकते, अध्यक्ष महोदय डिक्टेट कराएंगी। अध्यक्ष महोदय, अलाउ करें तो मैं पाइन्ट आफ आर्डर रख दूं, एक मिनट।

एक माननीय सदस्य : आपने जब रूलिंग कर दिया तो उसके बाद में इनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : जब आपने एक सदस्य को बोलने का समय दे दिया।

डा. सी.पी. जोशी : 3 तारीख को गवर्नर साहब का जब एड्रेस यहां पर किया तो हम, अध्यक्ष महोदय, सब सदन में बैठे हुए थे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह कौन-सा पाइन्ट आफ आर्डर है,

डा. सी.पी. जोशी : सीखो, आप बाद में बोल लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन से नियमों मे है ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : आप सीख लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अब आपने पर्ची पर अलाउ कर दिया। (व्यवधान) चुप नहीं रह सकते, यह अलग बात है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन ये हर समय खड़े हो जाएं और बोलना शुरू कर दें। मैं इसलिए खड़ा होता हूं कि ये किन नियमों में बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप सुन तो लें फिर बाद में रिजक्ट कर दें। आप कौन होते हैं? आप अलाउ कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ?

एक माननीय सदस्य : नहीं सुनेंगे आपको।

श्री अध्यक्ष : आसन आपको चाहे आज्ञा दे चाहे न दे, आपको बोलना है, बोलिए।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था उसी समय देनी पड़ती है, आप बाद में दे रहे हैं, यह तो व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो पाइन्ट आफ आर्डर रेंज कर रहा हूं विद रेलेवेंट रूल्स, आप रिजक्ट कर दीजिए, It is your privilege.

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में नहीं होगा।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना और अभिभाषण के समय सदन की बैठक की अध्यक्षता व सदन का संचालन

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने बिजनस हमको सर्कुलेट किया है, हाउस शुरू हो गया है, मैं तो उसी में उठाऊंगा, किसमें उठाऊंगा ? कवेश्चन आवर रुक नहीं सकता है।

श्री कालीचरण सर्राफ : जीरो आवर में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था दे दी कि मैं उनको बोलने के बाद आपको बोलने के लिए अलाउ करूंगी, फिर भी जोर जबरदस्ती बोलेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, समय पाइन्ट आफ आर्डर में निकल जाएगा। पहले एक घंटा चला गया ।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि 3 तारीख को जब गवर्नर साहब का भाषण हुआ तो हम सब सदन में इकट्ठा हुए, किसी ने भी आकर सदन में यह नहीं कहा कि गवर्नर साहब आ रहे हैं जबकि यह सिस्टम होता है कि जब भी हम हाउस में कलैक्ट होते हैं तो गर्वनर साहब आ रहे हैं यह सूचना दी जाती है। गर्वनर साहब आए उसकी सूचना नहीं दी, कोई बात नहीं, नहीं दी होगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब 175, 176 में सुनिए I Should quote it? अध्यक्ष महोदय, "The Governer may address the Legislative Assembly.." यह 175 में है। 176 में लिख रखा है, "At the commencement of first session after each General Elections..." अध्यक्ष महोदय, 175, 176 में प्रोविजन है कि गर्वनर महोदय एड्रेस करेंगे, पर हमारे जो रूल्स हैं, अध्यक्ष महोदय उन रूल्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल 3 के तहत सम्मन होती है असैम्बली :

"Summoning of Assembly- (1) When a session of the Assembly is summed, the Secretary shall in time to each member the date, time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly and shall cause a notification to be issued in the Gazette."

(डा. सी.पी. जोशी)

सुन लें, मेरी सुन सकते हैं ? पता है मुझे। अध्यक्ष महोदय, रूल 11 यह कहता है:-

"When is sitting of House duly constituted.—A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker of any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these Rules."

रूल 11 के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर को हाउस को प्रिसाइड करना चाहिए। न तो गवर्नर आए जब हाउस में कहा कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, न आप जब यहां पर कुर्सी पर बैठीं तब यह कहा गया कि स्पीकर महोदय आ रहे हैं, इसका मतलब जो सिटिंग उस दिन की हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रुल के अन्तर्गत थी, रूल 3 के अन्तर्गत सम्मन करने का हमें नोटिस मिला, लेकिन गवर्नर साहब आये इसकी सूचना नहीं मिली। स्पीकर साबह आप आ रही थीं तो उसमें मार्शल नहीं बोले कि स्पीकर साहब भी आ रही हैं। तो वह जो मीटिंग वहां पर हुई, जिसके ऊपर आज आप गवर्नर का एड्रेस कर रहे हैं... (व्यवधान) आप सुनिये, आप सुनिये। आपकी मर्जी पर तो नहीं किया है, हम भी हाउस में बैठे हुए हैं, सुनना है तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेहरबानी करके उनको सुन लीजिए पहले। आसन जवाब दे देगा। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : वो कुछ भी कहते रहें, हम सुनते रहें, नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हां, सुनना पड़ेगा, यह काम उनका है, आपका काम नहीं है। अपना काम हल्ला करना है, करो। (व्यवधान) अपना काम हल्ला करने का है करो, वो आपका अधिकार है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : असत्य क्यों बोल रहे हो ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब यह काम इनको सौंप रखा है, पावर्स डेलिगेट कर रखें हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वह उनसे फैसला करवा लें, डेलीगेट किया है? स्पीकर का काम भी ये करेंगे तो मैं बैठ जाउंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कानून में यह जो व्यवस्था लिखी हुई है उसमें सदन की बैठक बुलाने का काम ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : जब महामहिम पधारी थीं तो पधारने के बाद भाषण कौन से नियमों में दिया था, यह बताओ ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान) यह काम उनका है, आप बैठ जाओ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और कानून से चलता है, नियम और कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी, अध्यक्ष महोदय, आप पर है इसलिए मैने रूल 3 भी कोट किया है, रूल 11 भी कोट किया है, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 175 और 176 में गवर्नर का अधिकार है वह भी कोट किया। लेकिन गवर्नर के अधिकार के अन्तर्गत यह सदन का कांस्टीट्यूट होता है इसमे बिलकुल क्यीयर लिखा हुआ है कि "When is sitting of House duty constituted.-A sitting of the House is duty constituted when it is presided over by the Speaker." आप स्पीकर हैं, अध्यक्ष महोदय, मार्शल ने उस दिन यह भी नहीं कहा कि स्पीकर आ रहे हैं, यह नहीं कहा कि गवर्नर आ रहे हैं। तो जो हाउस जिस दिन यहां पर असैम्बल हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक दृष्टि से आप परम्परा कह कर उन सब चीजों को करना चाहें, नियम को मानना नहीं चाहें और जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप इनको, तो ट्रेनिंग के आधार पर नियम नहीं मानना, कानून नहीं मानना, यह शायद आपने जो एक ट्रेनिंग करवाई एम.एल.एज. की उस ट्रेनिंग में यह पार्ट लिखा होगा कि नियम और कानून को नहीं मानना है, यही ट्रेनिंग का पार्ट है तब तो आप फैसला कर लो। बाकी यह जो नियम और कानून हैं, जिनके अन्तर्गत सदन चलता है, उस नियम और कानून के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज न आपका है, न प्रिविलेज भारतीय जनता पार्टी का लोगों की है। यह सदन चलेगा नियम और कानून के अन्तर्गत।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिगाड़ने वाले भी आप ही थे, इस नियम को। वाक-आउट करके चले गये। महामहिम पधारे उसमें वाक-आउट करके चले गये, कौनसा नियम है ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सदन को दुबारा कांस्टीट्यूट करिये, जो इसमें नियम बने हुए हैं, आप स्पीकर की हैसियत से करें या गवर्नर साहब को दुबारा एड्रेस करने के लिए बुलाएं जिससे सदन में गवर्नर साहब आएं। तब तो यह हाउस जो कांस्टीट्यूट हो रहा है, जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं वह कानूनन होगा। और गैर कानूनी करने का हमने धार ही लिया है कि हमें गैर कानूनी काम करने हैं, जैसे आप कह रहे थे कि चार साल में सरकार नहीं बदलेगी, सब फैसले अपने को ऐसे ही करने हैं, तो अध्यक्ष महोदय, आपका अधिकार है, आप इसको पूरा करिये। बाकी नियम और कानून यह कहता है कि आपका नियम और कानून की... (व्यवधान, आप सुन लीजिये, आप देख लीजिये। (व्यवधान) नियम और कानून की

(डा. सी.पी. जोशी)

पालना, अध्यक्ष महोदय, आप इतने सीनियर यहां पर हाउस के मैम्बर हैं, आपके प्रिविलेज हैं, आप 9 बार एम.एल.ए. रही हैं, आपको प्रिविलेज हैं, आप अपोजिशन में रहे हैं, आप रूलिंग पार्टी में रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आप बी.जे.पी. में रहे हैं, जनता पार्टी में रहे हैं, हर पार्टी में आपका अनुभव है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है.. (व्यवधान) लोग आपकी तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं कि यह सदन आप नियम और कानून से चलाना चाहते हैं....(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : उस टाइम कहां गई थी ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : या सदन में कुछ लोगों को खुश करने के लिए काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, हांलाकि यह इनके बस का रोग नहीं है, जब नियम और कानून मानना ही नहीं है, राज चलाना है चलाइये, हमारा जो प्रिविलेज है उसमें निवेदन करना चाहता हूं। आप कृपया इसका फैसला करिये। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप क्या कह रहे हैं?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है..(व्यवधान) आप सुनिये तो, मैंने सुना है आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इसमें क्या सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं ? क्या सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आप जो निर्णय देंगे उसमे यह सहायक होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहे।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब हाउस को बुलाया जाता है गवर्नर साहब की तरफ से तो पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसकी सूचना प्रत्येक....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये किस नियम में बता रहे हैं ? पाइंट आफ आर्डर इनका है, व्यवस्था आपको देनी है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप कौन से नियम में बोल रहे हैं, वह भी आप बता दें ?

डा. एन.एस. गुर्जर : जो आर्टिकल 175 और 176 आपने कोट किया है, मैं उस पर बोल रहा हूं। आप विराज जाइये। पाइंट आफ आर्डर दोनो तरफ से बोला जाता है, तर्क-वितर्क होता है। अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रत्येक सदस्य को लिखित में सूचना जाती है कि फलां तारीख को फलां समय पर सदन आहूत किया जाएगा और गवर्नर साहब एड्रेस करेंगे। इसलिए उस दिन आप सब मैम्बर्स को यह पहले से सूचित था कि फलां तारीख को फलां समय सदन में गवर्नर साहब पधारेंगे और एड्रेस करेंगे, तो जो आप कहते हैं कि सूचना नहीं थी, और फिर यहां आने के बाद सैक्रेटरी असैम्बली ने कहा कि राज्यपाल महोदय...

डा. सी.पी. जोशी : नहीं कहा। यही इश्यू है। यह रिकार्ड में चैक कर लें, नहीं कहा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब नहीं कहा तो आप बाद में कह देना खड़े होकर, मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान) मेरे बोलने के बाद में कह देना।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य : अब आसन का काम आप करने लग गये।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं कर रहा हूं, गलती हो गई।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी बात आपको कट करनी है, उसका जवाब देना है तो मेरे बैठने के बाद खड़े होकर कहने का आपको अधिकार है, आप बोल लेना। मैं आपको रोक रहा हूं क्या ? इसलिए उस समय उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदय। यह कहा और उसके बाद जब हाउस से गवर्नर साहब पधार गये, आप उनकी बगल मे बैठी हुई थीं, व्यावहारिक तौर पर सब ने आपको इलैक्ट किया है, आपको सब जानते हैं कि स्पीकर प्रिसाइड कर रही हैं हाउस को, सब जानते हैं कि गवर्नर साहब का एड्रेस होता है तो स्पीकर प्रिसाइड करती हैं, तो प्रैक्टिकली सब कुछ हुआ है, कोई अनियमित चीज नहीं हुई है। इसलिए जिस तरह हाउस कांस्टीट्यूट हुआ है, अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूल कोट किये हैं उसी को मैं कोट करना चाहता हूं, "when is sitting of House duly constituted" माननीय स्पीकर महोदय की जगह कोई और नहीं बैठा था, आप ही उस आसन पर विराजमान थीं। यदि कोई दूसरा बैठा होता तो हम मान लेते कि हाउस

(डा. एस.एन. गुर्जर)

कांस्टीट्यूट नहीं हुआ, अण्डर रूल 11 हम मान लेते। और समनिंग आफ द असेम्बली रूल 3, इसके तहत प्रत्येक माननीय सदस्य को लिखित में सूचना गई है कि इतनी तारीख को इतनी बजे माननीय राज्यपाल महोदय पधारेंगे और हाउस को एड्रेस करेंगे। इसलिए आपने जो पाइंट आफ आर्डर रूल 3, रूल 11 कांस्टीट्यूट का आर्टिकल 175 और 176 के तहत उठाया है इसका कोई औचित्य नहीं है इसलिए उसको आप खारिज करें, इसका कोई मतलब नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सारी बात आ गई है, अब आप व्यवस्था सुनिये। क्या कर रहे हैं आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट सुन लें।

श्री रामप्रताप कासनियां : ...वो क्या करेंगे, फिर उनको समय कब मिलेगा ? आप रूल ही रूल उठाते रहिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आनें वाले माननीय सदस्य से मैं दो बात पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : इसमें परम्परा यह है कि जो माननीय सदस्य पाइंट आफ आर्डर उठाए तो आप उनको सुनकर उस पर अपनी व्यवस्था दें, पाइंट आफ आर्डर पर बहस कैसे हो रही है ?...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राज्यपाल कहा तो महामहिम राज्यपाल नहीं कहना चाहिये था? किसने कहा ?

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर पर केवल एक ही माननीय सदस्य जिनका पाइंट आफ आर्डर होता है, अपनी बात कहते हैं और उन्होंने अपनी बात कह दी, आसन की व्यवस्था तो सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, परम्परा यही रही है, यह कहा जाता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय। केवल राज्यपाल, राज्यपाल तो नाम भी हो सकता है। महामहिम पहले लगाना चाहिये था। अगर आप महामहिम का सम्मान नहीं करना चाहते, राज्यपाल के पहले महामहिम नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई दुर्भावना है तो आपकी दूसरी बात हो सकती है। यह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

क्या बात हुई ? माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस चीज से सहमत होगी कि किसी ने भी महामहिम शब्द नहीं लगाया, महामहिम राज्यपाल महोदय नहीं कहा। (व्यवधान) तो मैं आज भी यही समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय कांग्रेस से सम्बद्ध रही हैं और इनका सम्मान करने का आपका इरादा नहीं है तो इस संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा आपको।

व्यवस्था

अभिभाषण के समय राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना उनके ए.डी.सी. देते हैं

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उसे निरस्त कर रही हूं, अस्वीकार करती हूं। अस्वीकार क्यों करती हूं, सुनिये।

बाकायदा 29 तारीख को सभी माननीय सदस्यों को यह सूचना गई है, यह परिपत्र मेरे हाथ में है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 फरवरी को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे से विधान सभा भवन, ज्योति नगर, जयपुर में प्रारम्भ होगा और राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देंगे इसलिए माननीय सदस्य सब 10.45 तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसलिए आपने जो पहली आपत्ति की है मैं उसे इस वजह से निरस्त कर रही हूं।

उसके बाद आपने यह कहा कि राज्यपाल महोदय के आने की सूचना नहीं दी गई। माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, परम्परा यह होती है कि उस समय मार्शल नहीं एनाउंस करते हैं बल्कि राज्यपाल महोदय के खुद ए.डी.सी. हैं वो कहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय। यह हो सकता है, इस बात को मैं भी स्वीकार करती हूं कि धीमी आवाज में उन्होंने कहा, माननीय राज्यपाल महोदय, लेकिन मैने स्वयं ने सुना दो बार। (व्यवधान) बात सुनिये। देखिये, आसन जब व्यवस्था दे रहा हो तो बीच में आपका बोलना, बैठे-बैठे बोलना भी और खड़े होना बहुत आपत्तिजनक है। इसलिए पूरा बात सुनिये आप। मैने स्वयं सुना, दो बार उन्होंने, एक बार नहीं, जब आप लोग एलर्ट नहीं हुए, खड़े नहीं हुए तो उन्होंने दोबारा कहा, माननीय राज्यपाल, दोबारा कहा।

श्री कालीचरण सराफ : बोलने में व्यस्त थे तो...

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपका यह कहना कि सूचना नहीं दी गई, सही नहीं है। सूचना बाकायदा दी गई थी। इन दोनों वजह से, इन दोनों कारणों से मैं इस आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करती हूं।

डा. सी.पी. जोशी : It is not the ADC, it is the privilege of the Marshal.

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) नहीं, मार्शल नहीं देता है, ए.डी.सी. टू द गवर्नर देता है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : ए.डी.सी. ही बोलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हमेशा ऐसा ही होता है। (व्यवधान) ए.डी.सी. देता है न? ए.डी.सी. देता है न हमेशा। आलवेज ए.डी.सी. देता है। आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप सत्ता पक्ष में थे उस समय तो ध्यान नहीं दिया करते थे कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मेरे को बीस साल विधान सभा में रहने का मौका मिला है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपको जस्टिफाई करना है, मुझे नहीं करना। लेकिन न तो महामहिम बोला गया है, न आपको। अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ है...

डा. एन.एस. गुर्जर : ए.डी.सी. ही बोलते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी शिरोधार्य है।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमेशा ए.डी.सी. ही अनाउंस करता है।

श्री अध्यक्ष : महामहिम तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन माननीय राज्यपाल कहा उन्होंने, माननीय राज्यपाल, दो बार कहा गया, माननीय राज्यपाल।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को मना नहीं कर रहा पर एक अच्छी परम्परा नहीं है। आप स्पीकर बैठी हुई थीं, फैसला यह करना है कि स्पीकर चेयर करेगा कि गवर्नर करेगा। गवर्नर साहब ने, सी.एल.पी. लीडर को रोका है उन्होंने। यदि चेयर आप कर रही थीं तो it was privilege of the Speaker, it was not the privilege of the Governor. आपको याद होगा, आप जब बैठी हुई थीं तब सी.एल.पी. लीडर बोले तो गवर्नर साहब ने टोका उनको, यह तो काम किसी स्पीकर का था, तो गवर्नर साहब को नहीं टोकना चाहिए था। मतलब मेरा तो आपके ध्यान आकर्षित करने के पीछे मंशा यही है कि नियम और कानून की पालना करने की जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है। आप यदि स्पीकर थीं और स्पीकर यदि प्रिसाइड कर रहा था तो गवर्नर महोदय को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नर ...

श्री अध्यक्ष : आसन से व्यवस्था होने के बाद में उस पर चर्चा नहीं की जाती है।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। हां, ठीक है, मुझे नहीं बोलना।

श्री अध्यक्ष : माननीय राव राजेन्द्र सिंह।

श्री टीकम चन्द कान्त : अब अध्यक्षजी ने यह नहीं कहा और गवर्नर ने यह नहीं कहा, यह तो कम से कम कहना नहीं चाहिए। विधान सभा में ये चीजें उठनी नहीं चाहिए। (व्यवधान) वह तो प्यार से आपको समझा दिया गया था, इसलिए कह रहा हूं। प्यार से समझाया था, समझे नहीं आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय ने 1966 में कुछ माननीय सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया था। जिस समय राज्यपाल का अभिभाषण होता है उस समय प्रिसाइड महामहिम राज्यपाल ही करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों में नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपको याद होना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपनी तो आप बीती बता दो। 1990 में आपके साथ क्या हुआ था, अपनी तो बताओ जरा।

श्री अध्यक्ष : अपने नियमों में तो स्पीकर ही करता है। अपने नियमों के अनुसार स्पीकर करता है।

अभिभाषण के समय माननीय राज्यपाल माननीय अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग वह कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय अध्यक्षता तो नहीं करते, अध्यक्षता तो अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन उनके अन्दर निहित हैं उनकी पावर्स इसलिए वह किसी को एक्सपैल कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है, सही बात है।

डा. सी.पी. जोशी : यही बात तो गोवा में हुई, समझ में नहीं आ रही उनको। यही बात तो गोवा में हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं समझ में आ रही है आपको।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए, प्रारम्भ करें, श्री राव साहब ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ड्रिलिंग के ठेके

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और बड़ी खूबी से पी.एच.ई.डी. इस बात की देखरेख करता है। जिस तरीके से भूमिगत पानी का लेवल निरन्तर नीचे जा रहा है यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि जहां-जहां ऐसी आवश्यकता हो वहां तुरन्त कोई न कोई कार्यवाही की जाए। क्योंकि पी.एच.ई.डी. के पास में स्वयं का इतना बड़ा तंत्र नहीं है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह स्वयं की ड्रिलिंग मशीन भेजे, इसके लिए कांट्रेक्ट के आधार पर जो भी टेन्डर कांटेक्टर्स है उनको कांट्रेक्ट बेसिस पर टेन्डर्स इनवाइट किये जाते हैं और टेण्डर्स इनवाइट करने के बाद में प्राइवेट कांट्रेक्टर्स के माध्यमों से हैण्ड पम्पस और ट्यूबवैल्स जहां-जहां आवश्यकता होती है, सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर खुलवाये जाते हैं। पिछले बीस वर्ष से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा चल रही थी कि टेन्डर्स काल करते हैं और रेट कांट्रेक्ट छोड़ दिये जाते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि किसी एक कांट्रेक्टर के पास में इतनी बड़ी साधन-व्यवस्था नहीं होती कि सारे के सारे टेन्डर्स, चाहे वह न्यूनतम मूल्य पर भी लेना चाहे तो वह ले लें। जितने भी उसमें निविदादाता होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, और न्यूनतम दर पर उस कांट्रेक्ट को दे दिया जाता है। इससे गुणवत्ता भी होती है और समय पर नलकूप और हैण्ड पम्प लग भी जाते हैं। दो दशक से यह परम्परा चल रही थी। दिसम्बर में इस कान्ट्रेक्ट की निविदाएं मंगवाई गई और एक ही फर्म को तेरह पंचायत समितियों का पूरा कांट्रेक्ट दे दिया गया। मैं इसकी इम्पार्शियलिटी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखिये, एक व्यक्ति तेरह पंचायत समितियों में सारे ट्यूबवैल लगाएगा, सारे हैण्ड पम्प लगाएगा। राजस्थान का पी.एच.ई.डी. स्वयं इतना सक्षम नहीं है कि सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर लगा सके और एक कान्ट्रेक्टर तेरह पंचायत समितियों के अन्दर लगाएगा? न तो वह वक्त पर लगा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पाएगा और न वक्त पर नहीं लगा पाएगा, तो जो आवश्यकता है, उस वक्त जब आवश्यकता पड़ती है कि पानी आज चाहिए, यह दो दिन नहीं रुक सकता, दो महिने नहीं रूक सकता। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि एक ही व्यक्ति को या एक ही फर्म को यह सारा दे दिया जाए। जबकि बाकी लोग-बाग भी थे। एक स्वस्थ परम्परा चल रही थी, बीस वर्ष से हम लोग इस परम्परा का स्वागत करते आ रहे थे। इससे रोजगार के भी संसाधन उत्पन्न हो रहे थे, छोटे-छोटे कांट्रेक्टर्स थे, अपनी-अपनी जगह वे पेयजल योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपना लाइवली-हुड भी कमाते थे। इन सारे लोगों को एक तरफ करके किसी एक को कर दिया गया। जो कांट्रेक्ट लिया गया उसमें एक कम्पनी तो ऐसी है, उसी बड़ी कम्पनी की एक सिस्टर कन्सर्स है जो एक महीने पहले आई। जहां तक नियमों का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, किसी भी ऐसे कांट्रेक्ट को देने के पहले यह भी देखा जाता है कि पिछले कितने वर्ष से वह कार्यरत है, क्या उसमें इतनी पोटेंशियलिटी है कि नहीं, कि वह काम को अंजाम दे पाएंगा या नहीं दे पाएंगा। बात सिर्फ इतनी ही है कि एकदम ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि एक पर्टीकुलर कम्पनी को या फर्म को सारे के सारे नलकूप दिये गये। बीस वर्ष से जो परम्परा चली आ रही थी, उसमें ऐसी कौन-सी खामी तत्काल उत्पन्न हो गई कि दूसरे कांट्रेक्स जो उसी दर पर काम करने को तैयार थे, जिनके पास में अपने साधन हैं, जो समय पर काम करके दे सकते थे और दे रहे हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम मंत्री महोदय इस पर...

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : हो गया पूरा, यही है न आपका ?

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। न तो मैं इस चीज पर किसी पर कोई चीज अंकित कर रहा हूं, अगर ऐसी कोई परम्परा पड़ रही है तो मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि ऐसी परम्परा नहीं पड़े, यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। हो सकता है उन्होंने सारे नियम और सारी प्रक्रिया को देखा हो, लेकिन एक ऐसी परम्परा भी पहले से थी जहां हम सब लोगों को मिलाकर इस चीज को बाकायदा विकेन्द्रित करके कर रहे थे ताकि समय पर चीज हो जाए। तो मेरा सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन है कि समय पर चीज हो जाए, लोग-बाग को इसके माध्यम से रोजगार मिल रहा था उनको भी मिलता रहे और पी.एच.ई.डी. का काम भी समय पर पूरा हो जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद ।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पी.एच.ई.डी. में स्वयं की रिग्स भी हैं और प्राइवेट ठेके पर भी करते हैं। माननीय सदस्य सही कह रहे है कि वर्षों से यह परम्परा चल रही थी कि ठेकेदार अपने हिसाब से एक लोअर रेट तय कर देते हैं, उसके बाद अधिकारी जिसकी मर्जी हो, आर्डर देते रहते थे। वह रेट जब हमने देखा कि ये मनमर्जी से इधर-उधर कर रहे हैं तो क्यों नहीं, जो सब डिपार्टमेन्ट में एक ही परम्परा है कि जो लोएस्ट रेट होती है उसी को ठेका दिया जाता है। ठेके में सब को एपियर होने का मौका मिलता है और इस बार, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो रेट आई है, आज के बीस वर्ष में सबसे लोएस्ट रेट आई है, इसलिए यह कहना गलत है। सब ठेकेदार का रोजगार, इसके ऊपर चिन्ता करें या सरकारी खजाने पर? मेरा पहला काम है सरकारी खजाने पर। मैं सदन को आवश्वस्त करता हूं जिसने भी ठेका लिया है, समय पर जहां पर आवश्यकता होगी, काम होगा। आप चाहे तो मैं पूरी डिटेल, विवरण दे दूंगा कि बीस वर्ष में क्या हो रहा था और अब क्या रेट आई है।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी बात करो, बीस वर्ष की मत करो।

श्री सांवर लाल : नहीं, मै निवेदन करना चाह रहा हूं न कि अब की बार जो रेटस आई हैं, लोएस्ट रेट आई है। कुछ लेवल पर जो मैनिपुलेशन था वह खतम हो गया है। ठेके में सब को एंटर होने का अधिकार है, जो लोएस्ट रेट देगा, वह जाएगा, हर विभाग में यही प्रकिया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इसका जो प्रारूप है...

श्री अध्यक्ष : पर्चो पर नहीं होता है ऐसा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : एक मिनट। इसका पूरा जो लिस्ट है...

श्री अध्यक्ष : पर्ची से आपने उठा दिया, उन्होंने कह दिया। आपने कहा अनियमितता हुई, उन्होने कहा अनियमितता नहीं हुई..।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : नहीं, अनियमितता की बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न और यूं करेंगे तो फिर तो काम चल नहीं सकता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदयय, अनियमितता की बात ही नहीं, सिर्फ यह बात है...

श्री अध्यक्ष : आपने लिखा तो यही है कि अनियमितता हुई है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अनियमितता इसलिए हुई है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि किसी एक के आप, सारे के सारे काम एक आदमी के अधीनस्थ कर दें ?

श्री अध्यक्ष : लोएस्ट होगा तो होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा इसने इस पर, मेरा आरोप भी नहीं है...

श्री सांवर लाल : जो लोएस्ट रेट देगा, कम से कम पर काम करेगा, वह ठेका लेगा।

श्री अध्यक्ष : लोएस्ट टेण्डर होगा तो यही होगा।

श्री सावंर लाल : इसमें किसी को दे दिया, किसी ने किसी को नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो...

श्री राव राजेन्द्र सिंह : नहीं तो जब बाकी भी करने को तैयार हैं तो फिर आप उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले तो चिट के द्वारा नहीं उठाये जाने चाहिए। ये बजट के समय, डिमांड के समय उठाये जा सकते हैं। यह तो रीसेट अंकरेस जो अभी हुआ हो वह जीरो आवर के माध्यम से उठते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : यह रीसेंट ही है, एक महीना नहीं हुआ इसको। यह रीसेंट ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा ।

राजस्थान में बाघों की घटती संख्या

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में वतर्मान में वन्य जीवों की घटती संख्या पर ...

श्री अध्यक्ष : आपने तो केवल बाघों का लिखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं बोल रहा हूं, बाघ भी वन्य जीव में ही आएगा, साहब। वन्य जीवों की घटती संख्या और विशेष रूप से बाघों की।

श्री अध्यक्ष : बहुत विषद् हो जाएगा आपका सब्जैक्ट। बाघों तक आप सीमित रहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : बाघों की घटती संख्या पर मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले राजस्थान में सरिस्का के अन्दर ही इस बात की योजना बनी थी और एक योजना बनायी थी हमारे राजस्थान के श्री के.एस. सांखला ने। उन्होंने सर्वे करके बाघों के मामले में पूरा एक पोजेक्ट बनाकर हिन्दुस्तान की सरकार को और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने पेश किया था। उस योजना से, उस संख्या से और सारा जो सर्वे उन्होंने किया उससे प्रभावित होकर केन्द्र की सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में 9 टाइगर प्रोजेक्ट दिये थे जिसमें 2 टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान को दिये गये थे। एक रणथम्भौर था और एक सरिस्का था। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि लगातार सर्वे के बाद भी आज की तारीख में भी बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सबसे पहले सरिस्का में 1984 में 26 थे, 1989 में 19 हो गये, 1993 में 24 हो गये, 1995 में गिनती में 25 आये और 2004 में 15 हो गये। आज इस वर्ष में 2004 में जिन बाघों की संख्या 15 उस स्थान पर बतायी गयी है, एक भी बाघ हर वहां का जाने वाला विजिटर यहां तक कि महामहिम भी जब वहां गयी, सारे वन कर्मचारियों ने पूरे प्रयास किये कि महामहिम को कोई बाघ दिख जाये। पूरे के पूरे एरिये में जो 15 बाघ इन्होंने बताये, अपनी गणना में एक भी बाघ आज तक उस सरिस्का में कही भी पता नहीं लग रहा है। इसी प्रकार रणथम्भौर में 1999 में 16 बाघ बताये गये थे और उन 16 बाघों को क्रमवाइज फोटो खींच कर अलग-अलग स्थान पर प्रदर्शित किया गया था। उन 16 बाघों में से आज की तारीख में केवल 5 बाघ उपलब्ध हो रहे हैं। एक बाघ के मरने की रिपोर्ट है और 10 बाघों के मामले में रिक्त की जो उनकी धारियां होती हैं जिससे पहचाना जाता है, उन 10 बाघों का आज तक कोई पता नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो वन्य जीव के तस्कर हैं, जो हिन्दुस्तान लेवल कर नेपाल और दूसरे देशों में वन्य जीवों की खालों की तस्करी करते हैं। मैं आपको छोटे से आंकड़े के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 26 शेरों की खाले, सांपों की 25800 खालें, सियार 2479 और जंगली बिल्ली 1269, पाटागोह, की 1002, लोमड़ी 160, बघेरे 200, रेगिस्तानी बिल्ली 26, बाघ 28, मगरमच्छ 5, अजगर 2, और गत तीन सालों में वन्य जीव अधिनियम के तहत राजस्थान मे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो करीब पौने पांच सौ मामले दर्ज हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न बाघों की सुरक्षा हो रही हैं। न

(श्री हरिमोहन शर्मा)

वन्य जीवों की सुरक्षा हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए जो कापीटेन्ट ला होना चाहिए, जो कानून होना चाहिए, जो फोर्स होनी चाहिए फोरेस्ट विभाग में, वो फोर्स कतई नहीं है। बल्कि तस्करों से कितने ही लोग, यहां के लोग मिले हुए हैं। सरकार इस सारे मामले पर गम्भीरता से चिन्तन नहीं कर रही है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी जो हैं, सिंहों का राज है और सिंह ही गायब होते चले जा रहे हैं, आश्चर्य की बात है। हम यह मानते थे कि आपके समय में इन सिंहों की, इन जंगली जानवरों की बचत होगी, इनको उचित प्रोटेक्शन मिलेगा लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार की एक योजना बनी थी रेडियो कालर लगाने की...

श्री अध्यक्ष : आपने पर्ची के माध्यम से ध्यान दिला दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं बोल तो रहा हूं अभी।

श्री अध्यक्ष : कितनी देर बोलेंगे आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं जो बोलने जा रहा हूं वह इतना गम्भीर है कि इन्टरनेशनल है और पर्यटन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट रणथम्भौर और सरिस्का नहीं हो अगर तो आपका टूरिज्म आधा रह जाएगा। आपकी जो टूरिज्म से इनकम है वो समाप्त हो जाएगी। आपका और हमारा सबका नैतिक दायित्व है कि वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए हम कोई मजबूत कानून बनाएं, कोई ऐसी व्यवस्था करें। मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार इस प्रकार इन बाघों की जो तस्करी हो रही है, जिनकी खालें बरामद हो रही हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई मजबूत कार्यवाही नहीं कर रही है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान में बाघों की संख्या समाप्त हो गयी हैं, समाप्ति की ओर जा रही है। केवल मात्र 5 बाघ रणथम्भौर में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का और विशेष रूप से वन विभाग, वन विभाग के पास कोई आथोरिटी नहीं है। कई बार सरकार घोषणा कर चुकी है। आप बैठे-बैठे न कहें, आप मुख्य सचेतक हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं तो यह पूछ रहा हूं...

श्री हरिमोहन शर्मा : मुख्य मंत्रीजी विराज रही हैं और आप उन्हीं के सामने अनुशासनहीनता करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...कि आपकी जानकारी में यह हुआ हो तो बताएं। आपकी जानकारी है न ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको इससे ज्यादा कोई मिलने वाला नहीं है, आप जो मिला है उससे संतोष करें। इससे ज्यादा कतई उम्मीद मत रखें क्योंकि आपकी परफारमेन्स से अध्यक्ष सहित सारा सदन देख चुका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। पर आपको जो जानकारी है बाघों के मामले में, आपके समय में जो तस्करी हुई है और जो आपकी जानकारी है वो तो बता दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यह आरोप लगा रहा हूं इस सदन में कि राजस्थान के वन विभाग के अधिकारी और दूसरे लोग उन तस्करों से मिले हुए हैं और उन तस्करों से मिलकर बाघों की और जंगली जानवरों की तस्करी के माध्यम से खालों को बाहर निर्यात करवा रहे हैं। इसलिए इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए क्योंकि इससे राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है। सबसे पहले राजस्थान में जो सर्वे रिपोर्ट है और जो प्रोजेक्ट बना सरिस्का का, उसी को आधार मानकर केन्द्र सरकार ने और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पूरे देश में 9 टाइगर प्रोजैक्ट दिये थे। उसी आधार पर दिये थे। आज राजस्थान की हालत हो रही है वो चिन्ता का विषय है। उस चिन्ता को इस सदन में अभिव्यक्त करने पर भी सरकार द्वारा इन सारे प्रकरणों पर निश्चित होकर सोते रहना हमारी चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा । बहुत अच्छा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से इतना कहना चाहूंगी कि जो यह विषय रेज किया हुआ है वो सारा आज का विषय नहीं है। यह प्रोब्लम कई दिनों से और कई सालों से आज इतनी बुरी स्थिति तक पहुंची है। मैं भी समझती हूं कि राजस्थान के लिए और हमारे टूरिज्म के लिए विशेष कर यह एक बहुत बुरी चीज है। इसलिए हमने यह तय किया है कि तुरन्त ही एक टास्क फोर्स एक कमेटी या टास्क फोर्स के नाम से इस इश्यु को डिटेल में डिस्कस करने के लिए तैयार की जाए जो कमेटी तीन महीने के अन्त में कांक्रीट प्रेक्टिकल एनवायर्नमेन्टल रिकमंडेशन हमारे सामने रखें। गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद किस तरीके से वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रुव करेगी, उसके ऊपर टर्म्स आफ रेफरेंस कमेटी के हमने आलरेडी निकाल दिये हैं। Forest Department will service the Committee. उसके एक्सपेसेज वगैरह-वगैरह Will be part of the Budget. फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जो एक्स्ट्रा फाइंस की जरूरत है वो एक्स्ट्रा फंड्स

उनको दिलवा देगा। Chief Wild Life Warden, Rajasthan will be the Member-Secretary of the Committee. स्ट्रक्चर आफ द कमेटी हम लोगों ने तय कर लिया है ऑलरेडी, उसमें 6 लोग होंगे और 6 में से 3 नामी और जाने एन.जी.ओज. होंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या पूछना चाहते हैं ? नो

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : वहां के अधिकारी लिप्त हैं तो क्या उन अधिकारियों को हटाने का विचार रखती है सरकार वो डी.एफ.ओ. इसमें शामिल है, तस्करी करवा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनकी सबकी खाल निकाल ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लें। श्री रामप्रताप कासनिया।

ओलावृ. से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला बल्कि पूरे राजस्थान के अन्दर जो ओलावृष्टि हुई है, उससे काश्तकारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई जगह तो फसल पूर्णतया बर्बाद हो गयी और काश्तकारों की हालत बहुत ही नाजुक है। पिछले 4-5 वर्षो से काश्तकार वैसे ही अकाल की मार झेल रहे थे, नहरों में पानी नहीं था, बडी मुश्किल से अबकी बार फसल हुई वह फसल भी ओलावृष्टि से चौपट हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले 55 वर्षों से पक्ष-विपक्ष घडियाली आंसू तो बहाते रहते हैं परन्तु इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आशा रखता हूं कि हरियाणा, पंजाब के पेटर्न पर ओलावृष्टि जिन किसानों के हुई है उनको आप सहायता राशि देकर कम से कम 2000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा राशि देकर कीर्तिमान कायम करेंगे और काश्तकारों के दिल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी मांग मैं राज्य से करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हो रही थी शराब के बकाये की। 22? करोड़ रुपया बकाया है और फैक्ट्रियों पर हजारों-हजारों करोड़ रुपया बकाया पड़ा रहता है। हर चीज का बीमा होता है, ट्रेक्टर का बीमा है, मनुष्य का बीमा है।

श्री अध्यक्ष : फसल बीमा भी लागू है।

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं है, अध्यक्ष महोदय, पूरी फसलों का बीमा लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बीमा लागू हुआ है यह भी सही नहीं है। पूरे इलाके में कितना परसेन्ट खराबा है उसके हिसाब से और जो लोग को-आपरेटिव से लोन लेते हैं उनको भी अभी तक जो बीमा की राशि है वह नहीं मिली है। यह मामला बड़ा गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि काश्तकारों को बचाने के लिये चाहे शराब पर टैक्स लगाना पड़े, चाहे किसी दूसरी चीज पर टैक्स लगाना पड़े, ओलावृष्टि हो या प्राकृतिक प्रकोप हो, काश्तकारों की जो फसल नष्ट होती है उसको मुआवजा हर हालत में मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

एक माननीय सदस्य : निर्दलीयों से नहीं ?

श्री रामप्रताप कासनिया : निर्दलीय कौन हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप नहीं है ?

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं बीच का आदमी नहीं हूं अब, मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूं, ध्यान रखना चाहिये आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : दल-बदल विरोधी विधेयक लागू है और यह आपके सामने बयानी कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह थोड़े ही कहा है कि मैं सत्ता पक्ष में शामिल हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कहा है अभी, आप प्रोसिडिंग्स उठा लें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह थोड़े ही कहा है कि मैं बी.जे.पी. में शामिल हूं ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह बड़ा गम्भीर विषय है। अभी सदन का एक घंटा जाया कर दिया। मेरा बहुत अहम मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है, मैं कोई मामला आर्टिकल के तहत नहीं उठा सकूं, पर काश्तकारों की जो समस्या है, काश्तकारों की जो पीड़ा है, क्या-क्या चीज की जरूरत है, गांव में क्या-क्या विपदा है, इस बारे में, माननीय सदस्य, आपको पूरी जानकारी नहीं है। काश्तकारों की हालत बहुत दयनीय है, मैं फिर पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी नहीं है ? आप कह रहे है, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप मुझे कह रहे हैं यह बात ?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि की आपको जानकारी नहीं है तो और किस चीज की जानकारी है.?

श्री अध्यक्ष : मुझे नहीं है जानकारी ।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से किसान तबाह हो जाता है इसकी जानकारी आपको है, आप भी काश्तकार हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, सरकार पहले वाली भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कभी भी आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। कभी भी काश्तकारों को मुआवजे के तौर पर आप लोगों की सरकार में कोई सहायता नहीं दी गयी। आबियाना तक माफ नहीं किया गया। ओलावृष्टि होने के बाद कांग्रेस राज में आबियाना तक माफ नहीं किया गया ओर बात कह रहे हो इस सरकार की। 55 वर्ष हो गये, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारो को राहत देने के लिये चाहे कहीं पर भी कोई टैक्स लगाना पड़े, चाहे कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं ऐसी आशा रखता हूं कि अब की बार आप कोई न कोई ऐसा कदम उठायें जिससे राजस्थान के काश्तकार आपको हमेशा याद रखें। यह समय है निकल जाएगा, बातें रह जाएंगी। आप कोई न कोई निर्णय ऐसा लें जिससे काश्तकारों को राहत मिले, धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार : बिजली का बिल माफ कर दो।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री 84 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 84 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

1. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-67 दिनांक 13.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर/अनु-2002-144 दिनांक 22.3.2002 को विखण्डित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

2. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-68 दिनांक 13.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-69 दिनांक 14.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-32 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-70 दिनांक 14.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/अनु-2004-33 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-71 दिनांक 14.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-41 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।
6. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-72 दिनांक 14.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर/अनु-2003-144 दिनांक 22.3.2002 को विखण्डित किया गया है।
7. अधिसूचना संख्या-प.10(6)वित्त/कर/2004-73 दिनांक 21.7.2004 जिसके द्वारा राजस्थान फिल्म 'ओजी रे दीवाना' को कतिपय शर्तों के अधीन मनोरंजन कर से एक वर्ष के लिए शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
8. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 पार्ट-74 दिनांक 21.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किया गया है।
9. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 पार्ट-75 दिनांक 21.7.2004 जिसके द्वारा पंजीयन उप जिलों भिवाड़ी एवं टपूकड़ा के उप पंजीयक नियुक्त किये गये हैं।
10. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-76 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा चीनी व तम्बाकू के क्रय या विक्रय को सशर्त कर मुक्त किया गया है कि इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क प्रभार्य है।
11. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-77 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(11)वित्त/कर/95-87 दिनांक 27.3.1995 को अतिष्ठित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

12. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-78 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा कॉटन फेब्रिक, मानव निर्मित फेब्रिक और वूलन फ्रेबिक के क्रय या विक्रय को करमुक्त किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-79 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-80 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा हस्तनिर्मित अगरबत्ती के क्रय या विक्रय को कर में छूट दी गई है।

15. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-81 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा लिग्नाइट को शामिल करते हुए कोयला लेकिन पेट्रोलियम कोकं को छोड़ते हुए प्रवेश कर में दिनांक 12.7.2004 से छूट प्रदान की गई है।

16. अधिसूचना संख्या-प.4(5)वित्त/कर/03 पार्ट-1-82 दिनांक 22.7.2004 जिसके द्वारा मै. एन.एम. सदगुरू वाटर एण्ड डवलपमेंट फाउण्डेशन दाहोद को इसके द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (विशेष प्रोजेक्ट) के तहत निष्पादित कार्यों को राजस्थान विक्रय कर में छूट दी गई है।

17. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-83 दिनांक 26.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-32 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-84 दिनांक 26.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-33 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-85 दिनांक 26.7.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

20. अधिसूचना संख्या-प.2(1)वित्त/कर/94-86 दिनांक 28.7.2004 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा वर्ष 2004-05 में प्राइवेट प्लेसमेन्ट बेसिस पर जारी 100 करोड़ के अपरिवर्तनीय बंध पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया गया है व 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97-87 दिनांक 28.7.2004 जिसके द्वारा पंजीयन उप जिला वैर, खाजूवाला, रायसिंह नगर एवं करणपुर में पंजीयन कार्य करने के लिए संबंधित तहसीलदार को उप पंजीयक घोषित किया गया है तथा उक्त पंजीयन उप जिले जयपुर चतुर्थ, जयपुर पंचम, जयपुर षष्ठम एवं कोटा शहर द्वितीय में पदस्थापित पूर्णकालिक उप पंजीयक को पंजीयन की शक्तियां दी गई।

22. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-88 दिनांक 28.7.2004 जिसके द्वारा स्व उत्पादित उर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क की राशि निर्धारित की गई है तथा यह अधिसूचना 1 अगस्त, 2004 से प्रभावी होगी एवं इस अधिसूचना हेतु वर्ष का प्रारम्भ 1 अगस्त, 2004 होगा।

23. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-89 दिनांक 28.7.2004 जिसके द्वारा कोटा स्टोन व निम्बाहेड़ा स्टोन पर क्रय कर की दर कतिपय शर्तों पर 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

24. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-90 दिनांक 28.7.2004 जिसके द्वारा मार्बल पर क्रय कर की दर कतिपय शर्तों पर 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

25. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-91 दिनांक 4.8.2004 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर अधिनियम, 1999 के अधीन भार्य ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई है।

26. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-92 दिनांक 4.8.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/अनु/2004-66 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

27. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-93 दिनांक 4.8.2004 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग की सहायता हेतु कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

28. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-94 दिनांक 4.8.2004 जिसके द्वारा "आयुक्त द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्राधिकृत" करने के स्थान पर "आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्राधिकृत" प्रतिस्थापित किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या-प.2(23)वित्त/कर/2004-95 दिनांक 5.8.2004 जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों द्वारा एच.डी.एफ.सी. एवं एस.बी.बी.जे. से लिये गये भवन निर्माण ऋण, रिपेयरिंग ऋण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या-प.2(23)वित्त/कर/2004-96 दिनांक 5.8.2004 जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों द्वारा एच.डी.एफ.सी. एवं एस.बी.बी.जे. को प्रस्तुत किये जाने वाले बन्धक पत्र के दस्तावेज को धारा 78 की उप-धारा(2) रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर-अनु/2004-97 दिनांक 6.8.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर-अनु/2004-13 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-98 दिनांक 9.8.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.5(56)वित्त/वा.क./67 दिनांक 6.6.1967 विखण्डित किया गया है और राज्य में खरीदे गये कतिपय पशुधनों के अंतिम क्रय बिन्दु पर 6 प्रतिशत की दर से क्रय कर लागू किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-99 दिनांक 9.8.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(5)वित्त/ग्रुप-IV/88-15 दिनांक 8.3.1998 एवं इस सम्बन्ध में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य से बाहर निर्यात किये जाने वाले भेड़ व बकरी पर कर की दर निर्धारित की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

34. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-100 दिनांक 9.8.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(11)वित्त/ग्रुप-IV/95-96 दिनांक 27.3.1995 को अतिष्ठित करते हुए प्रत्येक व्यवहारी को भेड़ व बकरी पर सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

35. अधिसूचना संख्या-प.8(4)वित्त/कर/87-101 दिनांक 25.8.2004 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (तत्कालीन संस्था) के स्वामित्वाधीन जयपुर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सम्बन्धित भूमि एवं भवनों की ओर 2000-2001 तक की कालावधि के लिए बकाया कर को भूतलक्षी प्रभाव से सशर्त छूट प्रदान की गई है।

36. अधिसूचना संख्या-प.4(38)वित्त/कर/2003-102 दिनांक 10.9.2004 जिसके द्वारा श्री गोविन्द देवजी मन्दिर जयपुर के परिसर में जीर्णोद्धार हेतु काम में ली जाने वाली कतिपय सामानों पर बिक्री कर में छूट प्रदान की गई है।

37. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98 पार्ट-103 दिनांक 27.9.2004 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल/जेडीए/नगर परिषद एवं स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित भूखण्ड पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा(1) के अन्तर्गत मूल आवंटी/क्रेता के पक्ष में आवंटन/विक्रय की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में हस्तांतरण पर बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आवंटन/विक्रय पर 5 प्रतिशत की वृद्धि करके कन्वैन्स देय होगा।

38. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर-अनु/2004-104 दिनांक 8.10.2004 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को संविदा के आधार पर अनुसूचीनुसार कर संग्रहण हेतु आदेशित किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-105 दिनांक 15.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-61 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

40. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-106 दिनांक 15.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-63 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

41. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-107 दिनांक 15.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-64 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-108 दिनांक 15.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-14 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-109 दिनांक 15.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-15 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या-प.4(51)वित्त/कर/2004-110 दिनांक 16.10.2004 जिसके द्वारा हैवी वाटर प्लाण्ट, कोटा को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा बेचे गये माल पर (हैवी वाटर के उत्पादन के अलावा) 4 प्रतिशत से अधिक कर को करमुक्त किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-111 दिनांक 16.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/02-159 दिनांक 29.1.2003 को अतिष्ठित करते हुए रा.रा.प.प.नि. द्वारा क्रय किये गये स्पीड डीजल को कतिपय शर्तों के अधीन कर में छूट प्रदान की गई है।

46. अधिसूचना संख्या-प.4(49)वित्त/कर/97-112 दिनांक 16.10.2004 जिसके द्वारा काली अरण्डी (रतनजोत) को दिनांक 24.9.1999 से 28.3.2001 तक 2 प्रतिशत से अधिक कर पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार छूट दी गई है।

47. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-113 दिनांक 20.10.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-43 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-114 दिनांक 20.10.2004 जिसके द्वारा सभी प्रकार के कागज, कागज उत्पादों (अभ्यास पुस्तिकाओं सहित) को 1 प्रतिशत से अधिक कर को दिनांक

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

13.8.2002 से 12.7.2004 तक विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

49. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-115 दिनांक 20.10.2004 जिसके द्वारा सभी प्रकार के कागज, कागज उत्पादों (अभ्यास पुस्तिकाओं सहित) को 3 प्रतिशत से अधिक कर को विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

50. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-116 दिनांक 20.10.2004 जिसके द्वारा सभी प्रकार के कागज व्यवहारियों को विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

51. अधिसूचना संख्या-प.4(35)वित्त/कर/2004-117 दिनांक 20.10.2004 जिसके द्वारा टैण्ट डीलर्स को इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिन या वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 30 दिन या उनके व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन की अवधि में मुक्त फीस अपनाने व जमा करवाने पर कर में छूट प्रदान की गई है।

52. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-118 दिनांक 28.10.2004 जिसके द्वारा राज्य सरकार और आई.एल. एण्ड एफ.एस. द्वारा जोइन्ट वेन्चर कम्पनी स्थापित करने पर निष्पादित दस्तावेज/विलेख पर देय मुद्रांक कर को करमुक्त किया गया है।

53. अधिसूचना संख्या-प.2(33)वित्त/कर/2004-119 दिनांक 2.11.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित भूमि के निष्पादित दान विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-120 दिनांक 8.11.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-13 दिनांक 9.6.2004 (यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-97 दिनांक 6.8.2004) में संशोधन किया गया है।

55. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-121 दिनांक 8.11.2004 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग को जोधपुर संभाग में "बाजड़गढ़ बोरून्दाघाटी समूह" की सैण्डस्टोन की चैकपोस्ट पर संविदा के आधार पर कर संग्रण करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

56. अधिसूचना संख्या-प.4(61)वित्त/कर/98-122 दिनांक 16.11.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(11)वित्त ग्रुप-IV/87-3 दिनांक 7.5.1992 को अतिष्ठित किया गया है।

57. अधिसूचना संख्या-प.10(13)वित्त/कर/2004-123 दिनांक 18.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थानी फिल्म 'खम्मा-खम्मा वीर तेजा' को यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिये मनोरंजन कर (अतिरिक्त मनोरंजन कर सहित) का शत-प्रतिशत परिहार किया गया है।

58. अधिसूचना संख्या-प.4(38)वित्त/कर/2003-124 दिनांक 18.11.2004 जिसके द्वारा अक्षय पत्र फाउण्डेशन द्वारा निर्धारित प्रपत्र विक्रेता को देने पर उसके मिड-डे-मील के अलावा क्रय किये गये कतिपय सामान पर कर में छूट दी गई है।

59. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 पार्ट-125 दिनांक 25.11.2004 जिसके द्वारा पंजीयन उप जिला बिलाड़ा (जोधपुर) घड़साना (श्रीगंगानगर) सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में पंजीयन कार्य करने के लिये सम्बन्धित तहसीलदार को उप पंजीयक घोषित किया गया है तथा उक्त स्थानों पर पूर्णकालिक उप पंजीयन कार्यालय समाप्त करते हुए इनके स्थान पर नवसृजित पंजीयन उप जिला जोधपुर-तृतीय, बस्सी (जयपुर) एवं उप पंजीयक द्वितीय अजमेर में पदस्थापित पूर्णकालिक उप पंजीयक को पंजीयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

60. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 पार्ट-126 दिनांक 25.11.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(वित्त)कर-अनु/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किया गया है।

61. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97 पार्ट-127 दिनांक 25.11.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 23.2.1998 में संशोधन किया गया है।

62. अधिसूचना संख्या-प.2(23)वित्त/कर/2004-128 दिनांक 25.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स एण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी स्थापित करने के सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेख पर देय मुद्रांक कर की छूट प्रदान की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

63. अधिसूचना प.16/3वित्त/कर/अ3/2004-12 दिनांक 25.11.2004 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर को अधिसूचना में संलग्न सूची अनुसार संविदा के आधार पर संग्रहण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

64. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/2003-130 दिनांक 1.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/2003-104 दिनांक 24.10.2003 में संशोधन किया गया है।

65. अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/97-131 दिनांक 1.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/97-85 दिनांक 7.9.2001 में संशोधन किया गया है।

66. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर/2002 पार्ट-II-132 दिनांक 1.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर-अनु/2002 पार्ट-166 दिनांक 4.2.2003 में संशोधन किया गया है।

67. अधिसूचना संख्या-प.2(4)वित्त/कर/2003-133 दिनांक 2.12.2004 जिसके द्वारा राज्य में 'प्रशासन आपके द्वार' अभियान, 2004 के दौरान आयोजित शिविर स्थल पर दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जिन पंजीयन उप जिलों में पूर्णकालीन उप पंजीयक नियुक्त है, वहां पर पदस्थापित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उक्त अभियान के दौरान शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिये दिनांक 27.11.2004 से 31.12.2004 तक उप पंजीयक घोषित किया गया है।

68. अधिसूचना संख्या-प.10(14)वित्त/कर/97 पार्ट-134 दिनांक 4.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.10(14)वित्त/कर/97 पार्ट-135 दिनांक 18.2.2002 को अतिष्ठित करते हुए संख्या-प.16(3)वित्त/कर-अनु/2004-129 दिनांक 25.11.2004 जिसके माउण्ट आबू के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ते हुए उल्लेखित अवधि के लिए 5 प्रतिशत से अधिक विलासिता कर को करमुक्त किया गया है।

69. अधिसूचना संख्या-प.10(14)वित्त/कर/97 पार्ट-135 दिनांक 4.12.2004 जिसके द्वारा माउण्ट आबू में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी में आफ सीजन रहने के कारण विलासिता कर में 50 प्रतिशत से अधिक दर पर उक्त अवधि के लिए कर मुक्त किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

70. अधिसूचना संख्या-प.4(28)वित्त/कर/2004-136 दिनांक 4.12.2004 जिसके द्वारा पैलेस आन व्हील्स को भूतलक्षी प्रभाव से विलासिता कर में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कर में छूट प्रदान की गई है।

71. अधिसूचना संख्या-प.4(28)वित्त/कर/2004-136 दिनांक 4.12.2004 जिसके द्वारा पैलेस आन व्हील्स को भूतलक्षी प्रभाव से विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार राजस्थान विक्रय कर में छूट प्रदान की गई है।

72. अधिसूचना संख्या-प.4(39)वित्त/कर/96-138 दिनांक 4.12.2004 जिसके द्वारा (ढेंचा दाल सहित जबकि रिफाइण्ड हो या नहीं) को भूतलक्षी प्रभाव से 2 प्रतिशत से अधिक कर को निर्धारित शर्तों के अनुसार राजस्थान विक्रय कर में छूट दी गई है।

73. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर/2003-139 दिनांक 6.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर/2003-94 दिनांक 12.9.2003 में संशोधन किया गया है।

74. अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर/97-140 दिनांक 18.12.2004 जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित पांच जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही व करौली) में राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उठाये गये धान (गेहूं) के विक्रय पर दिनांक 1.10.2004 से विक्रय पर निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

75. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर-अनु/2004-141 दिनांक 27.12.2004 जिसके द्वारा बीकानेर संभाग व जयपुर संभाग (द्वितीय) में कुछ चैक पोस्टों पर उनके सामने अंकित माल पर संविदा के आधार पर संग्रहण किये जाने हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को आदेशित किया गया है।

76. अधिसूचना संख्या-प.9(9)वित्त/कर-अनु/2000-142 दिनांक 7.1.2005 जिसके द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के अधीन उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (सतर्कता) का नया पद सृजित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

77. अधिसूचना संख्या-प.9(9)वित्त/कर-अनु/2000-143 दिनांक 7.1.2005 जिसके द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के अधीन नव सृजित पद उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (सतर्कता) को उनके पदाभिदान से, उनके अपने क्षेत्राधिकार के लिये उपयुक्त अधिनियम के लिये कलक्टर नियुक्त किया गया है।

78. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 पार्ट-144 दिनांक 7.1.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 पार्ट-126 दिनांक 25.11.2004 में संशोधन किया गया है।

79. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर-अनु/98-145 दिनांक 7.1.2005 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के द्वारा आवंटित विक्रीत सम्पत्ति का बिना लीज डीड पंजीयन करवाये पश्चातवर्ती हस्तांतरण के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय इकरारनामों/पावर आफ अटोर्नी/अन्य दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क का परिहार निर्धारित शर्तों के अध्यधीन किया गया है।

80. अधिसूचना संख्या-प.4(43)वित्त/कर-अनु/2002-146 दिनांक 17.1.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(4)वित्त/कर-अनु/2003 पार्ट-58 दिनांक 24.6.2003 में संशोधन किया गया है।

81. अधिसूचना संख्या-प.4(43)वित्त/कर-अनु/2002-147 दिनांक 17.1.2005 जिसके द्वारा भारतीय रेल के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर द्वारा दिनांक 22.3.2002 से 11.7.2004 तक की अवधि में खरीदे गये हाई स्पीड डीजल को कर मुक्त किया गया है।

82. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-148 दिनांक 20.1.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-104 दिनांक 8.10.2004 में संशोधन किया गया है।

83. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-149 दिनांक 20.1.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-13 दिनांक 9.6.2004 (यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर/2004-97 दिनांक 6.8.2004) में संशोधन किया गया है।

84. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-150 दिनांक 29.1.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-32 दिनांक 12.7.2004 में संशोधन किया गया है।

राजस्व विभाग

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी, राजस्व मंत्री पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-प.14(1)राज-6/2002-15 दिनांक 12.8.2004 जिसके द्वारा आदेश क्रमांक-प.5(109)राज-बी/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-प.14(1)राज-6/2002-16 दिनांक 16.9.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.14(1)राज-6/2002-15 दिनांक 12.8.2004 का हिन्दी अनुवाद जारी किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प.6(5)राज/ग्रुप-6/96 पार्ट/46 दिनांक 28.11.2004 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थायी आवंटन नियम, 1963 में संशोधन कया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-प.6(33)राज-4/85 पार्ट/92 दिनांक 18.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या- प.6(33)राज-4/85 दिनांक 6.4.90 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या-प.6(33)राज-4/85 दिनांक 30.1.1991 में संशोधन किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या-प.6(57)राज-6/01/53 दिनांक 27.12.2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.6(11)राज-4/90/2 दिनांक 18.1.1992 में सशोधन किया गया है

श्री अध्यक्ष : गुलाबचन्द कटारिया।

प्रतिवेदन

कुम्हेर जांच का प्रतिवेदन

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3, उप धारा (4) के अन्तर्गत कुम्हेर जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन,

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2004

(2) मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर (राज.) का विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

सांभर साल्ट्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी ।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 एवं

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03

(2)कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप धारा 3(बी) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम बिरला, संसदीय सचिव ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 6)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकार मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार दिनांक 3 फरवरी, 2005 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दिनांक 14 फरवरी, 2005 से 17 फरवरी, 2005 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2005 मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2005 बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 2005	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा एवं सरकार की ओर से उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन में प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधयेक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) विधेयक, (संशोधन) 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह सिंघवी, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्या-10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा श्री कालीचरणजी सर्राफ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं सत्ता पक्ष का इसलिए हूं कि निर्दलीय होते हुए भी मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, इसलिए सत्ता पक्ष का हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरणजी सर्राफ अपना भाषण प्रारम्भ करें उसमें पूर्व में आबंटित समय के बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगी :-

भारतीय जनता पार्टी	9 घण्टे 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	4 घण्टे 24 मिनट
इंडियन नेशनल लोकदल	19 मिनट
जनता दल युनाइटेड	10 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	10 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	5 मिनट
लोकजन शक्ति पार्टी	5 मिनट
राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	5 मिनट
निर्दलीय	1 घण्टा 3 मिनट

इस प्रकार से कुल 16 घण्टे का आवंटन किया गया है। प्रारम्भ करें।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए- ''इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।''

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल द्वारा प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य मंत्री के नेतृत्व में चल रही सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा सदन की प्रथम महिला अध्यक्षजी की अध्यक्षता में अभिभाषण के माध्यम से की गयी, तो ऐसा लगा कि पिछला एक वर्ष हमारे प्रदेश के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है। एक साल मे 4-4 बार चुनाव पहले लोक सभा का चुनाव और फिर विधान सभा के उप-चुनाव...

श्री अध्यक्ष : पहले विधान सभा हुई है, फिर लोक सभा हुई।

श्री कालीचरण सर्राफ : फिर शहरी निकायों के 45 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव और फिर पंचायती राज के चुनाव, जिसके कारण 13 महीनों के शासन काल में 6 महीने प्रदेश में आचार संहिता रही। पर छह महीने आचार संहिता रहने के बाद भी जितना समय सरकार को मिला, उसमें जो उपलिब्धयां हासिल कीं, उनकी जितनी प्रंशसा की जाए उतनी ही कम है।

आज 13 महीने के शासन काल की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो और चाहे शहर में व्यापार करने वाला व्यापारी हो, राज्य कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे राज्य की महिलाएं हों, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहा है। जो काम हमने किया है उसकी तारीफ कर रहा है। सरकार ने हर वर्ग की खुशहाली का ध्यान रखा। हर वर्ग को राहत मिले, इस बात का ध्यान रखा। उसी का यह परिणाम है कि पिछले एक साल में प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमकर, भयंकर गर्मी की तपतपाती धूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस परिवर्तन का अलख जगाया, उसी का यह परिणाम था कि राजस्थान विधान सभा के चुनाव में पहली बार राजस्थान के इतिहास में 120 सीटों के प्रचण्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं, 120 सीटों का प्रचण्ड बहुमत लेकर बनीं। उन्होंने आते ही कोई पांच साल की कार्य योजना नहीं बनाई, उन्होंने सत्ता संभालते ही 100 दिवस की कार्य योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अब वह जमाना गया कि पांच साल की कार्य योजना बनाकर धीरे-धीरे काम किया जाए। काम लगना चाहिए, काम होना चाहिए। प्रदेश की जनता को यह लगना चाहिए कि हमारे इस प्रदेश का विकास हो रहा है। उन्होंने इसलिए आते ही 100 दिवस की कार्य योजना बनाई, उसका सफलतापूर्वक सम्पादन किया। उसके बाद एक साल की कार्य योजना, उसी का परिणाम है कि माननीय वसुन्धराजी के सत्ता में आने के बाद हमारे देश में लोक सभा के चुनाव हुए, लोक सभा के चुनाव में दिल्ली में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ इसकी चर्चा आप लोग

(श्री कालीचरण सर्राफ)

करना, परन्तु राजस्थान में राजस्थान के इतिहास में पहली बार 25 में से 21 सीटों पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं लोक सभा के चुनाव के बाद प्रदेश में तीन बार विधान सभा के उप चुनाव हुए-बहरोड़ का उप चुनाव हुआ, लुणी का उप चुनाव हुआ और मेड़ता का उप चुनाव हुआ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बहरोड़ में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक कभी कमल नहीं खिला था, यह पहला अवसर है, वसुन्धराजी के नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि बहरोड़ में पहली बार, राजस्थान के इतिहास में पहली बार बहरोड़ में कमल का फूल खिला और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीता।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : बाबा चांदनाथ खिले थे, कमल नहीं खिला था।

श्री कालीचरण सर्राफ : अच्छा, विराजिए आप। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।

इतना ही नहीं, माननीय, लूणी जहां केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, राजस्थान के कद्दावर नेता रामसिंहजी विश्नोई वहां से कांग्रेस के विधायक रहा करते थे, मंत्री रहे, बड़े लोकप्रिय भी थे, परन्तु उनके लोकप्रिय होने से क्या है, उनका दल लोकप्रिय नहीं था, उनसे लोगों का तिलीस्म टूट गया था, लूणी में रामसिंह विश्नोई की लोकप्रियता को कैश करने की कोशिश के बाद भी कांग्रेस को वहां शिकस्त खानी पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में वहां तीसरे नम्बर पर रही थी, इस बार भारी बहुमत से जीतकर आई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : सामाजिक न्याय मंच से आदमी उधार लिया था, यह भी कह दो।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप कहते रहिए ?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदया, इसके बाद शहरी निकायों के चुनाव हुए, नगर निगमों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, 45 स्थानीय निकायों के चुनाव, उसमें से 34 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है.. (व्यवधान) आप इसकी चिन्ता मत कीजिए, यह हमारा इंटरनल मामला है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, अब के देखेंगे। लोक सभा में हार गये तो क्या हुआ, विधान सभा के उप चुनाव में हार गये तो क्या हुआ, नगर पालिकाओं में हार गये तो क्या हुआ, इस बार पंचायतों के राज्य चुनाव होने दो, उसमें कीर्तिमान स्थापित करेंगे, क्या हुआ ? अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ उन चुनावों में भी इनका यह मिथक टूट गया कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने गांवों में भी उसी प्रकार से परचम लहराया है (व्यवधान)

(14.00 बजे)

अब आंकड़े भी बता रहा हूं। सन् 2000 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस के 19 जिला प्रमुख थे और भारतीय जनता पार्टी के 10 जिला प्रमुख थे। अब क्या स्थिति हुई ? अब 2005 में कांग्रेस के 19 की जगह 16 और भारतीय जनता पार्टी के 13 जिला प्रमुख बन गये। इतना ही नहीं, प्रधानों के चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया। पिछली बार 2000 के चुनाव में जहां 59 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, इस बार लगभग उससे दो गुने, 124 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने। और कांग्रेस की स्थिति क्या हुई है, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। पिछली बार जहां 2000 के चुनाव में 146, कितने? 146 प्रधान जीते थे, इस बार इनकी दुर्गति हुई, आधे से कुछ ज्यादा यानि, अब केवल 90 प्रधान इनके बन पाये हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी गांवों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है। अब इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी शहरों की भी पार्टी है, गांवों की भी पार्टी है। पंचायत समिति के प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के, जिलों के जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के और नगर पालिकाओं के सभापति और नगर निगमों के महापौर, भी। लोक सभा का चुनाव, विधान सभा का चुनाव, एक साल में जितने चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और कांग्रेस गर्त में डूबती जा रही है। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस की एक साल के इन चुनावों में जो दुर्गति हुई उसके बारे में आत्म चिन्तन करते, प्रायश्चित करते और जनता ने इनकी यह दुर्गति क्यों की, इसकी मीमांसा करते और फिर जो-जो कमियां रही,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

उनको दूर करने का प्रयास करते। इन्होंने वह नहीं किया, इन्होंने बौखलाहट में क्या किया? इनकी केन्द्रीय सरकार, उनके द्वारा मनोनीत महिला राज्यपाल, वह अपना पहला भाषण देने के लिये जब विधान सभा में आयीं तो उनका स्वागत नहीं किया। इन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की, अभिभाषण का बहिष्कार किया। राज्यपालजी ने अनुरोध किया, राज्यपालजी को बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपको जो बात कहनी है, अभिभाषण पर जब चर्चा हो, उस समय कह देना।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल किसी पार्टी का थोड़े ही होता है।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं होता है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। पर इन्होंने उस बात को भी नहीं माना। मैं आपको कहना चाहूंगा, इन्होंने जो कृत्य किया, इससे ज्यादा अशोभनीय कृत्य राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। उसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे विपक्षी दल के नेता भाषण देने के लिये खड़े हों तो कम से कम सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर बिना किसी कारण के उन्होंने जो बहिष्कार करके कु-कृत्य किया, उसके बारे में सदन में माफी मांगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल की धोती यहां खींचकर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया था, ऐसा दुर्व्यवहार हमने नहीं किया। हमने उनका स्वागत किया। लोकतांत्रिक तरीक से बहिर्गमन किया। इनको समझ में नहीं आ रहा है। उस समय शायद सदस्य सदन में नहीं थे। आप इस सदन में रही हुई हैं। इनको पूरा ध्यान होना चाहिए। हमने कोई कु-कृत्य नहीं किया, अपने लोकतांत्रिक दायित्वों का निवर्हन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना बता दें, कि आपने बहिष्कार क्यों किया ? किन मुद्दों को लेकर बहिष्कार किया, आपको मालूम है क्या ? आपको सी.पी. जोशीजी कहते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर बहिष्कार किया, यह बता दें आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा : रावला-घड़साना में जो आपने निर्मम हत्याकाण्ड करवाया उसके विरोध में किया। आप कहां हो ? ....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जब हमारी बारी आयेगी तब बोल देंगे, और आप अभी...(व्यवधान) अकाल में आप काम नहीं करें, बाढ़ में काम नहीं करें..

श्री हरिमोहन शर्मा : रावला-घड़साना में किसानों को मार दिया।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये क्या कह रहे हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : अपने भाषण में कहा न कि क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : आपने महामहिम राज्यपाल का अपमान करने के लिये यह बहिष्कार किया।

श्री अध्यक्ष : सदन में पहली बार ही तो महिला राज्यपाल आयी थीं, यह तो ध्यान रखना चाहिए था।

श्री कालीचरण सर्राफ : थोड़ा-सा सम्मान करना चाहिए था। फिर वे, अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुसरण करने की बात कह रहे हैं। हर चीज में हमारा अनुसरण करेंगे तो सुख पाएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों ही शीर्ष पदों पर आप विराजमान हैं, कुछ बोलना तो हमको पड़ेगा। सब जगह महिलाएं हैं, एक जगह भी पुरूष नहीं तो बोलेगा तो सही पुरूष। कुर्सी पर आप विराजें तीनों, लेकिन बोलने तो हमें भी दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह अकल आप में भी आ जाती।

श्री अध्यक्ष : इतनी कुंठा मत रखिये। कुंठा मत रखिये, सहजता से लीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : कुंठा नहीं है। आप हमारे बोलने के अधिकार को रोक रहे हैं, इसलिये कह रहा हूं। हमारे बोलने के अधिकार को तो सुरक्षित रखें, आप बैठे हैं तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, यह अकल आप में भी आ जाती और आप भी किसी एक महिला को प्रतिपक्ष का नेता बना देते तो चार चांद लग जाते। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अपनी बात पर रहना, आप इस बात पर स्थित रहना, महिला को हटाना मत। यह ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। यह ध्यान रखना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ठीक है, आप महिला को बनाओ।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी के स्वयं के नेतृत्व में बनी सरकार ने....(व्यवधान)

श्री महिपालसिंह यादव : हमने तो इसलिये नहीं बनाया कि महिलाओं की आदत है पु षों को बोलने नहीं देती हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी आदत है कि आप नेता, प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अब महिलाओं के बारे में तो जो सुरेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने कहा था कि मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की महिला मुख्य मंत्री के आगे क्या हालत है, वह तो आपको मालूम है न? वह तो पता है न ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : हमारी जो भी हालत है पर सोनियाजी के सामने जो आपकी हालत है वह हमारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की जनता के सामने आपकी क्या हालत है.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि आप की कैपेसिटी उनके सैण्डिल तक है। आपकी पार्टी के विधायक ने कहा है यह, आपकी मुख्य मंत्रीजी के बारे में, उस पर थोड़ा ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, माननीय सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान) बीच में व्यवधान पैदा न करें। महिपालसिंहजी यादव , आप बीच में व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री महीपालसिंह यादव : "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" उसके आगे सब कुछ हो जाता है नत मस्तक ।

श्री राकेश मेघवाल : फिर प्रतिपक्ष का नेता बना दो किसी महिला को।

श्री अध्यक्ष : इसका ध्यान रखते तब तो आप यह बहिर्गमन करते ही नहीं। यह ख्याल आपको होता तो बहिर्गमन नहीं करते आप।

श्री राकेश मेघवाल : अब तो यह कीर्तिमान स्थापित कर दो, किसी महिला को बना दो प्रतिपक्ष का नेता। यह साबित कर दो आज सदन में। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है। ऐसी अध्यक्ष हैं, एक ही सबको हिला रही हैं, पूरे हिन्दुस्तान को।

श्री अध्यक्ष : तो ममताजी से क्यों एतराज है आपको ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : और इसी वजह से इटली महान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ऐसी त्याग की मूर्ति कोई महिला पूरे हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगी जो प्रधानमंत्री का पद त्याग करके फिर देश का नेतृत्व करे। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : वह राष्ट्रपतिजी नहीं दिलवा रहे थे शपथ, इसी कारण से। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : आपको ममताजी से क्यों डर लगता है ? आज घोषणा कीजिए कि ममताजी को प्रतिपक्ष का नेता बना देगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : स्थानीय महिलाओं से आपको खतरा है। आपको हिन्दुस्तानी महिलाओं से खतरा है। आप कहीं आगे नहीं आने देना चाहते, बाहर से जरूर लाते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अभी आपने कहा, नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता रमण करते हैं, तो नारी को आप सम्मान दीजिए, आपके पास है अभी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस बात को यहीं समाप्त करें, हम श्रीमान कल्लाजी को अर्द्धनारीश्वर स्वरूप में देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी, आपके कहने की तुक तो नहीं बैठी। अब आप व्यवधान नहीं डालें, वैसे माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपके कहने की कोई तुक नहीं बैठी। (व्यवधान) व्यवधान न डालें।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी तो सत्ता को सेवा का माध्यम मानकर, लक्ष्य निर्धारित विकास को मूर्त रुप देने के लिये पहले सौ दिवसीय कार्य योजना का सफलतापूर्वक सम्पादन किया। जो टारगेट हमने फिक्स किये उसमें 90 प्रतिशत सफलता प्राप्त की। और उसके बाद 365 दिवसीय कार्य योजना में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण प्रदेश में वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकारी राजस्व प्राप्ति और खर्चों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने जो विभिन्न उपाय किये, उसके कारण राजस्व घाटे में कमी हुई और उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने राजकोषीय सुधार सुविधा के अन्तर्गत 59 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि राजस्थान को प्रदान की। कर प्रणाली के सरलीकरण एवं अन्य उपायों से राज्य की स्वयं की

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कर राजस्व प्राप्तियों में 19 प्रतिशत की वृद्धि हमारे शासनकाल में हुई है। ऋणों की अदला-बदली कर विशेष ध्यान दिया गया। ब्याज कम देना पड़ा और राजस्व व्यय नियंत्रित हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुशल वित्तीय प्रबन्धन का यह परिणाम है कि इस वर्ष हमारे प्रदेश को ओवरड्राफ्ट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब-जब हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, योजनाओं का आकार बढ़ा और जब-जब कांग्रेस का राज रहा, योजनाओं का आकार घटा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना जब कांग्रेस का राज था उस समय सात हजार करोड़ रुपये की बनी। भाजपा का राज आने के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई और 11998 करोड़ रुपये खर्च हुए। योजना में स्वीकृत राशि से ज्यादा खर्चा हुआ, जब भैरोसिंहजी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : कालीचरणजी, सातवीं योजना तो केवल तीन हजार करोड़ की थी, सात हजार करोड़ की नहीं थीं। मात्र तीन हजार करोड़ की थी।

श्री काचीचरण सर्राफ : हां ठीक है। मैं करैक्ट कर लेता हूं, तीन हजार करोड़ की। शेखावत सरकार के शासनकाल में नवीं पंचवर्षीय योजना बनी 27560 करोड़ रुपये की। प्रथम वर्ष क्योंकि उस समय शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, 3314.52 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई और खर्चा हुआ 3987 करोड़ रुपये का, यानि 3314.52 करोड़ के विरुद्ध 3987 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। पर इसके बाद दुर्भाग्य से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज चला गया और हमारे इन मित्रों का, कांग्रेस का राज आ गया। उसके आने के बाद क्या हश्र हुआ? वार्षिक योजनाओं में लगातार कटौती होती गयी और नवीं पंचवर्षीय योजना जो शेखावत सरकार में 27560 करोड़ रुपये की बनी थी वह 15448 करोड़ रुपये की रह गयी। विकास की गति अवरूद्ध हो गयी। अब योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना, यह जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है वह 31831.75 करोड़ रुपये की निर्धारित की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माथुर साहब का तो दोष नहीं है पर, कल्ला साहब, आपका तो दोष है। यह 15000 करोड़ पर जो सिमटी है न, आपको इतिहास माफ करेगा नहीं इसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : फिजिकल टारगेट्स बता दें कि आपने क्या फिजिकल टारगेट्स प्राप्त किये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और इस साल की योजना का क्या हश्र हो रहा है। इस साल की योजना में 300 करोड़ रुपये की कटौती है, आप क्या बात करते हो ? आप बैठे हो न सरकार में। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला यहां पर ही नहीं रुका। इनकी सरकार बनने के बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना 31831.75 करोड़ रुपये की निर्धारित की गयी, 2002-03 में कांग्रेस का राज था, आपने योजना का आकार बनाया 5107 करोड़ का और वास्तविक व्यय हुआ 4431 करोड़। कितना कम हुआ ? 700 करोड़ रुपये। 2003-2004 वार्षिक योजना का आकार था 4258 करोड़ रुपये और नवम्बर, 2003 तक खर्चा किया केवल 2266.54 करोड़ रुपये।

अध्यक्ष महोदय, वक्त ने करवट ली। आप उधर और हम इधर आये। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आते ही सबसे पहले यह विचार किया कि यदि इसी प्रकार योजना के आकार में कमी होती गयी, संसाधन नहीं जुटाये गये तो दसवीं पंचवर्षीय योजना का हश्र भी नवीं पंचवर्षीय योजना के जैसा ही होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अतिरिक्त संसाधन जुटाये और 2003-2004 की जो वार्षिक योजना का आकार 4258 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 5504.52 करोड़ निर्धारित किया। इतना ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी के कुशल वितीय प्रबन्धन से जहां 5504.52 करोड़ की योजना थी उसमें खर्चा हुआ 6044.38 करोड़। कल्ला साहब, सुन रहे हैं न आप ? 2004-2005 की जो योजना हमने बनायी है वह है 6922.50 करोड़ रुपये की और 2005-2006 की वार्षिक योजना 8350 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गयी है। चालीस साल तक आपका राज रहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक, कुला मिलाकर जितना योग था आपकी सब योजनाओं का, उससे भी ज्यादा 8350 करोड़ रुपये, यह हमने केवल एक साल की स्वीकृति करवायी है। इसके लिए आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1998 में जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो हमारे कांग्रेसी मित्रों ने विधान सभा के चुनावों में लोगों को कहा, नौजवान युवकों को कहा कि शेखावत सरकार ने राज्य कर्मचारियों की

(श्री कालीचरण सर्राफ)

सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से 60 साल कर दी है, आपके रोजगार के अवसर इससे समाप्त हो गये हैं। कांग्रेस का राज लाइये और हम सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल से 58 साल करेंगे और उनसे जो पद रिक्त होंगे उन पर आप बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। बेराजगार नौजवान झांसे में आ गये, प्रचण्ड बहुमत के साथ इनका राज बन गया। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से 58 साल कर दी। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों से और विपक्षी दल के नेता से कि पांच साल तक आप लोगों का, कांग्रेस का राज रहा राजस्थान में, एक भी बेरोजगार नौजवान को आप रोजगार नहीं दे पाये। बेरोजगार नौजवान अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर सत्ता के गलियारों की ओर टुकुर-टुकुर देखता रहा परन्तु किसी एक नौजवान को भी आप लोग रोजगार देने में सफल नहीं हुए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अपने पहले बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। (व्यवधान) 41 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 26500 आंगनबाड़ी सहयोगिनियों की नियुक्ति की जाएगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक भी नहीं हुई ।

श्री कालीचरण सर्राफ : उद्योगों में अवसर पैदा किये जायेंगे और 72 हजार लोगों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार दिये जायेंगे। जब माननीय वसुन्धराजी ने घोषणा की उस समय हमारे प्रद्युम्न सिंहजी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात की मजाक उड़ायी। उन्होंने कहा कि हम भी एक भी नौकरी नहीं दे पाये, आप भी नहीं दे पाओगे। तो हमने उस समय कहा कि आपकी नीयत सही नहीं थी, आपकी नीयत में खोट थी। आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं थी पर हमारी सरकार, वसुन्धराजी और हमारे मंत्रिमण्डल को दृढ़ इच्छाशक्ति है। हमारी नीयत में खोट नहीं है। हमने उस समय कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति निश्चित रूप से से होगी, सहयोगिनियों की नियुक्ति निश्चित रूप से होगी। आपको यह, जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए और प्रसन्नता होगी कि कोर्ट की सारी बाधाएं दूर हो गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील उन्होंने की, वह भी रिजैक्ट हो गयी है। लोक सेवा आयोग ने सूची जारी कर दी है। एक सप्ताह के अन्दर 41 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा और 26,500 सहयोगिनियों की नियुक्ति हो गयी है। यह गर्दन और हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नियुक्ति नहीं हुई, चयन हुआ है।

श्री कालीचरण सर्राफ : चयन हो गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, चयन हो गया, नियुक्ति नहीं हुई हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपके राज में तो चयन भी नहीं हुआ था।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी सरकार खुद कह रही है कि चयन हुआ है, नियुक्ति नहीं हुई। आप नियुक्ति बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : 20083 की हो चुकी है अभी तक।

एक माननीय सदस्य : चयन हो गया, इसका मतलब अब नियुक्ति होगी।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 20,000 सहयोगिनियों की नियुक्ति हो चुकी है।

श्री राकेश मेघवाल : सर, आप आंगनबाड़ी केन्द्र में गये नहीं इसलिये आपको पता नहीं है कि नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, आप अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र चैक कीजिये, आप अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर देखिये, नियुक्तियां कितनी हो गयीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज में एक साथ 41,000 शिक्षकों और 26,000 सहयोगिनियों, यानि 70 हजार नियुक्ति एक साथ, एक साल में और एक समय में पहली बार होंगी। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, उतना कम होगा।

अब शिक्षा के क्षेत्र का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के राज में शिक्षा जगत में जिस तरीके का अराजकता का वातावरण इन्होंने बनाया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं आपने खोलीं, आठवीं क्लास, दसवीं क्लास पास व्यक्ति को आपने वहां लगा दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ग्रामीण जनता के साथ, ग्रामीण बच्चों के साथ इस प्रकार घिनौना मजाक क्यों किया ? शहर में रहने वाला बच्चा पब्लिक स्कूल

(श्री कालीचरण सर्राफ)

के क्वालिफाइड अध्यापकों से पढ़े और गांव में रहने वाला व्यक्ति अनक्वालिफाइड आठवीं और दसवीं पास व्यक्ति से पढ़े, इस प्रकार का भेदभाव इसी का परिणाम है कि आपकी यह दुर्गति हुई और आप उधर और हम इधर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज बना और हमने कहा कि शिक्षा में इस प्रकार का भेदवाव नहीं होना चाहिये। चाहे बच्चा गांव में रहता हो और चाहे शहर में रहता हो, हर बच्चे को वह अधिकार है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। क्वालिफाइड अध्यापकों से उसको शिक्षा मिले और वह इस प्रदेश का सुयोग्य नागरिक बने। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक एक किलोमीटर की परिधि पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। पहली कक्षा से अंग्रेजी की शुरूआत की जाएगी। कक्षा एक से बारह तक सभी वर्गों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष एक करोड़ 20 लाख बच्चों को 60 करोड़ रुपये की पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क वितरित भारतीय जनता पार्टी के राज में की गयी हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप अपना आंकड़ा करैक्ट कर लें, 60 करोड़ है।

श्री कालीचरण सर्राफ : 60 करोड़ ही बोल रहा हूं। घनश्यामजी मेरे को करैक्ट करेंगे, लगभग 13 हजार विद्यालय या तो नये खोले गये हैं या क्रमोन्नत किये गये हैं। एक साल में 13 हजार मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में इतने ज्यादा विद्यालय कभी भी नहीं खोले गये और क्रमोन्नत नहीं किये गये। इतना ही नहीं... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 12,688 करेक्ट कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, यह 13 हजार के लगभग हो गया न। इतना ही नहीं 4,783 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है। 889 विद्यालयों मे भवनों का निर्माण किया गया है। पेयजल की व्यवस्था के लिये 2,441 विद्यालयों मे हैण्डपम्प की व्यवस्था की गयी है और 5,949 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया है। यह योजना बजट की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा में 77 प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा में 412 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

मानतीय अध्यक्ष महोदय, अब यदि हम बिजली के क्षेत्र की बात करें, उपलब्धियों की बात करें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं जहां पर चार घण्टे से ज्यादा कभी बिजली की आप लोगों ने आपूर्ति की हो। भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद हम फ़ख्र के साथ यह कह सकते हैं, गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं कि जहां सात घण्टे से कम बिजली की आपूर्ति हुई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में जब ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो एक-एक महीने में बदले नहीं जाते थे, ठीक नहीं होते थे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अब तो जलने से पहले दूसरा रख देते हैं वहां कि यह जलेगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : इसलिये आपकी यह दुर्गति हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब तो जलने वालों को यहां बिठा रखा है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो सिरोही जिले में आपका पूरा सफाया करे आया हूं, आप चिन्ता मत करो।

श्री कालीचरण सर्राफ : मान लो, कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर जल्दी बदल भी दिया जाता था तो अन्दर यदि रिश्वत के पैसे पहुंच जाते तो ही बदला जाता था, ऐसे नहीं बदला जाता था। परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने अपने कार्यालय में एक मानिटरिंग सैल खोला है और यह निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा।

श्री जुबेर खान : अभी 10-10 दिन में नहीं बदल रहे। आप मालूम करा लीजिये अलवर जिल में, 10-10 दिन से पैण्डिंग पड़े हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बोल लेना बाद में। ट्रांसफार्मर के कारण कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, नोट कर लीजिये, जुबेर खानजी, कि इस रबी सीजन में अक्टूबर 2004 से जनवरी, 2005 तक कुल 17,216 ट्रांसफार्मर या तो जले या खराब हुए उनमें से 16,968 ट्रांसफार्मर 72 घण्टे के अन्दर-अन्दर बदल दिये गये, यानि 98.56 प्रतिशत की उपलब्धि।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जितने ट्रांसफार्मर खराब हुए उनमें से 98.56 प्रतिशत ट्रांसफार्मर समय रहते बदल दिये गये और आप कह रहे हो कि हमारे रामगढ़ में खराब पड़े हैं। एकाध पड़ा होगा इस आंकड़े की तरफ ध्यान दीजिये।

श्री जुबेर खान : ये आंकड़े सच्चाई से परे हैं, तथ्यों से परे हैं, आप क्षेत्र में पता करा लीजिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : क्षेत्र में पता लगाया है इसलिये लोक सभा में जीते 25 में से 21, फिर नगर पालिकाओं में जीते 45 में से 34, फिर पंचायतों में जीते, उप चुनाव जीते, उसके बाद भी क्षेत्र में पता लगाना बाकी रह गया क्या? अब बाकी, गुणा, भाग आप करते रहिये, जनता ने फैसला दे दिया। जनता ने बता दिया कि आपने अच्छा काम किया है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : और फिर भी शिकायत हो तो मिल लेना ।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति सितम्बर, 2004 से लागू की, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1.73 हजार आवेदकों को आगामी तीन वर्षों में कृषि कनेक्शन दे दिये जाएंगे। इस बार 40 हजार का लक्ष्य है और मेरे ख्याल से 30 हजार के ऊपर लोगों को हमने कनेक्शन दे दिये हैं।

श्री जुबेर खान : कालीचरणजी, आप तो इतना बता दीजिये कि डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा होने के कितने महीने बाद आप कनेक्शन दे रहे हैं। नौ-नौ महीने पहले लोगों ने डिमाण्ड नोटिस जमा कराये हुए हैं, नौ-नौ महीने से, और आप उनको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : सितम्बर तक के सारे दे दिये गये हैं। आपके समय मे तो 5-5, 7-7, 8-8 साल की प्रायोरिटी लिस्ट थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो रही है, अच्छी हो रही है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद 900 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन खर्च हो रही है, खपत हो रही है। इस एक साल में बिजली को लेकर के कहीं पर भी कोई बड़ा आन्दोलन नहीं हुआ है। कोई छिटपुट आन्दोलन एक-दो जगह हुआ हो तो हुआ हो। कांग्रेस के राज में हरदम आन्दोलन होते रहते थे, कहीं पर रास्ता जाम, कहीं पर धरना प्रदर्शन।

श्री जुबेर खान : जब आन्दोलन करने वाले आप राज में आ गये तो कौन करेगा आन्दोलन ?

श्री कालीचरण सर्राफ : आप संभालिये इस मोर्चे को। आप न राज के लायक हो और न विपक्ष के लायक हो। अब सड़कों की स्थिति को देखिये।

श्री राकेश मेघवाल : यह जुबेर खानजी तो जब विपक्ष होता है न जब ही आते हैं सदन में, नहीं तो आते ही नहीं हैं। सत्तापक्ष में कभी रहते ही नहीं हैं।

श्री जुबेर खान : इसलिए सब मिल कर मुझे धन्यवाद दो।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, अब सड़कों की स्थिति देखिये। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पिछली सरकार ने तीन वर्ष में 3936 किलोमीटर डामर की सड़कों को निर्माण किया, आप नोट कर लीजिए, और तीन साल में केवल 918 गांवों को सड़कों से जोड़ा। हमने हमारी सरकार आने के बाद एक साल में 5085 किलोमीटर डामर की सड़क का निर्माण किया और 1631 गांवों को सड़कों से जोड़ा। इसमे तो टेबल थपथपा दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए। इतना ही नहीं 19 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से प्रधान मंत्री सड़क योजना के आवंटन को अनुपूरक करने का समझौता किया गया, 658 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने के लिए 307 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। इस वर्ष 81.13 करोड़ का खर्चा कर 1350 किलोमीटर लम्बाई की स्टेट हाइवे और मुख्य जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण किया गया। आपके राज में नहीं हुआ। इस वर्ष 172.85 करोड़ रुपये खर्च कर 1740 किलोमीटर मिसिंग डामर की सड़कों का निर्माण किया गया, 990 किलोमीटर लम्बाई के पांच स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में क्रमोन्नत किया गया। इस वर्ष 2216 किलोमीटर राज्य सड़कों को नये स्टेट हाइवे व मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया गया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो नयी सड़क बनायी जाएंगी, उनका रखरखाव पांच साल तक जिस ठेकेदार ने उन सड़कों को बनाया है वह ठेकेदार करेगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो नवीनीकृत सड़कें हैं उनका दो वर्ष तक ठेकेदार रख-रखाव करेगा और क्रमोन्नत सड़कों का तीन वर्षों तक रख-रखाव करेगा।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कांग्रेस के मित्र जब भी कोई भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहला आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फिरका-फरस्तों की पार्टी है, भारतीय जतना पार्टी का राज आ गया तो अल्संख्यकों के साथ क्या पता क्या हो जाएगा। उनके दिमाग में असुरक्षा की भावना पैदा कर केवल वोट लेने की रणनीति बनाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, एक साल में जिस प्रकार का साम्प्रदायिक सौहार्द राजस्थान के हिन्दू और मुसलमान ने मिल कर रखा है, ऐसा राजस्थान के इतिहास मे कभी नहीं रहा। कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई। कहीं पर कोई छोटा-मोटा तनाव हुआ... (व्यवधान) आप देखो, कितना इनके पेट में मरोड़ा आया। 'माई हिन्दुस्तान' सम्मेलन हुआ, राष्ट्रवादी मुसलमान कहते थे कि हम यह सम्मेलन करेंगे पर इनके पेट में दर्द हो रहा था, कहते हैं कि नहीं, नहीं करने देंगे सम्मेलन, अपनी बात नहीं कहने देंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर था कि दीवाली और ईद एक साथ आये। माननीय मुख्य मंत्री महोदया, आपके सुयोग्य नेतृत्व में दीवाली और ईद एक साथ आये। हमारे जयपुर में बड़ी आशंका थी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक बंधु वहीं पर रहते हैं, माहिर आजादजी का मकान भी वहीं हैं, बराबर फोन आ रहे थे कि दीवाली और ईद एक साथ है...

श्री महीपालसिंह यादव : आप पर दया नहीं आ रही मुख्य मंत्रीजी को अभी।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप उसकी चिंता मत करो। चिन्ता बिलकुल मत करिये।

दीवाली और ईद एक साथ आने के बाद इतनी आशंकाएं थीं, पर आप आश्चर्य करेंगे, इतना मिल-जुलकर, इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुस्लिम भाईयों ने ईद मनायी और हिन्दू भाईयों ने उनका सहयोग किया और जब हिन्दू भाईयों ने दीवाली मनायी तब मुस्लिम भाइयों ने उनका सहयोग किया। यह मिसाल है। ... (व्यवधान)... अपने राजस्थान की बात करें तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य कर्मचारियों का सवाल है... (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल : वह भी बी.जे.पी. के राज में आया, कांग्रेस के राज में नहीं आया, 786।

श्री कालीचरण सर्राफ : जहां तक राज्य कर्मचारियों का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने राज में राज्य कर्मचारियो को कुचला। राजस्थान के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों का बोनस समाप्त कर दिया, 64 दिन तक अपनी जायज मांगों पर उन्होंने हड़ताल की तो उसको कुचल दिया। 25 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गयी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को उन्होंने आने के बाद राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को ढंग से समझा और जो बोनस राजस्थान में कांग्रेस के राज में कर्मचारियों का समाप्त कर दिया गया था उसको पुन: प्रारम्भ किया और जो सेवानिवृत्ति की आयु आप लोगों ने 60 साल से 58 साल करने की गलती की थी उसको दुरस्त करके पुन: 58 साल से 60 साल सेवानिवृत्ति की आयु को कर दिया।

जहां तक पेयजल का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जितना महत्वूपर्ण काम पेयजल के मामले में राज्य सरकार ने किया, वह अपने आप मे एक कीर्तिमान है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को आपातकालीन कार्यो के लिए सामग्री क्रय हेतु 835 लाख रुपये सभी 32 जिलों हेतु स्वीकृत किये गये। राज्य में हैण्डपम्प मरम्मत अभियान एवं पेयजल योजनाओं के संधारण का कार्य तथा परिकल्पित हैण्डपम्पों को हटाने के लिए अनुबंधित श्रमिक 2690 की स्वीकृति प्रदान की गयी। वाहन किराये पर रख कर कुल 149932 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गयी। आपदा स्थिति में कार्य करवाने हेतु सभी जिला कलक्टर को दस लाख रुपये प्रति जिला अधिकृत किया गया। माननीय विधायकों एवं स्थानीय अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क रखने हेतु प्रोएक्टिव सैल का गठन, प्रतिदिन समाचार पत्रो में प्रकाशित समस्याओं, शिकायतों पर दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही जिले के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरों, गांवों में सूचना प्राप्त की जा रही है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म-2004 कॉण्टन्जेंसी प्लान के लिए 93.5 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए

(श्री कालीचरण सर्राफ)

38.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। 60 कस्बों एवं 10062 ग्रामीण बस्तियों में टैंकरों द्वारा जल परिवहन कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम के तहत 1.3.2003 से करीब 9261 नये हैण्डपम्प स्थापित किये गये और 814 नलकूपों का निर्माण किया गया। शहरी क्षेत्रों में 1212 हैण्डपम्प और 294 नलकूपों का निर्माण।

यह सारी बातें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक साल में हमने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की वह चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे योजना के आकार का सवाल हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में समुचित वातावरण बनाये जाने की बात हो, चाहे पेयजल का सवाल हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल हो। यदि मैं यह कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में इस एक साल के कार्य का लेखा जोखा किया जाए और यदि इसको सफलतम सरकार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(14.39 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अन्त में, मैं कहना चहूंगा कि हमारी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है और हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, प्रदेश की जनता ने पहले लोक सभा चुनावों में फिर विधान सभा उप चुनावों में, फिर नगर पालिका के चुनावों में, फिर पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला देकर हमारी उपलब्धियों को सराहा है, हमारी उपलब्धियों को शाबासी दी है, हमें शाबासी दी है। प्रदेश की जनता की हमारी सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार का सकारात्मक सोच और सरकार की रचनात्मक कार्य प्रणाली ने जनता को निश्चित ही प्रभावित किया है। हम यूं तो नहीं कहते कि एक वर्ष में हमने सब कुछ कर दिया, इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस पथ की ओर हम अग्रसर है यह निश्चित ही प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा, प्रदेश का समग्र विकास होगा, प्रदेश खुशहाल होगा, गरीबी मिटेगी, अंधियारा छंटेगा और उजाला होगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै कालीचरणजी द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, करीब तेरह महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रान्त में आया और हमने देखा, हमारी मुख्यमंत्री महोदया जब विपक्ष में थीं उस समय कांग्रेस के शासन में सारे राजस्थान में हा-हाकार मचा हुआ था। चाहे वह विद्यार्थियों पर अत्याचार हो, चाहे काश्तकारों पर अत्याचार हो, गोलीबारी हो उस सबको मद्दे नजर रखते हुए हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने शासन को पलटने के लिए एक परिवर्तन यात्रा का दौर प्रारम्भ किया। जिस घर से वह आई हैं, उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 27 अप्रैल से 10 अगस्त, 2003 तक कंटीन्युअस बीस हजार किलोमीटर से ज्यादा उस तपतपामी गरमी में, उस लू में, उन झंझावतों मे आज तक इस हिन्दुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो इतने कम समय में इतनी यात्रा करके गरीबों की सुध ले। हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने...

मोहम्मद माहिद आजाद : यह हमारी मुख्य मंत्री कहकर क्या बांटना चाहते हैं मुख्य मंत्री को? मेरी समझ में नहीं आ रही बात।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या एतराज है इसमें भी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारी में दोनों आते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी मुख्य मंत्री बोलो आप। यह हमारी तुम्हारी... (व्यवधान) माई हिन्दुस्तान, योअर हिन्दुस्तान, हम कहते हैं आवर हिन्दुस्तान।

श्री महावीरप्रसाद जैन : हममें आप भी हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपनी मानसिकता को थोड़ा बड़ा रखो, बड़ा। (व्यवधान) खाली बड़ा होने से काम नहीं चलता है, मानसिकता बड़ी रखो, सोच बड़ा रखो। माई हिन्दुस्तान....(व्यवधान) हम कहते हैं आवर हिन्दुस्तान। माई चीफ मिनिस्टर, आवर चीफ मिनिस्टर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने मेरी थोड़े ही कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम क्यों नहीं कहते ? हम क्यों नहीं कहते इसको ? (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : आप नहीं मानते क्या हमको अपना ? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे मित्र इतने संगदिल हो गये हैं। हमारी का मतलब इस राजस्थान की जनता की, कांग्रेस की और बी.जे.पी. की सबकी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बोलें आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैने हमारी कहा है। (व्यवधान) मैने हमारी कहा है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने चारों और घूम-घूम कर इस राजस्थान में अलख जगाई, उस अलख का परिणाम हुआ।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हमारी सदन की, यह इनकी मंशा है। उसमें आप भी शामिल हैं, यही मंशा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : सदन की तो नेता हैं पर मुख्य मंत्री तो सारे राजस्थान की हैं।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो कहते हैं हमारी मुख्य मंत्री और बाहर क्या कहते हैं, यह हम बताना नहीं चाहते हैं आपको (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उस चिलचिलाती धूप में निरन्तर संघर्ष करते हुए एक आयाम स्थापित किया, राजस्थान की जतना को जाग्रत किया और जो पहले कभी नहीं हुआ वह करके दिखाया अपने बलबूते पर। भारतीय जनता पार्टी का शासन इस राजस्थान में पहली बार अकेले अपने दम पर आया, 120 सीटों का प्रचण्ड बहुमत फस्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हुए। सौ में साठ नम्बर आते हैं वह फर्स्ट क्लास कहलाता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 156 ज्यादा होते हैं या 120 ?

श्री शांतिलाल चपलोत : 156 ज्यादा हुआ तो वह वापस 56 हो गये। (व्यवधान)

(श्री शांतिलाल चपलोत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज गर्व है कि हमारी विधान सभा की अध्यक्षा पहली बार महिला बनकर आयी और राजस्थान में गवर्नर बनकर भी पहली बार महिला पधारी। हमारे शास्त्रकारों ने कहा हैं 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अब कांग्रेस के भाई भले ही नारी का सम्मान नहीं करें, हम तो नारी का सम्मान करते हैं। हमने दुर्गा के रुप में हमारी मुख्य मंत्रीजी को पाया, सरस्वती के रुप में हमारी अध्यक्ष महोदया को पाया और लक्ष्मी के रुप में हमारी गवर्नर को पाया। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों बनकर एक ही रुप में राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं आज। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन 1990 में आया तब तक और 1990 से 1998 तक कुल मिलाकर 23,500 करोड़ रुपए का ही कर्ज था, हमारे कांग्रेस के भाई, जिन्होंने सन् 1998 में चुनाव के दौरान एक बड़ा जोरदार घोषणा पत्र निकाला, वह घोषणा पत्र भी मेरे पास है.. (व्यवधान) आपके पास तो होगा ही। उसमें इन्होंने बड़े लम्बे-चौड़े वादे किये और कहा कि भैरोसिंहजी की सरकार ने हमको बर्बाद कर दिया है, हमको कर्जदार बना दिया है और आपने क्या किया? आठ साल में हमने तेरह-चौदह हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा नहीं लिया, सौलह हजार करोड़ तक का कर्जा हुआ होगा, इसके पश्चात आपने जो पांच वर्ष शासन किया उसमें 59 हजार करोड़ से ज्यादा इस राजस्थान पर भार हो गया। प्रतिदिन तेरह करोड़ का ब्याज राजस्थान को चुकाना पड़ा। हमने राजस्थान में इतनी परिसम्पत्तियां उन आठ वर्षों में बनाई थीं, इन्होंने क्या बनाया? कियोस्क, कियोस्क की परिसम्पत्तियां। गांव के पास दो किलोमीटर दूर जाकर दुकानें बनाईं, 700-800 करोड़ रुपया उसमें फूंका गया। एक व्यक्ति आज तक उस दुकान को नहीं चला रहा है। गरीब आदमी का आप कहो, जाओ, शहर से दूर आपको दुकान देता हूं। क्या एक मोची की दुकान वहां चल सकती हैं? एक चाय वाले की दुकान चल सकती है? और किसी की दुकान चल सकती हैं? नहीं चल सकती। पैसे का दुरुपयोग हुआ। अशोकजी गहलोत जो आज इस सदन में नहीं है। मुख्य मंत्रीजी के नाते उन्होंने यह तय कर लिया था, हमारे इस दे[illegible] में [illegible]ीस सौ साल पहले चार्वाक हुए हैं, उन्होंने यह कहा-"यावत् जावेत् सुखम् [illegible]वेत्, ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत। भस्मी भूतस्य देहस्य

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पुनरागमन कुत:"। जब तक जियो सुख से जीयो और कर्जा करके घी पीओ। यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है, यह भस्मी भूत होने वाला है, यह नष्ट होने वाला है। खाओ, पीओ, मौज करो। दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया, सिसोदिया गार्डन में बड़ा भारी मेला लगवाया, एक रुपये का निवेश इस राजस्थान में नहीं करवा पाये। लक्ष्मी मित्तल भी आये थे, मैं भी उनसे लंदन में मिला था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारे लिये एटमोसफियर नहीं है अच्छा। वह यहां आये, लक्ष्मी मित्तल भी आये, पर एक निवेश उनसे नहीं करवा सके जो आज इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टील किंग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान को पांच सालों में पीछे धकेल दिया गया। मैं माननीय वसुन्धराजी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होने कुशल नेतृत्व करके, कुशल प्रबन्धन करके राजस्थान की कायाकल्प करने का एक संकल्प किया है। 2003-2004 की जो योजना कांग्रेस शासन में बनी थी, उसका क्या हश्र हुआ ? 4200 करोड़ की योजना, खर्चा उसमें हुआ नहीं। हमने शासन में आने के पश्चात् उसको संशोधित करवाया, संशोधित करवा कर उसका आकार बढ़वाया और पांच हजार करोड़ से ज्यादा व्यय उस वर्ष में किया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि हमने इस साल, अर्थात् जो चल रहा है करंट ईयर, उसकी योजना योजना आयोग को भेजी 7031.44 करोड़ की, हमारी रीति-नीति से खुश होकर योजना आयोग ने हमारी बातों को मानकर उसका आकार 81.72 करोड़ रुपये बढ़ाया और 7113.60 करोड़ की उसकी मंजूरी दी। मुझे बहुत प्रसन्नता है, अगले ही वर्ष की योजना में कितना आकार हमने बढ़वाया कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो राशि आज बढ़ायी जा रही है वह इतनी अधिक है कि कांग्रेस के 2003-2004 के वर्ष में जो खर्च किया उसका दुगुना रूप इस वर्ष की योजना का हुआ। 8100 करोड़ के ऊपर की योजना भेजी गयी है, तैयार की गयी है, यानि बिलकुल डबल। अब ये किस बात से मुकाबला करना चाहते हैं ? क्या कहना चाहते हैं? क्या दलीलें देना चाहते है? क्या वित्तीय प्रबन्धन की बात करते है। हमने अच्छे वित्तीय प्रबन्धन से डैट को साफ करने के लिये कम ब्याज का पैसा लेकर जो हमारे पर जयादा ब्याज का पैसा था उस ब्याज को हमने समायोजित करवाया और उसमें पैसा दिया। उससे कम से कम भी राजस्थान को तीन सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत हो रही है। यह हमने करके दिखाया। यही नहीं,

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हमने राजस्थान में पैसा ठीक ढंग से मिले उसके लिये केन्द्र सरकार के सामने पक्ष रखा। केन्द्र सरकार ने 5900 करोड़ रुपये हमें इसी बात के लिये दिये कि आपका वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना का हमने 7853.47 करोड़ रुपये का अनुमान किया था, उसके अगेंस्ट में केन्द्र सराकर ने यह माना कि आपका अच्छा वित्तीय प्रबन्धन है इसलिये 8350 करोड़ रुपये का आकार हमने अनुमोदित किया है। मैं आंकड़े देकर कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001-2002 में 5031 करोड़ की योजना थी, स्वीकृति इतने रुपये की थी। संशोधित आकार योजना आयोग द्वारा जो स्वीकृत थी, वह 4642.35 करोड़ रुपये था, किन्तु वास्तविक व्यय 2001 में जैसा कि मैंने कहा, जो हम योजना बना रहे हैं उसका आधा भी नहीं लिया, वास्तविक व्यय हुआ 4219 करोड़ रुपये। 2002-2003 में 5160 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार हुई और संशोधित आकार में 4370.78 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और वास्तविक व्यय क्या हुआ ? 4431.07 करोड़ । 2003-2004 में 4258 करोड़ की योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हुई। आपका वित्तीय प्रबन्धन, आपकी लचर दलीलें केन्द्र सरकार के सामने नहीं चल पायीं और केन्द्र सरकार के सामने आपको योजना आयोग ने स्वीकृति दी 4258 करोड़ की, संशोधित आकार की आयोग द्वारा स्वीकृति हुई 5504 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय उससे बहुत कम हुआ। 2004-2005 में 6797.50 करोड़ की योजना स्वीकार हुई और 6922.50 रुपये की आयोग द्वारा स्वीकृति दी गयी संशोधित में। उसके पश्चात् अभी दिसम्बर तक हम बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्च कर चुके हैं। अगले वर्ष की योजना के लिये 8350 करोड़ रुपया जो 2001 की योजना का पूरा डबल है, उसको हमने करने का किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा राजस्थान सराकर की खूबी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा काम राजस्थान सरकार का क्या हो सकता है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने कुल मिलाकर 13-14000 प्राइमरी स्कूल इस साल खोले हैं। कितने ज्यादा स्कूल खोले हैं। ढाई, साढ़े तीन हजार स्कूल के आस-पास उच्च प्राथमिक शालाएं खोली हैं। प्राइमरी का कोई ठिका ही नहीं है, राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक शालाओं में बदला गया। कितने तौर तरीके से उन्होंने इस काम को किया

(श्री शांतिलाल चपलोत)

है। इसके साथ चार सौ सैकण्डरी स्कूल, 207 हायर सैकण्डरी स्कूल, तीन कालेज- एक अलवर में थानागाजी में, एक कालेज खैरवाड़ा में, ऐसे तीन कालेज हैं (व्यवधान) कोई पार्शलिटी का सवाल नहीं है.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 237 कालेजों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया है। कालेज खोलने के लिए कहा है, खोलो, शिक्षा को बढ़ाओ। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है कि जो पिता और जो राज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, उस बच्चे की कोई इज्जत नहीं करता है। शास्त्रकारों ने कहा है, बहुत ही अच्छा श्लोक शास्त्रकारों ने इसके बारे में कहा है, मैं इसका उद्धृत करना चाहता हूं,

"माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता,

न शोभते सभाः मध्य हंस बको यथाः।"

जो माता-पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु हैं जिसके कारण वे सभा के बीच में ऐसे शोभा नहीं पाते जैसे हंस के बीच बगुला नहीं पाता। आज इस बात को जानकर ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इतने अधिक स्कूल खोले। यही नहीं किया, पहली से आठवीं तक एक करोड़ तीन हजार बालक-बालिकाओं को निःशुल्क किताबें दीं। ऐसा कभी हुआ? किसी राज में नहीं हुआ। करीब-करीब 13 लाख बच्चे जो आठवीं से ऊपर 12वीं तक के हैं, बच्चे और बच्चियां, उनको भी निःशुल्क उपलबध किताबें उपलब्ध करायीं। एक करोड़ और प्रन्दह लाख के आसपास बच्चे-बच्चियां को किताबें मुफ्त दीं। इससे बड़ा काम इस देश में कभी नहीं हो सकता है। राजस्थान आज की तारीख में शिक्षा के इन प्रयत्नों से छलांग लगा रहा है और राजस्थान को प्रथम श्रेणी के राज्यों में इस प्रकार के कामों से गिना जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर में स्कूल, एक किलोमीटर कितना होता है? उसमें कोई बच्चा बिना अक्षर पढ़े नहीं रहे, बिना शिक्षा के नहीं रहे। इसलिए एक-एक किलोमीटर में स्कूल खोले जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 38 हजार अध्यापकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। 10 प्रतिशत परित्यकता, विधवाएं, माताएं उनको सराकर ने लेने का संकल्प किया है। क्या कभी किसी गरीब की, किसी विधवा की आह आपको सुनाई दी? कांग्रेस यह बताने की कोशिश करे कि कभी उन्होंने भी इस प्रकार का सोचा है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

परित्यकता और विधवाएं अपना जीवन-यापन करनें में बड़ी कठिनाई का अनुभव करती हैं, क्या आपने कभी उनके लिए भी किसी प्रकार का मार्ग प्रशस्त किया है? दुनिया भर के लिटिगेशन हुए, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट, उन सबका अब निस्तारण हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक बात बन गयी और वे नियुक्तियां कल से ही शायद प्रारम्भ कर दी गयी हैं। अतिशीघ्र 41 हजार लोग, 38 हजार तो उस तरीके से और 10 प्रतिशत परित्यक्ताएं, विधवाएं कुल मिलाकर 41-42 हजार शिक्षक लग जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 26 हजार साथिनों को भी चिकित्सा के लिए गांवों में ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें भी काफी महिलाओं को लिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस प्रकार का काम आपने भी किया है। ए भाइयों। हमे राज दो, हमें राज दो। ए युवकों हमें राज दो, देखों इन बी.जे.पी. वालों ने तो 58 साल से 60 साल उम्र कर दी है। तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, हम आएंगे खुशहाली लाएंगे। कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी क्या हुआ? कांग्रेस का राज रहा 1998 से 2003 तक, एक की भी नौकरी नहीं लगायी। जो थे उनको छांटा। यहीं नहीं, कर्मचारियों को प्रताडित किया। विद्यार्थियों पर फायरिंग हुई और हमने मुफ्त किताबें दी हैं। विद्यार्थियों पर जुल्म ढहाये गये। फीस तीन-चार गुनी बढ़ाई गयी। आज हमारे यहां फीस 100-125 रुपये है, कांग्रेस के जमाने में फीस 1300-1300 तक पहुंच गयी थी। बारहवीं तक के बच्चे की फीस 1300 तक पहुंच गयी थी। बच्चों ने आन्दोलन किया, उनको कुचला गया। आप अभी कह रहे थे कि हमने किसी प्रकार का आन्दोलन कुचलने की चेष्टा नहीं की, मैं अभी इस बात में नहीं जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में तो अशोकजी गहलोत को भागना पड़ा, मैदान छोड़कर जाना पड़ा। मीटिंग नहीं कर पाये, लोगों ने घेरा। ऐसी स्थिति आज हमारी नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय घनश्यामजी ने इस देश में सर्वोच्च शिक्षा मंत्री होने का गौरव मेरे हिसाब से प्राप्त किया है, मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं। अध्यापकों की भर्ती में बैकलाग पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जितना बैकलाग है एस.सी., एस.टी., सबका आज के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

बाद कोई बैकलाग नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे ज्यादा एक सरकार क्या कर सकती है? हमारे बच्चे चूंकि ग्रामीण परिवेश से हैं और वे कम्पीटीशन में आगे आ नहीं सकते इसलिए कई बार वंचित रह जाते हैं। उनके एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए पहली क्लास से ही अंग्रेजी का पाठ्यक्रम हमने भी प्रारम्भ किया है। वह इसलिए किया है कि हमारे बच्चे कम्पीटीशन में आगे आएं, दौड़ में आगे आएं। वैसे भी राजस्थान पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है और हम चाहते हैं कि हम मिल-जुलकर प्रयास करें कि राजस्थान प्रथम श्रेणी के राज्यों में आगे आए। उसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हों। सात करोड़ रुपये की मुफ्त पुस्तकें इस साल बांटी गयी हैं। कितने शौचालय बनाये ? 4743, विद्यालयों में अतिरिकत कक्षाएं-

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : डोंट रिपीट, कह दिया, पहले कह दिया।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे पता नहीं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आपने सुना नहीं।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैंने तो नहीं कहा। मैं अपनी बात कहूंगा। अब आपने क्या कहा, इसका मुझे पता नहीं। (व्यवधान) I am not concerned with it at all. Mind it. I never disturbed anybody.

श्री जोगेश्वर गर्ग : भूल नहीं जाएं, इसलिए याद दिला रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : Please keep quiet.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को कहने दें।

एक माननीय सदस्य : सुनने की आदत तो बनाएं।

श्री शांतिलाल चपलोत : अतिरिक्त कक्षाएं 889। 2441 हैण्डपम्प। 5949 विद्यालयों में शौचालय निर्माण हो गया। संसाधन जुटाने के लिए प्राइवेट विश्वविद्यालय, उसकी भी अनुमति जारी कर दी। सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि प्राइवेट लोग यदि कोई विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बी.एड. कालेज 237 आये, राजस्थान में आये। आज हमारे बच्चे मेडिकल शिक्षा के लिए कर्नाटक जाते हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए मुम्बई की तरफ जाते हैं, और कहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में शिक्षा के विकास के इस प्रकार के काम हों कि बाहर के बच्चे यहां आकर शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए इस प्रकार के इतने कालेजों की स्वीकृति जारी की गयी है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मदरसों के लिए कांग्रेस ने कभी कोई सुध नहीं ली। माहिर साहब, चले गये, मदरसों की कांग्रेस ने कभी कोई सुध नहीं ली। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो हिन्दु और मुसलमान मैलिंग भेद नहीं करती है, सबको बराबर विश्वास में लेकर चलना चाहती है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ) : इसमें लिंग भेद कहां हुआ?

श्री शांतिलाल चपलोत : जाति-भेद। लिंग भेद का मतलब है पुरूष और स्त्री, आप समझे न? पुरूष और स्त्री का भेद, जाति का भेद, वर्ण का भेद, धर्म का भेद भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है।

हमने इसी बात को सोचकर मदरसों के पैराटीचर्स को मानदेय हेतु 263 लाख रुपए विकास के लिए दिये हैं। 4425 महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय इस साल खोले हैं। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के शत प्रतिशत नामाकंन की अभिनव योजना भी हमने प्रारम्भ की है। मैं बहुत ज्यादा लम्बा एजुकेशन के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि टैक्निकल एजुकेशन के नवीन विद्यालय खोलने की हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टैक्निकल एजुकेशन हो, एम.बी.ए. के विद्यार्थी आगे आएं, शिक्षा का सम्पूर्ण विकास हो, इसके लिए हम पूरे प्रयत्न कर रहे हैं।

मेडिकल शिक्षा के लिए भी पहली बार इतना ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल शिक्षा के लिए हमारे यहां जो एस.एम.एस. मेडिकल कालेज है उसका भी विस्तार किया जा रहा है। उसमें अच्छी चिकित्सा हो, इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है। मेडिकल कालेजों में एक ही छत के नीचे क्या आयुर्वेद क्या यूनानी, सभी दवाएं मिल सकें, उसका भी प्रयत्न किया जा रहा है।

पोलीटैक्निक एजूकेशन के लिए अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया गया है, चाहे अजमेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो। उन सबके अंशदान के बारे में बताउंगा तो बहुत ज्यादा लम्बा हो जाएगा, इसलिए इस बात का मैं आग्रह नहीं करना चाहता। शिक्षा जगत में इस वर्ष कुल मिलाकर 2200 करोड़ रुपयों का निवेश किया जा रहा है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो और हमारे बच्चे शिक्षित होकर आगे आए, उसके पूरे प्रयत्न हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक सड़कों के निर्माण का सवाल है, हमारे योग्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा काम इसमें करके बताया है। कितनी रोड़ों का निर्माण किया जा रहा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्षजी के लिए कितना बनवा रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : बन रही हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : 500 से अधिक आबादी के सभी गांवों को वर्ष 2007 तक डामर की सड़कों से जोड़ने का हमने संकल्प लिया है और इसके तहत ।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो केन्द्र की प्रधानमंत्री सड़क योजना का संकल्प है कि 500 से अधिक आबादी के सभी गांव को 2007 तक डामर सड़क से जोड़ेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : वह योग्य प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयीजी ही थे जिन्होंने इस योजना को स्वीकृति दी।

एक माननीय सदस्य : केन्द्र का खजाना भी तो हमारे अटल बिहारीजी ही भरकर आये हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह तो दुर्भाग्य है इस देश का कि वह आज प्रधानमंत्री नहीं हैं। उन्होंने एक अभिनव योजना चलाई, इसको आप मानकर चलिए। 4027 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 1740 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई है। इसमें 995 करोड़ रुपए अभी व्यय हो चुके हैं, 9205 किलोमीटर सड़कों को निर्माण कर 2643 गांवों को जोड़ा जाना है। एक वर्ष में 5068 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण कर 1666 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। आपने कुल मिलाकर 5 साल में 800 गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा और हमारा रिकार्ड देखिए, कितने ज्यादा गांवों को सड़कों से जोड़ा है।

श्री बाबूलाल नागर : आप तो यह बताओ कि आपके क्षेत्र की कितनी सड़कों को गांवों से जोड़ा गया है ?

श्री शांतिलाल चपलोत : राजस्थान के हमारे जो उच्च मार्ग हैं उनका कोई रखवाला नहीं था, उनका भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उसके तहत 1417 किलोमीटर उच्च मार्गों का सुदृढ़कीरण किया जा रहा है। वर्ष 2004-05

(श्री शांतिलाल चपलोत)

में 287.79 करोड़ की लागत से 2715 किलोमीटर लम्बी मिसिंग लिंग सड़कों का निर्माण कराया गया, 1960 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य पूर्ण हुआ।

माननीय उपाध्यक्षजी, उच्च मार्गो के विकास हेतु 50:50 प्रतिशत की भागीदारी का एक नवीन संयुक्त उपक्रम राजस्थान सरकार व आई.एल.एफ.एस.' स्थापित किया गया है। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए भी 825 करोड़ रुपये अलग से रखे गये हैं जो 2 वर्ष में पूरी कर ली जाएंगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सड़कें ठीक नहीं होंगी, जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे यहां किसी प्रकार का पूंजी निवेश नहीं हो सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर सड़कों के बारे में ये कदम उठाये गये हैं। 2500 किलोमीटर मैटल सड़कों को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत करना, 12000 किलोमीटर सड़कों के बैकलाग का नवीनीकरण करना, अपने आप में बहुत अहमियत का काम है।

बी.ओ.टी. में 127.77 लाख से 6 परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। गत 5 सालों में जो भूमि अवाप्त की गई उसके मुआवजे का 40 करोड़ रुपया भी हमको चुकाना पड़ रहा है, उस समय की सरकार ने नहीं चुकाया। 21 करोड़ रुपए इस साल चुकाए और 19 करोड़ रुपए फिर चुकाए जाएंगे। इस प्रकार के महत्व के काम किये हैं इस सरकार ने।

लड़कों के मामले में राजस्थान मध्य पदेश से कई गुना आगे हैं। आप और हमारे मित्र मिलकर पहले भी कई बार मध्य प्रदेश गये हैं जहां 10 वर्ष कांग्रेस का शासन था, जीप और कार की स्पीड 22-25 से ज्यादा नहीं हो सकती थी किसी स्थिति में 10-12 थी। आज उन सड़कों पर वाहनो की स्पीड 110-120 की है राजस्थान में। यह माननीय ललितजी और हमारे माननीय मंत्रीजी के नेतृत्व में हो रहा है।

मैं उन्हें भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरीके से माननीय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चपलोतजी, कनक्लूड कीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं कनक्लूड करने वाला हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : ये नहीं कर पाये उसका लाभ आपको मिल रहा है। आप कनक्लूड कीजिए।? (व्यवधान) काम खूब हो रहा है आपके और हमारे दोनों के क्षेत्रों में।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के मामले में भी हमारे राज्य ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2005-06 में तीन वृहत परियोजनाएं-बीसलपुर, माही, बजाज सागर और 35 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण करना प्रस्तावित है। 45550 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा इससे होगी। रावी-व्यास का जो संकल्प हमने यहां 1 जुलाई, 2004 को लिया है, उसी दृढ़ता के साथ माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आगे भी पैट्रोल के बारे में, रिफाइनरी के बारे में यहा संकल्प लेने की आवश्यकता रहेगी। रावी-व्यास के बाद माही से 80 हजार हैक्टेयर में से 68450 हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। इतना बड़ा काम इस सरकार ने करके बताया है। 446 करोड़ रुपये गंगनहर के आधुनीकरण के लिए हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, पंजाब से पानी लाना है और कुल मिलाकर 98.6 किलोमीटर की नहर बनानी है, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अल्पकाल में 92.45 किलोमीटर की लम्बाई के कैनाल का काम पूर्ण कर लिया है। इससे 96.500 हैक्टेयर में अधिक सिंचाई होगी, काश्तकार लाभान्वित होगा। इसी तरीके से नर्मदा नहर से, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके एरिये में भी पानी आने वाला है। इस सिंचाई परियोजना में 64 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर में से 65.06 किलोमीटर नहर का कार्य पूरा कर दिया है। बाड़मेर, जालौर में 2.40 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा, 1107 में पीने का पानी, दो बड़े कस्बों में पीने का पानी का काम होगा। इसी तरीके से 91 नहरों का पुररूद्धार होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार कितनी संवेदनशील है। इनके समय में काश्तकारों पर गोलियां चली, डण्डे चले और हमारी सरकार ने इस अकाल की स्थिति को देखते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़ में 27 करोड़ का आबियाना टैक्स माफ किया, एक-दो रूपये का नहीं। कहना बहुत सरल है, करना बहुत मुश्किल है। आज तक आपने पांच रुपये भी किसी काश्तकार को नहीं छोड़े। यह तो हमारी सरकार है जिसने इतना रूपया माफ किया।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

अभी वाटर हार्वेस्टिंग के तहत 28 जिलों में 1400 छोटे एनिकट के काम किये जा रहे हैं; उसमें भी बहुत ज्यादा काम होने की संभावना है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, चम्बल, सिद्धमुख नहर परियोजना में 71500 पक्क खालों का निर्माण चल रहा है। इससे ज्यादा काम एक संवेदनशील सरकार, सोशल रिफार्म वाली सरकार क्या कर सकती है?

उपाध्यक्षजी, इसके साथ-साथ राजस्थान पर जो संकट आ रहा है उस पर भी मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां कम से कम भी दो अरब बैरल तेल और कूड आयल, गैस सांचोर बेसिन में, बाड़मेर में, जैसलमेर में मिलने की संभावना है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। (व्यवधान) बिलकुल किया है। अकलमंद तो वही है जो समय पर काम कर दे, वर्ना तो बीटिंग दी बुश। फिर झाडियां कूदों। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे केन्द्रीय मंत्रीजी ने यह कहा कि पंजाब में रिफाइनरी लगे। यह सदन संकल्प ले कि किसी भी हालत में रिफाइनरी लगेगी तो लूणकरणसर और राजस्थान में लगेगी, राजस्थान के बाहर नहीं लगेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह निर्णय तो तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने किया था।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपका समय आए तब बोल देना।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारे यहां लगनी चाहिए, पंजाब में नहीं लगनी चाहिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं कहना चाहता हूं, यहां से पंजाब तक एक हजार किलोमीटर पाइप लाइन बिछानी पड़ेगी और मोटा-मोटा अनुमान है कि यहां से तेल जाएगा। (व्यवधान) अक्ल नहीं है तो खरीदकर लाओ, अक्लखोरा खाओ थोड़ा। अक्ल बाजार में नहीं मिलती है। जहां वे बता रहे हैं वह एक हजार किलोमीटर है जहां से माल जाएगा-सांचोर से भी जाएगा, जालौर से भी जाएगा, और जगह से भी जाएगा। आज कम से कम 6 खरब रुपये से ज्यादा इस पर खर्चा आएगा। एक लीटर पैट्रोल या पैट्रोलियम पदार्थों को ढोने के लिए या पाइप लाइन से भेजने में पांच रुपये का खर्चा आएगा। (व्यवधान) अब आपको गणित आती नहीं, हिन्दी आती नहीं. आपके सामने भैंस के सामने तंदूरा बजाना है। इतना अधिक पैसे का खर्चा होगा, यह किसी प्रकार से

(श्री शांतिलाल चपलोत)

वायबल नहीं होगा। राजस्थान में कम से कम भी 10-15 हजार लोग इस पर रोजगार में लग सकेंगे, पूंजी का निवेश होगा। हमारे यहां वैसे ही रेगिस्तान है, जिस क्षेत्र में यह अधिक निकल रहा है वहां 7-8 इन्च से ज्यादा बरसात नहीं होती है। वहां के लोगों को पलायन करके दूसरी जगह धंधे के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हमारे मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान की जनता ने पुरजोर शब्दों में मांग की है कि रिफाइनरी हमारे यहां ही लगे। मैं श्रीमती जमना बारूपाल जो कांग्रेस की माननीय सदस्य हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्रीजी को, मणिशंकर अय्यरजी को और श्रीमती सोनियाजी, जो कांग्रेस में वर्चस्व रखती हैं, उन सबको पत्र लिखें हैं। हमारे सांसदों को जिन-जिन ने इस बात के लिए प्रैशर कायम किया है, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के लिए पुरजोर शब्दों में मांग उठायी है। यदि राजस्थान में रिफाइनरी नहीं लगी तो राजस्थान को जो रायल्टी मिलने वाली है उसमें भी और जो रोजगार मिलने वाला है उसमें भी बड़ा अन्तर आएगा। गुजरात में जो आयल निकल रहा है, रिफाइनरी वहीं लगी है। आसाम में जो आयल निकल रहा है, रिफाइनरी वहीं लगी है। इसलिए राजस्थान की मांग है, राजस्थान की जनता की मांग है कि यहां क्योंकि तेल, कच्चा माल यहीं निकल रहा है इसलिए रिफाइनरी भी यहीं लगाई जाए। मैं बहुत ज्यादा लम्बी... (व्यवधान) बाड़मेर भी लग सकती है, एक और लगे।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा अब विवेचना नहीं करना चाहता। क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या सिंचाई, क्या रोड़, क्या पढ़ाई और क्या खेल, क्या स्वास्थ्य सब तरफ ध्यान रखा गया है। राज्यपालजी ने एक दिशा लाइन दी है उसके लिए उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। राजस्थान चहुंमुखी विकास हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में और मंत्रीमण्डल के सभी सहयोगियों के नेतृत्व में करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दिया महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के समय, उसके लिए आपका आभारी हूं।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है आगे आने वाले वर्ष में राजस्थान की वर्तमान सरकार क्या करना चाहती है, उसका विजन क्या है, उसकी विकास की सोच क्या है, इस सम्बन्ध में एक प्रामाणिक दस्तावेज होता है। इसी सरकार ने गत वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण करवाया था और उस अभिभाषण में जिन तथ्यों का, जिन योजनाओं का उल्लेख किया था, इस बात को सोचना चाहिए वर्तमान सरकार को जो हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से गत वर्ष कहलवाया था, उन सब बातों को क्या हम पूरा कर सके हैं। हमने राज्यपाल महोदय के मुख से जिन बातों का उल्लेख करवाया था क्या वो इस एक वर्ष में सच साबित हुई? वर्तमान राज्यपाल महोदय से जिन योजनाओं को वर्तमान सरकार कहलवा रही है और कहलवाया है, भूतकाल के इनके कार्यकलापों को देखते हुए भविष्य में क्या उन बातों का विश्वास किया जा सकता है? इन महत्वपूर्ण बातों पर यह चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस बात को देखें कि माननीय पूर्ववर्ती राज्यपाल के द्वारा जो गत वर्ष हमने अभिभाषण करवाया था, उस अभिभाषण में हमने क्या कहलवाया था और जो कुछ हमने कहलवाया था उन कही गयी बातों को हम कहां तक पूरा कर चुके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले पेज नम्बर चार क्रम संख्या 8 पर महामहिम खुराना साहब से इस वर्तमान सरकार ने और वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने यह कहलवाया था कि पिछली सराकर के शासन में राजस्थान जुर्म और अपराध के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में आ गया था जिसके कारण राज्य के सम्मान को गहरी चोट लगी। आगामी वर्ष में राज्य में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यही नहीं, उसके बाद वर्तमान राज्यपाल महोदय से क्रम संख्या 103 पर इसी वर्तमान सरकार ने यह कहलवाया है कि राज्य के पुलिस प्रशासन के सम्मुख उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2004 में कानून और व्यवस्था की स्थिति काबू में रही। यह इन्होंने कहलवाया है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पूरे साल का लेखा-जोखा। इस पूरे साल में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति आपके सामने रही, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान मे कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कानून और व्यवस्था प्रश्नचिन्ह के रुप में हमारे सामने आ रही

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है। पूर्ववर्ती सरकार की कानून और व्यवस्था को गलत बताने वाले आइने में अपना चेहरा देखें कि इस एक वर्ष में कानून और व्यवस्था का क्या हाल है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं और राजस्थान के डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने जो तथ्य स्वीकार किये हैं उन तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यही नहीं, राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य डा. ज्ञानप्रकाश पिलानिया जो भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित हैं, उन्होंने एक समग्र रूप से पूरे राजस्थान की कानून और व्यवस्था के मामले में चरित्र चित्रण किया है, मैं संक्षेप में आपका और वर्तमान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ष राजस्थान में गत वर्ष का तुलना में अपराधों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 7 प्रतिशत अपराध इस वर्ष में बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा के सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है। प्रति एक लाख आबादी पर महिला अत्याचारों की घटनाओं के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। डकैती जैसे अपराधों में 61.76 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि चिन्ता का विषय है। जयपुर शहर में राजस्थान की तुलना में अपराधों में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखना यह है कि गत वर्ष 2003 में अपराधों के कारण राजस्थान के सम्मान को गहरी चोट लगी। यह आप लोगों के और सरकार के पक्ष में बैठे रहने वाले लोगों को एक आत्मविवेचना करने का प्रश्न है। लिखने में कुछ भी, लिख दो, गई सरकार की आलोचना करने के लिए आप कुछ भी कह दो, तारीफ भले ही कर दो, मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करना हर सत्ताधारी दल के सदस्य का एक कर्तव्य भी होता है और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों मे जो सत्ता को एक लालायित नजर से देखते हैं उनका तो ऐसा करना कर्तव्य से भी अधिक बढ़कर होता है। उस स्थान को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से उनको इसी प्रकार से अपनी विवेचन इस सदन में करना चाहिए, यह उनका अधिकार है। आज राजस्थान लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के मामले में देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। युवतियों के बलात्कार के मामले में दिल्ली से आगे है, हर 8 घण्टे में एक महिला से बलात्कार होता है और प्रत्येक तीन घण्टे में एक महिला यौन शोषण का शिकार होती है।

अपराध वृद्धि के तथ्यों को पुलिस महानिरीक्षक श्री अजीत सिंहजी ने भी स्वीकार किया है। यह राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सम्मान की रक्षा के आधार पर जनता से मतदान करवा कर आप जीतकर आये थे पर पूरे इस साल राजस्थान की कानून और व्यवस्था की जो दुर्गति हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, डकैती बढ़ी और जिस प्रकार सारे हालात हो गये, गृह मंत्री मूक-दर्शक बनकर उसको देखते रहे। गृह मंत्रीजी यातो राजनीतिक दृष्टिकोण से इतने दबे हुए हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण भी नहीं कर पाते हैं। जब कानून और व्यवस्था के मामले में यही वर्तमान गृह मंत्रीजी धारा 167 क्रिमिनता प्रोसीजर कोड का संशोधन लाये थे वीडियो कांफ्रेसिंग के मामले में, तो हमने उनका ध्यान आकर्षित किया था कि आपकी सरकार का यह कानून गलत है, विधि सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है, तब उन्होंने कहा था, नहीं, हमने जो कुछ किया सोच समझकर किया। राजस्थान सरकार का पूरा लवाजमा, पूरे अधिकारी, पूरा सदन, मुख्य मंत्री सहित पूरी राजस्थान सरकार ने, मंत्रिमण्डल ने उस कानून को जबरदस्ती हमारे विरोध के बावजूद पास करवाया, क्या स्थिति हुई आपकी? क्या दुर्गति हुई आपके उस कानून की? हमारी बात को अगर लोकतंत्रीय परम्पराओं के अनुसार, भावनाओं के अनुसार आप मान लेते तो एक बहुत हितकारी बात होती। क्या हुआ जब राष्ट्रपति के पास आपने उसको उनकी असेन्ट के लिए भेजा? राष्ट्रपति ने कहा, यह कानून ठीक नहीं है, नियमों में, कायदे-कानून के अन्तर्गत नहीं है, इसमें पुलिस कस्टडी भी शामिल है। क्या हुई आपकी बेइज्जती ? क्या दुर्गति हुई? वह पूरा कानून राष्ट्रपति ने अस्वीकार करके आपके पास भेज दिया। आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, आप संवेदनशीलता की बात करते हैं पर आपने नहीं देखा कि लोकतंत्र में विपक्ष में रहने वाले और अगर हमारी सरकार है तो जनमत के हिसाब से जो भी मांगे हैं उसके लिए आपको आन्दोलन करने का अधिकार है। अगर आपकी सरकार है और लोकतंत्रीय परम्पराओं के अनुसार...

श्री विष्णु मोदी : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि पिछले पांच साल में आपकी सरकार के कितने कानून राष्ट्रपति के यहां से वापस आये ?

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सदस्य ने जो क्वैरी की है, वह यह कह रहे हैं कि अगर आपने गलती की है तो हमारा भी अधिकार है, हम भी वही गलत काम करेंगे। हमने गलती की है जो यहां आ गये, माननीय मोदी साहब, इनको भी आप यहीं लाना चाहते हो?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मै निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशील सरकार का क्या कर्तव्य है? आपने अपनी 6 प्राथमिकताएं इसमें बताई हैं कि हमारा चुनाव जीतने के बाद यह लक्ष्य था ये हमारी 6 प्राथमिकताएं हैं। वर्तमान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने यह लिखा है कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही राजस्थान को समग्र रुप से विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना की थी और उसे मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 प्राथमिकताएं-दरिद्रता, कुपोषण एवं भूख से मुक्ति, अशक्तों एवं महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन विकास, आधारभूत सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन देने का वादा किया था। वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने कहा था कि ये आपकी प्राथमिकताएं हैं, आप इन प्राथमिकताओं को पूरा कर पाये? लोकतंत्र में विपक्ष को किसी भी बात के लिए शांतिपूर्वक आन्दोलन करने का अधिकार है, आपकी संवेदनशीलता कहां गई? जब आप विपक्ष में थे, कितने आन्दोलन करते थे? इस कारण उस नाम से चाहे आप पर कितने ही फौजदारी मुकदमे हों, चाहें कितने ही आप पर आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज हो, राजनीतिक आन्दोलन के नाम पर माननीय गृह मंत्रीजी ने वर्तमान कैबिनेट के मंत्रियों पर भी अगर कोई मुकदमे थे तो उस आन्दोलन के नाम पर सब वापस ले लिये। आन्दोलन करना आप अपना अधिकार मानते हैं, आप उसको क्षम्य मानते हैं तो क्या अपराध किया था गंगानगर और घड़साना के किसानों ने? उन्होंने यही तो कहा था कि हमको पानी दो, हमको बिजली दो, पानी दो हमारी फसल के लिए? यही तो आन्दोलन किया था? एक संवेदनशील सरकार का यह कर्तव्य था कि वहां जाते, समझाते, जो कुछ फैसला आप कर सकते थे वो करते और इसके बावजूद भी कोई बात होती तो कोई नया रास्ता आप निकालते। आपकी संवेदनशीलता कहां गई ? न आप वहां गये, न माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां गई। आपकी वर्तमान प्रशासनिक त्रुटि के कारण, अनियंत्रण के कारण, दूरदृष्टि-सोच नहीं होने के कारण और सरकार में सोच का अभाव होने के कारण और समयबद्ध तरीक से उन कार्यक्रमों को, उन असुविधाओं को दूर न करने के कारण आपने क्या किया? आपने उन किसानों को जो हजारों की संख्या में थे, हजारों की संख्या में शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहे थे, आपने 6 किसानों को गोली से भून दिया। यह कानून और व्यवस्था है। अगर आजादी के बाद स्वतंत्र

(श्री हरिमोहन शर्मा)

भारत में आन्दोलन करना आपका अधिकार है तो उन लोगों का भी अधिकार है। विपक्ष में रहने के कारण जनमत को ध्यान में रखते हुए जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कानून और व्यवस्था के नाम पर आपने 6 लोगों को गोली से भून दिया। अगर राममनोहर लोहिया जैसा कोई नेतृत्व आज हिन्दुस्तान में होता तो उसका एक ही काम है कि जो सरकार गोली चलाएगी, जो गोली के आधार पर राज करेगी, उसको एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। फिर भी आप तारीफ करके समय के साथ बड़े गुलछर्रे उड़ाते हुए फिर राज करने की एक निर्भीकता के साथ बात करते हैं। पश्चाताप भी तो नहीं है। पश्चाताप तो करो कि हमसे गलती हो गई, हम क्षमा याचना चाहते है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। वाटर अलाउंसेज किस केबिनेट ने कम किये थे? घड़साना और रावला में जो परिस्थिति पैदा हुई उसका जिम्मेदार कौन था? ये आपके किये हुए पाप थे। ये कांग्रेस सरकार के किये हुए पाप थे।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा : ...आपने तो 1972 में बढ़ाया, 5.23 आपने किया। (व्यवधान) बारी आपने की। ये आप लोगों के किये हुए पाप थे जो इस सरकार ने भुगते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री अशोक नागपाल : सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया जबकि आपके कांग्रेस कि जो जन-प्रतिनिधि वहां बैठे हुए थे, ये मेरे पास उस समय की कटिंग्स भी हैं, मैं स्वयं वहां उपस्थित हुआ, उनसे निवेदन किया और यहां भी बुलाया लेकिन वो नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह मैं नहीं कह रहा हूं। आप बिराजो तो सही। आप तसल्ली से सुनो।

श्री अशोक नागपाल : यह आपके ही आदमी कह रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह जो मैने आरोप लगाया कि संवेदनहीन, अदूरदर्शी सरकार है, यह मैं भी कह रहा हूं, हमारे दल के लोग भी कह रहे हैं,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आम जनता भी कह रही है, बल्कि सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के विधयक ने खुद प्रेस कान्फ्रेस में आरोप लगाया है कि यह बिना दिल और दिमाग की सरकार है। यह बिना दिल और बिना दिमाग की सरकार है, यह कानून और व्यवस्था के मामले में आपके ही राज्य सभा के सदस्य ने एक लम्बा-चौड़ा आर्टिकल लिखा है बिना दिल और दिमाग की सरकार। यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिसका मन बोला उन परेशानों को देखकर, उन लोगों की स्थिति को देखकर। आपके द्वारा गोली चलाकर उसके क्षेत्र के किसानों को मारने के बाद यह उसका दिल बोला है, मैं नहीं बोला आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। (व्यवधान) बड़ा अच्छा होता कि आप सत्ता में आने के बाद कानून और व्यवस्था सुधार नहीं सकते थे तो कानून और व्यवस्था सुधारने के नाम से कम से कम किसानों को मौत के घाट उतारने का काम तो नहीं करते। यह सबसे अचछा होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा स्थितियां आपकी चल रही हैं, आपने गत सत्र में अनेक घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं में...

श्री रामप्रताप कासनिया : याद करो संगरिया गोलीकाण्ड, कितने मारे थे, याद करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : हम याद करें या न करें, पर यदि आप इधर आना चाहते हो बहुत गति से, हमको तो बहुत खुशी है। आप वो ही काम करो जो हमने किया है और जितना ज्यादा कर सकते हो...

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं इसको उचित नहीं मानता, पर आज आरोप प्रत्यारोप कर रहो हो इसलिए कह रहा हूं। प्रजातंत्र मे यह बात नहीं होनी चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप सौ-फीसदी सत्ता के सुख को भोगना चाहते हो..

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं तो बीच का आदमी हूं, मैंने आपको पहले ही कह दिया। जो न कांग्रेस में और बी.जे.पी. में है, यह बीच की परिभाषा है।

श्री हीरालाल (निवाई) : कासनिया जी, ये तो मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए इनको। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय : यह बीच का आदमी बड़ा खतरनाक होता है।

श्री उपाध्यक्ष : ये खतरनाक नहीं हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : महाभारत मे भीष्म पितामह का वध करवा दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : ये उस कैटेगिरी में नही हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : दुनिया कह रही है, आप अपने अन्दर झांको फिर दूसरे को देखो।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वहां की जनता ने वो बात स्वीकार की है कि आपने करवाया। इसलिए जिला परिषद मे भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, यह भी आप नोट कर लें। वहां गंगानगर की जनता ने यह माना है कि किसने ऐसा कृत्या किया है, किसने करवाया है, किसने उनको गुमराह किया है और इस तरह का घिनौना कृत्य करवाया है। इसका सबूत आपको मिल गया है। आप अपने पैरों को देखिये।

(15.49 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने गत वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहलवाया था कि आप कुछ ही समय में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 24 घण्टे विद्युत दे देंगे। 5 हजार की आबादी में विद्युत देना तो 100 कोस दूर है, आप अपनी नाक के नीचे इस राजधानी में 4-4 घण्टे की कटौती करके लाखों की आबादी वालों की बिजली नहीं दे पा रहे हो और राज्यपाल महोदय से यह कहला रहे हो कि हम 5 हजार की आबादी वाले गांवों को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करा देंगे। एक मेगावाट आपने इस साल बिजली पैदा नहीं की, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की... (व्यवधान) एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और आपने ऐसा कोई...

श्री तगाराम चौधरी : बिजली मिली है, ढाणियों में भी बिजली मिली है, इस समय मिली है, वसुन्धराजी के जीतने के बाद में मिली है।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार-बार व्यवधान नहीं डालें।

श्री हरिमोहन शर्मा : अपने कर्जे में बढ़ोत्तरी के लिए कहा कि गई सरकार ने इतना कर्जा बढ़ा दिया। आपने 52 हजार की जगह 62 हजार नहीं कर दिया? अभी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कह रहे थे कि हमने नाबार्ड से फिर कर्जा लेने की योजना बना ली है और हम उन सड़कों को उस कर्जे से बना देंगे। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, पर केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। विकास होना चाहिए और कर्जा लेकर भी अगर विकास होता है तो वह गलत बात नहीं है। लेकिन आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि महामहिम राज्यपाल महोदय से जो आपने चिन्ता अभिव्यक्त कराई थी कि गत सरकार ने कर्जा बढ़ा दिया, आप उसी बात के आधार पर खुद कर्जा बढ़ाने की लाइन पर लग रहे हो। वह आपके सोचने का सवाल है।

"आपने कहा था कि हम नागरिक अधिकारो की डटकर रक्षा करेंगे और जो कोई मांगेगा, समय पर उसको जवाबदेही सरकार के अधिकारियों की होगी। अगर कोई अधिकारी उस जवाबदेही को नहीं निभायेगा तो उसका स्थानान्तरण कर दिया जाएगा, उसको वहां से हटा दिया जायेगा। विधायक तक तरस रहे हैं जवाबों के लिए। अनेक चिट्ठियां लिखीं, मुख्य सचिव को लिखीं, प्रमुख सचिवों को लिखीं, यह विधान सभा चली जब जवाब आने लगे हैं दो महीने बाद। यहां तक कि राजस्थान के मुख्य सचिव ने और डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने तो हमने तीन रिमाइंडर दिये, उस रिमाइंडर की पावती की चिट्ठी भी हमको नहीं भेजी। यह आपका सूचना का अधिकार है"।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने रोजगार सृजन की बात की थी कि एक लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक वर्ष में देंगे। माननीय शिक्षा मंत्रीजी गर्दन हिला रहे हैं, भाषण में लिखा है उन्होंने कि मैं इस सत्र के आरम्भ होने तक हर सूरत में सब शिक्षकों को नियुक्ति दे दूंगा, मेरे भाई, यह सत्र तो समाप्त होने चला, अगले सत्र का भी लिखा देते इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मार्च में। परीक्षा का सत्र शिक्षा सत्र होता है, जरा दिमाग से भी काम लो।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब बात सुनें आप। परीक्षा से नहीं। (व्यवधान) अगर शिक्षा मंत्री का यही सोच है तो मुझे कुछ नहीं कहना। नाथू सिंहजी के बाद आप दूसरे विद्वान हो जो यह परिभाषा कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ठीक है, शिक्षा सत्र ही कहा था मैंने।

श्री हरिमोहन शर्मा : और आपने यह भी कहा था कि दो प्राइमरी स्कूलों के बीच में एक मिडिल स्कूल दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी दे दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : पांच-पांच, छह-छह प्राइमरी स्कूलों के बीच में भी मिडिल स्कूल नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप देओ तो देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने असत्य वचन गवर्नर से कहलवाया। पांच-पांच, छह-छह और सात-सात प्राइमरी स्कूलों के बीच में मिडिल स्कूल नहीं है, आप देखना चाहो तो आइये, हम आपको ले चलते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप लिस्ट ही दे दो न।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने कहा था, गवर्नर के अभिभाषण में कहा था कि हम एक लाख लोगों को रोजगार देंगे, पन्द्रह हजार को प्लान में, सोलह हजार को नान प्लान में। सौ दिन में कह दिया कि हम तो सौ दिन में देंगे। सौ दिन के जवाब में लिख दिया, हमने तैयारी कर ली है, हम साल में देगे। यह साल समाप्त हो गया। आपने आज भी और दस दिन पहले भी मुझे लिखित जवाब भेजा है कि प्लान और नान प्लान में कुल मिलाकर 3600 और कुछ लोगों को रोजगार दिया है और वह भी उनको जो मृतकों के आश्रित हैं। गिनती के हैं पचास या साठ, जिनको आपने एम्पलायमेन्ट दिया है, बाकी मृतकों के आश्रितों को दिया है। आपने कहा था कि हम तो उद्योगों में इतने लगा देंगे, वहां से यह कर देंगे, दिया क्या ? आप भले ही तारीफ करें, बहुत जोर-जोर से टेबल बजाएं, बहुत जोर-जोर से कालीचरणजी तारीफ करें, मुझे इसमें एतराज नहीं है, उनको गुणगान करना ही चाहिए लेकिन गुणगान के साथ अपनी आत्मा को टटोलना चाहिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : वास्तविक गुणगान किया, आपकी जैसे फर्जीवाड़ा नहीं किया।

श्री हरिमोहन शर्मा : कोई बात नहीं वास्तविक भी है तो। मैं तो वास्तविकता ही तो बता रहा हूं। मैं चैलेन्ज देता हूं आपने एक हजार लोगों को अगर एम्पलाइमेन्ट दे दिया हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रेडियो पर कहा, टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने अस्सी हजार को दे दिया, तो मैं चैलेन्ज के साथ...

डा. दिगम्बर सिंह : एक हजार से ज्यादा, माननीय सदस्य ...

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट ठहरिये आप।

डा. दिगम्बर सिंह : एक हजार से ज्यादा तो चिकित्सा विभाग में दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप, स्वास्थ्य मंत्रीजी, ठहरें। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह जो आंकड़े दे रहे हैं वह एम्टलायमेन्ट एक्सजेन्ज के आंकड़े दे रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने अस्सी हजार लोगों को राज्य सरकार में एम्टलायमेन्ट दे दिया तो मैं कहता हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा..। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पांच साल में एक चपरासी की भर्ती नहीं की इन्होंने, यह क्या दुहाई दे रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर आपने अस्सी हजार लोगों को राज्य सरकार मे एम्टलायमेन्ट दे दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना। बहस की कोई बात है? आप टेलीविजन पर बोल दो, आप कहीं भी बोल दो, कुछ भी भाषण दे दो, आपने इकतीस हजार प्लान और नान प्लान में जो देने की बात थी, कर दी क्या ? फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं, हमने तो कर दिया। अच्छा बाबा, आपने कर दिया तो बहुत अच्छा है, कि आप नहीं करो फिर भी आप यह बात कह दो।

"आर्थिक विकास की दर आपकी घटी है। गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, डाक्टर रेड्डी, उन्होंने कहा है बीमारू राज्य की स्थिति में है, इनका एम्टलायमेन्ट जनरेशन नहीं है और इनके विकास की दर जो होनी चाहिए, वह नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा, यह रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल डाक्टर रेड्डी ने कहा है जो सब जगह कूलैश होकर समाचारों के साथ आया है। मैं निवेदन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करना चाहता हूं कि आप तारीफ करें कि आपके विकास की दर बढ़ी है तो आप इसको सोचिये। प्लान के मामले में, योजनाओं के मामले में, आपने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धियां आपने हासिल कर लीं, मैं जो बोल रहा हूं वह आपकी सरकार, आपकी मशीनरी के द्वारा जो मुझे अधिकृत दिये गये हैं आकड़े, वे बोल रहा हूं, कालीचरणजी की तरह तारीफ करने के लिए वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। प्रस्ताव समर्थकजी की तरह, इतने बुजुर्ग और समझदार आदमी हैं लेकिन यह जो भावना है न कुर्सी की तरफ ललचाई नजर देखने की, यह अपने पथ से हटाने.. (व्यवधान) यह आदमी को पथ से विचलित करती है और सच्चाई कहने से रोकती है। यह आपका दोष नहीं है, यह सभी का है। यह ह्यूमन वीकनैस है, यह आदमी की कमजोरी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्लान का देख लीजिये आप, 31 दिसम्बर, 2004 तक 69.22 करोड़ रूपये के प्लान के विरूद्ध क्या खर्च किया आपने? आपने किया 3488 करोड़, बिलों फिफटी परसेन्ट। नौ महीने में पचास प्रतिशत से भी कम आपने इस एक वर्ष में खर्च किया और अब आप पचास प्रतिशत तीन महीने में लुटा देंगे, तीन महीने में खर्च कर दो। आप बात करते हैं, मैं आंकड़े सहित आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये आंकड़े कहां से ले आये?

श्री हरिमोहन शर्मा : आज मेरे आंकड़े को चैलेन्ज कर दो और इस्तीफे की बात कर लो, रख देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, वह तो आपको ज्यादा शौक होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : आज मेरे आंकड़े को चैलेन्ज कर दो, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं चाहता हूं आप मेरे मित्र हो..

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं इस दस्तावेज को सदन की टेबिल पर रख दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी बात सुनिये. मैं तो यह चाहता हूं, आप हाउस में बने रहें, पर आप अपना सोर्स बता दो न। मैं चाहता हूं आप हाउस में बने रहें।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह सोर्स नहीं, यह राइट आफ इन्फार्मेशन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो बता दो न।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये आंकड़े आप ही ने तो दिये थे अभी। एक कापी मुझे दी थी और एक इनको दी थी। अब यहां लड़ रहे हो। ऐसा काम मत करो आप। यह क्या तरीका हुआ? खुद ही तो दे दो और खुद ही फिर नटो, सफाई पेश मत करो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप यह देखिये सबसे आश्चर्य की बात, यह तो है स्टेट का प्लान और जो केन्द्र से प्रवर्तित योजनाएं हैं उसमें आपने 2223 करोड़ 84 लाख के अगेंस्ट 970.46 करोड़, 42 प्रतिशत खर्च किया है, जो दिल्ली का पैसा है उसमें और आप बहादुरी की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी, डाक्टर साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, अपना किस में क्या खर्चा हुआ है, चाहे वह तिवारीजी का हो चाहे आपको हो मेडिकल का, अभी एक सैकण्ड में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप खुलकर बोलिये, पण्डितजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : टोटल एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है आपका, तसल्ली तो रखिये।

डा. दिगम्बर सिंह : ढूंढ लो आराम से।

श्री हरिमोहन शर्मा : स्वास्थ्य बोलूं क्या पहले ? नम्बर आ रहा है, स्वास्थ्य भी बोल रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप शिक्षा ही बोलो पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपका एनीमल हसबैण्डरी...

डा. दिगम्बर सिंह : मैं नहीं हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : सुनिये आप। आप तसल्ली तो रखो न, आप ही के तो आंकड़े हैं। एनीमल हसबैण्डरी में 9641 लाख के स्थान पर 31 दिसम्बर तक खर्च केवल मात्र 19.31 प्रतिशत। टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट का 27.44 प्रतिशत आपने खर्च किया है। आपने ह्यूमन डवलपमेन्ट पर केवल मात्र 27.7 प्रतिशत खर्च किया। नेशनल सोशल...

एक माननीय सदस्य : दोबारा बोलो, घनश्यामजी का ध्यान नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : ये आंकड़े कहां के हैं? आप बताइये तो सही, ये आंकड़े कहां के हैं?

श्री रामप्रताप कासनियां : प्रवचन दे रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैं कहूंगा कि ये-ये आंकड़े हैं, ये कहां से लाये? कहां से 23 परसेन्ट, 43 परसेन्ट, पचास परसेन्ट....

(16.00 बजे)

श्री भागीरथ चौधरी : अध्यक्षजी, ये क्या अधिकार रखते हैं? एक चपरासी की तो पांच साल में भर्ती नहीं की इन्होंने, और अब दोष दे रहे हो यहां।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं आपको बताऊंगा।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सदन को बताना पड़ेगा कि आप कहां से पढ़ कर बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : सदन को क्या, आपने तो चैलेन्ज ही स्वीकार नहीं किया, नहीं तो मैं तो टेबल पर रख रहा था। आपका ह्यूमन डवलपमेन्ट पर केवल 27 प्रतिशत नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में केवल 26 प्रतिशत, टोटल कम्यूनिटी डवलपमेन्ट इन पंचायत 35.57 प्रतिशत....।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : मुझे लगता है कि पुराना रिकार्ड आपके पास है।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह 31 दिसम्बर, 2004 का है इसको पुराना मानें तो आपकी इच्छा है। 31 दिसम्बर, 2004, जनवरी और यह अपना सैशन चल रहा है, आपके टोटल मेजर प्रोजैक्टस जिसमें जाखड़ केनाल, नर्मदा और सभी आते हैं, इसमें आपका जो बजट था, केवल मात्र आप 48 प्रतिशत उपयोग कर पाये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : ये दिसम्बर, 2003 के आंकड़े लग रहे हैं। दिसम्बर, 2003 ठीक पढ़ लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पहले सुन तो लें। आपको क्या लगता है? आपको तो ये भूत लग रहे हैं, यह क्या मतलब हुआ?

श्री हरिमोहन शर्मा : वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में, मान्यवर, 22 करोड़ रुपये में से निल, एक पैसा भी खर्च नहीं। आपका टोटल इर्रिगेशन, माइनर इर्रिगेशन, ग्राउंड वाटर 24 प्रतिशत खर्च हुआ है। टोटल माइनर इर्रिगेशन में 24.67 प्रतिशत। चम्बल का जो था उसमें आधा 55 प्रतिशत।

मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब, बोलो अब।

श्री हरिमोहन शर्मा : विलेज एण्ड स्माल इण्डस्ट्रीज में 36.79 प्रतिशत। रोड़स एण्ड ब्रिज 41.60 प्रतिशत। स्टेट रोड डवलपमेंट में एक हजार करोड़ रूपये आपके पास हैं पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये हैं आंकड़े, देखो।

श्री हरिमोहन शर्मा : साइंटिफिक सर्विसेज में 14.65% यूनवीवर्सिटी एण्ड अदर हायर एजुकेशन में 41.34%, लिटरेसी एण्ड कंटीन्यूइंग एजुकेशन में 24.99%। फिजीकल एजुकेशन में 21.5%। संस्कृत एजुकेशन में 29.0%। फाइन एण्ड आर्ट्स एजुकेशन में 7.78%। टोटल एकेडेमिक जो भी आपका है उसमें 24.5% टोटल एजुकेशन का है 48.85%। मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य मंत्रीजी के पास नहीं है विभाग, वह विभाग शिक्षा के विभाग आ गया है। मेडिकल एजुकेशन में है 13.91% और आयुर्वेद में आपका है 3.88%। यह तो आपके पास है। आपके ही पास है न? 3.88%। अरबन वाटर सप्लाई का 39.30% है, 60% पैसा अभी आपके पास पड़ा है जो तीन महीनों में पूरा करोगे। वाटर सप्लाई इन.एस.सी.बस्तीज में 14.18%। जो बीसलपुर-दादू वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट निल। चम्बल सवाईमाधोपुर वाटर सप्लाई निल। टोटल रूरल वाटर सप्लाई पर है 43%।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा आपसे आग्रह है कि आप ऐसे तो बोलें कम से कम कि लोग सीरियसली लें आपको।

श्री हरिमोहन शर्मा : ऐसा है, जब कोई बात चुभती है तो मजाक में उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपकी परेशानी को जानता हूं, आप अभी बहुत परेशानी में हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलिये, पण्डित जी, आप तो।

श्री हरिमोहन शर्मा : इन आंकड़ों को देख करके आप बहुत परेशानी में हैं। हाउसिंग में 30.64% लेबर एण्ड लेबर वैलफेयर में 23.66%, वैलफेयर आफ बैक्वर्ड क्लासेज में 23.63%। टोटल सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट का खर्चा है 35.63%, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में है 43.46%। ये हालात आपके उनमें हैं जो केन्द्र वाली योजनाएं हैं। एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज में 25.10%, इसके बाद सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड ट्रांसफोर्ड में 56%, टाउन प्लानिंग पर है 27.77%, सोशल एण्ड कम्युनिटी सर्विसेज पर है 31.72%। आपकी जरनल सर्विसेज-जेल डिपार्टमेंट पुलिस माडर्नाइजेशन इन काइंड्स सिविल डिफेन्स इसमें रुपये 76,53,78,000 जो आपने खर्च किया है, माननीय गृहमंत्रीजी, आप खुद ही जानते हैं, केवल मात्र 1.65% है। यह सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स का है। मेरा आपसे निवेदन करने का अर्थ यह है कि आप 9 महीने में इस प्लान का एज ए होल नियर अबाउट 48% खर्च कर पाये और कितनी ही असेशल सर्विसेज में तो अभी आपकी सोच ही नहीं है। बैकवर्ड बस्तियों में नहीं है। एस.सी. बस्तियों में वाटर सप्लाई का नहीं है। मेडिकल एजुकेशन में नहीं है। अखबारों में बड़े-बड़े भाषण छप रहे हैं। अखबारों में भले ही आप अपनी प्रतिष्ठा जमवा लें, हमको कोई एतराज नहीं है। विज्ञापन के मार्फत जमवाएं, सरस के माध्यम से करवाएं, मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से कराएं। पंचायती राज वाले करें, हाउसिंग बोर्ड वाले करें। बड़े-बड़े फोटो छपवाएं और अपनी उपलब्धियां बताएं। लेकिन याद है न डा. मनमोहन सिंह ने क्या कहा है? मेरी फोटो सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में मत छापना मेहरबानी करके फोटो छपवाने की बजाय आप काम करके दिखाएं, समय पर सब काम करें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या रहा आपका, आप देख लीजिये। पंचायती राज चुनावों पर अपन को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। यह सही है कि किसके कितने प्रमुख बने, और कितने प्रधान बने, अपने मन में सब जानते हैं। प्रमुखों में अपन पिटे हैं, प्रधानों में हमारे कम आये हैं। यह कोई विवाद और कोई इसका कारण नहीं है, लेकिन टोटल एज ए होल जिला परिषद के जितने रिजल्ट्स आये उन रिजल्ट्स में से ज्यादा तो कांग्रेस के ही आये हैं, न पंचायत समिति के। रेकार्ड की बात है। (व्यवधान) टोटल जिला परिषद 1008 कांग्रेस 494 बी.जे.पी 459 कुछ नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि ज्यादा है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य, 2000 में कितने थे, वो जरा बतायें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं क्या देखूं मैं तो जो देखा है वो बोल रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ : 2000 में क्या आंकड़े थे?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। आपका कहना यह है कि हम पहले कम थे, अब ज्यादा हो गये। हमारा कहना यह है कि टोटल रिजल्ट्स में हम ज्यादा हैं। इसमें विवाद क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय कालीचरण जी, 2000 के आंकड़े बताऊं? हम थे 156 और आप 32।

श्री कालीचरण सराफ : अब हम 120 हैं और आप तो 56

श्री अध्यक्ष : 121 हो आप, गिनती गलत कर रहे हो। अब आप 121 हो गये हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : बिलकुल सही है। मैं इस मामले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं पंचायती राज के चुनाव हुए। चुनाव चिन्ह पर, निशानों पर हुए। पंचायत समिति और जिला परिषद के जो डेलीगेट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, एक मिनट, जिला परिषद और पंचायत समिति में आपने भी सिम्बल अलाट किये और हमने भी सिम्बल अलाट किये, क्या दुर्गति हुई उस सिम्बल की कई जगह? आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय। मैं तो सोच रहा हूं प्राइवेट मैम्बर बिल पर।

श्री अध्यक्ष : मैं तो गम्भीरता से क्यों सोचूं, सत्ता पक्ष सोचेगा। मेरे लिये तो आप और वो दोनो बराबर हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे सिम्बल पर जीतकर आये, आपको कोई उम्मीदवार नहीं मिला, आपने उसको लिया। उसने सोचा, कुर्सी मिल रही है, चलो इधर आ जाओ। किसी स्थान पर कोई मामला अनफिट हुआ तो हमने उसको कर दिया। (व्यवधान) आपके बस का रोग नहीं है यह।

श्री बंशीलाल खटीक : आपके चयन में गलती थी वह पिटकर आ गये।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से एंटी डिफैक्शन बिल एम.एल.ए. और एम.पी. के लिये है, आप सरंपच के लिये मत रखो, आप पंचायत के पंचों के लिये मत रखो, लेकिन कम से कम जनता के सामने अपनी तस्वीर ठीक जाए उस तस्वीर की खातिर या तो आप एंटी डिफैक्शन बिल लाओ या पंचायती राज में संशोधन करके एक धारा और जोड़ दो-व्हिप के आधार पर जोड़ दो, कानूनी सलाहकार लेकर जोड़ दो। मेरा सदन से विनम्र अनुरोध है, राजनीति में आप और हम अगर एक साफ रास्ता रखने की कोशिश करेंगे। इन भ्रष्ट लोगों को इधर से उधर जाने पर, किस पार्टी के सिम्बल पर वोट लेकर कहां जाकर बैठ जाने पर एक ऐसा प्रतिबंध भी लगाओ तो राजस्थान की जनता आपको याद करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वह एंटी डिफैक्शन बिल के नाम से हो, चाहे वह डिसक्वालिफिकेशन के नाम से हो और चाहे यह प्रोविजन हो, जिस प्रकार राज्य सभा के मैम्बर को दिखाकर वोट देना पड़ता है वैसे ही वह दिखाकर वोट दे, जो भी कानून-सम्मत रास्ता हो उस कानून-सम्मत रास्ते पर इस सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। विचार करके पंचायती राज में वह संशोधन लाकर आगे आने वाले चुनावों से पहले वर्तमान सरकार यह एक उपलब्धि भरा काम तत्काल इसी सत्र में कर दे तो मैं समझूंगा, वर्तमान सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। (व्यवधान) बहुत संभ्रांत लोग हैं आप और भारतीय जनता पार्टी का बहुत संभ्रांतों का परिवार है और एक अनुशासित परिवार के रूप में आपको जाना जाता है, क्या हुआ इन कुलीनों के कुनबे में ? आपने नहीं देखा, इस साल में कुलीनों के कुनबे में जैसे ही मंत्रिमण्डल का विस्तार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मुर्दाबाद। पुलिस को सारा ध्यान उधर करना पड़ा और कटारिया साहब परेशान हो गये। मंत्रिमण्डल के जगह-जगह पर पुतले जलाये गये, जगह-जगह असन्तोष हुआ। कुलीनों के कुनबे में जो हालात पैदा हुए इसके बाद आपको मनोहरथाना के विधायक का निलम्बन करना पड़ा। इसके बाद पूर्व उप मुख्य मंत्री श्री हरिशंकरजी भाभड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि निर्णय सामूहिक तौर पर नहीं लिये जा रहे हैं। 29 अगस्त को बसु मित्र परिषद को लेकर आलाकमान ने शिकायत की। क्या हुआ? मुख्यमंत्रीजी के पक्ष में अगर किसी ने बसु मित्र परिषद बना ली तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान लोग इतने चिन्तित क्यों हुए?

श्री ओम बिरला : आप अपने कुनबे की चिन्ता करो, हमें सलाह मत दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको चिन्तित नहीं होना चाहिये, आपको तो खुशी होनी चाहिये, बिरला साहब। जैसे भवानी सिंहजी समर्पित हैं, अभी आप में कुछ शंका है। नहीं तो बसु मित्र परिषद का आपको भी समर्थन करना चाहिये था लेकिन एक बवाल खड़ा हो गया और आप ही के लोग मुख्य मंत्रीजी के पक्ष में किसी ने संस्था बनाई तो लट्ठ लेकर खड़े हो गये। प्रदेश अध्यक्ष लट्ठ लेकर खड़े हो गये। कई लोग अपने-अपने विचार रखने लग गये। यह अन्तर विरोध है। यहां तो तारीफ करते हैं आप मुख्य मंत्रीजी की और जब कोई उनकी तारीफ करने वाली टीम बनती है तो मन ही मन में आपको परेशानी होती है कि यह कैसी टीम बन गई। उसका विरोध चालू कर देते हो और आपके संगठन आगे आ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह बसु मित्र परिषद जो बनाई उसकी इतिश्री हो जाती है। यह आपका सोच है। (व्यवधान) जैसे ही बसु मित्र परिषद बनी तो कह दिया, सिंघवी जी इस्तीफा दो, हटो यहां से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप नहीं जा सकते। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को हटाने में मंत्रीजी और आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों में कितनी झड़पें हुई, वह आपसे छुपी हुई नहीं है। समन्वय समिति की बैठक में राहत मंत्रीजी किरोड़ीलालजी मीणा की हरिशंकर भाभड़ा जी से कितनी तगड़ी तकरार हुई? राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष ने किस प्रकार की बात की?

श्री अध्यक्ष : उनकी पार्टी से आपको क्या मतलब है, होने दीजिए जो कुछ हो रहा है। आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलें, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, इससे आपको क्या मतलब है? (व्यवधान) आपकी पार्टी में क्या हो रहा है?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण काहे पर हो रहा है?

श्री धर्मपाल चौधरी : दूदू से आने वाले विधायक से पूछो, अखबार में क्या कहा था आपकी पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी के टिकट बिके।

श्री वीरेन्द्र मीणा : शर्मा जी, आपके तीनो पूर्व मंत्री दौसा में लड़ रहे थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके प्रतिपक्ष के नेता का एक भी आदमी कहना नहीं मानता है। कहां तो सी.पी. जोशी जी कहते हैं बैठ जाओ, कभी कोई कहता है। (व्यवधान)

श्री. ओ.पी. महेन्द्रा : गंगानगर में आपके पर्यवेक्षक ने प्रेस कान्फ्रेन्स करके कांग्रेस के चार मैम्बरों को बाहर निकाला। राधेश्यामजी आपके मंत्री थे, हीरालाल इन्दौराजी आपके मंत्री थे, उन पर आक्षेप लगाये।

श्री धर्मपाल चौधरी : आत्म चिन्तन अपनी पार्टी का कर लो, दूसरों के घर को छोड़ो क्या हो रहा है। हमारे घर को तो हम अपने आप सुधार लेंगे।

श्री अशोक नागपाल : अनूपगढ़ पंचायत समिति में आपके 19 मैम्बर जीतकर आये वोट मात्र 9 मिले।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं तो गंगानगर-घड़साना नहीं गया था।

श्री अशोक नागपाल : हम भी गंगानगर जिले की बात कर रहे हैं आपसे।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैने तो सुरेन्द्र सिंहजी से नहीं कहा था कि टी.टी. साहब का गिरेबां पकड़ना, मैने कहा था क्या ? अब आप नाराज हो। सुरेन्द्रपाल जी टी.टी. के साथ जो स्थितियां बनी, वह आपके सामने चिन्ता का विषय नहीं है क्या ? टिकट के मामले में गुंजल साहब थे..

श्री अध्यक्ष : अब आप यह क्यों कर रहे हो ?

श्री गुरजंटसिंह बराड़ : ऐसा कहने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह धन्यवाद प्रस्ताव है, आप काहे की फालतू बात कर रहे हो ? रायचंद जी मत बनो, अपनी बात करो।

श्री गुरजंटसिंह बराड़ : आप करते क्यों हो जब जानते नहीं हो तो ? यह कोई तरीका थोड़े ही है आप किसी की भी बात कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पराये दुख दुबले यों ही हो रहे हो। होने दीजिए जो कुछ हो रहा है। आप तो पराये दुख दुबले हो रहे हो, क्या मतलब है ?

श्री अशोक नागपाल : आप बार-बार गंगानगर की चर्चा कर रहे हैं, आपके सत्रह सदस्य जिला परिषद में जीतकर आये फिर भी आप जिला परिषद नहीं बना सके। अनूपगढ़ पंचायत समिति में जहां घड़साना आन्दोलन की आप बात कर रहे हैं, 19 मैम्बर आपके जीतकर आये फिर भी आप पंचायत समिति प्रधान नहीं बना सके।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे यहां यह हुआ कि वहां पर योग्यता रखने वाली अनुसूचित जाति की महिला प्रधान बनती, उन तीनों महिलाओं को आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट देकर चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी की तीनों प्रधान बनने वाली महिलाओं को हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की जनता ने अस्वीकार कर दिया। फिर मजबूरी में... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आपके हाथ से निकल गया, माननीय सदस्यगण, हिण्डौली निकल गई। (व्यवधान) ममता जी से पूछो, उन्होंने निकाली है।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर हाथ के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आने वाली महिला के सामने आपने आत्म समर्पण करके यह कहा कि बिना हमारे सिम्बल के ही चुनाव लड़ लो। आपने समर्पण किया। समर्पण तब नहीं होता जब आप उनको चुनाव चिन्ह देते, आपने समर्पण किया।

श्री ओम बिरला : उन्होने आज ही 11 बजे बी.जे.पी. की सदस्यता ग्रहण कर ली।

श्री अशोक नागपाल : माननीय सदस्य, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घड़साना में जो आन्दोलन हुआ फिर भी सूरतगढ़ में प्रधान हमारी भारतीय जनता पार्टी का बना, आप अनूपगढ़ में अपना प्रधान फिर भी नहीं बनवा सके।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब सत्ता मे बैठते हैं..

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : गंगानगर में 30 पंचायत समिति के सदस्य थे, आपका कैंडीडेट खड़ा हुआ और एक ही वोट रह गया। 23 में से 22 वोट कांग्रेस को मिले।

श्री अशोक नागपाल : इसी तरह अनूपगढ़ में आपके 19 सदस्य जीते, मात्र 9 वोट मिले आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह किस चीज पर बहस हो रही है ? पंचायती राज के चुनाव पर बहस हो रही है ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान की जनता के बारे में बताओ। हमें हमारे दल की चिन्ता है, आप अपने दल की चिन्ता करो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, अब आप चुनाव की चर्चा छोड़िए और आगे बढ़िए, धन्यवाद प्रस्ताव पर आइए।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे चरित्रों का भाग है तो सबके सामने आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जनता के सामने दोनों पक्षों का चरित्र मौजूद है। अब अगर आप उस पर चर्चा न करें तो उचित होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अच्छा, नहीं कर रहे। छोड़ते हैं इस चर्चा को। आपको तकलीफ हुई, क्षमा और छोड़ी चर्चा। ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई तकलीफ नहीं हैं लेकिन आप नियम से बाहर जा रहे हैं यह तकलीफ है। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं बोलें।

एक माननीय सदस्य : यह क्या बंगारू लक्ष्मण कांड भी हुआ था क्या ? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : क्या कर रहे हो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, हर बार खड़ा होना आपके लिए आवश्यक नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : मैं अभी बोला हूं, माननीय अध्यक्ष महोदया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हर समय खड़े हो जाते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कृपया संयम रखें। मेरी जिम्मेदारी है उनको कन्ट्रोल करने की, लेकिन आप बीच में न बोलें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : 2005-06 योजना की आप बात कर रहे हैं, गत कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली ने उस समय हमारे साथ किया... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं दोनो ही पक्षों से कहना चाहूंगी कि आप वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजाए वर्तमान सरकार कहें और पहले वाली सरकार कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। यह बार-बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विधान सभा में जिस तरह से बोलते हैं, मैं समझती हूं यह उचित नहीं है। आप वर्तमान सरकार कहें, हमारी सरकार कहिए। हमारी वर्तमान सरकार, आप विगत सरकार को कहिए लेकिन आप बार-बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर क्यों कहते हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : ऐसा कह देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, ऐसा बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा : वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार ने जो हर वर्ष की योजनाएं बनाई जिस प्रकार दिल खोलकर वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह... (व्यवधान) आह नहीं, माननीय मुख्यमंत्रीजी मुक्तगण से तारीफ कर रही हैं, आप नहीं करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी अयोग्यता को बताया है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जिस प्रकार के उदारतापूर्वक... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री हरिमोहन शर्मा : जैसा व्यवहार आपकी पूर्व की दिल्ली की सरकार ने हमारी सरकार के साथ किया था, आप सशंकित थे कि शायद दिल्ली की सरकार हम मांगेंगे उतना भी नहीं देगी। लेकिन देखिए आप, यह सोच है विजन का। यह राजस्थान के प्रति आपकी तो कल्पना ही नही थी। आपने तो योजना ही केवल 7853 करोड़ की बनाई थी। आपका विजन होता, सोच होता कि दिल्ली क्या देगी तो आप योजना 8350 करोड़ रुपये की लेकर जाते। आपने तो सोचा ही नहीं था। यह तो डाक्टर मनमोहन सिंह और अहलूवालिया का सोच था। दिल्ली की सरकार का सोच था कि हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। हम राजस्थान को और योजना मद से पैसा देना चाहते हैं। आप तो योजना कम लेकर गये थे और उन्होंने बढ़ा दी तो कहते हैं कि हमारी योजना बड़ी हो गई। धन्यवाद दीजिए आप दिल्ली की सरकार को कि आपके मांगने के... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जो हमने पहले दिया वह खर्च नहीं कर पाये, यह कुप्रबन्ध है आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी, आप खामख्वाह टोकम टोकी करते हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : धड़ मोटा होने से बुद्धि मोटी नहीं हो जाती। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : न तो आपकी बुद्धि मोटी है न शरीर मोटा है, आप तो गये गुजरे हो। (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत : बुद्धि मोटी नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बुद्धि मोटी नहीं है यह आपने ठीक कहा, बहुत बारीकी है उसमें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : एक तरफ आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपका विजन, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार की सोच। किस प्रकार आपको वह मदद करेगी आप समझ ही नहीं पाये। आप उदारता की कल्पना नहीं कर पा रहे। आपने तो यही सोचा था कि जो व्यवहार हमने राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के साथ दिल्ली से करवाया था... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने 55 मिनट ले लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो करवाया था, वही कल्पना आपने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी इस गठबंधन की सरकार से की थी। सोच आपका वैसा ही था। लेकिन वर्तमान सरकार ने आपको सहयोग किया। राजस्थान के विकास में कोई मतभेद नहीं है, आप और हम एक हैं चाहे वह रिफाइनरी का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे सार्वजनिक रूप से कोई भी योजना हो। जहां अपने प्रदेश का सवाल है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इन मतभेदों की आड़ में, इन सारी बातों की आड़ में, उस सोच की आड़ मे मानसिक रूप से आप राजनीति करके उसका राजनीतिक लाभ उठाने की बात करते हैं तो फिर सभी प्रश्न पैदा होते हैं।

आखिरी में मेरा एक निवेदन और है कि आपके शासनकाल में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट का समय और है। आपकी पार्टी के पास 4 घंटे और 24 मिनट हैं, आप 55 मिनट ले चुके हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे, सोचिए, बाकी लोगों को बोलने का समय कैसे मिलेगा ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। समापन की ओर लेकर जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपा कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके शासन काल में भूख से कितने आदमी मरे ? तड़पते रहे बारां में, सहरिया क्षेत्र में 30 लोगों की अकाल-भूख से मौत हुई। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : आपकी दिल्ली सरकार ने कहा (व्यवधान) भूख से नहीं मरे। आपकी यह सरकार बोल रही है दिल्ली में बैठकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या प्रमाण है आपके पास ?

श्री ओम बिरला : यह हम नहीं कह रहे हैं, हमारी सरकार नहीं कह रही है, यह आपकी सरकार बोल रही है दिल्ली में बैठकर। (व्यवधान) भूख से मरे हैं, आप कह रहे हैं। (व्यवधान) दिल्ली सरकार कह रही है कि भूख से नहीं मरे। यह हमारी सरकार नहीं कह रही... (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह कह रही? हैं सोनिया जी की सरकार, सरकार डा. मनमोहन सिंहजी की है, या सोनिया गांधीजी की है, यह खुलासा करिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके शासन काल में जिस प्रकार लोगों की भूख से मौतें हुई हैं, उस बात से भले ही आप इंकार करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टीम आई थी उसने कहा है। जो सुप्रीम कोर्ट से टीम जांच करने के लिए भेजी गयी थी उसने कहा है कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के अनुसार ये मौतें भूख से हुई हैं। यह रिपोर्ट है उनकी। आप मेरी बात को इंकार कर दो, मौतें भूख से हुई हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : केन्द्र सरकार का जो दल आया था शर्माजी, उसने मान लिया कि भूख से मौत नहीं हुई है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : यह एकदम असत्य है, वहां आपकी सरकार के समय... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय से कहिए कि अपने स्थान से बोला करें। कहीं पर भी बैठकर मंत्री महोदय बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : अपने 55 मिनट के भाषण में पांच बात सत्य नहीं बोलीं आपने। पूरा का पूरा भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, सुप्रीम कोर्ट की टीम आयी, राजस्थान में सहरिया क्षेत्र में देखकर आई, उसने माना है कि ये मौतें भूख से हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ही... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कोट कर दें। (व्यवधान) आप कोट कर दें। आप हर बात में चुनौती देते हैं, प्रूव कर दें, सुप्रीम कोर्ट की कोई टीम आई और मौत भूख से हुई। (व्यवधान)

श्री भवानीसिंह राजावत : यह राजस्थान की विधान सभा है जिस प्रकार यह... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की विधान सभा में बोल रहे हैं। सदन में असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : पूरे सदन में असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भवानीसिंह राजावत : उन्होंने जयपुर में आकर खुलासा किया कि कोई भी भूख से नहीं मरा। उन्होंने जयपुर में आकर अपना बयान दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने उच्चतम न्यायालय का हवाला देकर कहा कि उच्चतम न्यायालय की टीम ने कहा कि भूख से मौत हुई है। उच्चतम न्यायालय ने जो टीम गठित की गयी, किस-किसकी की, जरा नाम बता दीजिए ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आई.ए.एस. आफिसर रिटायर्ड हैं, उसके मैम्बर थे। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आपके पास कोई प्रमाण है....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मिस्टर हर्ष मंडेर (व्यवधान) आई.ए.एस. रिटायर्ड (व्यवधान) जिसने गुजरात के दंगों की जांच की, वह उसका मैम्बर था। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित की उसमें हर्ष मंडेर (व्यवधान) आई.ए.एस. रिटायर्ड उसका मैम्बर था, उसने यह बात कही। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : चैलेंज करते हैं, इस्तीफा देंगे। क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रूव कर दीजिए। लिख दीजिए आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस्तीफा दे देंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप टेबल पर करो। इस्तीफा देने का आपको शौक होगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप चैलेन्ज कर रहे हैं, इस्तीफा देंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी मर्जी पर नहीं हूं, आप कौन होते हैं मेरा इस्तीफा मांगने वाले ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको तथ्यों का पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको तथ्यों का पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित की थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट की यदि कोई ओथेंटिक टीम यहां आई है और उसके आथेंटिक कमेंट्स हैं तो कृपा करके सदन की टेबल पर रखें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रखिए टेबल पर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रख दीजिए न, क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सुप्रीम कोर्ट की टीम नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रख दो टेबल पर। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : रख देंगे, क्या तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में कोई बात कहीं जाती है .. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : Chair cannot compel it. We will give it. सुप्रीम कोर्ट की टीम आयी हैं उसमें मिस्टर हर्ष मंडेर, आई.ए.एस. आफिसर और देवेन करोज मैम्बर थे उसके। हम कह रहे हैं, रिपोर्ट लाकर देखो। (व्यवधान) खाली खड़े होकर कह रहे हैं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिये हैं, मिस्टर हर्ष मंडेर, रिटायर्ड आई.ए.एस. हैं और मिस्टर देवेन करोज, उन्होंने मिलकर रिपोर्ट की है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सुप्रीम कोर्ट की टीम आयी है और वह बारां गयी है। (व्यवधान) वह टीम बारां गयी है और बाद में जाकर रिपोर्ट दी है। सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है बारां जाकर। (व्यवधान)

श्री भवानीसिंह राजावत : रिपोर्ट कब दी ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : श्रीमान्, सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन पर टीम आयी है, जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस की है। खड़े होकर बातें कर रहे हैं बेवजह। आपने आपको करैक्ट करिये। (व्यवधान) सरकार चला रहे हैं, क्या कर रहे आप? सरकार से पता लगा लीजिए। खाली खड़े होकर बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो टेबल कर दो रिपोर्ट को। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप पता लगा लो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सरकार चला रहे हैं, जिम्मेदारी बनती है आपकी। सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन पर टीम बनी है उसकी रिकमण्डेशंस हैं मेड, खाली बातें कर रहे हैं अपन।

श्री भवानीसिंह राजावत : अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं मरा। आपके लोग जाकर आ गये। (व्यवधान) लोगों ने कहा, यहां भूख से कोई नहीं मरा। कल्ला साहब मुंह की खाकर आये हैं, वहां कोई भूख से नहीं मरा, किशनगंज-शाहबाद में। (व्यवधान) लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, भड़काते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : भूख से मरे हैं, भूख से। मैं जाकर आया हूं, भूख से मरे हैं, लोग।

श्री अध्यक्ष : संसदीय सचिव, स्थान ग्रहण करें।

श्री भवानीसिंह राजावत : आपके राज में लोग भूख से मरे थे। सदन को गुमराह करना चाहते हो। (व्यवधान) राजस्थान की जनता ने आपका चरित्र और चेहरा देखा है अच्छी तरह से।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कल्ला साहब को कहना चाहूंगा, जिस रोज वह काण्ड हुआ था उसी के दूसरे दिन तो मैं वहां पहुंच गया था। (व्यवधान)

श्री भवानीसिंह राजावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब जिस रोज गये थे, सहरियाओं ने कल्ला साहब को रोका और कहा कि हमें गुमराह न करें, यहां भूख से कोई नहीं मरा है। कल्ला साहब बताएं सदन को, नहीं रोका क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय संसदीय सचिव, मैं वहां गया हूं, सबने यह स्वीकार किया है कि लोग भूख से वहां मरे हैं। (व्यवधान)

श्री भवानीसिंह राजावत : नहीं, कहा, आप असत्य बोलते हैं।

श्री वीरेन्द्र मीणा : आप तो वहां गये 10 दिन बाद में, दूसरे दिन तो सरकार जा पहुंची थी खुद। मैं खुद गया था वहां पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो टीम गयी थी उसकी रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन समाचार पत्रों में जो कटिंग आयी है वे मेरे पास हैं, आप कहें तो मैं उसको टेबल कर दूं।

श्री भवानीसिंह राजावत : वह सब गलत है, एक दम गलत है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप भी स्थान ग्रहण कर लें तो अच्छा रहेगा, आप भी विराज जाएं।

अखबारों की कटिंग्स के आधार पर इतना गम्भीर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, यदि आपके पास आर्थेंटिक रिपोर्ट है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : He is quoting.

श्री अध्यक्ष : वह कोट कर रहे हैं, जब वे कह रहे हैं, तो आप रख दीजिए सदन की टेबल पर। सदन की मेज पर रख दो, क्या दिक्कत है? ऐसे थोड़े ही चलता है, अखबार तो बहुत कुछ लिख देते हैं। अखबार तो एप्रिहेंशन में बहुत कुछ बात लिख देते हैं। यदि आपके पास आर्थेंटिक रिपोर्ट है तो आप सदन की टेबल पर रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ एक मिनट।

श्री महावीरप्रसाद जैन : +++ क्या होता है? यह असंसदीय शब्द है+++।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की जो टीम आयी थी, उसने फाइडिंग्स वहीं दी। राज्य सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है वह पार्टी हैं, वहां से मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष : आप एलिगेशन लगा रहे हैं। आप एलिगेशन लगा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलने वाले की जिम्मेदारी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हां, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं और मैं कहता हूं भूख से मौत हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप की जिम्मेदारी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं लगा रहा हूं आरोप। वे भूख से मौतें हुई थीं, मैं लगा रहा हूं आरोप। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : असत्य है आपका आरोप । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : असत्य आरोप है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : कोई गलत बात नहीं है, भूख से मौतें हुई हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत : अध्यक्ष महोदय, हमारे शासन में अगर किशनगंज-शाहबाद में एक भी भूख से मौत हुई तो इस सदन से त्यागपत्र देने के लिये तैयार हूं। आप असत्य बोलते हैं और सदन को गुमराह करते हैं। (व्यवधान) भूख से मरे थे आपके राज में। तोलाराम ने आत्मदाह कर लिया था। आपके माननीय सदस्य, तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं कई माननीय सदस्यों से बहुत दुःखी हूं। चाहे जब खड़े हो जाते हैं, चाहे जो कुछ कहने लग जाते हैं। आप बार-बार न खड़े होइये। मैंने कह दिया कि चार्ज यहां पर लगाता है जो माननीय सदस्य, यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी पुष्टि के अन्दर वह उस डाकूमेन्ट को पेश करे। यह बात मैं कह चुकी हूं, इसलिये इधर का उधर का सवाल पैदा नहीं होता है। आज जब यह चार्ज लगा रहे हैं कि भूख से मौत हुई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि 2 दिन में, 4 दिन में आप लाकर रख देना यहां पर, क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह दीजिए, हां। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विराजें, आप विरोजें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हो गयी बात। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जो भी सम्भव होगा, वह सब करेंगे। जो सम्भव होगा वह सब करेगे। जो अध्यक्षजी का आदेश होगा, वह सब करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में अध्यक्षीय व्यवस्थाएं भी हैं, नियम और प्रक्रियाओं में है भी कि कोई भी माननीय सदस्य जो बोले वह अपनी जिम्मेदारी से और जो इनके पास है वह उस जिम्मेदारी से बोले। मेरे पास अखबार की कटिंग है या मुझे सूचना मिली है इस आधार पर अगर बोलते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता और स्वयं की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय बोले उसी समय... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बात तो अध्यक्ष महोदय कह चुकीं। अध्यक्ष महोदय कह चुकीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रमाण देंगे, 3-4 दिन बाद नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य कोई भी जार्च लगाए तो उससे पहले इनके पास कोई डाक्यूमेंट और प्रूफ होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिलकुल होना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 3-4 दिन बाद कहा है, जो आया था, अखबारों में चला गया, तो उसे रोका चाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बेग चार्ज नहीं लगा सकते हैं, बिलकुल सही बात है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : +++(व्यवधान)+++यह हमने महाराणा प्रताप के मामले में सुना था लेकिन अब तो यह जमाना बहुत आगे बढ़ गया।+++ (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : पहले आप सुप्रीम कोर्ट पर बात कर रहे थे, अब बात को बदलकर कहां आ गये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विराजें । (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : किस योजना पैसे खर्च हुए, किस योजना में कितना खर्च हुआ, भूख से कौन मरा, इसके आंकड़े सदन के पटल पर रखें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : खुराना साहब को तो आपने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के आधार पर शायद उन्होंने कहा था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं +++

श्री अध्यक्ष : अखबार पढ़कर ही तो कष्ट हुआ ?

श्री हरिमोहन शर्मा : वही तो मैने रिकार्ड पर लिया है। आप स्पष्टीकरण कर देना। अध्यक्ष महोदय, जो इंफरेंस आप ड्रा करें, आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं रोक थोड़े ही रहा हूं। जैसे भी हुआ, उनको कष्ट तो हुआ न। इनके महामहिम को हुआ। हमारे महामहिम को हुआ, कष्ट तो हुआ ? (व्यवधान) अब आप यह फर्माएं कि उनको अखबार से कैसे हो गया तो हम क्या करें ? आप मत मानो उस बात को। मुझे दिक्कत नहीं है इस बात से। ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इसलिये हैं इस सदन के सामने कहना चाहता हूं, कि यह सरकार संवेदनहीन है, कानून और व्यवस्था की पालना नहीं कर पायी है, किसानों की हत्याओं के बाद और 30 लोगों की भूख से मौत के बाद इसे नैतिक रूप से सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पूर्व में जो महामहिम राज्यपाल महोदय से बातें कहलायी थीं, उनको पूरा नहीं कर पाये और न राज्यपाल महोदय से जो कहलाया है, उनको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घंटा आठ मिनट ले लिये आपने, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : उनको पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिये प्रस्ताव पास नहीं किया जाए। ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवदेन

कार्य सलाकार समिति (क्र.सं. 7)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2005 को मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म में हुई। समिति ने दिनांक 18 फरवरी, 2005 से 23 फरवरी, 2005 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2005 -	राजस्थान स्व-वित्तकोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 19 फरवरी, 2005 -	
रविवार, दिनांक 20 फरवरी, 2005 -	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005 -	1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 2. राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण
मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2005-	1. राजस्थान क्रीड़ा संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन, विधयेक, 2005 2. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

	विधेयक, 2005 एवं 3. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2005 -	1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 एवं 2. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

व्यवस्था का प्रश्न

वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 272 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पाइण्ट आफ आर्डर। अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय राज्यपाल महोदय को उद्धृत किया वाद-विवाद में। 272 में यह लिखा है, 272 का 6, बोलते समय पालनीय नियम, "वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेगा।" मैं चाहता हूं कि जो भी उन्होंने अभी कहा है डिबेट में, उसको आप एक्सपंज करें। उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है। राज्यपाल महोदय को उद्धृत किया है, यहां हाउस के अन्दर इसलिए इसको एक्सपंज किया जाए।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

किसी डाक्यूमेंट को उद्धृत करने व किसी सदस्य द्वारा मांग करने पर उसे सदन की मेज पर रखना पड़ेगा

दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टीम का उल्लेख किया है। सदन में नियमों, कई बार मामले उठे हैं कि किसी भी डाक्यूमेंट को कोई उद्दत करेगा या उसका रैफरेंस देगा, उसे रैफरेंस का यदि कोई भी सदस्य मांग करे या अध्यक्ष महोदय उसके लिए कहें तो उसको सदन की मेज पर रखेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उनको कहा है कि उस डाक्यूमेंट को आप सदन की मेज पर रखें, उन्होंने आपके इस आदेश की अवहेलना की है। इसलिए यदि वे नहीं रख रहे हैं तो नियमों के तहत कार्यवाही की जाए। मंत्रीजी ने भी कहा है, या तो डाक्यूमेंट आप रखवाइये, और यदि डाक्यूमेंट नहीं है तो वे सदन से क्षमा याचना करें कि मेरे पास डाक्यूमेंट नहीं है, मैंने केवल अखबारों के आधार पर बोला है। जो राज्यपाल महोदय के नाम का उपयोग किया है, उसको आप एक्सपंज करें, यही मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है इसमें माननीय सदस्य ने कहीं राज्यपाल महोदय के आचरण पर अथवा उनको कहीं पर भी कोई... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आचरण का सवाल नहीं है इसमें। (व्यवधान) 272 पढ़िये। 272 पढ़िये, आचरण का नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने पढ़ लिया, 272 मैं पढ़ चुका हूं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : "वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिए"- उसमें साफ लिखा है कि वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय के नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनके बारे में कोई नहीं कहा। (व्यवधान) नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी आप प्रोसीडिंग्स को पढ़कर देख लीजिए, उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में कोई भी विषय डिस्कस नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह 11 है, आप 6 पढ़िये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह 11 है जो आप बोल रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप जो बोल रहे हैं वह 11 है, आप 6 पढ़िये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे को पता है। मैं आपसे पहले चीफ-व्हिप रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इससे क्या हो गया ?

डा. एस.एन. गुर्जर : 272, पैरा 6, वह पढ़िये आप। आप पढ़ रहे हैं 272 का 11, आप पढ़िये 272 का पैरा 6।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप माननीय व प्रतिपक्ष के नेता हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप अब फिर कहंगे प्रतिपक्ष का नेता रहा हूं तो इससे क्या होगा? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं एक मिनट में पहले अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बोलिये। आपको भी पूरा अधिकार है।

डा. एन.एस. गुर्जर : बोलिये-बोलिये । मैं आपको इण्टरफियर नहीं करना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोल रहा हूं, उसके बाद बोल लें आप।

श्री कालीचरण सराफ : वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेगा, यह लिखा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी बात पर आपने कहा कि आक्षेप नहीं लगाया है, मैं आक्षेप के बारे में बोल ही नहीं रहा हूं। आक्षेप का है पैरा-11 में और उपयोग का है पैरा-6 में, आप 272 का पैरा-6 पढिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : (vi) use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate.

डा. एन.एस. गुर्जर : यस।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने डिबेट को कोई इनफ्लुएंस नहीं किया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : किया है। राज्यपाल महोदय का नाम उन्होंने उद्धृत किया है, क्लीयर है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की टीम की बात हुई तो मैं आपको हिन्दुस्तान टाइम्स के... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अखबार कोट कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : S.C. team confirmed Saharia..... (Interruption)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अखबार कोट कर रहे हैं, यह कौनसी परम्परा है ?

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, इसे रिपीट नहीं करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अखबार कोट कैसे कर सकते हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हमको रिपोर्ट देगा क्या ? सुप्रीम कोर्ट की टीम आयी थी और यह बात कही थी। (व्यवधान) उन्होंने यह बात कही थी, आप कहो तो मैं सदन की मेज पर इसकी फोटो-कापी रख दूं। माननीय सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो रिपोर्ट की बात कहीं थी, यहां पर जितनी भी बहस होती है उसमें समाचार-पत्रों को जितना अवाइड करते है, यह उचित नहीं है। समाचार पत्रों के आधार पर यहां पर बहस होती है लेकिन हम यहां पर उसको साइट नहीं कर सकते अथवा हम सदन की मेज पर नहीं रख सकते। लेकिन जो टीम आयी है, उसके बारे में जो सूचना मांगी है, जो माननीय सदस्य ने दी है, वह बिलकुल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टीम जो आएगी वह क्या माननीय सदस्यों को रिपोर्ट देगी ? वह रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आगे कार्यवाही करेगा। लेकिन इन्होंने चैलेंज किया था कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टीम नहीं आयी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया उसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की टीम आयी थी और उसने आकर भूख के बारे में कहा था और इन चीजों को माना था। यह समाचार-पत्रों में आया है। अब आप समाचार-पत्रों को आधार नहीं मानेंगे तो किसको आधार मानेंगे?

श्री अध्यक्ष : समाचार-पत्रों का आधार नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्र के आधार पर कोई भी आरोप लगाया जाता है सदन में, तो यह (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता हैं यह।

डा. एन.एस. गुर्जर : समाचार-पत्रों के आधार पर सदन में कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास इन्फोर्मेशन हो सकती है, पर समाचार-पत्रों के आधार पर नहीं लगा सकते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोट ही तो किया था। हमारे यह संसदीय कार्य मंत्रीजी यह कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टीम ही नहीं आयी।

व्यवस्था

वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट सुनिये। मैं आपको सुनूंगी।

आप जो सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं, उसके बारे में आपको अगर कोई बात कहनी है तो आप कहिये आर्थेटिक तौर पर, लेकिन यह बात जरूर है, you cannot use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate.

निश्चित तौर से इस डिबेट पर इनफ्लुएंस हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आनरेबल स्पीकर साहब, अगर उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया है, अखबार में छपा है, अखबार में उनके नाम से छपा है...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : वह नहीं बता सकते आप ।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने खण्डन नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुनूंगी। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपकी बात सुनूंगी, आपको मौका दूंगी। लेकिन यह बिलकुल सही बात है कि डिबेट में इनफ्लुएंस करने के लिए प्रेसीडेंट और गवर्नर का नाम नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने गवर्नर का नाम लिया है to influence the debate.

उनके यह कहने से कि – बड़ा कष्ट हुआ, सचमुच में डिबेट इनफ्लुएंस हुई है इसलिए उस सबको मैं एक्सपंज करती हूं। अब आप बोलिये, क्या कहना है आपको ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग शिरोधार्य।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जग-जाहिर बात है, तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने सहरियों की भूख से मौत के बारे में जो कहा उनके आब्जर्वेशन थे, उन्होंने दिये। कृपया मुझे सुन लीजिए। आप मेरी बात को सुन लीजिए और मेरी राय से पूरा सदन सहमत है, इसको कोई झुठला... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा सदन नहीं है सहमत।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूरा सदन नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप सुन लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उसी पाइंट पर आ रहे हैं, यह उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। यह बिलकुल गलत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह पेपर्स पर नहीं आया था। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : But you can not use the name of the Governor to influence the debate.

श्री अध्यक्ष : फिर पेपर्स की बात कर रहे हैं आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारे अखबारों में उनका आब्जर्वेशन आया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आया होगा पर.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आया क्या होगा ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अखबारों में तो क्या-क्या आता है? समाचार-पत्रों में तो क्या-क्या आता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबारों में यह आया था कि पूर्व सरकार ने पता नहीं कौन-कौन से घोटाले किये, अखबारों के आधार पर आप मान लेंगे? अखबारों में तो यह आया था कि आपने कई आर्डिनेंस निकाले, उसमें बहुत गड़बड़ी की, तो जो अखबार में आया उसका क्या मतलब है? यह सदन जो भी पूर्व में... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे आप नहीं बोलने देगे? यह बात सही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन नियम है उससे चलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोलने नहीं देगे आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के चीफ-व्हिप इस तरह का व्यवहार करें, उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष भी अगर ऐसा व्यवहार करें तो मैं क्या करूं ? वैसे ही वह मुख्य सचेतक करते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो जब बोलता हूं तो सारे सदन को चुप रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आपने ही यह नियम बना रखे हैं। नेता और प्रतिपक्ष का नेता खड़ा होता है तो उसको सब सुनते हैं, आप समेत। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप गम्भीरता लाइये, आपको भी सुनना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब कहिये, क्या कहना है आपको ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन गवर्नर साहब के आब्जर्वेशंस थे, सारे अखबारों के अन्दर आये और उसके ऊपर... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह अखबार से कोट करके... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : इंफ्लुएंस करना चाहते हैं, नहीं कर सकते गवर्नर साहब को यहां हाउस में.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : और उसको वहां पर इन्होंने अपने भाषण में कोट किया तो इसमें कौनसा उल्लंघन हुआ है? मेरा इसमें आपसे निवेदन है, इसके अन्दर.... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : He cannot use name of the Governor.

श्री प्रद्युम्न सिंह : No. No. I do not agree with you.

डा. एन.एस. गुर्जर : According to Rule 272 (vi) you cannot use.

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बात उन्होंने कही है और अखबारों के अन्दर आया है। (व्यवधान) दु:ख प्रकट किया है उन्होंने। आप कैसे मना कर सकते हैं उस बात को ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : The House will go according to the Rules, not according to you.

श्री अध्यक्ष : कुछ भी आया हो। माननीय सदस्य, अखबारों में कुछ भी आया हो लेकिन गवर्नर और प्रेसीडेंट का नाम लेने से निश्चित तौर पर डिबेट इनफ्लुएंस होती है। इसलिये उनके नाम का हवाला आप नहीं देंगे।

श्री दलजीत सिंह : गवर्नर साहब का नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर इस अभिभाषण के ऊपर हम चर्चा भी नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह क्या बात हुई ? यह अलग है।

श्री दलजीत सिंह : क्यों नहीं ? जब गवर्नर साहब का नाम नहीं ले सकते हम तो फिर इसके ऊपर डिबेट कैसे कर सकते हैं। क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? यह मुख्य मंत्रीजी का नहीं है.... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हाउस मैं बोला है गवर्नर साहब ने, इसलिये डिबेट कर रहे हैं। हाउस में कहा है इसलिये डिबेट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाड़ी से आने वाले सदस्य, जो कुंछ विधान सभा के अन्दर राज्यपाल महोदय ने कहा है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उनके हवाले से उन्होंने कहीं कुछ और कहा हो और वह अखबारों में आया हो, उसके आधार पर आप डिबेट को इनफ्लुएंस नहीं कर सकते। भाषण देकर गये हैं उस पर करिये न चर्चा।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कुल-मिलाकर एक बात है कि सरकार का पानी मर चुका है।

श्री अध्यक्ष : पहले यह फैसला करो कि आप में बोलेगा कौन? पहले यह फैसला करो कि आप बोलेंगे या सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे, या नाथद्वारा से आने वाले बोलेंगे? यह पहले फैसला करो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप ही आज्ञा देंगे। आप आज्ञा कर दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले यह फैसला करो। आप खड़े हो, पीछे वह खड़े हो जाते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन यह जो क्लॉज बनाया है उस क्लाज के समय में कोई भी गवर्नर कान्फ्रेन्स नहीं करता था। प्रेस कान्फ्रेन्स के नहीं होने से गवर्नर के रेफरेन्स में किसी चीज को इंन्फ्लुएंस करे, यह इसके पीछे मंशा थी। गवर्नर ने प्रेस कान्फ्रेन्स करके कोई बात की तो डिबेट में मैं उसका उपयोग लूंगा तो किसे-किसे बाहर करेंगे, अध्यक्ष महोदय, आप ? मैं समझता हूं कि आपको इन दो चीजों के बीच में डिफरेन्स करना पड़ेगा, नम्बर एक। दूसरी बात मेरी, अध्यक्ष महोदय, यह है कि आप (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई रिलीज किया है क्या उन्होंने ?

श्री अध्यक्ष : क्या करते हैं, क्या नहीं करते... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : गवर्नर से कोई प्रेस नोट रिलीज हुआ है क्या?

डा. सी.पी. जोशी : यह तो अभी प्रेस में कहां से बोला है, प्रेस की हिन्दी नहीं आती । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप गवर्नर को प्रेस बताएंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अब अजीब बात है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी राय रख दी, अब सुनिये आप। ... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट।

डा. सी.पी. जोशी : आप बाद में नहीं बोल सकते क्या ?

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैं आपको इन्टरफियर नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनिये। आपकी रूलिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : हां, ठीक है। हम नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप कर रहो हो, और क्या कर रहे हो ?

डा. सी.पी. जोशी : आप बैठ जाओ न। कर रहे हैं तो वह रोक देंगे। वह उनका काम है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में कई माननीय सदस्य बड़े विद्वान हैं और वह विद्वान सदस्य उठते नहीं। आसन की मजबूरी है। ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप कोई भी क्वालिफाइड स्टेटमेन्ट दें, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सदन में ये सब चीजें रेकार्ड पर आनी चाहिये कि आपकी तरफ से, अध्यक्ष महोदय, आपने यह फैसला कर दिया कि रिपोर्ट पेश करिये। अध्यक्ष महोदय, आप किस कानून में रिपोर्ट पेश करवा रही हैं? इसमें खाली पेपर ले करने के सम्बन्ध में मंत्री के सम्बन्ध में लिखा हुआ है- कोई भी सदस्य जो बोलता है, अपनी बात करता है। आपने कहा है बहुत अच्छा कहा है। यह सदस्य की ड्यूटी है। सदस्य मना कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपाइंट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अपाइंट होने वाले आदमियों ने यहां पर आकर प्रेस कान्फ्रेन्स नहीं की। आप सरकार को नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आप रिपोर्ट पेश करिये। हमारे पास क्या रेफरेन्स होगी ? डेमोक्रेसी खतम हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय। डेमोक्रेसी में रेफरेंस हम प्रेस के माध्यम से लेंगे। आप इसको बन्द कर दीजिये कल की डेट में। डिबेट ही नहीं हो पाएगी। आप कम से कम अध्यक्ष होने के नाते हैल्दी डिबेट हो, हैल्दी डिबेट के अन्दर हम रेफरेन्स को ठीक ढंग से लेकर आवें, यह हमारी ड्यूटी बनती है और आप की ड्यूटी बनती है सरकार से पूछें कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनायी, नहीं बनायी। सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट गयी कि नहीं गयी ? आप हमको पूछ रहे हैं यह बात। आने वाले समय में यदि आपका यही है तो डिबेट ही खतम करवा दीजिए, बन्द कर दीजिए असेम्बली को। फिर किस लिये असेम्बली चलानी है आपको ? अध्यक्ष को खुद को आना है, सरकार को आना है। अध्यक्ष महोदय, रोज ऐसे नहीं हो सकता।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीरप्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाता है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में अपनी बात कहने के लिए अखबार को आधार बनाया जा सकता है

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब आप खुद आज फैसला कर लें कि डिबेट में क्या काम में लें हम ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर्सनल नालेज।

डा. सी.पी. जोशी : अखबार काम में नहीं ले सकते, अखबार का रेफरेंस, डिबेट में, क्या काम में लें? आप डिबेट को रैगुलेट कैसे करना चाहते हैं? आप मेरे मैम्बर के राइट को खतम नहीं कर सकते। आप सरकार चला रहे हैं, आपको दस तरह के अधिकार हैं। हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, आप रैगुलेट करिये, डिबेट कैसे करेगे, अखबार को रेफरेंस नहीं कर सकते, प्रेस को रेफरेन्स नहीं कर सकते, फिर लोकतंत्र को बन्द कर दीजिये। किसलिये प्रेस को अलाउ कर रहे हैं यहां पर आप? प्रेस यदि हाउस के अन्दर बैठ रही है और प्रेस रिपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, आप इतना बड़ा फैसला करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं ? लोकतंत्र में प्रेस का रोल नहीं है? प्रेस कोई रिपोर्ट करे, उसको कोट नहीं कर पाएंगे तो फिर डिबेट क्या करेंगे हाउस के अन्दर? फिर आप फैसला करिये कि हाउस के अन्दर प्रेस नहीं बैठेगी।

श्री अध्यक्ष : अखबारों के आधार पर बोलेंगे आप यहां ?

डा. सी.पी. जोशी : क्यों नहीं बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : अखबरों के आधार पर बोलेंगे?

डा. सी.पी. जोशी : रेफरेन्स हैं हमारे पास, किससे बोलेंगे हम ? हम यहां किससे बोलेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं If I cannot quote it then for what else we are here.

श्री हरिमोहन शर्मा : अखबार में इन्वर्टेड कोमा में आया है। इन्वर्टेड कोमा में कोट किया है अखबार में। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सदन के पटल पर .... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अब बताइये, किसको बताई है? It is desirable. It is essential.

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्वर्टेड कोमा में उनके वर्डिंग को कोट किया है, आप अखबार को तलब करियेगा।... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, डिजायरेबल और असेंशल चीजों में अन्तर है। It is desirable that we should not get the papers. It is not essential. You cannot regulate the debate on the basis of these things. डिजायरेबल है कि हमें प्रेस को कोट करने के लिये पेपर नहीं लाना है, लेकिन It is not essential. डिबेट में क्या सोच लेता हूं, मेरा क्या काम है, It is my own responsibility. आप लोकतंत्र को खतम कर देंगे बिलकुल ही। अध्यक्ष महोदय, यह आपको अधिकार नहीं है। यह डिजायरेबल है, किसी पेपर को लूं मैं। You cannot impose it. You are imposing the debate. You are restricting the rights of the Member. यह विरोधी पक्ष का अधिकार है कि हम किन चीजों को उपयोग में लें। वह कितनी डिजायरेबल है यह आप रैगुलेट कर सकते हैं but which is essential you cannot regulate it. It is the function of the judiciary. वह क्या लगती है जो वह फैसला करेगी ? आप डिबेट को ही खतम करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे एक मिनट सुनिये। मैं आपको फिर मौका दूंगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय से मैं पूछना चहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो सकते हैं लेकिन आप यहां पर अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की ड्यूटी बनती है, अध्यक्ष की तरह आप काम करें। आप हाउस को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करना चाहती है? सीनियर लीडर बोलना चाहते हैं, उनको बोलना नहीं देना चाहते आप। वह खड़ा है तो उनके बीच में उत्तर दें आप। कम से कम हम आपसे आशा करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर मैम्बर हैं, आप डिबेट को रैगुलेट करना चाहते हैं, गवर्नर को प्रेस कान्फ्रेन्स अलाउ, उसको कोट नहीं कर सकते, प्रेस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या काम करंगे ?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) एक सैकेंण्ड मुझे कहने दीजिये। मैं कुछ कह दूं। माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण

(श्री अध्यक्ष)

करें। मंत्रीजी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान) आप बैठे बैठे नहीं बोलें। प्लीज बैठे-बैठे नहीं बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री कन्हैया लाल मीणा : xxx

श्री कालूलाल गुर्जर : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, आप मुझे कह लेने दें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। एक सैकिंड, आप स्थान ग्रहण करें। पुरोहित साहब, स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। स्थान ग्रहण करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे आपसे निवेदन करना है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री भवानीसिंह राजावत : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते। सदन आसन को सुनना नहीं चाहता। बैठें कृपया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसा है, सरकार के अड़ियल रवैये के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं। आज सुबह से ही

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का गला घोटने नहीं देंगे और हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। यह सत्ता पक्ष अपने बल पर और ताकत पर हमारी आवाज को रोकना चाहता है, हम रोकने नहीं देंगे आवाज को।

(17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको सुनूंगी, मौका दूंगी, मुझे एक सैकिण्ड अपनी बात कह लेने दें। आसन कुछ कहना चाहता है आपसे, आप एक सैकिण्ड सुनें। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूज का है, यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें, मैं आपको मौका दूंगी। मुझे एक बात कह लेने दें आप प्लीज, एक मिनट ।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे आपको यह निवेदन करना है कि आप अपनी बात इतने हाई पिच में न कहें और धीरे-धीरे कहें तो मैं सुन पाऊंगी और मैं सुन पाऊंगी तो उसका आपको ठीक जवाब दे पाऊंगी। आप इतना उत्तेजित हो जाते हैं, इतना जल्दी-जल्दी बोलते हैं और इतना हाई पिच बोलते हैं कि आसन को समझ ही नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बीच में बोलते हैं, बोलने नहीं देते। आवाज तेज करके नहीं बोलें तो फिर करें क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात धीरे और थोड़े लो पिच में कहा करें तो मैं सुन लूं ताकि मैं उसका उपयुक्त जवाब आपको दे सकूं। (व्यवधान)

अब आप बोलिये, क्या कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष? अब आप कहें।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, नियम 288...

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह फिर बीच में बोलने खड़े हो गये, आप विराजें, पहले मेरे को बुला लिया, आप विराजें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय, आज सेवेरे से इस सदन में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि सदन में मंत्री स्तर के लोग और चीफ व्हिप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि हम आप से पूछना चाहते हैं। पूछने के लिए तो हमको लोकतंत्र में इजाजत मिली हुई है, हम आप से पूछ रहे हैं। आपके माननीय सदस्यों को ट्रेनिंग दें आप। हर माननीय सदस्य यह कहता है कि हम विपक्ष के नेता से यह पूछना चाहते हैं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहते हैं। यह पूछने का अधिकार लोकतंत्र में हमको दे रखा है, अभी विपक्ष में हम हैं इसलिए यह भाषा आप छोड़े।

साथ-साथ जो आपका रवैया रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टीम है, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टीम नहीं आयी, मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की टीम यहां आयी थी। सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर्स ने सैवन मैम्बर्स टीम यहां भेजी थी उस सैवन मैम्बर्स टीम ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार राज्य सरकार ने यहां पर नियमों की पालना नहीं की जिसके कारण सहरियाओं की मौत हुई। यह कागज मैं सदन की मेज पर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मौत हुई, मौत शब्द है इसमें ? अध्यक्ष महोदय, आप टेबल करवाइये इसको।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बताना, इसमें कहां लिखा है, मौत हुई ? आप बता दीजिए, रिपोर्ट में लिखा है मौत हुई तो...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सवेरे से सत्ताधारी पार्टी के लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं अपनी आवाज को कभी भी दबने नहीं देंगे।

(कांग्रेस द्वारा बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : वह रिपोर्ट क्यों लेकर जा रहे हो ? वह रिपोर्ट तो बता जाओ।

श्री ओम बिरला : लोकतंत्र की हत्या तो आपने की है, 1975 में की... (व्यवधान) जब-जब भी मौका आया, लोकतंत्र की हत्या करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पहले मैं पहली व्यवस्था का तो जवाब दे दूं। पहले जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, पाइंट आफ आर्डर उठाया है उसके बारे में व्यवस्था दे दूं, फिर आप भी उठा लीजियेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो उठाया उसके सम्बन्ध में ही आपकी व्यवस्था में एड करने के लिये कहूं।

रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले सदन में माननीय सोनिया गांधीजी के बारे में कि कोई मीटिंग की, उनके सैक्रेटरी की मीटिंग के बारे में समाचार पत्र के आधार टिप्पणी पर की। उन्होंने ज्यों ही समाचार पत्र को यहां कोट किया तो मुझे याद है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि किसी भी समाचार पत्र में कहीं एक बात को यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उन्होंने कहा है, कार्यवाही रिकार्ड निकाल कर देख लें। और जो उन्होंने उद्धृत किया उसको उन्होंने कार्यवाही से निकलवाया। सारे लोग खड़े हो गये, उनको रुकवाया और वह बात कार्यवाही से निकाली गयी। आज वो इसके विपरीत बात बोल रहे हैं।

राज्यपाल के लिए तो आपने व्यवस्था दी, बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, क्लीयरकट 272(6) में उसका प्रोविजन है, उसके तहत आपने व्यवस्था दे दी। अब उस व्यवस्था को चैलेंज करना और समाचार पत्र में जो कहा और कोट करना, वह सही है तो फिर जब रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी इंग्लिश पेपर, जो दिल्ली से निकलता था, उसके अन्दर उनके सैक्रेटरी का जो हवाला दिया गया था, उसे कोट करना चाहा तो यही सारे माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के सबने खड़े होकर विरोध किया और कहा कि किसी भी समाचार पत्र में कही हुई बात को यहां पर कोट नहीं किया जा सकता, उसको आथेंटिक नहीं माना जा सकता। यह हमने नहीं किया, उन्होंने कहा। उसके आधार पर ही उस समय सदन की कार्यवाही से जो कुछ उन्होंने बोला था, उस समय कोट किया था उसको एक्सपंज करवाया और आज उसके विपरीत बात कर रहे हैं।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है वह बिलकुल सही है, उनके व्यवस्था के प्रश्न को आप खारिज करें, जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, उसमें कोई दम नहीं है।

व्यवस्था

सदन में अखबार के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत सूचना के आधार पर सदस्य को अपनी बात कहनी चाहिए

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि 1974 में जब श्री रामकिशोरजी व्यास यहां पर अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दी थी। वह व्यवस्था यह थी कि सदन में कोई विशेष मामला समाचार पत्र के आधार पर न उठा कर व्यक्तिगत सूचना के आधार पर उठाया जाना चाहिए और इसी आधार पर श्री गुमानमलजी लोढ़ा जो उस समय यहां सदस्य थे, उन्होंने अपनी एक बात कहनी चाही थी, उसे उन्होंने अलाउ नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि विपक्ष के तो प्रतिपक्ष के नेता समेत सभी माननीय सदस्य चले गये हैं इसलिए....

अनेक माननीय सदस्य : आ गये, आ गये।

श्री अध्यक्ष : कहां आ गये ? एक भी आकर चले गये। इसलिए उनको इस बात की कैसे सूचना दी जाए कि पहले तत्कालीन अध्यक्ष इस बारे मे अपनी व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, to keep the record straight. अभी कांग्रेस के लोगों ने यह आरोप लगाया कि प्रजातंत्र की हत्या है। कांग्रेस आज से नहीं, निरन्तर इस बात की जिम्मेदार रही है कि इस देश में जब भी प्रजातंत्र का गला घोटा गया तो वह कांग्रेस के माध्यम से घोटा गया, चाहे वह इमरजेन्सी लगी हो चाहे गोवा में अभी हुआ हो। गोवा में वहां की सरकार ने सदन में विश्वास पा लिया उसके बाद में वहां के गवर्नर ने रात को बारह बजे कांग्रेस के मुख्य मंत्री को शपथ दिलवायी, यह कांग्रेस का पुराना रिकार्ड है। प्रजातंत्र की हत्या का शिकार वो करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप छोडिये इस बात को... (व्यवधान) ठीक है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए प्रतिपक्ष का तो कोई सदस्य है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप उनके नाम तो पुकारो।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा (अनुपस्थित)।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (अनुपस्थित)।

श्री मंगलाराम गोदारा (अनुपस्थित)।

श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, आपसे एक परमीशन चाहूंगा, जस्ट कुछ लम्हों के लिए If I can use english for a while, just to quote somebody. This is for a specific moment of time, if I can use english. आप अगर परमीशन दे दें।

श्री अध्यक्ष : जी, आप शुरू तो करें, कोई ऐसा करेगा तो रोक दिया जाएगा, बाकी आप बोलें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : There is a saying that best of the most beautiful things in the world cannot be seen or touched. They must be felt. जो दस्तावेज आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में अभिभाषण के रूप में रखा गया, वह भावनाओं से ओतप्रोत है। विपक्ष यह बात बार-बार कह रहा था, आंकड़ों के माध्यम से बार-बार अंकित कर रहा था, लेकिन शायद वह इस सोच से बहुत परे थे कि जो भावना उनके दस्तावेज में सीमित है वह अपने आप में एक कागज का पुलिंदा नहीं है, वह वो सब कुछ बताता है जिसकी शुरूआत आज से एक वर्ष पहले हुई थी।

जिस विश्वास के साथ, जिन भावनाओं से ओतप्रोत होकर आज की सियासत ने सत्ता में आकर सत्ता की बागडोर संभाली थी, वह प्रथम वक्तव्य उस वक्त के महामहिम का, उन भावनाओं को केन्द्रित करता था जिनका आज आप और हम बैठ कर एक साल बाद विमोचन करते हैं और उन सब पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हैं। कैल्विन कुलिच नाम के एक व्यक्ति हुए हैं,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उन्होंने यह कहा है "No person was ever honoured for what he received, honour has been the reward for what he gave." हम उस विचारधारा के व्यक्ति हैं। आज की सरकार इस विचारधारा में सम्पूर्ण विश्वास रखती है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं। हम इस जनता को क्या दे सकते हैं जिस जनता के नाम पर आज हम और आप जन प्रतिनिधि के स्वरूप में इस सदन में बैठे हैं। हमने आखिर उनसे क्या लिया ? उनका विश्वास लिया। उस जन के विश्वास के नाम पर आज हम सत्ता में सत्तारूढ़ हुए और उसी विश्वास के नाम पर सियासत और सियासत की सारी की सारी जिम्मेदारी, कर्तव्य और निष्ठापूर्वक हम निभा रहे हैं। संविधान का दस्तावेज अपने आप में हमें नियम से भी उपर एक और नियम है? वह हमारी सभ्यता का नियम है और वह सभ्यता का नियम वह है जो जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपने प्रथम वक्तव्य में संसद के अन्दर कहा था, कि आखिर लोकतंत्र का वास्तविक परिभाषा क्या है, लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य आरोपित अनुशासन नहीं है, आत्मा का अनुशासन है। आत्मा का जो अनुशासन कर लेता है अपने आप अनुशासन हो जाता है। आज ही अनुशासनहीनता जो आज के वक्त में हमें देखने को मिलती है, उस बात पर कभी आदान-प्रदान नहीं हो आत्मा के विश्वास के साथ वक्तव्य वहीं कहा जाए जो कसौटी पर खरा उतरे और अपने मन की आवाज से सियासत के उन सारे के सारे नियमों का पालन करते हुए हम अपने कर्तव्य का विमोचन करें, इस सदन में करें। सत्ता पक्ष में रहें तब करें और विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रजातंत्र के उन सारे मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करें जो हमारा दायित्व जन प्रतिनिधि के रूप में जनता ने हमें दिया है।

आंकड़ों के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है, मैं यहां इस बात पर ज्यादा विस्तृत विवेचन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी तरीके से और बहुत कुछ आलोचनात्मक तरीके से कही गयी हैं। सबसे पहले बात कहीं गयी योजना के आकार की। योजना के आकार के माध्यम से जो कुछ भी मिथ्यापूर्वक बातें सरकार सदन के सामने रख रही है, वास्तविकता उसकी क्या है ? हमें नहीं मालूम, न तो हम अर्थशास्त्री हैं, Malthicians theory of optimum population or law of diminishing return.

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जो शायद इनका अर्थशास्त्री अच्छी तरह जानता हो। लेकिन एक बात हम पूरी तरह जानते हैं कि पिछले एक वर्ष में जब पहली बार हमने सरकार में आने के बाद राजस्थान की जनता के लिए बजट पेश किया तो उसमें एक भावना थी। हमने जनता पर विश्वास किया क्योंकि जनता के विश्वास पर हम निर्वाचित होकर आये थे। हमने जनता पर विश्वास किया। जनता पर विश्वास करके जनता के भरोसे हमने वह बजट पेश किया और उस बजट में सबसे बडा जो प्रावधान था वह यह था कि हमने कोई कर नहीं लगाया। जनता को यह कहा कि अगर हम कुछ काम करने लायक हैं तो हमें आपका विश्वास मिला है, हम यह चाहते हैं कि उसी विश्वास को आप ध्यान में रखते हुए आप स्वयं, जिसको कहते हैं सत्यता की कसौटी पर खरा उतरते हुए एक आनेस्ट करदाता के स्वरूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए, वह सरकार भी अपने दायित्व का निर्वाह करेगी। और शायद उसी प्रेरणा का स्वरूप है, आज उसी विश्वास का स्वरूप है कि कोई कर न लगाने के बावजूद भी रेवेन्यू रिसीट्स में वृद्धि हुई है।

यह आज हम अगर कहें, किसी को वाहवाही दे तो राजस्थान की जनता को दें, राजस्व प्राप्ति के अन्दर जो कुछ भी हमारी आज की तारीख के अन्दर वृद्धि हुई है उसमें राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता दोनों की ही भागीदारी है। यह उस विश्वास का अटूट सम्बन्ध है और यह वह भावना है जो आज झलकती है आंकडों के अन्दर वित्त आयोजक क्या कहते हैं उसके बारे में बार-बार अगर हम टिप्पणी कर दें तो उससे आंकड़े नहीं बदले जा सकते हैं। वास्तविकता यह है, एक वर्ष पहले 2002-2003 का अगर हम आंकड़ा देख लें तो उसमें जो कुछ भी वार्षिक योजना थी उससे दुगुनी योजना तो हमने 2004-2005 में कर दी। अगर आंकड़ा ही देखना है और अगर उसका वाल्यूम ही देखना है तो वह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि न तो विजन वहां था। विजन भी नहीं था और विवेक भी नहीं था। तभी विवेकहीन बातें और उसके साथ लगी हुई टिप्पणियां भी करते हैं उनको यह शायद पता भी नहीं कि क्या वह कह रहे हैं और क्या कर चुके हैं लेकिन जो कुछ भी घट गया है वह अपने आप में एक उदाहरण है वह अपने आप में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।

हम यह बात इसलिए भी कहेंगे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। जो कुछ भी योजना आयोग की टिप्पणी आयी है, न सिर्फ सदन की गरिमा को रखने के लिए वरन् आज के इस प्रजातांत्रिक प्रारूप

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

को सार्थकता देने के लिए मैं जरूर अंकित करना चाहूंगा। योजना आयोग की रिपोर्ट के अन्दर है कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू डेफिसिट जो पिछले वर्ष इसी साल में तीस प्रतिशत था, उसको घटाकर बाईस प्रतिशत कर दिया गया है। शायद इसी का परिणाम है कि हमें इंसेटिव्ज मिले हैं 59 करोड़ के। मुख्य मंत्रीजी स्वयं इस बात को कह चुकी हैं और वह आश्वस्त हैं कि इस 22 को 12 तक हम ले आएं जिससे 260 करोड़ रुपया और ले आएं। आखिर यह भावना है, विश्वास पर ही यह जनता चलती है। आज के विश्वास पर कल की उम्मीद जाग्रत होती है, कल क्या होगा, यह किसी ने नहीं कहा न ही कोई जानता, लेकिन यह विश्वास है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो वास्तविकता के वे लक्ष्य हम पूरे प्राप्त कर लेंगे जिन पर प्रश्नचिन्ह ये अंकित करना चाहते हैं।

दूसरी और टिप्पणी कही गयी हैं, रेवेन्यू रिसीट के रेशो में रेवेन्यू एक्सपेन्सेज क्या हुए। रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी हैं, रेवेन्यू एक्सपेन्सेज घटे हैं, हमने कम से कम 19 परसेन्ट की इसमें वृद्धि की है। ये अपने आप में क्या मापदण्ड हैं ? मुझे नहीं मालूम, किस अर्थशास्त्री की आवश्यकता है। ये बिलकुल सरल से मापदण्ड हैं। कोई एक आम आदमी जो किसी शहर या गांव में रहता है, वह यह समझ सकता है। हमें नही मालूम कि बडे आंकडे लेकर क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात को पूरे तरीके से कहना चाहता हूं कि सरकार सरल तरीके से और सच्चे तरीके से किस वक्त मान्यता प्राप्त करती है। मान्यता उसी वक्त प्राप्त करती है जब आम नागरिक जो झोंपड़ी में रह रहा है या कहीं किसी गांव में बसता है, उसके मन में यह विश्वास हो कि यह सरकार है और यह सरकार मेरी है। यह विश्वास बार-बार हमको मतदाताओं ने दिया है चाहे नगरपालिका का हो, पंचायत समिति का हो चाहे सांसद का हो। एक वर्ष के अन्दर तीन-तीन चुनाव आय हैं और बार-बार विश्वास एकत्र किया गया। आखिर किस मापदण्ड के बेस में ये कहते हैं कि सरकार विफल रही है? अगर कहीं विफलता की कोई परिभाषा लागू होती है तो विपक्ष में लागू होती है, पूरी तरह लागू होती है और आज तो खाली सदन के स्वरूप में लागू होती है।

एक बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी सरकार की उपलब्धि टैक्स रेवेन्यू से नहीं आंकी जानी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहिए, वरन् इससे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में हमने क्या सोचा, सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए किन स्रोत्रों को इस्तेमाल किया है।

मैं यह मानता हूं कि इन्फार्मेशन और टैक्नोलोजी जैसी चीज का आज की तारीख में बोलबाला है। अगर हम प्रतिस्पर्धा हैदराबाद से करने लगें या बैंगलोर से करने लगें तो मेरे ख्याल से वह समय जब इतना गुजर गया कि जो एडवांटिज उनको अपनी सीनियोरिटी का है, प्रतिस्पर्धा में हम वह चीज नहीं ला पाएंगे, लेकिन बायो टैक्नोलोजी एक ऐसी चीज है जिसमें आज भी हिन्दुस्तान का प्रतिशत सिर्फ दो प्रतिशत है। बायो टैक्नोलोजी के अन्दर जो विजन राजस्थान सरकार ने रखा सत्ता में आने के बाद, जो कुछ भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट हम कर रहे हैं, वह चाहे फूड ग्रेन से सम्बन्धित हो, अगर हम इस एग्रो-बायो टैक्नोलोजी को सही ढंग से आयाम दे दें, सही इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर लें, तो जो कुछ आज बैंगलोर या हैदराबाद में इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी में हो रहा है वैसे ही राजस्थान बायो टैक्नोलोजी और इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी का मिश्रित, संयुक्त क्षेत्र विकसित हो जाए क्योंकि हमें अपनी आय बढानी है। बगैर आय बढ़ाये हम ऋण से लेकर अपना विकास नहीं कर सकते।

लेकिन इसमें एक और भी सच्चाई है। पिछले दिनों कुछ टिप्पणी हुई थी कि 8350 करोड़ रुपए की जो वार्षिक योजना बनने जा रही है इसमें कर्ज का भार ज्यादा है। उसमें कर्ज का भार सिर्फ 960 करोड़ है, बाकी 5300 करोड़ रुपया स्वयं स्टेट गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से रखा है। जो लोग भी इसकी बात करते हैं, शायद मिथ्यापूर्वक लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं। 5300 करोड़ यह है और 3100 करोड़ रुपया वह जो केन्द्र से सहायता के रूप में आना है, इसी प्रकार 8350 का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। यह बात भी सही है कि 7300 की वर्तमान वार्षिक योजना में 300 करोड़ की कटौती हुई होगी, लेकिन एक बात आप यह बताइये, बार-बार 300 करोड़ की कटौती की किये जाते हैं, इस बारह महीने के अन्दर हमें वास्तविक काम करने के कितने दिन मिले? कितनी बार तो हम कोड आफ कंडक्ट में रहे, कितनी बार हम लोगों पर प्रशासनिक प्रतिबंध रहे कि काम करना चाहते हुए भी सरकार संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती थी और काम नहीं किया। आखिर वर्किंग डे इस सरकार को कितने मिले ? अगर परसेंटेज आफ वर्किंग

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

डे से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो तो हम 100 परसेन्ट से ऊपर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए हैं, क्योंकि मैन-आवर आउटपुट को हमको देखना पड़ेगा। हम बारह महीने नहीं गिन सकते। तीन-तीन चुनाव हों, संविधान की आचार संहिता लगी रहे, बाकी काम करने का समय कितना मिला? जितना काम करने का समय मिला अगर उसके अनुपात में देखें तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं और 31 मार्च तक मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हमारी वर्तमान वार्षिक योजना थी उसके लक्ष्य की प्राप्ति हम कर लेंगे। इतना विश्वास हममें है और इतना ही विश्वास आज की जनता में इस सरकार को है।

एक और बात मैं आदरणीय के सामने रखना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एक बार-बार चाहे कोई भी राजनीतिक पक्ष हो, किसानों के नाम पर, किसानों के हित के बारे में बात करता है। इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा डेयरी उद्योग की जिस क्षेत्र में पिछले 27 साल में कुछ नहीं कर पाये उसके सारे रिकार्ड तोड़ दिये। 19 लाख किलो दूध प्रतिदिन एकत्रित करके किसानों को उन्होंने जो राहत पहुंचायी, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। 393 करोड़ रुपये उन्होंने किसानों को वितरित किये, वृद्धि 31 परसेंट। यह बात सही है लेकिन, मैं कुछ समय पहले आदरणीय कृषि मंत्री से एक बात डिस्कस कर रहा था, कि स्टेटिक्स यह भी कहती है कि कल्टीवेबल एरिया जो हमारे पास उपलब्ध है वह 273 लाख हैक्टेयर है, यह पिछले पांच वर्ष से बिलकुल स्टेगनेंट है और जो कल्टीवेटेड का 61 परसेंट है। अगर हम आज की तारीख में यह देख लें कि इसके अन्दर फूडग्रेन की प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर हम 1999 को आधार साल मानते हैं तो जहां 129 लाख मैट्रिक टन था, वह पता नहीं क्यों घटकर 63 लाख मैट्रिक टन हो गया, जबकि फर्टिलाइजर्स की खपत 33.98 किलो से बढ़कर 53.36 हो गयी। फर्टिलाइजर्स की खपत बढ़ गयी और फूडग्रेन प्रोडक्शन घट गया। यह क्यों घट गया, मुझे नहीं मालूम पर जो नेशनल आंकड़े हैं वे यह भी कहते हैं कि राजस्थान की पोजीशन नेशनल लेवर पर चाहे मस्टर्ड हो, चाहे ग्वार हो, ईसबगोल हो, नम्बर एक पर है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनमें व्हीट पर हम नम्बर फाइव हैं। बारले मेज वी आर नम्बर थी। यह क्यों हो रहा है ? क्या यह ड्राट रिलीफ की वजह से हुआ ? क्राप पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या हम फूडग्रेन से किसी दूसरे क्राप पैटर्न पर जा रहे हैं ? इस चीज का विश्लेषण करना बहुत

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आवश्यक है क्योंकि आखिर 70 परसेन्ट से ज्यादा व्यक्ति वे हैं जो किसी ने किसी तरीके से एग्रीकल्चर से प्रभावित है। मैं यह चाहूंगा कि एग्रीकल्चर को सिर्फ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के स्वरूप में न देखा जाए। यह विजन हमारा 2004 का था, हमको एग्रीकल्चर को आज की तारीख के अन्दर उस विजन से देखना चाहिये कि It is an area which is as essential to the economy of the State and the nation as the biotechnology of the information technology.

हम यह आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार की जो संवेदनशीलता है, जो प्रगति के आसार हैं और जो प्रगति के आयाम तक पहुंचने का उन्होंने बीडा उठाया है, रातों-रात कुछ नहीं हो सकता है, किसी चीज को निश्चित अंजाम देने के लिये और किसी निश्चित मंजिल तक पहुंचने के लिये एक समय लगता है। पता नहीं, 12 महीने में क्या चमत्कार से आश्वस्त होकर विपक्ष हमसे प्रश्न कर रहा था ? लेकिन एक बात का दें कि जो पांच दशक में राज्य सत्ता में और केन्द्र सरकार की सत्ता में बैठने के बाद वह उपलब्ध नहीं कर पाये, आधा दशक में, पांच साल में यह सरकार करेगी। सरकार से ये प्रश्न तब किये जाएं जब इस सरकार का अन्तिम वित्तीय वर्ष हो। उस वक्त कुछ प्रश्न किये जाने चाहिये। आज वे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका न तो कोई उत्तर है और न हीं कोई उसके परिणाम के स्वरूप में हम मापदण्ड का रूप दे सकते हैं।

आदरणीय से मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि बार-बार अर्थव्यवस्था के बारे में कहकर पूरे के पूरे सदन को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है। आखिर अर्थव्यवस्था है क्या ? अर्थ का प्रभाव और अर्थ का अभाव, दोनों को संतुलित करना ही अर्थव्यवस्था है। अगर अर्थ इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा पैसा हो जाए कि उसका प्रभाव पड़ने लगे तो कहीं न कहीं मानवीय दृष्टिकोण में हानि हो जाएगी। मानव धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है कि पैसे के प्रभाव में आप निर्णय लें। मानव धर्म इस बात की इजाजत देता है कि पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति प्रताडित न हो। लेकिन पैसे के प्रभाव से कोई बात कही जाए इस बात का निर्णय नहीं लेता। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर पैसा ऐसी क्या चीज है ? हर बार यह बात कही जाती है कि विकसित प्रदेशों की अगर परिकल्पना करते हैं, तो विकसित देश की क्या परिकल्पना है ? कि किसी के पास में कितना ज्यादा धन संग्रह हैं ?

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विवेकानन्दजी का जब प्रथम भाषण

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अमेरिका में हुआ तब उन्होंने यही कहा था कि तकनीकी दृष्टि से हो सकता है अमेरिका ज्यादा विकसित हो लेकिन सभ्यता की दृष्टि से मन्वन्तरों से जितना विकास हमारा हुआ है, न तो पैसा खरीद सकता है न धन खरीद सकता है, न अणु खरीद सकता है और न परमाणु खरीद सकता है और उसी की धरोहर आज यह है, राजस्थान भी उसी हिन्दुस्तान का एक अंग है जो सभ्यता हमारी है, जो मन्वन्तरों से हम मानते आ रहे हैं, जो शूरवीर यहां पैदा हुए हैं। इसी रज में हम पैदा हुए हैं, इसमें वह सारी क्षमता है कि अर्थ का प्रभाव हमें अपनी ऊंचाईयों को छूने से नहीं रोक सकता है। अर्थ का प्रभाव हमें हमारी सच्चाइयों से नहीं डिगा सकता है। धर्म हमें यह बात सिखाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। शायद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जो सार था वह उसी गीता में था। गीता का सार लिया कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहियें, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिये क्योंकि जनता ने जन प्रतिनिधि के रूप में हमें सिर्फ अधिकार दिये हैं, अधिकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रारूप चाहे कुछ भी हो, इसका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो लेकिन एक बात निहित है कि राजस्थान की सरकार जनता के विश्वास पर चुनी हुई, निर्वाचित की हुई सरकार है। आज भी विश्वास है, कल भी विश्वास रहेगा उसी विश्वास के साथ मैं एक बात आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि साम्प्रदायिक मतभेदों को फैलाने के लिये लोग-बाग कई चीजें कह जाते हैं लेकिन एक बात जरूर है कि आज की तारीख में अगर राजस्थान में अन्दर कोई चीज है जिस चीज का प्रभाव हम और आप लोग देखते हैं और जिस चीज के प्रभाव से आप और हम प्रभावित होते हैं तो वह यह है कि आखिर राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, यह हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा या और कोई विकसित एग्रीकल्चर प्रदेश अपने आपको यह कहते हों कि अगर कोई कृषि पंडित है, कृषि क्षेत्र में अगर हम सृजन करते हैं तो हमारी कोई बराबरी नहीं है लेकिन मैं यह बात कहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन शेखावाटी के एक अंचल से मैं भी आता हूं. प्रकृति के विपरीत प्रावधानों के बावजूद भी एक शेखावाटी का किसान प्रकृति को भी विवश करके अपने पसीने से उस फसल को अगाता है, वह किसी भी पंजाब या हरियाणा के किसान से ज्यादा प्रगतिशील और ज्यादा मेहनती है। वह प्रकृति का प्रकोप भी सहन करता है. अभाव भी सहन करता है, उसके बावजूद भी उस बंजर भूमि

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

को आज उपजाऊ बना दिया है उसने। यह हमारी कुशलता है। इसी कर्म क्षेत्र और इसी विश्वास से हम यह चाहते हैं कि आर्थिक अभाव हो या आर्थिक प्रभाव हो या न हो, हम अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। इस सरकार को भी इस बात का पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा कुछ और न कहते हुए यह बात कहने की इजाजत जरूर चाहूंगा उस स्वरूप में कि जो कुछ भी हमने कहा है, जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं इसका वास्तविक परिणाम किसने देखा, यह भविष्य के गर्भ में निहित है। हम सिर्फ इतना कहते जाते हैं कि आज का कल और आज का बीता हुआ कल में बहुत फर्क है। जो बीता हुआ कल था वह आज विपक्ष में है। जो आज का कल है, कल भी सत्ता में रहेगा। पांच वर्ष तक इस विश्वास के साथ में कि अगर हम काम करें तो हम यह मानते हैं कि हमारा कल भी यही रहेगा और आने वाला कल इस बात का विश्वास दिलाता है।

साम्प्रदायिक सौहार्द के बारे में दो पंक्ति इकबाल की मैं जरूर कहना पसन्द करूंगा कि 'है राम के वजूद पर हिन्दुस्तान को नाज, अहले-वतन उनको हम इमाम-ए-हिन्द कहते हैं। इसी दिशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि यह राजस्थान की भूमि है, राजपुताना की रज है, आप और हम कर्तव्य और निष्ठापूर्वक अपनी बात को अंजाम दे देंगे तो जन प्रतिनिधि का स्वरूप प्राप्त करने के बाद में उन सारी ऊंचाइयों को छू लेंगे जिसकी लोग-बाग अपेक्षा करते हैं, जिसकी लोग-बाग कल्पना करते हैं। सपनों को साकार करना राजस्थान की धरती के पूत का कर्तव्य है, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. भंवरलाल राजपुरोहित ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : आदरणीय सभापति महोदया...

श्री अध्यक्ष : सभापति नहीं, अध्यक्ष हूं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 3 तारीख को हमारी आदरणीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया था जिसका यह एक ऐहितहासिक दस्तावेज है, यह इस बात को साबित करेगा कि गत वर्षों की सरकारों ने, विशेषकर पहले की कांग्रेस सरकार ने क्या कार्य किये और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 13 माह के ऐहितहासिक और क्रान्तिकारी कदम उठाकर राजस्थान को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में विकसित राजस्थान के रूप में खड़ा करने की योजना, अपने प्रयत्न, गांव-गांव में जाकर, धूप में जाकर, परेशान होकर गांवों की समस्या को कलैक्ट करके जो योजना बनायी, उस योजना के तहत हमारी मुख्य मंत्री और यहां की सरकार बहुत ही सफल हो रही है। मैं यह ब्यौरा वाइज बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आते ही हमारे ऊपर अकाल का एक बोझा पड़ गया, फिर भी हमारी सरकार ने कई ऐसे अद्वितीय कार्य किये जो पिछली सरकार ही नहीं, किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किये, मैं समझता हूं कि कोई आने वाली सरकार भी इतना काम नहीं कर पाएगी, जो एक कीर्तिमान के स्वरूप में होगा।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला काम–राजस्थान में शिक्षा जगत में हम बहुत पिछड़े हुए थे। पिछली सरकार में ऐसा राजस्थान में कोई स्कूल नहीं जिसमें एक अध्यापक सौ-सौ से कम बच्चों को पढ़ाता था। सारी स्कूलें खाली जैसी लग रही थीं। शिक्षा का स्तर भी गिर गया था। सरकार ने सबसे पहले शिक्षा के स्तर पर इतना जबरदस्त कार्य किया कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी जो कर्मठ मंत्री के रूप में साबित हुए हैं, उन्होंने और सरकार ने प्रयत्न करके बैकलाग को जिसमें 40-41 हजार अध्यापक स्कूलों में कम थे, विपक्ष के लोग चिल्लाते थे, कहते थे कि हम तो भरना चाहते थे लेकिन कोर्ट हमको मना कर रहा था, कोर्ट आड़े आ रहा था, हमने यह साबित कर दिया कि कोर्ट हमारे भी सामने आया, लोग बहुत कोर्ट में गये लेकिन हमारे कुशल नेतृत्व ने और हमारे वकीलों ने इतना प्रयत्न किया कि उनकी सारी जो आपत्ति थी, जो कांग्रेसियों द्वारा भी पैदा की हुई थी कि ये भी किसी तरह से अटके रहें, क्योंकि हमने केस कर दिया तो अटके रहेंगे, ये लोग यह कहना चाहते थे कि स्कूलें कभी भी नहीं भरी जाएंगी। यह दावे के साथ कहते थे कि यें स्कूलें नहीं भरी जाएंगी, हमारी सरकार ने प्रयत्न करके ऐसे कदम उठाये कि 41 हजार टीचर्स लिये गये हैं। पूर्व सरकार में इन्हें जिला परिषदों के माध्यम से लिया जाता था और मैं आपको विश्वास के साथ, अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हर मास्टर से दस-दस, प्रन्द्रह-प्रदन्ह हजार की रिश्वत ली जाती थी। माफ करना, आज वह नहीं हैं, आज तो मैं उनकी बैंचों को हो सुना रहा हूं, बीस-बीस हजार की रिश्वत खाते थे तब जाकर टीचर्स लेते थे। यह पहला मौका है जब

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

राजस्थान में 41 हजार टीचर्स को आर.पी.एस.सी. के मार्फत लिया गया। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता है कि हमने इसमें कोई बदमाशी की हो। हम बिलकुल पाक हैं हमने ऐसे मास्टरों का चयन किया जो ईमानदार होंगे और हमारी स्कूलें बहुत अच्छे से चलेंगी, उनमें अच्छा वातावरण होगा। जो स्कूलें खुली हैं 12641, उसमें यह नया कीर्तिमान है। नई प्राइमरी स्कूलें न तो इतनी कभी खुलीं और न कभी खुलेंगी। स्कूलें तो खुली ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वह ऐतिहासिक काम यह हुआ कि हम हाई स्कूलों के लिए तरसते थे, कोई पंचायत समिति 5 हजार दे, कोई 10 हजार दे। माननीय मंत्रीजी के प्रयास से, हमारी सरकार के प्रयास से इतना बड़ा धन, हर स्कूल के लिए 3-3 लाख रुपये, प्राइमरी के लिए 3 लाख और 4 लाख मिडिल स्कूल के लिए, इतनी बड़ी राशि आज तक न तो कभी आयी और मैं तो यह कहता हूं कि कभी आएंगी भी नहीं। इतनी बड़ी राशि स्कूलों में लगायी गयी। मैं समझता हूं कि सरकारें हमारे खिलाफ बैठी हैं। दिल्ली में हमारी सरकार के खिलाफ बैठी है। वह तो हम समझते हैं कि कैसे पैसा आता है। बहुत मुश्किल लग रहा था इतना रुपया आना पर अरबों रुपया लगाकर सारी स्कूलों को खड़ा कर देना बहुत ही कीर्तिमान की बात है। 400 हाई स्कूलें, 200 हायर सैकण्डरी और 921 कस्तूरबा स्कूलें, यह भी एक कीर्तिमान है जो हमारी सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के मामले में आपसे निवेदन किया है, यह भी एक ऐतिहासिक बात होगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने ग्रामीण सड़कों की जो योजना बनायी, उन सड़कों की आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गयी है कि पांच सौ से ज्यादा वाले जितने भी गांव थे उनमें करीब-करीब गांव में काली सड़क पहुंच चुकी है, मैटल सड़क पहुंच चुकी है। हां यह बात जरूर है कि डब्ल्यू.बी.एम. वाली सड़कें बाकी हैं। वैसे आज मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है, वह भी क्या कम बात है कि 1166 किलोमीटर नेशनल हाइवे की सड़कें बनी हैं, 2715 में मिसिंग लिंक बनी हैं, 12 हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। 2500 किलोमीटर मैटल से डामर हो रहा है। इसके लिए चाहे हम रुपये कहीं से लाए हम तो सड़कें बनाएंगे। हमारी इकोनोमी को ठीक करेंगे, राजस्थान को बहुत प्रगतिशील बनाएंगे। पैसा हमको चुकाना है चाहे वह कहीं से चुकाएं। आप इस

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

बात की क्यों चिन्ता करते है ? हम तो राजस्थान को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यदि गांवों में सड़क हो जाएगी तो राजस्थान के हर गांव की इकोनोमी सुधर जाएंगी। यह हमारा प्रयास बहुत ही सराहनीय होगा। राजस्थान पर लोगों की नजर लगी हुई है कि इतना ज्यादा विकास सारे देश में शायद किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसलिए मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता और सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का मामला है, बिजली तो पिछले सालों में आती ही नहीं थी। लोगों के कुएं जल गये थे, लोगों की शाखें बिलकुल राख हो गयी थीं। किसान से वाहवाही लेने वाले लोग, किसान के बड़े भागीदार बन रहे हैं। इनमें कई किसान नेता बैठे थे, इनकी जो फसलें जल गयीं इन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया। सरकार कहती रही कि बिजली अब ला रहे हैं, अब ला रहे हैं। बड़े जोर-जोर से कहते थे कि मुख्य मंत्री ने आज वहां पर इतने के.वी. का उदघाटन कर दिया, आज फलां जगह उदघाटन कर दिया। मैं नागौर का रहने वाला हूं, वहां ऐसा उदघाटन किया, वह वहां मौलासर आये थे तो किसानों ने कहा, झूठ बोलने वालों लाइट तो देते नहीं हो, बकवास करते हो। पीछे पड़े मुख्य मंत्री के, मैं वहीं था, उनको पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। यह स्थिति तो हमारे वहां थी। बिजली नाममात्र की दो घंटे नहीं देते थे। आज हमारी यशस्वी सरकार ने, हमारे बिजली मंत्री ने पिछले साल से, मैं खुद काश्तकार हूं मेरे खुद के कुआ है, मैं आपको सही कहता हूं, आठ घंटे से कम बिजली हमको नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में भी जब हम जानते हैं कि कई परियोजनाएं फेल हो गयी हैं, कई डिस्टर्ब हो गयी हैं। उसके बाद में भी कि ये चिल्ला-चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मशीनरी तो खराब हो सकती है, आप वेट नहीं करते हैं। फिर भी हमारी सरकार चाहे कहीं से उधार ले, कही से भी करे, आज भी 7-8 घंटा बिजली काश्तकारों को दे रही है, यह भी एक कीर्तिमान है। हमारे घरों में सिंगल फेस से भी घरों में लाइट दी जा रही है, यह बात सही है। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे लेकिन यह बात सही है कि राजस्थान में बिजली की कहीं कमी नहीं है। राजस्थान में बिजली के बारे में लोग संतुष्ट हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। 40 हजार कनेक्शन तो दिये जा चुके हैं। दो योजनाएं-150 मेगावाट क्षमता की

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

लिग्नाइट पर आधारित योजना और धौलपुर में 323 मेगावाट की गैस आधारित योजना पर कार्य चल रहा है। वह भी तीन साल में पूरा हो जायेगा। इस सरकार में तीन साल में, हमको पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी सरकार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगी। हमें यह पूरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज के बारे में कहना चाहूता हूं, खनिज को गरीब और रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। सरकार ने यह नीति बनाई है वन क्षेत्र में संशोधन करके सरकार यह चाहती है और जो नये क्षेत्रों के पट्टे दिये जाएंगे उससे यह होगा कि हजारों आदमी उसमें काम पर लग जाएंगे। उसमें जो प्रोडक्शन होगा उससे करोड़ों रुपया आय होगी और उससे यहां की इकोनोमी बढ़ेगी। यह सरकार जो कदम उठा रही है मैं उसकी तारीफ करता हूं। यह जो खनिज नीति आपकी बन रही है उसमें मकराना को भी शामिल किया जाना चाहिए। आज तक ऐसा हुआ है कि इन्होंने माउंटेन को खनिज माना है, जबकि असली जो मार्बल है वह अंडरग्राउंड है। हिन्दुस्तान में यह एक ही जगह है जहां अंडरग्राउंड मार्बल उपलब्ध है। उसकी नीति में कई जगह चूक हो गयी है। माननीय खनिज मंत्री बैठे हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 95 प्रतिशत कैल्शियम है तो मकराना के मार्बल में है और उसकी तरफ आपका ध्यान कम जा रहा है। उसके प्रोडक्शन में डबल रायल्टी लग रही है, उस पर सरकार जरूर ध्यान दे और उसको रिलेक्स करें। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आपकी खनिज नीति में मकराना को भी शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक तेल भण्डार का सवाल है, हमारी इकोनोमी निश्चित रूप से बढ़ेगी। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारी सरकार ने बहुत मुहुर्त में शपथ ग्रहण की है। हमारे बाड़मेर में और सांचोर में इतना तेल भंडार मिला है जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। नागौर और बीकानेर में क्रूड आयल का भंडार मिला है इससे हमारी करोड़ो रुपयों की आय बढ़ जाएगी। लेकिन यह बात सही है कि विपक्ष चाहे हम हों, सबको मिलकर इस बारे में केन्द्र सरकार पर दबाव देना चाहिए कि उसका 50 प्रतिशत जो शेयर है, लाभ है वह राजस्थान सरकार को ही मिलना चाहिए क्योंकि हमारी धरती पर ही यह चीज हो रही है। हम चाहते हैं कि इस पर सभी एकमत हों।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कोई कम काम नहीं किया। आज 5 लाख 15 हजार लोगों को क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं, यह भी एक कीर्तिमान है। मैं जब प्रधान था तब से देख रहा था कि रोज कैम्प तो लगाया करते थे पर नाममात्र के कैम्प फार्मेलिटी के तौर पर लगाया करते थे लेकिन हमने तो प्रेक्टिकली काम किया, किसानों के हित में हमने कार्ड दिये हैं, उनसे हम अपने किसानों को लोन दिला रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, इसमें हमारी सरकार अग्रणी है। आज हमारी सरकार जीरा, संतरा और लहसुन के बारे में कितनी चिंतित है, इसके लिए अलग-अलग मण्डियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह भी एक सराहनीय कदम है।

मान्यवर, राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना का जहां तक सवाल है, पूर्व सरकार ने इस मामले में कोई काम नहीं किया, पानी बेकार जा रहा था। पानी को संचित करने के लिए सरकार ने कार्य योजना हाथ में ली है। एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) से बीसलपुर-जयपुर के लिए पानी पहुंचाने के लिए कार्य योजना शुरू की है, जिससे हमको पानी मिले और पानी का स्तर ऊंचा हो। यह भी एक बहुत बड़ा कदम है, सरकार ने प्रथम दफा यह बात सोची है।

मान्यवर, पशुपालन के बारे में एक बात जो हमारे भाई साहब राजेन्द्र सिंहजी कह चुके हैं, डेयरी फैडरेशन ने राजस्थान में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 19 लाख 8 हजार किलो दूध रोज पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इससे साबित होता है कि हमारे काश्तकारों की इकोनोमी कितनी बढ़ी है। पहले इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, ये गाएं भी यहीं थीं और यह फैडरेशन भी यहीं था। हमारी सरकार ने इसको नियोजित किया और उनको प्रोत्साहन दिया तब यह रिजल्ट हमको देखने को मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना में 472 करोड़ रुपए बैटर इक्विपमेंट और हॉस्पिटल खोलने के लिए खर्च किये हैं, यह एक सराहनीय कदम है। प्रतिपक्ष के लोग जो अभी यहां विराजे हुए नहीं हैं, प्रतिपक्ष के माननीय नेता जो पहले खुद हैल्थ मिनिस्टर थे, घिसी हुई नीडल्स थीं, घिसे हुए उपकरण थे, लोग चिल्ला-चिल्ला कर मर जाते थे, उनके पास अच्छे उपकरण नहीं थे, जो थे उन्हीं से काम चलाते थे, हमारी सरकार ने

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

अच्छे उपकरण और मशीनें लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किये हैं जो एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। चूंकि हम एक ही पेशे से हैं, मैं वेटरिनरी से हूं और वे मेडिकल से हैं, इन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि कमी कहां और क्या है। मेडिकल मिनिस्टर को यह पता ही न हो कि नीडल्स क्या होती हैं, उपकरणों और मशीनों के नामों का पता नहीं कि आपरेशन में किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, कौन-कौनसी मशीनें अवेलेबल होनी चाहिए। जिन बैटर इक्विपमेंट की डिमाण्ड हो रही है वे हम लगा रहे हैं। हमारी सरकार जनता की भावनाओं और भलाई के लिए खर्च कर रही है, इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

हमारी सरकार माडल पंचायत समिति की ओर अग्रसर हो रही है। आज पंचायत समितियों की भारी दुर्दशा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के बारे में यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन वहां चुनावों में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि वहां की चुनाव व्यवस्था हमको बदलनी पड़ेगी। अब यह एक व्यापार का मामला हो गया है। अब जितने भी पंच और सरपंच बनते हैं, प्रधान बनाने के पहले आपने पंचायतों के चुनाव करा दिये, इसमें ब्लैकमेल करने का काम होता है। सरकार तो चाहती है कि हमारा पैसा बच जाए, इसलिए वह एक दिन के गैप से पंचायत समितियों और पंचायतों के चुनाव करा रही हैं लेकिन यह बिलकुल डिफैक्टिव मामला है। इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि आप वार्ड मैम्बर में वोट देंगे तो हम मैम्बर में देंगे। इस ब्लैकमेल से सही आदमी का चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस पर यह सदन गम्भीरता से विचार करे। लेन-देन का सवाल इतना बड़ा हो गया कि दो-दो लाख, दस-दस लाख, पांच-पांच लाख रुपए के लिए चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं। आज सारा खेल पैसे का हो गया है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत हाउस से यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में कोई ने कोई संशोधन लाकर कोई रास्ता निकालें, नहीं तो यह पंचायती राज नाममात्र का पंचायती राज बनकर रह जाएगा और ग्राम सेवक केवल सरपंच को खा जाएंगे। कहीं-कहीं सरपंच अनपढ़ आ जाता है और ग्राम सेवक सारे के सारे पावर्स अपने हाथ में रखता है, इस तरह से पंचायत अच्छी तरह से नहीं चलेगी। इस बारे में आने वाले समय में अमैंडमेंट करने की आवश्यकता है।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

मैं गृह विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी हमारे शर्माजी भाई साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। यह बात सही है कि अपराध आपके समय में भी बढ़े थे और हमारे समय में भी बढ़ेगें। मैं इसके मूल में जाना चाहता हूं। अपराध बढ़ने का मूल कारण हमारी सोसायटी है, हमारा आपस का वातावरण है, लेकिन इन अपराधों को रोकने के बारे में मेरे सुझाव हैं इस हाउस में। आज जितने भी थाने हैं उनमें संख्या इतनी कम है कि पहरे में बाहर नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : एक-दो मिनट में कनक्लूड करें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : बस कनक्लूड ही कर रहा हूं। पुलिस के बारे में कहने के बाद बस बैठ ही रहा हूं। मान्यवर, मैं एक बात हमारे होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पुलिस में रिक्रूटमेन्ट होना चाहिए। वहां पांच-सात आदमी होते हैं जो अच्छी तरह से गश्त नहीं कर सकते-बिना गश्त के न तो चोरियां रूकेंगी न अपराधी पकड़े जाएंगे। थानों की एप्रोच बहुत कम है, चोर-डकैतों के पास आधुनिक उपकरण हैं इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए हमको थानों को बहुत सुसज्जित करना पड़ेगा, नहीं तो क्राइम ऐसे ही बढ़ेगे। क्राइम किसी जाति या किसी पार्टी के हिसाब से नहीं होते हैं, क्राइम के जरिए दूसरे होते हैं। इसलिए में गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार एक तो कांस्टेबलों की जितनी भी कमी है उसे पूरी करे और उनका स्टाफ बढ़ाए। इसके बिना करप्शन और क्राइम में कोई कमी नहीं आएगी। अन्त में मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आपने कह ही दिया है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : यह गलत बात है, आपने घनश्यामजी के बारे में इतना कहा...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : मैं सप्लाई के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। सप्लाई डिपार्टमेंट में इतने ज्यादा घोटाले हुए हैं जो राजस्थान में आज तक पहले कभी सरकार में नहीं हुए। मैं सम्बन्धित मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने डी.एस.ओ. में चेंज की जो बात कही है, हमारे वहां अभी उनको नियुक्त नहीं किया गया है। वह चोर आदमी है, ब्लैकमेलर और ब्लैकलिस्ट है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं

है, मैं आपको सही कहता हूं। मैने आपकी लिस्टी पढ़ी है, आपके डी.एस.ओ. का मैं बताउ, 75 प्रतिशत डी.एस.ओ., सारे के सारे पैसे खाने वाले हैं। मैं आपको सही कहता हूं कि इन डी.एस.ओ. को पलटो, इन्सपैक्टरों को पलटो और उनको हिदायत दो कि वहां के जो जन प्रतिनिधि हों उनके अनुसार व्यवहार हो जिससे ईमानदारी पैदा हो।

अन्त में पर्यटन मंत्रीजी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, इस ओर से ध्यान दें तो हमारा बहुत सारा बजट बढ़ा सकते हैं। बड़ी-बड़ी हवेलियां और किले हैं, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करें जिससे हमारे यहां पर्यटन बढ़े, इसके लिए बड़ी-बड़ी हवेलियों और पर्यटन स्थलों का विकास भी करें। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

अनुपस्थिति अनुमति

बन्नेसिंह राठौड़ श्री, सदस्य को 14 फरवरी, 2005 से

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री बन्नेसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता की वजह से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में भर्ती होने के कारण दिनांक 14 फरवरी, 2005 से सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हीरालाल रैगर। दस मिनट का समय है आप दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर लीजिएगा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हीरालाल रैगर (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदय ने तीन तारीख को हमारी सरकार के बारे में जो योजना प्रस्तुत की, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही राजस्थान को समग्र रूप

(श्री हीरालाल रैगर)

से विकसित बनाने के बारे में परिकल्पना की तथा उसे मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 प्राथमिकताएं तय कीं, दरिद्रता, कुपोषण, भूख से मुक्ति, अशक्त, महिलाओं को सम्बल बनाने, मानवीय संसाधनों का विकास, आधारभूत सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन, राजकीय सुधार, आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही इन लक्ष्यों की प्रर्ति हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना का शत प्रतिशत सफलतापूर्वक सम्पादन किया। इसके पश्चात चालू वर्ष के लिए 365 दिवसीय योजना में महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों, युवा वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापर्वूक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जन तथा व्यय नियंत्रण के क्षेत्रों में किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप राजस्व घाटे में हुई आशातीत कमी के कारण केन्द्र सरकार से राजकोषीय सुधार सुविधा के अन्तर्गत 59 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। कर प्रणाली का सरलीकरण एवं सुसंगतीकरण तथा बेहतर कर प्रबंधन के परिणामस्वरूप राज्य के स्वयं कर राजस्व प्राप्तियों से अप्रैल से दिसम्बर, 2004 की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऋणों की अदला-बदली की ओर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज देयता में कमी लाकर हमारे व्यय को नियंत्रित किया गया है। यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि वर्ष 2004 में राज्य को अभी तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जो हमारे मुख्य मंत्रीजी की कार्यकुशलता का द्योतक है।

राज्य सरकार प्रारंम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्राप्ति के लिए राज्य में हर गांव-ढाणी में शैक्षिक सुविधाओं की पहुंच निश्चित करने के लिए एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष 2004-05 में 931 राजीव गांधी पाठशालाओं को नियमित राजकीय विद्यालयों में परिवर्तित किया गया जो एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है।

(श्री हीरालाल रैगर)

2445 राजकीय विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया है जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी की एक सुझ है, जो पिछली सरकार द्वारा पांच वर्षों में नहीं किया गया। 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 2426 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

निवाई विधान सभा क्षेत्र में लुहारा में शहीद श्री जयनारायण जाट एवं जोला, विधान सभा क्षेत्र निवाई में देवालाल गुर्जर कारगिल में शहीद हुए। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत ने दोनों शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया। लुहारा जोला को उदघाटन के समय क्रमोन्नत करने हेतु घोषणा की थी, लेकिन क्रमोन्नत नहीं कर पाये। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्राथमिकता के आधार पर शहीद जयनारायण जाट और शहीद देवालाल गुर्जर के नाम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर एक ऐतिहासिक काम किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त मदरसों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के रुप में मान्यता प्रदान की गयी। ऐसे केन्द्रों हेतु दो हजार रुपये प्रति वर्ष अध्ययन सामग्री की व्यवस्था हेतु 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान दिया जा रहा है जो अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

राज्य के 32 जिलों में से 28 जिलों में 28 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाने हेतु वर्ष 2004-05 में केन्द्र सरकार द्वारा 4.29 करोड़ रुपये की भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 224 निजी महाविद्यालयों को स्थापना के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु नीति निर्धारण की गयी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्राथमिकता के आधार पर क्रमोन्नत किये गये। कांग्रेस सरकार द्वारा पांच वर्षों में ऐसे कार्य नहीं किये गये।

इस वर्ष झालावाड़ में एवं बारां के कन्या महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है तथा तीन नवीन राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, झुंझुनूं व थानागाजी में प्रारम्भ किये गये हैं।

(श्री हीरालाल रैगर)

दो संस्थानों को निजी क्षेत्र में दंत कालेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। राज्य के समस्त मेडिकल कालेजों में 20 करोड़ रुपयों के उपकरण एवं मशीनें स्थापित कर आधुनीकरण का कार्य प्रगति पर है जो एक सराहनीय कदम है जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

राज्य सरकार खिलाड़ियों के हितों के लिए प्रयासरत है। 2004 में खेल अध्यादेश लागू कर देश में अग्रणी राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है। एथेंस ओलम्पिक, 2004 में डबल ट्रैप राइफल शूटिंग में राज्य के मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है। सरकार ने 11 लाख रुपये नकद एवं एक आवासीय मकान प्रदान किया है। इसी कड़ी में एथेंस में पैरा ओलम्पिक में राज्य के विकलांग एथलीट देवेन्द्र झाझडिया द्वारा ओलम्पिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। राज्य सरकार ने 11 लाख रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है जो विकलांगों, नि:शक्तों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके लिए इस वर्ष 96 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य बीच-बीच में व्यवधान डालते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वे मौजूद नहीं हैं, उनको देखना चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किस तरह का बजट दिया है जिसमें व्यय बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया, फिर भी इनको टोकाटाकी की आदत है।

राज्य में 35 नये आयुर्वेद एवं 10 नये यूनानी औषधालय प्रारम्भ किये गये हैं। साथ ही 5 'बी' श्रेणी के आयुर्वेद औषधालयों को "ए" श्रेणी के चिकित्सालयों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है।

तृतीय श्रेणी के 33936 पदों का परिणाम जारी किया गया और लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी चयन लिस्ट जारी कर दी गयी है। उनकी नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(श्री हीरालाल रैगर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और कुशल मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान तरक्की करेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द. जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीशंकरजी भूतड़ा ।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम तीन मिनट बचे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इनका भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाया जाता है। (व्यवधान) आराम से नहीं आप सवा छह बजे तक खतम कर देना।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी जो इस सरकार की उपलब्धियों के विरोध में बहुत बढ़-चढ़कर बोल रहे थे और जो वास्तविकता थी उसको पचा नहीं पा रहे थे, आखिर इस प्रतिवेदन को देखकर, इन उपलब्धियों को देखकर उनको इस सदन को छोड़कर जाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 माह पूर्व जब मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे सिंधिया ने राज संभाला था, किस अवस्था के अन्दर यह शासन मिला, क्या हालत इस राजस्थान की थी ? जर्जर अवस्था के अन्दर था। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहा हो, प्रत्येक वर्ग पीडित था। खजाना खाली था, स्थिति दर्दनीय थी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे के

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

नेतृत्व में लक्ष्य का निर्धारण किया। आज 13 माह बाद जब इस दस्तावेज को देखते हैं, जो परिणाम सामने आये उन परिणामों से स्पष्ट झलक रहा है कि जो हमने कहा वह हमने कर दिखाया। हमारी सरकार की कथनी और करनी के अन्दर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रतिपक्ष को कुछ बोलने के लिए मैटर चाहिए, बिना किसी बात के कोई बात कहनी चाहिए, विवाद खड़ा होना चाहिए वह काम हमारे प्रतिपक्ष के साथी कर रहे हैं। अन्यथा जो उपलब्धियां हैं और जिन उपलब्धियों की बात हम करते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के साथी यह कहते हैं कि आप ही इनका बखान करो, आप ही इसको देखो, बाकी तो जनता नकार रही है, मैं प्रतिपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि तीन माह पूर्व और उससे पांच साल पहले अशोक गहलोत की सरकार जब बनी थी,

(18.00 बजे)

माननीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में भारी बहुमत आया था बहुमत आने के बाद उनके कार्यकाल में कुछ समय बाद जो परिणाम सामने रहे, शुरूआत से लेकर अन्त तक जो स्थिति रही, वह किसी से छिपी नहीं है। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार की स्थिति, अपने 13 माह के लक्ष्य और कार्यकाल के आधार पर हम नहीं कहते कि उस बात को स्वीकार करो। हम तो कहते हैं कि जिस बात के परिणाम सामने आते हैं, जिसकी बात आप मानने को तैयार हो, वह जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन की अदालत में हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगने गये। जो परिणाम हमने दिये, हमने उनसे बात कही और जनता ने भी हमारे को स्वीकार किया। उसका नतीजा यह हुआ कि चाहे लोक सभा के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे उप चुनाव हों, चाहे पंचायतों के चुनाव हों, भारी बहुमत के साथ वसुन्धराजी के नेतृत्व को राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया है यह परिणाम नहीं है तो यह क्या है ? फिर भी कहते हैं हमारे प्रतिपक्ष के साथी कि साहब, हमें स्वीकार नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको कैसा शासन चाहिए ? गलती उनकी भी नहीं है, वे अभी चले गये हैं। आज गलती उनकी इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमेशा राज ऐसा देखा है जो लूट ओर खसोट का हो, अंधेर नगरी चौपट राजा हो। इस तरीके का उन्होंने राज देखा है। उनको ऐसा कुशल शासन देखने की आदत ही नहीं है। यदि दे[illegible] की आदत होती तो आज यहां से छोड़कर जाते नहीं, बल्कि हमारी बात सुन[illegible] और उस बात का जवाब देते। ऐसी बात पर सदन छोड़कर गये जिस पर [illegible], माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी उस टिप्पणी को

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

कार्यवाही से निकालने का आदेश दिया है। इससे ज्यादा घोर निन्दनीय कुछ हो नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 माह पूर्व जिस स्थिति में सरकार को राजस्थान मिला, आज 13 माह बाद में यदि हम आकलन करें, किसी भी क्षेत्र में आकलन करें, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे सामने नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा था उनके सपने को साकार करने का समय आ रहा है। किसानों को बिजली देने की बात हो तो हम 8 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हो तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अन्दर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आये हों और तो और जब बजट पेश किया गया था, करों का सरलीकरण करके जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, उसकी व्यापारी सहित प्रत्येक वर्ग सराहना कर रहा है। उसके बाद में भी हमारे प्रतिपक्ष के साथी कहते हैं कि कुछ नहीं है। वह उनकी गलती नहीं है। हमने 13 माह पूर्व जब ये बातें कही थीं और जब हमने यही लक्ष्य रखे थे, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट भाषण के अन्दर अपनी बातें रखी थीं तो इनको सपना लगता था। वे यह कहते थे कि इन सपनों को साकार कैसे करोगे, हम तो आपको खजाना खाली करके देकर जा रहे हैं और स्थिति वही है जो हमारे समय में थी? वहां यह कहते थे, कर्मचारी भी वहीं हैं, अधिकारी भी वहीं हैं, आप तीर क्या मार लोगे? आपके पास क्या अलादीन का चिराग हैं? तो हम कहते थे, अलादीन का चिराग तो नहीं है लेकिन हमारे पास माइंड है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास नेतृत्व करने की क्षमता है, नेतृत्व प्रदान करने वाली हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री हैं और उनके पास दिमाग है वह ऐसा चमत्कार दिखाएंगी कि आपको स्वयं का मानना पड़ेगा और यह बात साबित हो रही है। स्वयं केन्द्र की सरकार ने उस नेतृत्व को माना है और जो योजनाओं का आकार लेकर गये हैं उन योजनाओं के आकार को बढ़ाकर यह साबित भी कर दिया है। बजट भाषण के टाइम पर हमने कहा था कि आपका मुख्य मंत्री जो हमेशा पांच साल तक यह कहता रहा कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। पांच साल खजाना खाली-खाली करते गये। राज का जब समय आया तो जनता ने इनको खाली कर दिया। आज वह कह रहे थे, साहब, हमारी संख्या 153 से घटकर 32-33 रह

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

गई। इसलिए में कहना चाहता हूं कि हमारे पास में काम करने की क्षमता हैं, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हमारे में और आप में थोड़ा सा फर्क है, वह फर्क क्या है ? कि आपको जब सत्ता मिलती है तब आप भूल जाते हो कि सत्ता किसलिए मिली। सत्ता केवल माध्यम है। हम जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हम सत्ता के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। हम हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं और वह केवल सेवा के माध्यम से अपने सुख और साधनों की ओर ध्यान देते हैं, अपने घरों को भरने के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 13 माह से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, यह सरकार काम रही है यह तो एक छोटा-सा ट्रेलर है, बाकी के जो महीने बचे हैं, 47 महीने बचे हैं, उन 47 महीनों की पूरी फिल्म तो इन्होंने देखी ही नहीं है। यदि वह पूरी फिल्म जब देखेंगे तो कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कांग्रेस का पता नहीं पड़ेगा। चार साल के बाद जो सत्ता का आनन्द ये देखना चाह रहे हैं, सत्ता के सपने देखना चाह रहे हैं उनको 40 साल तक सत्ता नहीं मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, अब हैं नहीं इसलिए वे जवाब भी नहीं दे सकते, होते तो कोई बीच में टीका टिप्पणी भी कर देते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? आप जो आंकड़े पेश करते हो, आप जो आंकड़ों की बात करते जो, जो आंकड़ों .मे मायाजाल में फंसाना चाहते हो, जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, जो सुबह क्वेश्चन पूछा है हमारे आबकारी मंत्रीजी से आबकारी मंत्रालय के बारे में, जिन चीजों की बात कर रहे हो, जब आपकी सत्ता आती है तो आपको क्या सांप सूंघ जाता है? आप कोई काम कर नहीं सकते हो, आप पांच साल में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते हो, कोई नया कार्यक्रम भी नहीं कर सकते हो और जब सत्ता चली जाती है, बात यह करते हो कि साहब, मदिरा बन्द कर देनी चाहिए, यह नीति लागू कर देनी चाहिए। जब आपकी सरकार आती है तो सारे खोटे काम करना आप शुरू कर देते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमने जो सपने देखें हैं उन सपनों को यदि कोई साकार कर रहा है तो माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार उन सपनों को साकार करेगी और जो हमने लक्ष्य तय किये हैं हम उन

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यह जो प्रतिवेदन अभिभाषण का पेश किया है, उस प्रतिवेदन पर हम खरे उतर कर राजस्थान की जनता को बता देंगे कि हम काम करने आये हैं, हम सपनों को साकार करने के लिए आये हैं। हम यह भी बता देंगे चाहे केन्द्र में किसी की सरकार हो, उस वक्त कहते थे हमारे प्रतिपक्ष के साथी कि आपको कटोरा लेकर जाना पड़ेगा, केन्द्र में अब हमारी सरकार आ गई है, तब हम यह कहते थे हम कटोरा लेकर नहीं जाएंगे, हम अधिकार के साथ जाएंगे क्योंकि केन्द्र की सरकार हमको भीख नहीं देती, हमारे अधिकार हैं, हम वह अधिकार लेकर जाएंगे, हमने फिर साबित कर दिया कि योजनाओं का आकार लेकर गये, हमारी कार्य पद्धति ठीक थी, हमारा कुशल प्रबंधन था इस वजह से उन्होंने स्वीकार किया और हमारी योजनाओं का आकार बढ़ाने के लिए उनको सहमत होना पड़ा। फिर हम कहते हैं आज कि हमको अपने कुशल प्रबंधन के नाते अधिकारों को लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे सरकार किसी की भी रहे। मन में खोट है, उस वक्त आपके मन में खोट था आप काम ठीक ढंग से नहीं करते थे, जो पैसे देते थे उसको खर्च ठीक ढंग से नहीं करते थे, फिर चाहते थे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपको देती रहे। अब भी कोई सरकार यदि पैसे देती है तो पहले यह पूछती है कि पुराना जो पैसा दिया था उसका हिसाब-किताब क्या है। आप उस हिसाब-किताब को पेश करो नहीं और चाहते हो कि हमें ओर दे दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने कार्यों से, अपने कुशल प्रबंधन से हमने इस सरकार के बारे में विश्वास दिलाया था कि इस बचे हुए कार्यकाल मे जो सपने हमने देखें हैं, उन सपनों को साकार करने में राजस्थान की सरकार की जो रीति और नीति है तय की है उसमें हम सफल साबित होंगे। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.08 बजे मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन

3. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 22) को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? उक्त अधिनियम को अब तक लागू नहीं करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के लागू होने पर किसानों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, गत सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 से संशोधन कर अधिनियम, 2003 तो पारित कर दिया गया था, परन्तु, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को संशोधित किये जाने वाले अधिनियम, 2003 से सम्बन्धित विधेयक पारित नहीं किया जा सकता था। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नया राजस्थान/काश्तकारी अधिनियम का विधेयक पारित होने के उपरान्त ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 2003 लागू किया जायेगा।

(2) जी हां, उक्त खण्ड। के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

हनुमानगढ़ जिला पूल द्वारा विधायकों को वाहन सुविधा

4. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायकों को क्षेत्र के दौरे हेतु जिला पूल से एक माह में पांच दिन वाहन उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या

(श्री बहादुरसिंह गोदारा)

जिला पूल कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा क्षेत्रीय विधायकों को उक्त वाहन उपलब्ध कराया जा रहा हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के विधायकों के लिये नये पूल वाहन क्रय करने हेतु वांछित राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पूल में वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में विधायकों को टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने का भी विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, माननीय विधायकों को क्षेत्र के दौरे के लिए जिला पूल से वाहन मांगने पर माह में पांच दिन के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाता है। जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा क्षेत्रीय विधायकों को वाहन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की गई है। किन्तु एक ही दिवस में एक से अधिक विधायकों द्वारा वाहन की मांग किए जाने पर वाहन की उपलब्धता के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं, वर्तमान में जिला पूल, हनुमानगढ़ में 11 वाहनों की स्ट्रेन्थ स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध जिला पूल के पास 12 वाहन उपलब्ध हैं। विभाग का जिला पूल, हनुमानगढ़ के लिए वाहन क्रय किए जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जिला पूल में वाहनों की स्वीकृत स्ट्रेन्थ से कम वाहन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा टैक्सी वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति देने पर विचार किया जाता है।

सादुलशहर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

5. **श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय चिकित्सालय सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ?

(श्री गुरजंटसिंह बराड़)

(2) राजकीय चिकित्सालय सादुलशहर में महिला चिकित्सक के कितने पद हैं. तथा ये पद कब से रिक्त हैं।

(3) सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पदस्थापन कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय सादुल शहर में चिकित्सकों के तीन पद निम्न प्रकार स्वीकृत हैं -

कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1
चिकित्सा अधिकारी (प.क.)	1

वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं नेत्र के पद रिक्त हैं।

(2) राजकीय चिकित्सालय सादुलशहर में महिला चिकित्सक के नाम से कोई पृथक से पद स्वीकृत नहीं है।

(3) उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक के नाम से पद सृजित नहीं है। अतः पदस्थापन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी नगरपालिका में रिक्त पद

6. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा के अन्तर्गत नगर पालिका निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में कार्यालय स्टाफ व सफाई कर्मचारियों की नियमानुसार क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नगर पालिकाओं में रिक्त पदों को भरने व मानदण्डानुसार नई नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत नगर पालिका, निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में कार्यरत स्टाफ व सफाई कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नवीन नियुक्तियों पर वित्त विभाग का प्रतिबन्ध होने के कारण रिक्त पदों पर नियुक्तियां किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रतिबन्ध हटने के बाद कार्यवाही की जावेगी।

नगर पालिका निम्बाहेड़ा में पदवार स्वीकृत पदों की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	स्टाफिंग पेटर्न अनुसार स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	अधिशासी अधिकारी	1	1	-
2.	राजस्व अधिकारी	1	-	1
3.	राजस्व निरीक्षक	1	1	-
4.	सहायक राजस्व निरीक्षक	1	1	-
5.	नाकेदार	1	1	-
6.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	1	-	1
7.	स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय	2	1	1
8.	सहायक अग्निशमन अधिकारी	1	-	1
9.	डिण्डल	2	-	2
10.	फायरमेन	9	9	-
11.	कार्यालय सहायक	1	-	1
12.	वरिष्ठ लिपिक	5	3	2
13.	कनिष्ठ लिपिक	16	13	3
14.	लेखाकार	1	1	-
15.	सब नाकेदार	4	-	4
16.	वाहन चालक	8	4	4
17.	पर्चा वितरक कम सर्वेयर	3	2	1
18.	जमादार/चौकीदार	6	3	3
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	26	24	2

20.	मिस्त्री	1	-	1
21.	भिश्ती	6	6	-
22.	माली/बागवान	2	2	-
23.	सफाई कर्मचारी	150	112	38
24.	लाइनमेन	1	1	-
25.	मेट	1	1	-
26.	क्लीनर	1	-	1
27.	लाईब्रेरी बॉय	1	1	-
28.	अभियांत्रिक अधीनस्थ	1	1	-
	योग	254	188	66

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका. निम्बाहेड़ा (राज.)

कार्यरत, रिक्त एवं स्वीकृत पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	वि.नि.
1.	अधिशासी अधिकारी	01	-	01	
2.	कार्यालय सहायक	01	01	-	
3.	वरिष्ठ लिपिक	02	01	01	
4.	कनिष्ठ लिपिक	04	02	02	
5.	वाहन चालक	02	01	01	
6.	सहा. सफाई निरीक्षक	01	-	01	
7.	सफाई कर्मचारी	34	28	06	
8.	जमादार	02	01	01	
9.	कनिष्ठ अभियन्ता	01	01	-	
10.	लाईन मेन	01	-	01	ठेके मजूदरी पर से.नि.कर्मी
11.	राजस्व निरीक्षक	01	-	01	लगा रखा है।

12.	सहा. राजस्व निरीक्षक	01	01	-
13.	पर्चा वितरक/सहा. प.वि.	03	03	-
14.	सहायक कर्मचारी	04	04	-
	योग	54	43	15

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, छोटी सादड़ी

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन

7. **श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में विद्युत संकट को देखते हुए विद्युत उत्पादन (जनरेट) करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस हेतु कितना अनुदान देने का प्रावधान है?

(2) क्या सरकार निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत के उपयोग हेतु विद्युत बैंक स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन करने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 व 62 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्यमी राज्य विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से विद्युत उत्पादन, प्रसारण, व्हीलिंग (Wheeling) व वितरण की दरें निर्धारित करवाकर राज्य में विद्युत सम्बन्धी व्यवसाय कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(2) विद्युत बैंक स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

सीमान्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

8. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़क संगठन सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में रावतसर से नोहर मार्ग की सड़क भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सडकों को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़क संगठन सड़कों में रावला से घड़साना 24 कि.मी. जीर्ण-शीर्ण दशा मे है। जिला हनुमानगढ़ से थालड़का से रावतसर सड़क जिसकी लम्बाई 18 कि.मी. है जो जीर्ण-शीर्ण दशा में है। शेष सड़कों की स्थिति सन्तोषप्रद है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में रावतसर से नोहर मार्ग में थालड़का से रावतसर का भाग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यह सड़क सीमा सड़क संगठन के अधीन है। अतः इसकी मरम्मत भी इसी संगठन द्वारा की जानी है। विभाग द्वारा सीमा सड़क संगठन से उक्त सड़क मरम्मत कराने के प्रयास किये जा रहे है।

दीगोद में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

9. **श्री भरतसिंह (दीगोद)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि "प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004" के तहत चारागाह भूमि, रास्ते, तालाब, श्मशान, कब्रिस्तान की भूमि का सीमांकन एवं नाजायज कब्जों को हटाने की कार्य योजना थी? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र दीगोद के विभिन्न शिविरों में इन पर अमल किया गया तथा किन-किन जगह सीमांकन व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि इन शिविरों में अतिक्रमण से सम्बन्धित भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा होने के कारण अतिक्रमण हटाने हेतु जन सहयोग प्राप्त नहीं हो सका है व वास्तव में मौके पर अतिक्रमण नहीं हटाये जा सकते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या के समाधान हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक इस पर अमल किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र दीगोद के विभिन्न शिविरों में इन पर अमल किया गया है। निम्नलिखित ग्रामों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी-

तहसील दीगोद

1. बनेठिया
2. बोरखेड़ा
3. बगतरी
4. जालिमपुरा
5. सलीजा बादड़ी
6. सागाहेड़ी
7. लाख सनीजा
8. रामपुरिया
9. चन्द्रावला
10. चोपडखेड़ी
11. झाड़गांव
12. रेलगांव
13. डूंगरज्या
14. सीमल्या
15. दीगोद
16. पोलाइकलां

(राजस्व मंत्री)

तहसील सांगोद

17. मंडिता
18. कुराड़
19. जालिमपुरा
20. लटूरी
21. कोटडी
22. बोरीना खुर्द
23. दांता
24. विनोद खुर्द
25. लोढाहेड़ा
26. हिंगोनिया
27. बालूहेड़ा

(2) इन प्रकरणों में प्रभावशील व्यक्तियों का कब्जा नहीं पाया गया। अतः अतिक्रमियों को सीमा समझाकर एवं समाझाइश कर अतिक्रमण हटवाये गये। तहसील सांगोद के क्षेत्र में अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ तथा अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, तालाब, श्मशान, कब्रिस्तान, रास्ते आदि से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी प्रावधान किए हुए हैं। सक्षम अधिकारी इन नियमों के तहत कभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर सकता है। समय-समय पर अभियानों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।

कोटा लोक सभा क्षेत्र के पोषाहार केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं

10. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लोकसभा क्षेत्र कोटा में महिला एवं बाल विकास के कुल कितने ब्लाक हैं ? प्रत्येक ब्लाक में कुल कितने केन्द्र स्वीकृत है तथा प्रत्येक केन्द्र में किस-किस श्रेणी एवं मानदेय के कितने व्यक्ति किस-किस पद पर कार्यरत हैं ?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) उक्त क्षेत्र में महिला एवं बच्चे पोषाहार केन्द्र पर क्या-क्या सुविधायें महिलाओं एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने ब्लाकों में पोषाहार केन्द्रों के भवनों हेतु राशि स्वीकृत हो गई है तथा कितने केन्द्रों पर स्वीकृत होना शेष है ?

(4) उक्त क्षेत्र में प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक केन्द्र पर कितनी महिलाएं एवं बच्चे दैनिक रूप से आते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त केन्द्रों के लिये उपलब्ध कराई गई सभी प्रकार की सामग्री किस स्तर पर क्रय की जाती है।

उत्तर

(1) कोटा लोकसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 बाल विकास परियोजनाओं (ब्लाक) के माध्यम से कुल 1331 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत एवं संचालित केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जिला	ब्लाक/बाल विकास परियोजना	स्वीकृत केन्द्र	कार्यरत केन्द्र
1.	कोटा	कोटा शहर	133	133
		इटावा	127	127
		सांगोद	123	123
		सुल्तानपुर	124	124
2.	बारां	बारां	80	80
		अन्ता	123	123
3.	बून्दी	तालेड़ा	214	214
		केशोरायपाटन	131	131
		नैनवां	122	122
		हिण्डोली	152	152
4.	झालावाड़	झालरापाटन	02	02
		योग	**1331**	**1331**

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक केन्द्र पर मानदेय के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं को निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :-

(i) पूरक पोषाहार

(ii) शाला पूर्व शिक्षा

(iii) टीकाकरण

(iv) पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(v) स्वास्थ्य जांच

(vi) सन्दर्भ सेवाएं

उपरोक्त सेवाओं में से बिन्दु संख्या (iii), (v) एवं (vi) की सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरक पोषाहार के रूप में लोकसभा क्षेत्र, कोटा के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मीठे/नमकीन मुरमुरे तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए बेबी मिक्स पोषाहार सामग्री दी जा रही है।

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर वर्ष में एक बार मेडिकल किट उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें पेरासिटामोल की गोलियां एवं सिरप, बेन्जिल बेन्जोएट (लोशन), क्लोरोमफेनिकाल (आंखों की ट्यूब), सल्फासेटेमाइड सोडियम (आई ड्राप), जेनशन वाइलेट (लोशन), पेविडान आयोडीन ट्यूब, रूई का बण्डल, पट्टी आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त विटामिन 'ए' का घोल, आई.एफ.ए. की गोलियां तथा कृमिनाशक गोलियां (एलबेण्डाजोल) भी भिजवाई जाती हैं।

(3) लोकसभा क्षेत्र, कोटा में विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु निम्नानुसार ब्लाकवाइज राशि स्वीकृत की गई है :-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	ब्लाक	स्वीकृत केन्द्र
1	सांगोद	22
2	अन्ता	19
3	बारां	27
4	तालेड़ा	36
5	केशोरायपाटन	44
6	नैनवां	23
	योग	**171**

शेष 1160 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य स्वीकृत होना शेष है।

(4) लोकसभा क्षेत्र, कोटा के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसतन 100 बच्चों, गर्भवर्ती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं का पंजीयन पूरक पोषाहार के लिए किया जा रहा है। इनमें 80 बच्चे आयु वर्ग 0-6 वर्ष के, 18 गर्भवती/धात्री माताएं एवं 2 किशोरी बालिकाएं अनुमानित हैं। वर्तमान में औसतन 90 बच्चे एवं महिलाएं दैनिक रूप से पूरक पोषाहार का लाभ प्राप्त कर रहे है।

(5) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मुख्यत:- तीन प्रकार की सामग्री क्रय की जाती है-

1. स्थाई प्रकृति की सामग्री एवं उपकरण
2. पोषहार सामग्री
3. दैनिक उपयोग की सामग्री, स्टेशनरी आदि।

पोषहार सामग्री का क्रय निदेशालय स्तर से किया जाता है। इसके अतिरिक्त मेडिकल किट, शाला पूर्व शिक्षा किट तथा प्रचार-प्रसार सामग्री भी निदेशालय स्तर से क्रय कर भिजवाई जाती है। स्थायी प्रकृति की सामग्री एवं उपकरण निदेशालय स्तर एवं परियोजना स्तर (दोनों स्तर) से क्रय कर आवश्यकतानुसार भिजवाई जाती है। दिन-प्रतिदिन के उपयोग की सामग्री एवं स्टेशनरी आदि प्रतिवर्ष परियोजना स्तर से क्रय की जाती है।

परिशिष्ट 'अ'

विभिन्न पदों पर मानदेय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र.	ब्लाक	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता		सहायिका		सहयोगिनी		धाय मां		परिचारिका	
सं.		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1.	कोटा शहर	133	133	133	133	-	-	-	-	-	-
2	इटावा	127	127	127	127	116	75	-	-	-	-
3.	सागोद	123	123	123	123	113	72	-	-	-	-
4.	सुल्तानपुर	124	124	124	124	114	89	-	-	-	-
5.	बारां	80	80	80	80	80	76	4	4	4	3
6.	अन्ता	123	123	123	123	123	123	13	13	13	13
7.	तालेडा	214	214	214	214	145	145	-	-	-	-
8.	केशोरायपाटन	131	131	131	131	89	84	-	-	-	-
9.	नैनवां	122	122	122	122	83	81	-	-	-	-
10	हिंडौली	152	152	152	152	103	103	-	-	-	-
11	झालरापाटन	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	योग	**1331**	**1331**	**1331**	**1331**	**1198**	**1044**	**17**	**17**	**17**	**16**

नोट– उक्त सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत है।

पुष्कर के चिकित्सालय में रिक्त पद

11. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कितने एलोपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां स्थित हैं ?

(2) उक्त चिकित्सालयों में किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं ? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में 11 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) उक्त अस्पतालों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं

(3)उक्त स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन, बीएचएस (मेल/फीमेल) सेक्टर सुपरवाइजर के पद पदोन्नति के है। इन पदों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर कार्यवाही की जायेगी। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे तथा नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिये माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर माननीय उच्च-न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिये 100 पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है। जिनकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी। अन्य सीधी भर्ती के पदों के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

परिशिष्ट-अ

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेठाना
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुष्कर
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुधवाडा
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दांतडा
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करनोज
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नपोलाव
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडैल
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराधना
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गगवाना

परिशिष्ट-ब

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीसांगन

1	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, स्त्री रोग)	3	2	1 औषधि
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
3	चिकित्सा अधिकारी	2	2	-
4	नर्स ग्रेड प्रथम	2	2	-
5	नर्स ग्रेड द्वितीय	4	4	-
6	रेडियोग्राफर	1	1	-
7	वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन	1	-	1
8	लेब टैक्नीशियन	2	2	-
9	एल एच वी	1	1	-
10	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	-
11	वरिष्ठ लिपिक	1	1	-
12	कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
13	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	-	1
14	वाहन चालक	1	-	1
15	वार्ड ब्वाय	6	5	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

16 स्वीपर	2	2	-
17 बी एच एस (मेल)	1	-	1
18 बी एच एस (फिमेल)	1	-	1
19 संगणक	1	1	-
20 एम पी डब्ल्यू	1	1	-
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेठाना			
1 चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2 नर्स श्रेणी द्वितीय	3	3	-
3 सेक्टर सुपरवाइजर	1	-	1
4 लेब टैक्नीशियन	1	1	-
5 एम पी डब्ल्यू	1	1	-
6 वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	2	2	-
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्कर			
1 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	-
2 कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	1	-
3 कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	1	-
4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
5 चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
6 नर्स श्रेणी प्रथम	3	3	-
7 नर्स श्रेणी द्वितीय	6	3	3
8 वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन	1	-	1
9 लेब टैक्नीशियन	1	1	-
10 वरिष्ठ लिपिक	1	1	-
11 कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
12 सहायक रेडियोग्राफर	1	1	-
13 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
14 वाहन चालक	1	1	-
15 वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	10	10	-
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुधवाड़ा			
1 चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
2 नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3	प्रसाविका	1	1	-
4	सेक्टर सुपरवाईजर	1	-	1
5	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	4	4	-
5.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दांतड़ा**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	प्रसाविका	1	1	-
4	एम पी डब्ल्यू	1	-	1
5	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	3	-
6.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	एल एच वी	1	1	-
4	लेब टैक्नीशियन	1	1	-
5	कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
6	प्रसाविका	1	1	-
7	एम पी डब्ल्यू	1	1	-
8	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	-	1
9	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	3	-
7.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करनोज**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	प्रसाविका	1	1	-
4	एम पी डब्ल्यू	1	-	1
5	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	2	1
8.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नागेलाव**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-
4	प्रसाविका	1	1	-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

5	लेब टैक्नीशियन	1	1	-
6	एम पी डब्ल्यू	1	1	-
7	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	5	5	-
9.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडैल**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-
3	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-
4	प्रसाविका	1	1	-
5	लेब टैक्नीशियन	1	1	-
6	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	-
7	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	3	-
10.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराधना**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	प्रसाविका	1	1	-
4	लेब टैक्नीशियन	1	1	-
5	एम पी डब्ल्यू	1	1	-
6	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	5	5	-
11.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गगवाना**			
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-
3	प्रसाविका	1	1	-
4	लेब टैक्नीशियन	1	1	-
5	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	-
6	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	3	-

निजी चिकित्सालयों को रियायती दर पर भू-आवंटन

12. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में निजी चिकित्सालयों हेतु रियायती दरों पर जमीनों का आंवटन किया गया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किस-किस चिकित्सालय को कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चिकित्सालयों हेतु भूमि रियायती दर पर किन-किन शर्तों के साथ आवंटित की गई? क्या उन शर्तों को चिकित्सालयों द्वारा पूरा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन शर्तों की अनुपालना करवाने के सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत पांच वर्षों में 5 निजी चिकित्सालयों हेतु रियायती दरों पर भूमि आंवटित की है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त निजी चिकित्सालयों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा भूमि निस्तारण नियमों के तहत भूमि आवंटित की गई है। भूमि आंवटन की शर्तें संस्थाओं को जारी आवंटन पत्र में उल्लेखित की गई है, जो क्रमशः परिशिष्ट- 'ब' 'स' 'द' 'र' एवं 'ल' पर संलग्न है। शर्तों की पालना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार है:-

1. ग्रीनफायर हास्पिटल के आंवटन के विरूद्ध याचिका क्रमांक 6443/2003 पेश हुई है जिसके अनुसार निर्माण पर पाबन्दी है तथा भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। ऐसी स्थिति में शर्तों की अनुपालना एवं जांच सम्भव नहीं है।
2. एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट के बाबत आंवटन की शर्तों की जांच करने पर पाया कि उसके भवन निर्माण में आंतरिक परिवर्तन किया गया है, जिसके क्रम में नोटिस दिया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

संस्था के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने व अपना कार्य स्वरूप बदलने के कारण पूर्व आंवटन शर्तों में संशोधन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8.2.2005 को दी गई है।

3. मरूधर मेडिकल ट्रस्ट को आंवटित भूखण्ड के प्रति अपर जिला एवं सैशन न्यायालय क्रम-3 जयपुर नगर, जयपुर में लम्बित वाद 263/02, 101/02 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र 89/02 के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है। अतः भूखण्ड आंवटन की शर्तों की अनुपालना एवं जांच सम्भव नहीं है।

4. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को अस्पताल एवं उसकी सहायक गतिविधियों हेतु भूमि आंवटित की है। आंवटन की शर्त संख्या 1 से 5 के सम्बन्ध में संस्था द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि के प्रति देय शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा करवाई जा चुकी है। शर्त संख्या 6 के अनुसार संस्था द्वारा लीजडीड निष्पादन करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार निर्माण प्रारम्भ करने और 3 वर्ष की अवधि में इसे पूर्ण भी करने की शर्त है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.3.2003 को लीजडीड सस्था के पक्ष में निष्पादित कर दी गई। अस्पताल का निर्माण कार्य दिनांक 31.3.2006 तक आवंटन शर्तों अनुसार पूर्ण किया जाना है, लेकिन अस्पताल के निर्माण कार्य लीजलैड निष्पादन के 1 वर्ष की अवधि में दिनांक 31.3.2004 तक प्रारम्भ नहीं किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में दिनांक 12.1.2005 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अस्पताल का नक्शा अनुमोदित किया गया, जिसके आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसे लीजडीड की अवधि से 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना है। अतः शर्त संख्या 6 का आंशिक रूप से उल्लंघन हुआ है। शेष शर्तों में से कुछ शर्तें अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रभावी होंगी।

5. अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी के आबंटन की शर्तों के अनुसार आवंटन से दो वर्ष की अवधि में भवन निर्माण किया जाना था जिसे बढाकर बाद में 3 वर्ष किया गया है। भवन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। निर्माण अवधि की

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

सीमा दिनांक 4.12.2005 तक की है एवं संस्था द्वारा शर्त अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर नोटिस जारी किया जा चुका है।

(सूची वि॰ न सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रशिक्षित बेरोज़गारों को नियुक्ति

13. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)** : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 के मध्य शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 4506 शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, रोजगार विभाग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा कापित रिक्तियों के अनुसार आशार्थियों का सम्प्रेषण कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन कर नियोक्ताओं से सम्पर्क कर उनकी मांग के अनुसार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आशार्थियों को नियोजित कराने के प्रयास करता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सलूम्बर के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

14. **श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार सलूम्बर कस्बे से बाइपास रोड़ बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चार पंचायत मुख्यालयों में से बस्सी झुंझावत व अमलवा डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़े हुए हैं तथा मालपुर व घोलागर किसी भी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। इनको डामर सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में बाईपास हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पछाड़ (बारां) ग्राम पंचायत को आंबटित भूमि का उपयोग

15. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2000 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक बारां जिले की छीपाबड़ौद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पछाड़ को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी भूमि का आबंटन किस-किस अधिकारी की अभिशंसा पर किया गया ? सम्बन्धित भू-आबंटन आदेश एवं भू-आबंटन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला कलक्टर बारां द्वारा ग्राम पंचायत पछाड़ को भू-आबंटन करने के बाद इस तथ्य का सत्यापन कराया गया कि पंचायत को जिस कार्य हेतु भूमि आबंटित की गई है उसका उपयोग उसी कार्य हेतु हुआ अथवा नहीं? यदि हां, तो सत्यापन कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा आबंटन से प्राप्त उक्त भूमि में से कितनी-कितनी भूमि का आबंटन किस-किस व्यक्ति, संस्था या अन्य प्रयोजनार्थ किस-किस उद्देश्य से कितनी-कितनी राशि में किया गया एवं कितनी भूमि ग्राम पंचायत के पास अभी भी आबंटन हेतु शेष है ? भू-आबंटियों के नाम पते व

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

भूमि की नाप विक्रय मूल्य एवं विक्रय दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा आबंटन से प्राप्त उक्त भूमि का उपयोग जिस उद्देश्य के लिये किया जाना था उस हेतु उपयोग नहीं कर अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आबंटन को निरस्त करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.2000 से 31.12.2004 तक बारां जिले के छीपाबडौद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पछाड़ को निम्न प्रकार भू-आबंटन किया गया :-

1. आबादी विस्तार हेतु ग्राम हरनावदा जागीर की आराजी खसरा नं. 48 में से 09 बीघा भूमि जिला कलक्टर द्वारा आबंटित की गई।

2. आबादी विस्तार हेतु ग्राम हरनावदाजागीर की आराजी खसरा नं. 325 की 3.14 बीघा भूमि जिला कलक्टर बारां की अनुशंसा पर आबंटित की गई। भू आबंटन आदेश व भू-आबंटन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट- 'अ' व 'ब' संलग्न है।

(2) जी हां। सत्यपान कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(3) जी हां। सत्यापन कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। खण्ड-3 की सूचना के अनुसार यह अप्रासंगिक है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय उप जिला कलक्टर, छबड़ा, जिला बारां

क्रमांक : आबंटन/01/308 28 दिसम्बर, 2001

निमित्त :-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

बारां

(राजस्व मंत्री)

विषय : कस्बा छीपाबडौद में हटाये गये अतिक्रमियों के पुनर्वास व आबादी हेतु ग्राम हरनावदा जागीर के खसरा नं. 48 रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा में से 2 हैक्टर भूमि का आवंटन करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि छीपाबडौद ग्राम के समीपस्थ ग्राम पंचायत पछाड़ के ग्राम हरनावदाजागीर के खसरा नं. 48 रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2 हैक्टेयर भूमि ग्राम छीपाबडौद की अतिक्रमण से हटाई गई वोडियों के पुनर्वास एवं आबादी हेतु चाही गई है। जिस पर अनुशंसा तहसीलदार छीपाबडौद व सरपंच ग्राम पंचायत पछाड़ संलग्न है। भूमि की किस्म चरागाह होने के कारण ग्राम पंचायत के सरपंच की अनापत्ति संलग्न है।

अतः निवेदन है कि ग्राम हरनावदाजागीर के खसरा नं. 48 रकबा 44 बीघा 7 बिस्वा में से 2 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण से हटाई गई बोडियों के पुनर्वास हेतु 1 हैक्टेयर व आबादी विस्तार हेतु 1 हैक्टेयर कुल 2 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने हेतु स्वीकृति फरमावें। प्रस्तावित जमीन का मौक तहसीलदार, सरपंच व अतिक्रमियों की उपस्थिति में देखा जा चुका है।

उप जिला कलक्टर

छबड़ा जिला बारां

कार्यालय जिला कलक्टर बारां (राजस्थान)

क्रमांक/एफ-4 ( ) राजस्व/2002/1103-9 दिनांक : 5.2.2002

आदेश

ग्राम पंचायत छीपाबडौद को अतिक्रमण में हटाई बोडियों के पुनर्वास एवं आबादी हेतु सरपंच ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा हरनावदा जागीर की आराजी खसरा नं. 48 की 44 बीघा 7 बिस्वा चारागाह में से 2.00 हैक्टेयर भूमि आबादी हेतु प्रस्तावित करने पर उप जिला कलक्टर छबड़ा एवं तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा उक्त भूमि आवंटित किये जाने की अभिशंसा की गई है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अर्न्तगत ग्राम हरनावदा जागीर की आराजी खसरा नं. 48 की 44 बीघा 7 बिस्वा किस्म चारागाह में से 9 बीघा भूमि आरक्षित (सेट-अपार्ट) की जाकर ग्राम पंचायत

(राजस्व मंत्री)

हरनावदा जागीर को उक्त प्रयोजनार्थ आबादी हेतु निःशुल्क आवंटित की जाती है तथा प्रस्तावानुसार ग्राम हरनावदाजागीर की आराजी खसरा नं. 268 की 9 बीघा भूमि चारागाह में परिवर्तित की जाती है। राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

जिला कलक्टर बारां

परिशिष्ट "ब"

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

बारां (राजस्थान)

क्रमांकः एफ-4 ( ) राजस्व/2002/3768 दिनांक 4-6-2002

निमित्त :-

शासन उप सचिव
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग
राजस्थान जयपुर

विषय :- ग्राम पंचायत पछाड़ के ग्राम पछाड़ हेतु भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा ग्राम पछाड़ की आराजी खसरा नं. 325 की 3 बीघा 14 बिस्वा आबादी हेतु प्रस्तावित करने पर उप जिला कलक्टर बारां एवं तहसीलदार बारां उक्त भूमि आबंटित किए जाने की अभिशंसा की गई है। साथ में निम्न दस्तावेज प्रेषित किए गए है।

1. निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव
2. नकल जमाबन्दी
3. नकल खसरा गिरदावरी
4. नक्शा ट्रेस
5. रिपोर्ट पटवारी
6. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव

अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/प.9(6)राज-6/2000 दिनांक 6-12-2001 के अनुसरण में उक्त आराजी का किस्म गैर मुमकिन तलाई होने के कारण राज्य सरकार की पूर्व अनुमान हेतु प्रकरण प्रेषित है।

जिला कलक्टर बारां

(राजस्व मंत्री)

राजस्थान सराकर

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांकः प.6(1309) राज/3/03 दिनांक 31-7-2002

जिला कलक्टर,
बारां

विषय :- जिला बारां की विभिन्न ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन।

संदर्भ :- आपका पत्रांक : 3763-69 दिनांक 4.6.02

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा आपके प्रस्तावनुसार निम्न प्रस्तावों के वांछित भूमियों की किस्म खारिज कर परिपत्र दिनांक 6.12.1988 के तहत निम्न ग्राम पंचायतों को आबादी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	गांव का नाम	ख.नं.	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा	किस्म	ग्राम पंचायत
1.	बागनहेडा	120	1.52है.	1.00 है.	गै.मुखलियान	बरनाहेडा
2.	रारोती	338,339	1.15 है.	1.15 है.	गै.मुखलियान	सम्बलपुर
3.	खेडलीवेर्शो	201	0.41 है.	0.41 है.	गै.मुखलियान	तिसाया
4.	कालाखेडा	167	0.26 है.	0.26 है.	गै.मुखलियान	सीमली
5.	चुरेलिया	282	2.80 है.	2.80 है.	गै.मुखलियान	रदावद
6.	पछाड	325	3.14 है.	3.14 है.	गै. तलाई	पछाड
7.	सीमली	493, 884	1.22 है.	1.22 है.	गै. खलियान	सीमली

भवदीय

बी.आर. पारीक

शासन उप सचिव

(राजस्व मंत्री)

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक: एफ-4 ( ) राजस्व/2002/5115-21 दिनांक 29-7-2002

आदेश

सरपंच ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा ग्राम पछाड़ की आराजी खसरा नं. 325 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई आबादी हेतु प्रस्तावित करने पर उपजिला कलक्टर, छबड़ा एवं तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा उक्त भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है। शासन उपसचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.6(390) राज/3/02 दिनांक 1-7-2002 से उक्त भूमि आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

अतः ग्राम पछाड़ की आराजी खसरा नं. 325 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत आबादी हेतु आरक्षित (सैट-अपार्ट) की जाकर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6 (1) रा/4/88/10 दिनांक 3-12-88 के अनुसरण में उक्त भूमि ग्राम पंचायत पछाड़ को निःशुल्क आवंटित की जाती है। राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जावे।

जिला कलक्टर बारां

परिशिष्ट 'स'

रिपोर्ट

आज दिनांक 27.1.2005 को ग्राम पछाड़ में खसरा नं. 325 रकबा 3-14 में मु. तलाई जो कि नाम नं. 755/17.8.02 से गे;मु.आ. में दर्ज हुई तथा ग्राम हरनावदाजागीर में खसरा नं. 48 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 90 तथा आवंटित लहसुन मण्डी से लगवां 9.00 बीघा भूमि जोकि गे.मु. आबादी में दर्ज में कर राजस्व मौका दरूध भौतिक संस्थापन कर पाया गया कि उक्त दोनों ग्रामों की भूमि मौके पर वर्तमान में खाली पड़ी है,

अतः मौका रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

ब्यावर में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

16. **श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता, ब्यावर द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ब्यावर-जवाजा क्षेत्र में पीपलाज, गोहना, काबरा, बराखन में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव भिजवाये गये थे ? यदि हां तो उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में अतिरिक्त सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) पीपलाज में सब स्टेशन पहले से स्थापित है। गोहाना में इसे साध्य नहीं पाया गया। काबरा व बराखन के कोई प्रस्ताव नहीं बनाये गये हैं।

(2) जी हां। रीको इण्डस्ट्रियल एरिया ब्यावर में।

चौमूं की मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण

17. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आरूटी से इटावा, नांगल बगडी से खाटूश्यामजी, तिगरिया से जगतपुरा तथा मण्डा-भिण्डा से हस्तेडा की मिसिंग सड़क अधूरी है, जिसका डामरीकरण होना शेष है यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त मिसिंग सड़कों को शीघ्र बनवाने एवं उनका डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्णित सड़कों पर कोई भी सड़क कार्य नहीं चल रहा है, और न ही कोई स्वीकृति है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में डामर सड़कों से जुड़े हुए गांवों को आपस में जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा संभाग के राजकीय भवनों का स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर नामकरण

1. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) जिला बून्दी, कोटा, बारां में कितने एवं किस-किस व्यक्ति को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सैनानियों का दर्जा दिया गया ? उनमें से कितने मृत एवं कितने जीवित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य एवं केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतन्त्रता सैनानियों एवं उनके परिजनों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में क्या-क्या प्राथमिकताएं है ?

(4) उक्त जिलों में किन-किन स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नाम रखा गया और कितने ऐसे स्वतन्त्रता सैनानी हैं जिनके नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बून्दी, कोटा, बारां में राज्य एवं केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत 65 व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सैनानियों का दर्जा दिया गया है। इनमें से 35 स्व. सैनानियों की मृत्यु हो चुकी है एवं 30 जीवित हैं। विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतन्त्रता सैनानियों एवं उनके परिजनों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) उक्त जिलों में स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण की सूची एवं प्रस्तावित राजकीय भवनों के नामकरण का विवरण जिनके नामकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं का विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(4) स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण किए जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं एवं किस स्वतन्त्रता सैनानी के नाम पर प्राथमिकता के आधार पर नामकरण किया जाना चाहिए के बाबत निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत नामकरण की कार्यवाही की जाती है:-

1. जीवित स्वतन्त्रता सैनानी के नाम से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता।
2. स्वतन्ता सैनानी स्थानी निवासी हो।
3. जिन भवनों का नामकरण किया हुआ हो उन पर विचार नहीं किया जाता।
4. सम्बन्धित विभाग से सहमति प्राप्त की जाती है।
5. एक स्वतन्त्रता सैनानी के नाम से एक ही प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।
6. नामकरण किए जाने वाला स्थान विवादास्पद नहीं हो।

किसका नामकरण पहले एवं किसका बाद में, इसका निर्धारण नियमों के अन्तर्गत गठित कमेटी द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट 'अ'

सूची स्वतन्त्रता सेनानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है

जिला कोटा

1. श्री विमलचन्द कंजोलिया
2. श्री सुरेशचन्द्र चतुर्वेदी
3. श्री भैरूलाल कालाबादल
4. श्री उमाशंकर

12. श्री हीरालाल भारतीय
13. श्री मोहनलाल
14. श्री मोतीलाल जैन
15. श्री केदारनाथ शर्मा

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

5. श्री अब्दुल रहमान
6. स्वामी श्री माधवदास महाराज
7. श्री नन्दलाल ब्राह्मण
8. श्री इन्द्रदत्त स्वाधीन
9. श्री बद्रीलाल
10. डा. हरमेन्द्र सिंह
11. श्री ख्यालमल दास
16. श्री गोपाल लाल कोटिया
17. श्री बद्रीप्रसाद शर्मा
18. श्री श्यामसुन्दर माथुर
19. श्री शंकरलाल गुप्ता
20. श्री रमेशचन्द्र अनिल
21. श्री रघुवरदयाल
22. श्री हीरालाल जैन

जिला बून्दी

1. श्री अभय शंकर गुजराती
2. श्री सूर्यनारायण दीक्षित
3. श्री रंगलाल अग्रवाल
4. श्री गुल मोहम्मद
5. श्री रामदयाल नन्दवाना
6. श्री गोपीलाल शर्मा
7. श्री वासुदेव शास्त्री

जिला बारां

1. श्री ज्ञानचन्द गुप्ता
2. श्री बाबूलाल अग्रवाल
3. श्री बद्रीलाल चक्की पति
4. श्री अभिन्न हरि अटरू
5. श्री राधाकिशन बैरवा
6. श्री धूलीलाल बैरवा

परिशिष्ट 'ब'

जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची

जिला कोटा

1. श्री मांगीलाल भव्य
2. श्री शिवराज सिंह हाड़ा
3. श्री अजीत सिंह
4. श्री बागमल बाठिया
5. श्री गुलालचन्द शर्मा
13. श्री विष्णुदत्त पंचौली
14. श्री रामगोपाल गौड़
15. श्रीमती उर्मिला सोनी
16. श्री चरण सिंह
17. श्रीमती सुमन भारतीय

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

6. श्री आनन्द लक्ष्मण खाण्डेकर
7. श्री कृष्णचन्द माथुर
8. श्री जमील अहमद खान
9. श्रीमती नरेन्द्र बाला
10. डा. श्रीमती नारंगी देवी
11. श्री उजागर सिंह सेठी
12. श्री दौलतमल जैन
18. श्री मुकुन्दलाल
19. श्री मोहनलाल गुप्ता
20. श्री सुरेन्द्र सिंह अरोडी
21. श्रीमती कृष्ण कुमारी गुप्ता
22. श्री बाबूलाल इन्दु
23. श्रीमती कृष्णा इन्दु
24. श्री बशीर अहमद मयुख

जिला बून्दी

1. श्री अभय कुमार पाठक
2. श्री कुंजबिहारी लाल ओझा
3. श्री ईश्वरदत्त मेहता

जिला बारां

1. श्री धन्नलाल पटवा
2. श्री मोहनलाल
3. श्री राधेश्याम भार्गव

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान के पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतन्त्रता सेनानियों/आश्रित को दी जाने वाली सुविधाएं :-

1.	पेंशन	स्वतन्त्रता सैनानी को वर्तमान में 1500/- रु. प्रतिमाह स्वतन्तत्रा सैनानी सम्मान पेंशन देय है।
2.	आश्रित पेंशन	स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी या आश्रित को भी स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु की तिथि से आश्रित पेंशन रु. 1500/- प्रतिमाह देय है।
3.	चिकित्सा भत्ता	रुपये 300/- प्रतिमाह देय है। (प्रतिमाह सम्मान पेंशन के साथ)
4.	केन्द्रीय सम्मान पेंशन स्वीकृत स्वतन्त्रता सैनानियों को राज्य सरकार के स्वतन्त्रता सैनानियों के समान पेंशन सुविधाएं देय हैं।	
5	राजकीय समारोह में आमन्त्रण	स्वाधीनता दिवस समारोह/गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किए जाते हैं।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

6.	शिक्षा	1. बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृति (जिन स्वतन्त्रता सैनानियों की मासिक आय रु. 1200/- प्रतिमाह होगी।) 2. राजकीय स्कूल एवं महाविद्यालयों में स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों और पौत्र-पौत्रियों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी। 3. मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे नि:शुल्क या अर्द्धशुल्क पर प्रवेश की विशेष सुविधा। 4. मान्यता प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों से सम्बद्ध छात्रावासों में सभी को स्थान दिए जाने की सुविधा। 5. स्वतन्त्रता सैनानी के छात्र-छात्राओं को सीमित संख्या में प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक भत्ता एवं पुस्तकों की सुविधाएं
7.	यातायात	स्वतन्त्रता सैनानी एवं एक सहायक को राजस्थान राज्य पथ परिहवन निगम की बसों में यात्रा सुविधा नि:शुल्क प्रदान की गई है।
8.	नगरपालिका/परिषदों में कर मुक्ति	स्वतन्त्रता सैनानी के नगरपालिका/परिषद में स्थिति भवनों अथवा भूमियों अथवा दोनों के वार्षिक किराये पर कर के भुगतान से मुक्त किया गया है।
9	डाक बंगले में ठहरने की सुविधा	राजकीय नौकरी वालों की तरह डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा दी गई है।
10	नियम 3(ग) में वर्णित परिस्थितियों में अधिकृत, सम्पहृत खोई हुई या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की वापसी या उसके लिए प्रतिकर तथा जुर्माना का प्रतिदाय।	
11	चिकित्सा सुविधा	1. वित्तीय वर्ष (1 अप्रेल से 31 मार्च तक) में चिकित्सा पुनर्भरण के लिए रु. 10,000/- तक देय है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

		2. स्वयं की बीमारी में राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान। 3. शल्य चिकित्सा दवाईयों सहित राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जा रही है। काटेज वार्ड निःशुल्क देय है।
12.	अनुदान	1. स्वतन्त्रता सैनानी की पुत्री की शादी पर रुपये 4000/- तक अनुदान देय है। 2. स्वतन्त्रता सैनानी के देहावसान पर उनके दाह संस्कार के लिए रु. 2000/- की राशि का अनुदान उनके निकटततम रिश्तेदार को देय है।
13.	आवास सुविधा	1. राजस्थान आवासन मण्डल में भवन आबंटन में 1 प्रतिशत का आरक्षण। 2. नगर विकास न्यास/नगरपालिका क्षेत्र में 220 वर्ग गज का प्लाट आरक्षित दर के 50 प्रतिशत तक भुगतान पर आबंटन।
14.	राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 में स्वतन्त्रता सैनानी को कर मुक्त।	
15.	स्वतन्त्रता सैनानियों की यादगार में	1. राज्य सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम राजकीय भवन, सड़क, चौराहे, स्कूल, अस्पताल आदि का नामकरण किया जा रहा है। 2. स्वतन्त्रता संग्राम स्मृति भवन व अनुसंधान

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

परिशिष्ट 'द'

नामकरण सूची

जिला कोटा

1.	सामुदायिक भवन, चम्बल गार्डन के सामने (नगर विकास न्यास)	श्री अब्दुल कलाम आजाद के नाम से
2.	सामुदायिक भवन, साजीदेहड़ा (नगर विकास न्यास)	स्वतन्त्रता सैनानी श्री हेमू कालानी के नाम से
3.	महावीर नगर थाने के सामने निर्मित हरितमा पट्टी एवं सर्किल (नगर विकास न्यास)	श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से
4.	न्यास की आवासीय कालोनी वीर सावरकर नगर (नगर विकास न्यास)	श्री वीरसावरकर के नाम से
5.	श्रीपुरा बस स्टेण्ड पर गांधी आश्रम एवं चन्द्रघटा हीरन बाजार (नगर विकास न्यास)	डा. जाकिर हुसैन सामुदायिक भवन बनाकर नामकरण किया गया।

(अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है)

जिला बून्दी

1. सामान्य चिकित्सालय, बून्दी का नाम "पं. बृजसुन्दर शर्मा सामान्य चिकित्सालय" बून्दी किया गया है।
2. राजकीय महाविद्यालय का नाम "वीरसावरकर महाविद्यालय"
3. हायर सैकण्डरी स्कूल का नाम "पं. रामकल्याण हायर सैकण्डरी स्कूल"

(क्र.सं. 2 एवं 3 के प्रस्ताव विचाराधीन हैं)

जिला बारां

जिला बारां में नामकरण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई प्रकरण विचाराधीन है।

राज्य में शराब एवं सिगरेट निर्माण पर प्रतिबन्ध

2. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार शराब व सिगरेट से होने वाली मानव हानि के मद्देनजर इनके निर्माण को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अन्य पेय पदार्थों की तरह शराब की बिक्री का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शराब से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के फलस्वरूप राज्य में निर्मित होने वाली मदिरा की बोतलों पर वैधानिक चैतावनी का अंकन करवाया जाता है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी मद्यनिषेध के प्रयोग सफल नहीं रहे है। मदिरा का निर्माण बन्द करवाना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर अवैध रूप से मदिरा निर्माण को ही प्रोत्साहन मिलेगा।

(2) जी नहीं। सामाजिक मान्यता अनुसार शराब अन्य पेय पदार्थों की भांति एक सामान्य पेय पदार्थ नहीं है। अत: शराब की बिक्री की अनुमति एक निश्चित प्रक्रिया अनुसार एवं सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत ही दी जाती है तथा इसमें किसी प्रकार परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

नगर परिषद् क्षेत्र के काबिज भू-खण्डधारी

3. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगर परिषद् क्षेत्र में 1995 से पूर्व के काबिज भू-खण्डधारियों को सशुल्क पट्टा देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण स्वायत्त शासन निदेशालय में निर्देशों के अभाव में लम्बित हैं ?

उत्तर

जी नहीं, यह प्रावधान केवल 31.12.1991 तक निर्माण कर, किये गये अनाधिकृत कब्जों के नियमन के सम्बन्ध में ही है। इस प्रकार चूंकि 95 से

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

पूर्व के काबिज भू-खण्डधारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः निर्देशों के अभाव में प्रकरण लंबित होने का प्रश्न ही नहीं रहता।

बांदीकुई नगरपालिका में सफाई कर्मियों के रिक्त पद

4. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नग रपालिका बांदीकुई में सफाई कर्मियों के कितने पद गत दस वर्षों से किस कारण से रिक्त रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये समय-समय पर नगर पालिका की बैठकों में भी प्रस्ताव पास किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी लिये गये प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांदीकुई नगर पालिका में 26 सफाई कर्मचारियों के पद पूर्व में नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रिक्त रहे हैं। तत्पश्चात अब नवीन नियुक्तियों पर वित्त विभाग का प्रतिबन्ध होने के कारण ये पद रिक्त चले आ रहे हैं।

(2) जी हां। प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने व वित्त विभाग का प्रतिबंध हटने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बोर्ड प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 29.5.2004 की प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या-3 सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में विचार -

सफाई कर्मचारियों के नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली सदन के समक्ष रखी गयी। उपस्थित सदस्य महानुभावों द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर बजट वर्ष 2004-05 में .. सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया जाकर

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

निदेशालय से बजट स्वीकृति प्राप्त कर नगर पालिका द्वारा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका बांदकुई, दौसा

शहरी सीमा क्षेत्र में संचालित पशु डेयरियां

5. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारागनर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर से पशु डेयरियों को शहरी सीमा के बाहर भेजने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश/निर्देश/निर्णय दिया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? निर्णय/आदेशों/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही कितने समय में की जानी थी, जो कब-कब एवं क्या-क्या की गई ? क्या उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में की गई ? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, मा. उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 4783/03 में आदेश दिनांक 14.8.2003 को पारित किया गया कि उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 4409/94 में दिनांक 5.2.2003 को डेयरी शिफ्टिंग के सम्बन्ध में जोधपुर शहर के लिए पारित आदेश जयपुर शहर के साथ भी लागू होगा। इसके पश्चात मा. उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 4783/2003 दिनांक 25.11.2003 को पुनः आदेश पारित किये गये हैं। इसके पश्चात् दिनांक 29.5.2004 को भी पुनः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। अन्तिम निर्देश दिनांक 23.8.2004 को पारित किया गया कि वर्तमान में कार्यरत डेयरीज को आगामी आदेश तक डिस्टर्ब नहीं किया जावे। पारित इन आदेशों की प्रतियां ध्वज-अ पर संलग्न है।

(2) डेयरी शिफ्टिंग के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा दो माह में जयपुर विकास प्राधिकरण को

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

डेयरी अन्यत्र शिफ्ट करने के लिये भूमि आबंटन करने तथा नगर निगम, जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को इन डेयरियों को बाहर ले जाने हेतु प्लान बनाए जाने के निर्देश दिये गये थे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डेयरी शिफ्टिंग के सम्बन्ध में डेयरी स्वामियों को अन्यत्र व्यवसाय स्थानान्तरित करने के लिये ग्राम-सूरजपुरा, ग्राम-रामल्यावाला, ग्राम-हरचन्दपुरा में भूखण्ड आबंटन कर दिये हैं। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.8.2004 जारी कर, वर्तमान में कार्यरत डेयरियों को आगामी आदेश तक डिस्टर्ब नहीं करने के निर्देश दिये हैं। अतः अब डेयरी शिफ्टिंग की कार्यवाही मा. उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों के अनुरूप ही सम्भव हो सकेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में नियम विरूद्ध निर्मित बहुमंजिला इमारतें

6. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है ? अधिकतम कितनी ऊंची इमारत बनाई जा सकती है ? इस सम्बन्ध में मंजूरी प्रदान करने की क्या प्रक्रिया है ? निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना निर्मित इमारतों के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर में बहुमंजिला इमारतों के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी इमारतों के विरूद्ध कब एवं क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) न्यायालय के आदेश की पालना किन-किन इमारतों के विरूद्ध नहीं की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में जयपुर शहर के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रिजन भवन) विनिमयम 2000 तथा राज्य के अन्य शहरों/कस्बों जहां नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका है उनके लिये मण्डल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनिमय 2000 बनाया गया है। उक्त भवन विनियम के अनुसार इमारतों को अधिकतम 30 मीटर अथवा भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौडाई की डेढ गुणा तक जो भी कम हो उंचाई तक बनाया जा सकता है। इससे अधिक ऊंची इमारत के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है। 500 वर्ग मीटर से बडे भूखण्डों में प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र भवन मानचित्र समिति द्वारा मंजूर किये जाते है। जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर बिल्डिंग बायलाज 1970 नगर परिषद जयपुर लागू है। इस बायलाज व राज्य की अधिसूचना 25.1.2000 के अनुसार भूतल+3 मंजिल तक अनुज्ञेय है। निर्धारित प्रक्रिया की पालना के बिना निर्मित भवना के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों का विवरण जांच पश्चात दिया जा सकता है।

(2) जी हां। आदेशों की प्रतियां संलग्न है। परिशिष्ट 'अ'

(3) उक्त आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 बहुमंजिले इमारतों में पार्किंग क्षेत्र में उल्लंघन के विरूद्ध कार्यवाही की गई है तथा उनको माह जनवरी, 2005 एवं दिनांक 10.2.2005 को नोटिस जारी किया गया है। विवरण सलंग्न है। परिशिष्ट 'ब'

(4) न्यायालय के आदेश की पालना उल्लंघन की गई इमारतों के विरूद्ध की गई है।

(5) न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बनीपार्क के आवारा-पशु

7. **श्री बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी से दिसम्बर, 2004 तक कितने व कौन-कौन से आवारा पशुओं को पकड़ा गया? पकड़ने के पश्चात् इन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आवारा पशु पकड़ने हेतु ठेकेदार को दिये गये ठेकों की शर्तें तथा भुगतान प्रणाली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में माह जनवरी से दिसम्बर, 2004 तक 8812-गौवंश, 4718-सुअर एवं 5838 कुत्ते पकड़े गए। इन पकड़े गए पशुओं में बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र से पकड़े गये पशु भी सम्मिलित हैं, लेकिन विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में पकड़े गये पशुओं का पृथक रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। इन पकड़े गये पशुओं को नगर निगम द्वारा संचालित पशु गृहों एवं गौ-शालाओं में रखा जाता है। पकड़े गए ऐसे पशुओं को उनके मालिक द्वारा छुड़वाने का दावा प्रस्तुत करने पर, निगम द्वारा निर्धारित जुर्माना, ढुलाई व चराई राशि वसूल कर, पशुओं को छोड़ा जाता है। आवारा पकड़े गए कुत्तों का अधियाकरण कर, उनका ऐन्टीरेबीज वैकसीनेशन कर, वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है।

(2) जयपुर नगर निगम अपने स्वयं के कर्मचारियों एवं संसाधनों द्वारा शहर से आवारा पशु को पकड़वाता है। आवारा पशु पकड़ने हेतु ठेका जारी नहीं है, तथापि शहर से उत्पाती बन्दर पकड़ कर, जंगल शहर से 100 कि.मी. दूर छोड़ने हेतु वर्ष 2004-05 का ठेका जारी किया गया है, जिसकी ठेका शर्तें संलग्न हैं। इस प्रकार पकड़ कर जंगल में छोडे गए बन्दरों की संख्या के आधार पर प्रति बन्दर रुपये 165/- रुपये की दर निर्धारित थी।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

क्रमांक : एफ.22 ( )वी.पी.एच.एस./जननि/04/ दिनांक 4.2004

ठेके की शर्तें

1. ठेकेदार के आदमी अपने खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
2. निगम के बाहर से आने वाले ठेकेदार को अपने आने-जाने की व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करनी होगी। साथ ही सामान का भी किराया स्वयं वहन करेंगे।
3. बन्दर पकड़े जाने के बाद उन्हें नगर निगम सीमा से 100 कि.मी. दूर छोड़ना होगा, अथवा निगम द्वारा बताये गये स्थान पर नगर निगम की गाडी द्वारा छोड़ा जाएगा एवं पशुजन स्वास्थ्य शाखा का एक कर्मचारी प्रमाणीकरण हेतु साथ जाएगा।
4. बन्दर पकड़ने के बाद बन्दरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व बन्दरों के खाने पीने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार करेगा।
5. बन्दरों के साथ अत्याचार अथवा बल प्रयोग किया गया तो ठेका समाप्त कर अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी। एनीमल कुअल्टी एक्ट को मद्देनजर रखते हुए ही बन्दरों को पकडना व जंगलों में तुरन्त छोड़ना होगा।
6. ठेके की अवधि कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष होगी। जिसे एक वर्ष बढाया जा सकेगा। ठेकेदार की एक गैंग बन्दर पकडने हेतु हमेशा तैनात रहेगी ताकि आवश्यकतानुसार तथा शिकायत आने पर बन्दरों को पकड़वाने की व्यवस्था की जा सके।
7. एक वर्ष के पहले आवश्यकता नहीं होने पर बकाया भुगतान करके ठेका समाप्त किया जा सकता है।
8. दरें प्रति बन्दर छोटा या बडा देनी होगी जिसमें दूध पीते बच्चे शामिल नहीं होंगे। निर्धारित स्थान पर छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
9. आवश्यकतानुसार नगर निगम, जयपुर इन शर्तों में से कोई भी शर्त ठेका देने से पूर्व या पश्चात घटा या बढा कर संशोधित कर सकता है। जरूरत पड़ने पर सुअर तथा कुत्ते, बिल्लियां, मधुमक्खी का छाता आदि को हटाने का कार्य भी करना होगा।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

10. ठेकेदार को प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत प्राप्त करनी होगी एवं शिकायत का निराकरण तीन दिवस में करना होगा।
11. शिकायत का निराकरण निर्धारित अवधि में नहीं होने पर विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त 500/- रुपये जुर्माना (शास्ति) के रूप में देय होगा।
12. ठेकेदार को कम से कम आठ पिंजरे तैयार रखने होंगे।
13. टेण्डर फार्म नगर निगम कोष में 7200/- (अमानता व टेण्डर फीस) जमा कराने के उपरान्त ही प्राप्त किये जा सकेंगे।
14. सफल निविदादाताओं को 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा सात दिवस में अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. विवाद उत्पन्न होने पर जयपुर नगर निगम, का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

पशुजन स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर नगर निगम

आयुक्त (गौशाला)
जयपुर नगर निगम

बारां शहर में आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहीत भूमि

8. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां शहर में आवासन मण्डल के मकानों को प्राप्त करने के लिये किस-किस वर्ग में कितने व्यक्तियों द्वारा पंजीयन कराया गया एवं इनकी कितनी राशि जमा हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बारां शहर में पंजीकृत उपभोक्ताओं को मकान उपलब्ध कराने हेतु भूमि अधिग्रहीत की गई है? यदि हां, तो किस स्थान पर, किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि किस दिनांक को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल की मकान निर्माण हेतु अधिग्रहित या आबंटित उक्त जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस न्यायालय में में किस खसरा नम्बर का वाद किस दिनांक से किन कारणों से लंबित है एवं वर्तमान में यह प्रकरण किस स्थिति पर है?

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(4) क्या पूर्व में उक्त अधिग्रहीत भूमि के प्रकरण का फैसला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका था? यदि हां, तो सम्बन्धित निर्णय/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार बारां शहर में पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध कराने हेतु क्या योजना रखती है एवं कब तक पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) बारां शहर में राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों को प्राप्त करने के लिये विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाये है एवं पंजीकरण राशि जमा करवाई है। उनका आय वर्गानुसार संख्या एवं जमा कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

	आ.द.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग 'अ'	मध्यम आय वर्ग 'ब'	कुल पंजीकृत आवेदक
आवेदकों की संख्या	278	360	21	06	665
मण्डलों में जमा राशि रुपये (लाखों में)	3.73	11.07	1.85	0.82	17.47

(2) जी हां। ग्राम नलका तहसील जिला बारां की 19.13 हैक्टर भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की गई, जिसका खसरा नम्बर,आदि विवरण (परिशिष्ट 'अ') संलग्न है।

(3) जी हां। बारां शहर में 19.13 हैक्टर अधिग्रहित की गई भूमि (सिवाय चक भूमि खसरा नं. 373/479 के अलावा) पर अधिग्रहण की कार्यवाही के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद संख्या 6577/99, 6578/99, 6514/99 एवं 6667/1999 दिसम्बर 1999 से लम्बित है। इन वादों की वर्तमान स्थिति फाइनल डिस्पोजल एट एडमिशन स्टेज पर है।

(4) जी नहीं।

(5) बारां शहर की विवादित भूमि पर उक्त वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात ही योजना पर कार्यवाही की जायेगी।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

अन्य जगह की भूमि अधिग्रहण हेतु चिन्हित की कार्यवाही की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने पर ही पंजीकृत आवेदकों को मकान आबंटित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

ग्राम-नलका बारां में अवाप्त की कार्यवाही हेतु धारा 4(1) एवम 6(1) की विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 16.10.1996 एवम 18.3.1999 को जारी की गई। अवार्ड दिनांक 10.4.2002 के अनुसार अवाप्ति भूमि के खसरा नम्बर एवम भूमि की माप।

क्र.सं.	खसरा नम्बर	(रकबा हैक्टेयर में)
1	373	0.15
2	355	2.58
3	435	8.82
4	371	0.02
	372	3.04
	372/445	0.21
	372/478	1.80
5	357	1.83
6	370	0.18
7	**373/479**	0.03
8	**372/498**	0.47
कुल रकबा		**19.13 हैक्टेयर**

अवाप्ति की कार्यवाही धारा 4(1) एवं 6(1) की विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 16.10.1996 एवं 18.3.1999 को जारी की गई एवं अवार्ड दिनांक 10.4.2002 को जारी किया गया।

कोटा संभाग में भूमि रूपान्तरण के लम्बित प्रकरण

9. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण के लिए बनाए गये नियमों में प्रकरण के निपटारे हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं किये जाने से प्रकरण के निपटारे में अनावश्यक देरी होने से विकास की निरन्तरता में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ? सम्बन्धित नियमों की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि रूपान्तरण प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व रूपान्तरण शुल्क की पूरी राशि जमा किये जाने से स्थानीय निकायों द्वारा समय पर आदेश पारित कर पट्टे जारी नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बाबत कोई नीति निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कोटा संभाग के अन्तर्गत आने वाली नगर पालिका/नगर परिषदों में भूमि रूपान्तरण के प्रकरण लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने तथा कब से ? निकायवार सूची लम्बित प्रकरण प्रस्तुती की तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त प्रकरणों का निपटारा कब तक कर दिया जायेगा तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, समय सीमा के कारण प्रकरण निपटारे के विलम्ब नहीं होता है।

(2) यह सही नहीं है। प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व रूपान्तरण शुल्क जमा कराने के मामलों में भी पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर यथा धारा 90 बी की कार्यवाही कर तथा ले-आउट प्लान समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात नियमन की कार्यवाही कर पट्टे जारी किए जाते हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। निकायवार लम्बित प्रकरणों की सूचियां परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(4) इन लम्बित प्रकरणों में वांछित सभी पूर्तियां पूर्ण होने पर निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

सांगानेर (जयपुर) ग्राम विधाणी की कालोनी के नियमन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

10. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम विधाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर में मन्दिर माफी की भूमि पर काटी गई कालोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धार 90 बी की कार्यवाही कर नियमित किये जाने के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई तथा जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये ? सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

चौमूं बस स्टैण्ड का अर्द्धनिर्मित सुलभ काम्प्लैक्स

11. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर पालिका चौमूं में दिसम्बर, 2003 से अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक विकास के कौन-कौन से कार्य करवाये गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में जिन विकास कार्यों के तखमीना बन चुके हैं उन तखमीनों के आधार पर विकास कार्य करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री रामलाल शर्मा)

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौमूं बस स्टैण्ड पर बने सुलभ काम्पलैक्स को कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) नगर पालिका चौमूं में दिसमबर, 2003 से अब तक कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(2) प्राधिकरण के क्षेत्र में जिन विकास कार्यों के तकमीने बन चुके हैं, उन पर कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाया जावेगा।

(3) चौमूं बस स्टैण्ड पर बने सुलभ काम्पलैक्स को माह सितम्बर, 2005 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	लागत
1.	रघुनाथ दास की बगीची, इमामचौक, बदनपुरा, खटीकों का मौहल्ला, कसाइयों की मोरी एवं बजाजों का मौहल्ला में सीमेन्ट कंकरीट सडक एवं नाली का निर्माण कार्य।	34.65 लाख

अतारांकित प्रश्न संख्या-12

(स्थगित)

कपासन में आयोजित भू-नियमन शिविर

13. **श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1991 के बाद सरकार द्वारा भूमि नियमन शिविर आयोजित कर भू-नियमन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्ष 1991 के बाद कोई शिविर आयोजित कर भूमि का नियमन किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी भूमि का ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, कपासन

क्रमांक	वर्ष	दिनांक	नाम ग्राम	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)
1.	2002	10.6.2002	पावटीया	560	0.50
2.		15.6.2002	रामथली	1641	0.37
				1643	
				1645	
3.		17.6.2002	पीपलखोडी	633	0.54
				634	0.04
				6.35	0.04
4.		24.6.2002	सुरताखोडा	3548	0.65
5.		26.6.2002	काकरवां	1925	0.22
				1926	0.22
6.	2003	12.9.2003	उम्मेदपुरा	98	1.41
7.		12.9.2003	दान्ता	8	0.16
				167	0.23
				168	0.30
				169	0.10
				15	0.29
8.		12.9.2003	जवानुपुरा	430	0.18
				431	0.19
				429	0.21

(राजस्व मंत्री)

क्रमांक	वर्ष	दिनांक	नाम ग्राम	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)
9.		18.9.2003	रण्डियारेडी	361	0.53
				362	0.17
				363	0.16
				767/368	0.05
10.		18.9.2003	दामाखेडा	150	0.20
				151	0.95
				152	0.20
				110	0.90
				111	1.00
11.		18.9.2003	ताराखेडी	1082/15	0.74
12.		18.9.2003	तण्डियारडा	915	1.30
				745	0.36
				747	0.48
				749	0.83
				750	0.18
				751	0.40
				753	0.11
13.		19.9.2003	रूपाखेडी	971	0.04
				990	0.36
				1402/973	0.06
				1403/974	0.03
14.	2003	19.9.2003	रामपाली	1535	0.17
				1543	0.30
				1544	0.30
				1546	0.13
				1547	0.14

(राजस्व मंत्री)

क्रमांक	वर्ष	दिनांक	नाम ग्राम	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)
15.		19.9.2003	खरडी	11	0.43
				12	0.40
				14	0.37
				37	0.21
				38	0.10
				39	0.05
				15	1.32
16.		30.9.2003	कडोलिया	34	0.01
				42	0.35
				49	0.02
				51	0.01
				52	0.09
				54	0.10

उपखण्ड अधिकारी
कपासन

विधान सभा क्षेत्र कपासन की तहसील भदेसर में किये गये नियन के प्रकरणों की सूची:-

क्रमांक	नाम ग्राम	वर्ष	कुल आबंटी	कुल भूमि रकबा	वि.वि.
1.	पोटलाकला	2001-02	13	19.10 बीघा	—
2.	बानसेन	2001-02	05	3.00 बीघा	—
3.	भादसौड़ा	2001-02	01	0.19 बीघा	—
4.	आक्या	2004	08	22.04 बीघा	—

क्रमांक	नाम ग्राम	वर्ष	कुल आवंटी	कुल भूमि रकबा	वि.वि.
5.	रेबलिया खुर्द	2004	07	0.07 बीघा	ट्यूबवैल/कुआ नियम
6.	बामुण्ड	2004	01	0.02 बीघा	—
7.	कूंथना	2004	02	0.04 बीघा	—
		योग	37	46.06 बीघा	

तहसीलदा भदेसर
जिला चित्तौडगढ़

आसीन्द की पेराफैरी सीमा के अवैध अतिक्रमण

14. **श्री हंगामी लाल मेवाड़ा** (आसीन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के पेराफैरी क्षेत्र में काश्तकारों के अवैध कब्जे किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेराफैरी सीमा के अवैध अतिक्रमणों की भूमि का नियमन/आबंटन अथवा कीमतन कृषकों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक के कब्जों की भूमि का नियमन/आबंटन अथवा कीमतन कृषकों को दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील का कोई पेराफैरी क्षेत्र किन्हीं नियमों के तहत परिभाषित नहीं है। अत: सूचना शून्य है।

(2) जब तहसीलों का पेराफैरी क्षेत्र किन्हीं नियमों के तहत परिभाषित नहीं है तो प्रश्न ही अप्रसांगिक हो जाता है।

बारां में संचालित सहायक कलक्टर कार्यालय

15. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय अन्ता जिला बारां पर सहायक कलक्टर का न्यायालय कार्यरत है, यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2005 को न्यायालय सहायक कलक्टर अन्ता में किस-किस धारा/नियम के कितने-कितने प्रकरण लंबित है।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2005 को सहायक कलेक्टर अन्ता के न्यायालय में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी कब-कब से पदस्थापित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) दिनांक 1 जनवरी, 2005 को सहायक कलक्टर अन्ता का न्यायालय किस स्थान पर संचालित था ?

(5) क्या यह सही है कि सहायक कलक्टर अन्ता का पद रिक्त होने से मामलों की सुनवाई व निर्णय उप जिला कलक्टर मांगरोल द्वारा किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनके द्वारा अतिरिक्त चार्ज लेने के बाद किस-किस धारा के कितने प्रकरणों का निर्णय किया गया ? विवरण मय केस उनवान व नम्बर के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दिनांक 1.1.2005 को तहसील मुख्यालय अन्ता पर सहायक कलक्टर का न्यायालय स्थापित नहीं होने के कारण इसमें प्रकरण लम्बित होने का कोई प्रश्न ही नही हैं।

(3) दिनांक 1.1.2005 को तहसील मुख्यालय अन्ता में सहायक कलक्टर न्यायालय स्थापित नहीं होने से इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी नहीं नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(5) जी नहीं। तहसील अन्ता क्षेत्र के राजस्व वादों को निस्तारित करने हेतु उप जिला कलक्टर, मांगरोल को अधिकृत किया हुआ है जिनके द्वारा माह फरवरी, 2004 में 4, मार्च 2004 में 14, अप्रैल 2004 में 4, मई 2004 में 3, जून 2004 में 7, जुलाई 2004 में 8, अगस्त 2004 में 11, सितम्बर 2004 में 11, नवम्बर 2004 में 1 अर्थात कुल 63 राजस्व वाद निर्णित किये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

तहसील अन्ता क्षेत्र के गत वर्ष-निर्णित प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	दावा संख्या	किस्म मुकदमा	उनवान	निर्णय माह	निर्णय तारीख
1	53/01	88, 53, RTACL	मांगी बाई बनाम भरोसी बाई	फर. 04	23/2/04
2	269/01	53 RTM	चन्द्र कला बनाम धूलीलाल	..."...	23/2/04
3	81/03	88, 53	गोगा बनाम श्यामलाल	..."...	23/2/04
4	30/02	88, 53	स्टाया बनाम घांसीलाल	..."...	24/2/04
5	211/01	188 RTAO	मथुरालाल बनाम शंकरलाल	मार्च 04	9/3/04
6	170/01	183 RTACL	चन्द्रकंवर बनाम मथुरालाल को	..."...	9/3/04
7	13/04	88. 188 RTACL	विद्याप्रसाद बनाम परसराम को	..."...	9/3/04
8	6/01	188	मदनलाल बनाम हजारीलाल	..."...	9/3/04
9	68/01	53, 88 RTACL	केसरा बनाम केसरी	..."...	9/3/04
10	166/01	88, 53	भंवरसिंह बनाम सरकार	..."...	14/3/04
11	237/01	88, 53	दिनेश कुमार बनाम भैरूलाल	..."...	14/3/04
12	27/02	188 RTAO	रामनारायण बनाम अमरलाल	..."...	15/3/04
13	258/01	53, 88	धनकरण बनाम केसरा	..."...	15/3/04
14	56/03	188, RTACL	रामस्वरूप बनाम वलाराम	..."...	29/3/04
15	31/03	88, 188 RTA	मकबूल बनाम हस्सू खां	..."...	29/3/04

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	दावा संख्या	किस्म मुकदमा	उनवान	निर्णय माह	निर्णय तारीख
16	94/03	88, 53 RTACL	मनीषा बनाम अनिता	..."...	29/3/04
17	198/01	188 RTA	कालूलाल बनाम वर्मा जी	..."...	31/3/04
18	18/04	88, 53	कमला वर्मा बनाम भैरूलाल को	..."...	31/3/04
19	250/01	53 RTACL	पृथ्वीराज बनाम बूच्या	अप्रैल 04	6/4/04
20	9103	88, 188	बजरंगलाल बनाम नन्दकिशोर	..."...	19/4/04
21	248/01	88, 53	मोहनलाल बनाम मदनलाल	..."...	26/4/04
22	93/03	53 RTM	रूक्मणी उर्फ घीसी बनाम रामप्रताप को	..."...	26/4/04
23	82/03	88, 53	भंवरलाल बनाम मथुरालाल	मार्च 04	10/5/04
24	28/04	88, 8990	कान्ताप्रसाद बनाम गोपी वर्मा को	..."...	31/5/04
25	65/03	53 RTM	किशनवर्मा उर्फ किशन बनाम राजेन्द्र को	..."...	31/5/04
26	168/01	53, 188	रामचन्द्र बनाम देवस्त	जून 04	1/6/04
27	78/03	88, 188	रमेशचन्द्र बनाम सूरज्या वर्मा	..."...	7/6/04
28	111/01	188 RTA	पन्नालाल बनाम शंकरलाल	..."...	8/6/04
29	251/01	188 RTA	हेमराज बनाम मोहनलाल	..."...	14/6/04
30	92/04	88, 188 RTA	चेतन कुमार बनाम प्रेम वर्मा	जून 04	14/6/04
31	38/04	88. 8890	केसर वर्मा बनाम ग्यारसीलाल	..."...	22/6/04
32	42/04	88, 89, 90	सत्यनाराण बनाम रामकिशन	..."...	29/6/04
33	208/01	88, 53, 188	काली बाई बनाम सीताराम को	जुलाई 04	5/7/04
34	21/04	53, 188 RTA	रामविलास बनाम गोविन्द प्रसाद	..."...	5/7/04
35	65/01	88, 53, 188	सूरजमल बनाम गोगचन्द	..."...	5/7/04
36	[illegible]/01	88, 188	रामप्रसाद बनाम गोपाल को	..."...	6/7/04
37	74/03	188 RTACL	अमरलाल बनाम नेना	..."...	19/7/04

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	दावा संख्या	किस्म मुकदमा	उनवान	निर्णय माह	निर्णय तारीख
38	59/04	88, 89, 90	बद्रीलाल बनाम नन्दलाल	..."...	26/7/04
39	7/04	88, 53, 188	श्रीनाथ बनाम श्रीलाल	..."...	26/7/04
40	7/04	88, 53, 188	श्रीनाथ बनाम श्रीलाल	..."...	26/7/04
41	29/03	188 RTAO	नन्दलाल बनाम प्रभूलाल	अगस्त 04	2/8/04
42	51/03	88, 53 RTA	नमर्दा बनाम जमनालाल	..."...	2/8/04
43	67/04	188 RTACL	मोड़ूलाल बनाम वीरभान	..."...	2/8/04
44	90/01	53 RTAO	निर्मला बनाम धन्नालाल	..."...	16/8/04
45	31/03	53, 188 RTA	रूकमणी बनाम पृथ्वीपाल	..."...	16/8/04
46	235/01	53 RTAO	रमेशचन्द्र बनाम मांगीलाल	..."...	31/8/04
47	1/02	88, 8953	गोपीलाल बनाम जमना बाई	..."...	31/8/04
48	16/03	88, 183, 188	कैलाश वर्मा बनाम सूरजमल	..."...	31/8/04
49	46/03	88, 53 RTA	कंचन वर्मा बनाम रामलाल	..."...	31/8/04
50	55/04	88, 188, 53	सत्यनारायण बनाम रामचन्द्र	..."...	31/8/04
51	21/04	53 RTA	किशोर बनाम नन्दा	..."...	31/8/04
52	5/04	88, 188	अल्ला वेली बनाम बंशीलाल	सित. 04	6/9/04
53	51/04	88, 89, 90	लक्ष्मीचन्द बनाम राज. सरकार	..."...	20/9/04
54	54/04	53, 188	कोशल्या बनाम कमला	..."...	20/9/04
55	84/04	53 RTMO	पृथ्वीराज बनाम पूच्या	..."...	20/9/04
56	74/04	88, 53	मूली बाई बनाम मंगली बाई	..."...	20/9/04
57	43/03	188, 53	चन्द्रकान्ता बनाम नर्मदा	..."...	21/9/04
58	60/04	188	बाबूलाल बनाम मोडलाल	..."...	21/9/04
59	77/04	88, 188	बद्रीलाल बनाम हरिशंकर	..."...	27/9/04

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	दावा संख्या	किस्म मुकदमा	उनवान	निर्णय माह	निर्णय तारीख
60	63/03	88, 89, 90	हरिनारायण बनाम शंकर सिंह	..."...	28/9/04
61	40/04	53 RTACL	मुकुटिबहारी बनाम रामविलास	..."...	28/9/04
62	73/04	88, 188 RTACL	नन्दकुंवर बाई बनाम बंशी	..."...	28/9/04
63	87/04	88, 53	दूलीचन्द बनाम कैलाश वर्मा को	नव. 04	29/11/04

उप जिला कलक्टर

जयपुर तहसील के ग्राम मूण्डिया पुरोहितान में अवाप्त भूमि का मुआवजा

16. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या 'राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत मूण्डिया पुरोहितान तहसील जयपुर जिला जयपुर में भूमि अवाप्त (पुनर्ग्रहीत) की गई है ? यदि हां, तो जिनकी भूमि अवाप्त (पुनर्ग्रहीत) की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह भी सही है कि इनको मुआवजे का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिनकी भूमि अवाप्त की गई है उनको खुदकाश्त के लिये भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो खुदकाश्त की भूमि आबंटन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन आवेदनों में से कितने आवेदन खारिज किये गये, क्या जिनके आवेदन खारिज किये गये उनको सुनवाई का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा इनको खारिज किये जाने की सूचना दी गई ? यदि हां, तो किन-किन का व नहीं तो क्यों ?

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(4) क्या यह भी सही है कि जिनके आवेदन खारिज किये गये उनकी पत्रावलियां तहसील कार्यालय भिजवा दी गई हैं ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण ही नहीं हुई तो खुदकाश्त भूमि आबंटन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) जब कोई आवेदन पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ तो खारिज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं।

(कोटा) के ग्राम रोसली की औद्योगिक भूमि का अवैध बेचान

17. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका रामगंजमण्डी (कोटा) के ग्राम रोसली की भूमि खसरा संख्या 12 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा आयरन स्टील लोहा फैक्ट्री को उद्योग लगाने हेतु 99 वर्ष के लीज पर दी गई थी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फैक्ट्री बन्द है तथा उसके प्रबन्धक ने उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित कर दी है ? यदि हां, तो क्या उद्योग हेतु लीज पर ली गई भूमि को बेचान किसी को भी किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है ? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में आवासीय प्लाट बनाकर बेचान करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, नगर पालिका रामगंजमण्डी के ग्राम रोसली के खसरा नं. 12 की 9.09 बीघा भूमि आयरन एण्ड स्टील फैक्ट्री को उद्योग प्रयोनार्थ जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक एफ. 11(2)राजस्व/क/61/1707 दिनांक 11.3.61 के द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 की शर्तों के अधीन आबंटित हुई थी।

(2) जी हां, उक्त फैक्ट्री बन्द है।

जी नहीं। उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की गई है।

(3) जी नहीं।

(जयपुर) के ग्राम आकेडा डूंगर की मंदिर माफी की भूमि को बेचान

18. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आकेड़ा डूंगर तहसील आमेर जिला जयपुर में मन्दिर माफी की भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो उस भूमि का खसरा नम्बर व रकबा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मन्दिर माफी की भूमि का बेचान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल की बैठकें

19. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(4) देव/2002 दिनांक 7 सितम्बर, 2003 के द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत सदस्यों का 5 वर्ष के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों का राजपत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 2003 में प्रकाशन भी हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रन्यास मण्डल की अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब इस प्रन्यास मण्डल की बैठक बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(4)देव/2002 दिनांक 27.9.2003 द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 42 सन् 1959 की धारा 11 के साथ पठित राजस्थान प्रन्यास नियम 1962 के नियम-4 के अन्तर्गत राज. सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल का गठन किया जाकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "क"

(2) जी हां। उक्त आदेशों का राजपत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 2003 में प्रकाशन हो चुका है।

(3) जी हां। प्रन्यास मण्डल के कतिपय सदस्यों के पतों के अभाव एवं अध्यक्ष के मनोनयन नहीं होने के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

(4) प्रन्यास मण्डल की बैठक आहूत करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(देवस्थान मंत्री)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः प.5(4)देव/2002 जयपुर, दिनांक 27.9.2003

अधिसूचना

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम, 42 सन् 1959,) की धारा 11 के साथ पठित राजस्थान प्रन्यास नियम 1962 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा निम्नांकित को पांच वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल का सदस्य नियुक्त करती है :-

हिन्दू

1. श्री देवश स्वामी, मंदिर माधोबिहारी, जयपुर।
2. श्री वल्लभ देव गोस्वामी, गोपीनाथजी मंदिर, जयपुर।
3. बाबा जसनाथ, खेतड़ी।
4. श्री देवाराम राजौरिया, जयपुर।
5. महंत अवधेश कुमार, गलताजी, जयपुर।
6. श्री जगदीश मीणा, कोटपूतली।
7. के. गिरधारी सिंह, सचिव कैला देवी ट्रस्ट, करौली।
8. महंत श्री किशोर पुरी, मेहन्दीपुर।
9. श्री रामेश्वर दाधीच, जोधपुर।
10. श्री हरिशंकर राजपुरोहित, जालौर।
11. श्री श्याम तंवर, बीकानेर।
12. श्री बनवारी लाल शर्मा।
13. श्री मदन पालीवाल, नाथद्वारा।
14. श्री रिद्धकरण चौधरी, जायल।

जैन

1.श्री सुमेर सिंह बोथरा।

2.श्री कन्हैयालाल जैन, जयपुर।

3.श्री विजय जैन, झालावाड़।

4.श्री राजेन्द्र के. शेखर।

ईसाई-

1. श्री दीपक सिंह कोटा।

पारसी-

1. 1.श्री करसी मेहता

सिख-

1. श्री मनिन्दर जीत सिंह बग्गा।

इस बोर्ड के सदस्य-सचिव आयुक्त, देवस्थान विभाग होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से

निवेदिता मेहर

शासन उप सचिव

पाली जिले में चिकित्सक के रिक्त पद

20. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला पाली में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? उन्हें भरने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

जिला पाली में चिकित्सकों के 53 पद रिक्त हैं। इनमें 28 पद पदोन्नति के हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा 25 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना

21. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार निजी अनुबन्ध के तहत सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एम.आर.आई. मशीन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेन्टर को एम.आर.आई. मशीनें लगने तक अस्थाई तौर पर ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किसे और किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ठेके में एम.आर.आई. की दरें किस आधार पर निर्धारित की गई ? वसूली जाने वाली दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में अप्रैल, 2005 तक निजी क्षेत्र की भागीदारी से एम.आर.आई. मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी फर्म को ठेका नहीं दिया गया है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सालय की सी.टी. स्केन मशीन खराब होने के कारण व एम.आर.आई. की जांच बाजार से सस्ती दर पर मरीजों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुली निविदाएं आमन्त्रित कर न्यूनतम बोलीदाता को जांच का कार्य सम्पन्न करने के आदेश दिए गए हैं।

(3) एम.आर.आई. मशीन से होने वाली जांचों के दरें खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित कर निर्धारित की गई। अनुमोदित दरों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(परिशिष्ट-1)

RAJASTHAN MEDICARE RELIEF SOCIETY SMS HOSPITAL JAIPUR (RAJ.)

No. 849/Store/2004-05MR1-Sprial CT Scan Date : 11.12.2004

M/s Vardhman Scanners & Imagers (P) Ltd.

S.D.M. Hospital Campus

Jaipur

Subject : Tender for installation of 1.5 Tesla M.R.I. machine on open tender notice no. 564 dated 13.8.2004

Reference : Your offer to that tender for 1.5 Tesla M.R.I. machine dated 30.8.2004

Dear Sir,

This is to inform you that your offer has been approved for installation and establishment of 1.5 Tesla M.R.I. machine on the following rates and terms & conditions enclosed with the tender at annexure 'A'. You are therefore requested to submit the agreement bond on non judicial stamp paper worth Rs. 100.00 and security money Rs. 20.00 lacs in form of Bank Guarantee in favour of Member Secretary, Rajasthan Medicare Relief S.M.S. Hospital Jaipur, as per terms of this hospital tender within seven days so that further action may be taken. If you do not respond to this offer within seven days of the issue of this letter, order shall by itself be deemed cancelled and Earnest Money deposited by you will be forfeited.

S.No.	Name of tests	Rate offered by firms
1-	M.R.I. Brain	
	Plain & Contrast	2300.00
	Brain with spectroscopy	2000.00
	Brain with functional M.R.I.	2000.00
	M.R.Angionraphy Brain all phases, upto venous phase/venography	2000.00
	M.R. Brain perfusion/diffusion	900.00
	M.R.C.S.F. flow study	900.00
	Base of skull, Orbit, PNS, Sella Paraseller, Superaseller region	900.00
	Any specific view advised by referring doctor	Nil

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

S.No.	Name of tests	Rate offered by firms
2-	M.R.I. Spine, Any one part of spine	
	M.R.I. Spine one part with screening of whole spine	2400.00
	MRI CV junction with (Cine cisternography to study CSF flow at foramen magnum if needed	2000.00
	MRI spine Angiongraphy	1300.00
	MRI CV junction with screening of whole spine	2000.00
3-	MRI Joints	
	Any one joint	2000.00
	Both hip joints	2000.00
4-	MRI thorax	800.00
	Including cardiac/pulmonary great vessels	
5-	MRI upper abdomen	800.00
6-	MRI whole abdomen	800.00
7-	MRI pelvis	800.00
8-	MRI prostate/Spectroscopy	800.00
9-	MRI mammography	800.00
10-	MR Angiography	1000.00
11-	MR CP	1500.00
12-	Rest of test mentioned in your financial bid and this office hospital tender annexures.	Rates as mentioned in your financial bid.

Terms and conditions will be same as per this hospital terms & Conditions enclosed as Annexure 'A' with the tender form.

Yours faithfully

MEMBER SECRETARY

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

S.No.	Type of Examination / Name of Tests	Rate (Rs.)
1	MRI Brain (T1, T2, Axial , Coronal & Sagital)	2300.00
2	MR Spectroscopy	2000.00
3	MR Brian with Functional MRI	2000.00
4	MR Angigraphy neck vesscls	2000.00
5	MR Angio Intracranial Vesscls	2000.00
6	MR Brian with perfusion/diffusion	3000.00
7	MRI CV Junction	2000.00
8	MRI any one spine segment MRI any one spine segment with screening of whole spine	2100.00 2400.00
9	MRI CV Junction and cervical spine	2200.00
10	MRI Upper alxlomen	800.00
11	MRI Pelvis	800.00
12	MRI Whole abdomen	800.00
13	MRI Thorax/Chest MRI Thorax including cardinc/pulmonary great vessels	800.00 800.00
14	MRI Brancheal Plexus	1500.00
15	MRI Angiography	1000.00
16	MRI TM Joint	2000.00
17	MRI any one joint (Knee/elbow/shoulder/etc. MRI Hip Joint-Both	2000.00 2000.00
18	MRI Prostrate/Spectroscopy	800.00
19	MRCP	1500.00
20	MR Brain Venography	2000.00
21	MR CSF Flow Studies	900.00
22	MR Angiography Brain all phases upto venous phase/ venography	2000.00
23	Base of Skull/Orbit/PNS/Sella/Paraseller/Supra sellar region	900.00
24	Anty Specefic view advised by referring dector	NIL
25	MRI Spinal angigraphy	1300.00
26	MRI Cine cisternography to study CSF flow at foramen magnum if needed	2000.00
27	MRI Mammography	800.00

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT, S.M.S. HOSPITAL, JAIPUR.

No. 70/Store/MH/05 Dated : 8.1.2005

OFFICE ORDER

Henceforth all C.T. Scans [in case of machine is out of order] and M.R.I. investigations will be done by the contractor M/s. Vardhman Scanners and Imagers Pvt. Ltd., Jaipur in the campus of S.D.M. Hospital, Jaipur on the approved rates of tender [copy enclosed]. One person of M/s. Vardhman Scanners and Imagers Pvt. Ltd. will remain available round-the-clock in front of Medical Outdoor [Room No. 5]. He will deposit the money and arrange Ambulance to get the investigation done. All the Professor & Head/Unit Heads of the departments are requested to instruct their doctors/staff to refer the patients to deposit the money at the case counter and get the investigations done.

This order will come in force with immediate effect.

Medical Superintendent

सामान्य शल्य चिकित्सकों का पदोन्नति प्रकरण

22. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के सभी मेडिकल कालेजों एवं इनके सम्बद्ध चिकित्सालयों में जनरल सर्जरी चिकित्सकों, प्रोफेसर, ऐसासियेट प्रोफेसर, सहायक लैक्चरर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वरिष्ठता क्रमानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनरल सर्जरी के सभी पदों के लिए कौन से वर्ष तक की नियमित विभागीय पदोन्नति (डी.पी.सी.) हो चुकी है ?

(3) सरकार पदोन्नति की प्रतीक्षा में जनरल सर्जरी के चिकित्सकों को कब तक पदोन्नत करने का विचार रखती है व इसके लिए कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

(4) उक्त चिकित्सकों की समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर पदोन्नत नहीं किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(5) राज्य में सहायक प्रोफेसर (जनरल सर्जरी) के कुल कितने पद रिक्त हैं व सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) राज्य में जनरल सर्जरी के कितने चिकित्सक ऐसे हैं जिन्हें पिछले 15 -20 वर्षों से पदोन्नत नहीं किया गया? उक्त चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह भी सही है कि इन चिकित्सकों से कनिष्ठ सर्जन चिकित्सकों को पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार 15-20 वर्षों से पदोन्नति से वंचित सहायक प्रोफेसर जनरल सर्जरी को अब कब तक पदोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सभी मेडिकल कालेजों के सम्बद्ध अस्पतालों में जनरल सर्जरी के निम्न पद स्वीकृत है-

क्र.सं.	कालेज का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य
1.	अजमेर	2	3	8
2.	बीकानेर	2	3	9
3.	जयपुर	5	6	13
4.	जोधपुर	4	3	8
5.	कोटा	2	3	6
6.	उदयपुर	3	3	7
	योग	**16**	**21**	**51**

वरिष्ठता सूची की प्रति परिशिष्ट-1 पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, डा. आचार्य, सर्जरी पद पर 2003-04 तक एवं सह आचार्य, सर्जरी पद पर 2004-05 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति दी जा चुकी है।

(3) जनरल सर्जरी के आचार्य/सह आचार्य के रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही पदोन्नति पर विचार किया जाता है, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जनरल सर्जरी के पदों पर सभी पदोन्नतियां समय पर की गई है।

(5) जी हां, सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के वर्तमान में कुल 16 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

(6) जी हां, 15-20 वर्ष से पदोन्नत नहीं हुए चिकित्सक इस प्रकार है-

1- डा. एस.पी. सिंह

2- डा. सुभाष दत्ता

3- डा. जे.सी. झंवर

4- डा. जगदीश शर्मा

5- डा. राज गोविन्द शर्मा

6- डा. अजय मालवीय

7- डा. एस.पी. गुप्ता

8- डा. लक्ष्मण अग्रवाल

(7) वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर 12 वर्ष से अधिक समय से पदोन्नति हेतु प्रतीक्षारत चिकित्सक शिक्षकों की पदोन्नति करने पर विचार किया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

परिशिष्ट-1

जनरल सर्जरी की दिनांक 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	पद	जन्म तिथि
	आचार्य		
1.	डा. एन.एस. भण्डारी	आचार्य	12.9.43 30.9.2001 को सेवानिवृत्ति
2.	डा. पी. प्रसाद	आचार्य	27.11.44
3.	डा. डी.के. कासलीवाल	आचार्य	5.11.45
4.	डा. डी.एस. देवल	आचार्य	8.11.43 30.11.2001 को सेवानिवृत्ति
5.	डा. जे.एम. मेहता	आचार्य	20.3.48
6.	डा. एस.एन. माथुर	आचार्य	7.1.48
7.	डा. जे.के. यादव (एस.सी.)	आचार्य	21.1.49
8.	डा. एच.एन. गुप्ता	आचार्य	22.8.45
9.	डा. एन.के. मालपानी	आचार्य	25.8.45
10.	डा. जे.सी. वैद	आचार्य	7.3.47
11.	डा. ए.सी. बोथरा	आचार्य	15.8.47
12.	डा. एच.एल. खमीसरा	आचार्य	30.9.48
13.	डा. सी.पी. जोशी	आचार्य	26.1.48
	सह आचार्य		
1.	डा. बी.एल. लढ्ढा	आचार्य	21.9.45
2.	डा. आर.सी. नागर	आचार्य	6.11.48
3.	डा. नारायण सिंह शेखावत	आचार्य	28.9.50
4.	डा. टी.पी. देवपुरा	आचार्य	9.7.49
5.	डा. एफ. एस. मेहता	आचार्य	14.5.51

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	पद	जन्म तिथि
6.	डा. डी.के. जिन्दल	आचार्य	15.9.52
7.	डा. एम.के. चौहान (एससी)	आचार्य	18.5.52
8.	डा. बृजेश शुक्ला	आचार्य	15.6.50
9.	डा.ए.के. माथुर	आचार्य	20.3.50
10.	डा. के.सी. गुप्ता	तदर्थ आचार्य	8.6.50
11.	डा. के.सी. व्यास	तदर्थ आचार्य	11.7.51
12.	डा. पी.सी. मेवाड़ा		3.4.47
13.	डा. जी.के. अग्रवाल		9.5.50
14.	डा. कमलकान्त		24.4.54
15.	डा. के.सी. चौधरी		3.2.52
16.	डा. मुकेश कुमार		22.2.53
17.	डा. पंकज कुमार सक्सेना		29.9.53
18.	डा. अम्बा लाल सालवी (एससी)		2.4.51
19.	डा. एस.पी. चौहान (एससी)		25.5.54
	सहायक आचार्य		
1.	डा. जी.एल. दशोरा	सह आचार्य	19.9.19
2.	डा. (श्रीमती) कुमकुम सिंह	सह आचार्य	18.3.54
3.	डा. एच.पी. गुप्ता	सह आचार्य	16.9.55
4.	डा. के.के. डंगायच	सह आचार्य	27.8.49
5.	डा. (श्रीमती) गरिमा मेहता	सह आचार्य	5.1.52
6.	डा. बृजेश माथुर	सह आचार्य	5.9.52
7.	डा. [illegible] न	सह आचार्य	2[illegible].4.56
8.	डा. [illegible]म. गर्ग	सह आचार्य	27.8.51
9.	डा. एस.पी. सिंह		20.8.52

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	पद	जन्म तिथि
10.	डा. सुभाष दत्ता		2.2.47
11.	डा. जे.सी. पंवार		15.5.48
12.	डा. जगदीश शर्मा		29.10.50
13.	राज गोविन्द शर्मा		27.10.56
14.	डा. अजय मालवीय		8.12.57
15.	डा. एस.पी. गुप्ता		1.7.53
16.	डा. लक्ष्मण अग्रवाल		18.5.57
17.	डा. राज कमल जैनव (एससी)		15.7.59
18.	डा. दीपक वर्मा		1.10.57
19.	डा. मदन मोहन मंगल		27.8.54
20.	डा. (श्रीमती) सुतित्रा बोहरा		30.1.59
21.	डा. राकेश कुमार शर्मा		10.6.80
22.	डा. अश्वनि गुप्ता		11.9.60
23.	डा. (श्रीमती) रेखा पोरवाल		28.2.62
24.	डा. शैतान सिंह राठौड़		19.7.62
25.	डा. धनन्जय कुमार शर्मा		16.4.66
26.	डा. मुरारी लाल सैनी (ओबीसी)		4.4.57
27.	डा. श्रीमती प्रभा ओम (ओबीसी)		5.8.62
28.	डा. मोहम्मद सलीम (ओबीसी)		28.11.64
29.	डा. चेतन शर्मा (ओबीसी)		5.12.54
30.	डा. सीताराम (एससी)		2.2.56
31.	डा. अशोक परमार (एससी)		4.8.57
32.	डा. उम्मेद सिंह परिहार (एससी)		2.7.58

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	पद	जन्म तिथि
33.	डा. अशोक कुमार मेघवाल (एससी)		5.1.54
34.	डा. जिन्सी लाल मीणा (एसटी)		12.6.59
35.	डा. राधेश्याम मीणा (एसटी)		17.7.59
36.	डा. राजकुमार पालीवाल		14.6.58
37.	डा. सुनील धारनीया		16.2.62
38.	डा. महेश कुमार (ओबीसी)		2.7.55
39.	डा. (श्रीमती) ललिता शर्मा		4.7.57
40.	डा. राजेश वासवानी		15.7.68
41.	डा. श्याम भूतड़ा		26.12.63
42.	डा. (श्रीमती) ऋचा जैन		20.5.65
43	डा. (श्रीमती) शालू गुप्ता		23.12.68
44.	डा. राजेन्द्र मांडिया (एसटी)		14.1.69

नोट :- एक चिकित्सक डा. राजवीर आर्य के सहायक आचार्य सर्जरी के पद पर नियुक्ति हेतु चयन से सम्बन्धित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण राज. लोक सेवा द्वारा इनके चयन सम्बन्धी परिणाम घोषित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप इनके सहायक आचार्य सर्जरी के पद पर नियमित नियुक्त नहीं होने के कारण इनका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है। वह अस्थाई/आवश्यक आधार पर नियुक्त होकर मा. न्यायायल के आदेशानुसार कार्यरत है।

टोल टैक्स वसूली हेतु दिए गए ठेके

23. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में राज्य में किन-किन टोल टैक्स केन्द्रों के लिए टेन्डर आमन्त्रित किये गये व किन-किन टोल टैक्स केन्द्रों पर टोल टैक्स वसूली के टेन्डर स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में गत एक वर्ष की अवधि में कितने टोल टैक्स केन्द्रों के ठेके समाप्त हुए और किन-किन टोल टैक्स केन्द्रों की अवधि समाप्त होने के पश्चात टोल टैक्स वसूली की अवधि बढ़ाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टेन्डर आमंत्रित करने के पश्चात उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के बजाय पुरानी दर पूर्व ठेकेदारों की अवधि बढ़ाई गई ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में टोल टैक्स केन्द्रों के लिए निविदा आमन्त्रण एवं स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गत एक वर्ष की अवधि (वर्ष 2004) में 3 टोल टैक्स केन्द्रों के ठेके समाप्त हुए उनमें से 12 टोल टैक्स केन्द्रों की अवधि बढ़ाई गई एवं 1 टोल टैक्स केन्द्र पर विभागीय स्तर पर वसूली प्रारम्भ की गई। विवरण निम्मानुसार है :-

1. रा.रा.मार्ग सं. 12 कि.मी. 89, टोंक, बनास पुल-अवधि बढ़ाई गई।
2. रा.रा.मार्ग सं. 12, कि.मी. 338, चन्द्रभागा पुल, झालावाड़-अवधि बढ़ाई गई।
3. आर.ओ.बी. रींगस बाइपास विभागीय स्तर पर वसूली प्रारम्भ की गई।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां, बनास पुल रा.रा. मार्ग 12 कि.मी. 89 पर उच्चतम बोली लगाने वाले की निविदा स्वीकृत करने एवं इसकी क्रियान्विति पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के बजाय पुरानी दर पर पूर्व ठेकेदार की अवधि बढ़ाई गई।

परिशिष्ट-अ

सरकार द्वारा व 2003-04 एवं 2004-05 में टोल टैक्स केन्द्रों के लिए आमन्त्रित एवं स्वीकृत निविदाओं का विवरण

क्र.सं.	टोल टेक्स केन्द्र	आमंत्रित	स्वीकृत/ अस्वीकृत	विशेष विवरण
(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर				
वर्ष 2003-04				
1	किमी 89 रा. रा. मार्ग संख्या 12, टोंक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
2	आर.ओ.बी. रींगस बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
3	बाण गंगा नदी पुल रा.रा. मार्ग संख्या 11 अ	निविदा आमंत्रित	अस्वीकृत	
4	कामां जुरहरा पुन्हाना सडक	निविदा आमंत्रित	अस्वीकृत	
5	डीग कामाँ नन्द गांव कोसी सड़क	निविदा आमंत्रित	अस्वीकृत	
6	पहाडी फिरोजपुर एवं पहाड़ी घाट... का फतेहपुर सडक	निविदा आमंत्रित	अस्वीकृत	
7	खेडली पटना सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	टोल टेक्स केन्द्र	आमंत्रित	स्वीकृत/ अस्वीकृत	विशेष विवरण
8	पार्वती पुल किमी 17 धौलपुर	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
9	महाराणा प्रताप पुल बांसवाड़ा	निविदा आमंत्रित	अस्वीकृत	
10	माही अगरपुरा पुल सागवाडा बांसवाड़ा सड़क	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
11	अनास पुल गढी आंजना आनन्दपुरी सड़क	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
12	खिरकी चौकी भिण्डर सलूम्बर आसपुर सडक खडका पुल	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
13	चन्द्रभागा पुल कि.मी. 338 रा.रा. मार्ग संख्या 12	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
14	सिरोही आबू पर्वत सडक कि.मी. 282	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
15	बाण गंगा पुल अलवर बांदीकुई गंगापुर सडक एसएच 25अ	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
वर्ष	2004-05			
1	किमी 89 रा.रा. मार्ग संख्या 12	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	निविदा स्वीकृत लेकिन क्रियान्वयन पर न्यायालय का स्थगन
2	आर.ओ.बी. रींग्स बाइपास	निविदा आमंत्रित		कोई निविदा प्राप्त न होनेके कारण विभागीय स्तर पर वसूली प्रारम्भ की गई।
3	खेडली पथैना सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
4	पार्वती पुल कि.मी. 17 धौलपुर	निविदा आमंत्रित	-	निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	टोल टेक्स केन्द्र	आमंत्रित	स्वीकृत/ अस्वीकृत	विशे . विवरण
5	बाण गंगा नदी पुल रा.रा. मार्ग संख्या 11 अ	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
6	अनास पुल गढी आंजना आनन्दपुरी सड़क	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
7	महाराणा प्रताप पुल बांसवाड़ा	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
8	माही अगरपुरा पुल सागवाडा बांसवाडा सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
9	खिरकी चौकी भिण्डर सलूम्बर आसपुर सडक खडका पुल	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
10	चन्द्रभागा पुल किमी 338 रा.रा. मार्ग संख्या 12	निविदा आमंत्रित		निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
11	कि.मी. 244-45 रा.रा. मार्ग संख्या 12, चम्बल पुल कोटा।	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
12	सिरोही आबू पर्वत सडक कि.मी. 282	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
13	बाण गंगा पुल अलवर बांदीकुई गंगापुर सडक एसएच 25 अ	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	

(ब) राजस्थान राज्य सड़क विपणन एवं निर्माण निगम के स्तर पर

वर्ष 2004-05

1	श्रीमाधोपुर बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
2	बडगांव जैतपुरा पुल मंडार रानीवाडा सांचोर मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
3	बीकानेर बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
4	पालीघाट पुल श्योपुर सवाईमाधोपुर मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	टोल टेक्स केन्द्र	आमंत्रित	स्वीकृत/ अस्वीकृत	विशेष विवरण
5	चम्बुल पुल कोटा	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
6	खातौली पुल कोटा श्योपुर मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
7	काली सिन्ध पुल कोटा बारां मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
8	कांकरोली बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
9	गंगापुर सिटी बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
10	पार्वती पुल कोटा बारां मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
11	जिंदोली घाटी अलवर बहरोड मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
12	खरर बामनी पुल धौलपुर सरमथपुरा करौली	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
13	मोरल पुल सवाईमाधोपुर दौसा मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
14	मासी पुल सांगानेर मालपुरा मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
15	मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
16	बांसवाडा दाहोद सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
	वर्ष 2004-05			
1	बीकानेर बाइपास- (शेष अवधि)	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	टोल टेक्स केन्द्र	आमंत्रित	स्वीकृत/ अस्वीकृत	विशेष विवरण
2	पालीघाट पुल श्योपुर सवाई माधोपुर मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
3	खातौली पुल कोटा श्योपुर मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
4	काली सिन्ध पुल कोटा बारां मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
5	कांकरोली बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
6	गंगापुर सिटी बाइपास	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
7	पार्वती पुल कोटा बारां मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
8	जिंदोली घाटी अलवर बहरोड भाग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
9	खरेर बामनी पुल धौलपुर सरमथपुरा करौली मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
10	मोरेल पुल सवाईमाधोपुर दौसा मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
11	मासी पुल सांगानेर मालपुरा मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
12	मंगलवाड निम्बाहेडा सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
13	बांसवाडा दाहोद सडक	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	
14	अलवर भिवाडी मार्ग	निविदा आमंत्रित	स्वीकृत	

विभिन्न योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु जारी नीति

24. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में चूरू जिले में नई सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त बनने वाली सड़कों की प्राथमिकता तय करने के लिए कोई नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 2004 में चूरू जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन नई सड़कों का निर्माण किया गया है उनका विवरण सड़कवार परिशिष्ट "क" में संलग्न है। अन्य योजनाओं में निर्मित सड़कें परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(2) मिसिंग लिंक, डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) जी हां, वर्तमान में नाबार्ड से वित पोषित डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. योजना में विभागीय सड़कों को प्रथम फेज में 1000 से उपर की जनसंख्या के गांवों को डामरीकरण हेतु प्राथमिकता पर लिया गया है तथा द्वितीय फेज में विभाग की शेष डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को डामरीकरण करने का प्रस्ताव है। अन्य कई सड़कों का निर्माण राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में सड़क निर्माण में व्याप्त अनियमितता

25. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में बस स्टैण्ड से चुंगी नाका तक पेवर रोड हेतु निविदा आमन्त्रित की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की व किस ठेकेदार के नाम? ठेकेदार द्वारा कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा कब पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पेवर रोड बनाने में ठेकेदार एवं अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी ठेकेदार एवं अधिशासी अभियंता के विरूद्ध जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस कार्य हेतु राशि रू. 684801.00 का टेण्डर ठेकेदार मैसर्स जयन्ती लाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के पक्ष में हुआ है। ठेकेदार द्वारा कार्य दिनांक 10.12.2004 को प्रारम्भ कर दिनांक 17.12.2004 को पूर्ण कर दिया गया।

(2) जी नहीं। ठेकेदार एवं अधिशासी अभियन्ता की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है।

दीगोद के गांवों में सड़क निर्माण

26. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में कुल आबाद गांव कितने हैं तथा वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर कुल कितने गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है? 1000 से अधिक, 500 से 1000 के बीच तथा 500 से कम आबादी के कुल कितने गांव डामर सड़क से जोड़े गये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद के 500 से 1000 की आबादी के ग्रामों के डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों व सरकार अब इन्हें कब तक डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में कुल आबाद गांव 896 हैं। 2001 की जनसंख्या के आधार पर कुल 425 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। इनमें से 1000 से अधिक आबादी के 203 गांव, 500 से 1000 तक की आबादी के 129 गांव तथा 500 से कम आबादी के 93 गांव डामर सड़क से जोड़े जा चुके हैं। विधानसभा क्षेत्रवार सूची निम्नानुसार है :-

विधान सभा क्षेत्र	1000 से अधिक आबादी	500- 1000 तक आबादी	500 से कम आबादी	योग
लाड़पुरा	31	24	13	68
दीगोद	62	49	30	141
पीपल्दा	43	8	9	60
रामगंजमंडी	55	43	37	135
अटरू	12	5	4	21
योग	**203**	**129**	**93**	**425**

(2) जी नहीं, 1000 से अधिक आबादी के केवल 2 ग्राम सड़क से नहीं जुड़े है। ग्राम खजूरी (1082) व कोटड़ी (1120) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत सीमेन्ट कंकरीट सड़क हेतु स्वीकृत है तथा केन्द्र सरकार द्वारा दोनों कार्यों को पूरा करने हेतु नेशनल काउन्सिल फोर सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग, नई दिल्ली को कार्य आबंटित किया हुआ हैं। 500 से 1000 तक की आबादी के कुल 56 ग्राम सड़क से नहीं जुड़े हैं। सूची संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

दीगोद विधानसभा क्षेत्र के ड़ामर से नहीं जुड़े हुए गांवों की सूची जनसंख्या 500-1000 2001 की जनगणना के अनुसार

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम
1	बगावदा	22	पोलाई खुर्द
2	बगतरी	23	रामनगर
3	वांक्या	24	रामपुरिया
4	बरगू	25	सोली
5	भूदेन	26	सोहाना
6	बोरखेड़ा	27	उकल्दा
7	धानसूरी	28	आमली
8	फतेहपुरा	29	अतरालिया
9	फतेहपुर	30	बाचीहेडा
10	हरिपुरा नयागांव	31	बयसार
11	जांहगीरपुरा	32	बरखेडा
12	कचोलिया	33	ब्रजलिया
13	कचनावदा	34	ब्रजनगर
14	खेरलीधटा	35	चनावदा
15	कीटरापुरा	36	देगनिया
16	महरणा	37	गरडा
17	मण्डावरी	38	गरदाना
18	मेहन्दी	39	धटाल
20	नरपतखेडी	40	केसोली
21	पीपल्दा खुर्द	41	कन्दाफल

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम
41	कन्दाफल	49	नालोदी
42	खुसालीपुरा	50	रोलाना
43	किशोरपुरा	51	सलोनिया
44	किशोर सागर	52	सीमल्या
45	लालाहेडा	53	टोल्या
46	मादरिया	54	थूलपुर
47	मकरावद	55	उमरहेरी
48	माडक्या हेडी	56	उरना

चित्तौड़गढ़ के कृषि विद्युत उपभोक्ता

27. **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कुल कितने कृषि कनेक्शन (विद्युत) के उपभोक्ता हैं तथा उनकी कुल भार क्षमता कितनी है।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में कृषि कार्यों में निर्धारित भार क्षमता से अधिक बिजली का उपभोग हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कृषि कार्य में विद्युत चोरी, छीजत व ओवर लोडिंग को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या ?

(4) वर्ष 2003-04 में चित्तौड़गढ़ जिले में ओवर लोडिंग से कितने विद्युत ट्रांसफार्मर जले तथा इससे निगम को कितना नुकसान हुआ?

उत्तर

(1) चित्तौडगढ़ जिले में कृषि श्रेणी के कुल 54439 विद्युत उपभोक्ता हैं जिनका कुल स्वीकृत संबंद्ध भार 260520 कि.वा. है।

उर्जा मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि कृषि कार्यों में वर्ष 2003-04 में निर्धारित भार क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग हुआ है, क्योंकि कतिपय कास्तकारों द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया गया है।

(3) जी हां। ताकि वैध विद्युत उपभोक्ताओं को निरन्तर व गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराई जा सके।

(4) चित्तौडगढ़ जिले में वर्ष 2003-04 कुल 2053 वितरण ट्रांसफार्मर जले जिस कारण निगम को लगभग 1.53 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ा।

क्षेत्र दीगोद में नई नीति के तहत कृषि कनेक्शन

28. **श्री भरत सिंह (दीगोद) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में कुल कितने कृषकों द्वारा नई कृषि नीति के तहत कृषि कनेक्शन हेतु कुल कितनी राशि जमा करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नीति के अन्तर्गत कितने कृषकों ने कब-कब आवेदन किया तथा डिमाण्ड राशि किस तारीख को जमा करवाई उनमें से कितने कृषकों को कृषि कनेक्शन दे दिया गया है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कुल कितने कृषकों को कृषि कनेक्शन देना अभी शेष है तथा अब कब तक उक्त को कृषि कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में कुल 819 कृषकों द्वारा नई कृषि कनेक्शन नीति 2004 के तहज जारी किये गये मांग पत्रों के लिये कुल 219.12 लाख रुपये जमा कराये हैं जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त नीति के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों की आवेदन अवधि व मांग पत्र की राशि जमा कराने एवं तदनन्तर कृषि कनेक्शन करने का तहसीलवार/उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) अभी 570 कृषकों को कनेक्शन देना शेष है। इन आवेदकों द्वारा नियमानुसार लाइन का सामान साइट पर ले जाने पर वांछित लाइन खींच कर कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

(ऊर्जा मंत्री)

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा क्षेत्र दीगोद में कृषि कनेक्शन नीति 2004 के अन्तर्गत किसानों के लम्बित आवेदनों की अवधि का तहसीलवार/उपखण्डवार विवरण:-

नाम तहसील/विवरण	सांगोद	दीगोद	कुल
आवेदन अवधि एवं सामान्य श्रेणी के आवेदनों की संख्या	अप्रैल 93 से मार्च 95 तक 604	अप्रैल 95 से मार्च 97 तक 36	640
अनुसूचित जाति के लम्बित आवेदनों की संख्या	74	18	92
फार्म हाउस श्रेणी के लम्बित आवेदनों की संख्या	27	11	38
अन्य लम्बित आवेदनों की संख्या	12	37	49
कुल	**717**	**102**	**819**

परिशिष्ट 'ब'

विधानसभा क्षेत्र दीगोद में कृषि कनेक्शन नीति 2004 के अन्तर्गत किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों के मांग पत्र की राशि जमा कराने का एवं तदनन्तर कृषि कनेक्शन जारी करने का उपखण्डवार विवरण

माह	सांगोद	कनवास	सुल्तानपुर	कुल योग
अगस्त, 04	213	118	29	360
सितम्बर, 04	143	69	56	261
अक्टूबर, 04	77	24	11	112
नवम्बर, 04	41	21	6	68
दिसम्बर, 04	11	—	—	11
जनवरी, 04	—	—	—	—
कुल योग	**485**	**232**	**102**	**819**
जमा राशि लाखों में	129.76	62.07	27.29	219.12
कनेक्श दिये गये	147	41	61	249

राज्य में पूरक पोषाहार योजनान्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति

29. **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य में पिछले तीन वर्षों में क्या लक्ष्य रखा गया था एवं उसके विरूद्ध कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कुपोषण को रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य में पिछले तीन वर्षों में रखे गये लक्ष्य एवं इनके विरूद्ध उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाखों में लाभान्वित)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2001-02	27.44	21.92
2.	2002-03	35.71	27.26
3.	2003-04	35.71	32.41
4.	2004-05	35.71	32.79

(2) जी हां। राज्य में कुपोषण को रोकन के लिए निम्न योजनानुसार कार्यवाही की जा रही है :-

राज्य में समन्वित बाल विकास योजना वर्ष 1975 से बनाई हुई है, इस योजना द्वारा कुपोषण की रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 237 पंचायत समितियों में एवं एक लाख से अधिक आबादी वाले 20 शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल 257 बाल विकास परियोजना संचालित हैं। जिसमें 35,821 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इसके विरूद्ध 35,733 संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 32.79 लाख लोगों को प्रतिदिन पोषाहार वितरण किया जा रहा है। इसमें 6 माह से 6 वर्ष आयुवर्ग के बालक एवं

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं सम्मिलित हैं। कुपोषण निराकरण हेतु पूरक पोषाहार के अतिरिक्त कुपोषण रोकथाम की शिक्षा दी जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक माह एक निश्चित दिवस को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की जांच की विशेष व्यवस्था की जां रही है। अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर इनकी नियमित वृद्धि निगरानी तालिका संधारित की जा रही है।

कुपोषण निराकरण हेतु सभी विभागों द्वारा समेकित प्रयास किये जा रहे है। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल सुलभ चिकित्सालय स्थापना ग्रामीण स्वास्थ्य, सेवाओं का विस्तार, सुरक्षित प्रसव केन्द्र स्थापना, बीमारियों की जांच एवं पोषक तत्वों की आपूर्ती, विटामिन-ए, आयोडीन, लोह तत्व की गोलियां आदि वितरित करवाकर कुपोषण रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सदस्य सूची

सोमवार, 14 फरवरी, 2005

नाम	पृष्ठ संख्यां

श्री अध्यक्ष

अनुपस्थिति अनुमति

-बन्नेसिंह राठौड़ श्री, सदस्य को 14 फरवरी, 2005 से 181

घोषणा

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा 83

व्यवस्था

-अभिभाषण के समय माननीय राज्यपाल माननीय अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं 56

-अभिभाषण के समय राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना उनके ए.डी.सी. देते हैं 54

-वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता 152

-सदन में अखबार के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत सूचना के आधार पर अपनी बात कहनी चाहिए 164

स्थगन प्रस्ताव

-प्रदेश में व्याप्त सूखा और अभाव की स्थिति एवं पर्याप्त राहत कार्य न खोले जाने की स्थिति 31

श्री अमराराम (धोद)

तारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी

-बकाया आबकारी राशि की वसूली 6

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सलूम्बर में सड़क निर्माण में व्याप्त अनियमितता	270
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सलूम्बर के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय	210
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-चित्तौड़गढ़ के कृषि विद्युत उपभोक्ता	273
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी नगरपालिका में रिक्त पद	192
डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	9
व्यवस्था का प्रश्न	
-किसी डाक्यूमेंट को उद्धृत करने व किसी सदस्य द्वारा मांग करने पर उसे सदन की मेज पर रखना होगा	149
-राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना और अभिभाषण के समय सदन की बैठक की अध्यक्षता व सदन का संचालन	51

नाम	पृष्ठ संख्या
-वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता	148
-सदन में अपनी बात कहने के लिए अखबार को आधार बनाया जा सकता है	163
श्री ओम बिरला (कोटा), संसदीय सचिव	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003	80
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव	83
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003	80
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सादुलशहर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद	191
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-कुम्हेर जांच का प्रतिवेदन	79
-राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2004	79

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना	252
सार्वजनिक निर्माण	
-विभिन्न योजनान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु जारी नीति	269
स्वायत्त शासन	
-शहरी सीमा क्षेत्र में संचालित पशु डेयरियां	227
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-निजी चिकित्सालयों को रियायती दर पर भू-आबंटन	208
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-राज्य में पूरक पोषाहार योजनान्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति	276
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	185
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-ब्यावर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन	217
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सीमान्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	196

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-सांभर साल्ट्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004	79
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री	
विधेयक का पुरःस्थापन	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2005	82
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004	79
-राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन 2002-03	79
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बारां शहर में आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहीत भूमि	232
राजस्व	
-बारां में संचालित सहायक कलक्टर कार्यालय	242
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-पछाड़ (बारां) ग्राम पंचायत को आबंटित भूमि का उपयोग	211

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-कपासन में आयोजित भू-नियमन शिविर	237
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कपासन की मिसिंग लिंक सड़कें	24
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-राज्य में शराब एवं सिगरेट निर्माण पर प्रतिबन्ध	225
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-हनुमानगढ़ जिला पूल द्वारा विधायकों को वाहन सुविधा	190
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-बनीपार्क के आवारा पशु	230
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	20

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
देवस्थान	
-राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल की बैठकें	248
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	173
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-दीगोद में नई नीति के तहत कृषि कनेक्शन	274
सार्वजनिक निर्माण	
-दीगोद के गांवों में सड़क निर्माण	270
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-दीगोद में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण	196
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-पाली जिले में चिकित्सक के रिक्त पद	251
स्वायत्त शासन	
-नगर परिषद क्षेत्र के काबिज भू-खण्डधारी	225

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन	195
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
व्यवस्था	
-वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता	153
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	157
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	185
समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार	
-कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन	80
-कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन	147
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	14
कार्मिक	
-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति	210
व्यवस्था का प्रश्न	
-राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना और अभिभाषण के समय सदन की बैठक की अध्यक्षता व सदन का संचालन	53

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-कपासन की मिसिंग लिंक सड़कें 25

विधेयक का पुर:स्थापन

-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2005 81

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-बांदीकुई नगरपालिका में सफाई कर्मियों के रिक्त पद 226

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व

-राजस्व विभाग की पांच अधिसूचनाएं 78

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-कोटा संभाग में भूमि रूपान्तरण के लम्बित प्रकरण 235

राजस्व

-कोटा के ग्राम रोसली की औद्योगिक भूमि का अवैध बेचान 247

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	1
राजस्व	
-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन	190
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा	64
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-चौमूं बस स्टैण्ड का अर्द्धनिर्मित सुलभ काम्प्लैक्स	236
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-चौमूं की मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण	217
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	165
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ड्रिलिंग के ठेके	57
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	15

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-राजस्थान में बाघों की घटती संख्या	63
श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	2
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
वित्त	
-वित्त विभाग की 84 अधिसूचनाएं	66
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004	80
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	102
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सामान्य शल्य चिकित्सकों का पदोन्नति प्रकरण	256
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-पुष्कर के चिकित्सालय में रिक्त पद	203

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-कपासन की मिसिंग लिंक सड़कें 29

श्री सांवर लाल (मिनाय), मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ड्रिलिंग के ठेके 59

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी

-बकाया आबकारी राशि की वसूली 8

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

आबकारी

-बकाया आबकारी राशि की वसूली 22

सार्वजनिक निर्माण

-कपासन की मिसिंग लिंक सड़कें 27

व्यवस्था

-अभिभाषण के समय राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना उनके ए.डी.सी. देते हैं 55

-वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता 156

नाम	पृष्ठ संख्या
व्यवस्था का प्रश्न	
-राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना और अभिभाषण के समय सदन की बैठक की अध्यक्षता व सदन का संचालन	48
-सदन में अपनी बात कहने के लिए अखबार को आधार बनाया जा सकता है	158
श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-सांगानेर (जयपुर) ग्राम विधाणी की कालोनी के नियमन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	236
राजस्व	
-जयपुर के ग्राम आकेड़ा डूंगर की मंदिर माफी की भूमि का बेचान	248
-जयपुर तहसील के ग्राम मूण्डिया पुरोहितान में अवाप्त भूमि का मुआवजा	246
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर शहर में नियम विरुद्ध निर्मित बहुमंजिला इमारतें	228
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	1
श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-आसीन्द की पेराफैरी सीमा के अवैध अतिक्रमण	241

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-कोटा संभाग के राजकीय भवनों का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नामकरण	218
सार्वजनिक निर्माण	
-टोल टैक्स वसूली हेतु दिए गए ठेके	263
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	115
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-बकाया आबकारी राशि की वसूली	7
महिला एवं बाल विकास	
-कोटा लोक सभा क्षेत्र के पोषाहार केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	198
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-राजस्थान में बाघों की घटती संख्या	60
श्री हीरालाल (निवाई)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	181